भारत

के

नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

(1981-82)

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		(vi)

पहला अध्याय

सामान्य

लेन-देनों का सारांश	1.1	1—2
राजस्व अधिशेष/घाटा	1.2	2—3
राजस्व प्राप्तियां	1.3	3—4
राजस्व लेखे पर व्यय	1.4	4—6
पूंजीगत लेखे पर व्यय	1.5	6—7
सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1.6	7—10
पूंजीगत व्यय के लिए निधियों के स्रोत तथा ऋणों और अग्रिमों के अन्तर्गत निवल निकास	1.7	10
ऋण स्थिति	1.8	11—12
सरकार द्वारा निवेश	1.9	13
राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां	1.10	14
योजना निष्पत्ति	1.11	14—15
आयोजनेतर व्यय में वृद्धि	1.12	15

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखा परीक्षा तथा व्यय पर नियन्त्रण

सारांश	2.1	16
अनुदानों/प्रभारित विनियोगों पर आधिक्य जिसका नियमानुकूलन अपेक्षित है	2.2	17—23
पूरक अनुदान/प्रभारित विनियोग	2.3	23—25
अनुदानों में बचत	2.4	25—27
बचतों/आधिक्यों के लिए स्पष्टीकरणों की अप्राप्ति	2.5	27
व्यय की तीव्रता	2.6	27—28

आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण	2.7	28
त्रुटिपूर्ण बजट तथा व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण	2.8	28—30
वसूलियों में कमी/आधिक्य	2.9	30
विभागीय आंकड़ों का मिलान	2.10	31

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

कृषि विभाग

जन जातीय क्षेत्र उप-योजनाधीन कृषि कार्यक्रम	3.1	32—41
राजस्व की हानियां	3.2	41—42

पशुपालन विभाग

गहन पशु विकास परियोजना घनाहटी	3.3	42—56

उद्योग विभाग

जिला उद्योग केन्द्र कार्य-क्रम	3.4	57—65

राजस्व विभाग

सरकारी धन का गबन	3.5	66—67

ग्रामीण एकीकृत विकास विभाग

सरकारी धन की हानि	3.6	68—69
अपूर्ण निर्माण-कार्य	3.7	69

उद्यान विभाग

मधुमक्खी पालन इकाइयां	3.8	69—71

सामान्य

कार्यहीन मशीनरी	3.9	71—72
दुर्विनियोजन, गबन आदि	3.10	72
प्रतिरूपी अनियमिततायें	3.11	73

चौथा अध्याय

निर्माण कार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग

सेब विधायन एवं विपणन परियोजना के अन्तर्गत सड़कें	4.1	74—82
बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्य	4.2	82—95
जयसिंहपुर विजयपुर सड़क का निर्माण	4.3	95—96
परित्यक्त बाथरी नगवाई सड़क	4.4	96
सड़क का मोड़ना एवं पुल का निर्माण	4.5	96—97
नयोगल खड्ड पर झूला पुल का निर्माण	4.6	98

सोलन सतही जल संगठन का कार्यकलाप	4.7	98—100
ठेकेदार को अधिक भुगतान	4.8	100—101
व्यर्थ व्यय	4.9	102
अपूर्ण सड़कें	4.10	102—104
जल आपूर्ति योजना, भेरी बालकरूपी	4.11	105
चुंगी प्रभारों की अदायगी	4.12	105—106
अमतहड़ सुनेहड़ मुंडला दौलतपुर सड़क का निर्माण	4.13	106

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

लोक निर्माण विभाग

सामग्री की कम प्राप्ति	5.1	107
पौलिथीन पाइपों का अविवेकपूर्ण क्रय	5.2	107
फालतू भंडार	5.3	108

गृह विभाग

अप्रयुक्त भंडार	5.4	108—109

मत्स्य पालन विभाग

भंडार का अनावश्यक क्रय	5.5	109

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता

अनुदान और उनका उपयोग	6.1	110—112

उद्योग विभाग

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड	6.2	112—130

ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग

निर्माण कार्य अनुदान	6.3	130—135

वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग

अनुदान	6.4	135—136

कल्याण विभाग

अनुदान	6.5	136—139

स्थानीय स्वशासन विभाग

शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान 6.6 139—144

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

ऋण तथा उपदान 6.7 144—145

सातवां अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप

अनुभाग—क

सामान्य 7.1 146

अनुभाग—ख

सांविधिक निगम 7.2 146

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 7.3 146—169

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम 7.4 169—171

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 7.5 171—173

अनुभाग—ग

सरकारी कम्पनियां 7.6 174—179

हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित 7.7 179—188

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित 7.8 188—205

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथ करघा निगम सीमित 7.9 205—206

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित 7.10 206

अनुभाग—घ

विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम 7.11 206

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग 7.12 207—208

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 7.13 208

परिशिष्ट

		पृष्ठ
1.1	विस्तृत खण्डों के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विभिन्नताएं	210—212
1.2	विस्तृत खण्डों के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान गत वर्ष की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में महत्वपूर्ण विभिन्नताएं	213
2.1	मामले जिनमें बचत (प्रत्येक मामले में बीस लाख रुपये या अधिक) कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक हुई	214
2.2	आवश्यकताओं से पहले निधियों का आहरण	215—220
3.1	31 मार्च 1982 तक प्रतिवेदित और 30 सितम्बर 1982 को बकाया दुर्विनियोजन और गबन	222—223
3.2	दुर्विनियोजन, ख्यानतों आदि के बकाया मामले (30 सितम्बर 1982) और जिस स्थिति में वे अनिर्णीत पड़े हैं	224—225
4.1	बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण	226—234
7.1	संवैधानिक निगमों के संक्षिप्त आर्थिक परिणाम	236—239
7.2	सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त आर्थिक परिणाम	240—243

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यत: वर्ष 1981-82 के विनियोग लेखे से उदभूत मामलों तथा साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अन्य बातों से सम्बन्धित है। इस वर्ष में 1981-82 के वित्त लेखाओं से उद्भूत कुछ रुचिकर बातें भी सम्मिलित हैं।

2. राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो वर्ष 1981-82 में किए गए लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आये तथा वे भी जो पिछले वर्षों से देखने में तो आये थे किन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था। जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, 1981-82 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी शामिल कर लिये गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित बातों का अभिप्राय न तो सम्बन्धित विभागों/निकायों/प्राधिकारियों के वित्तीय प्रशासन पर किसी प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना है और न ही उन का यह अर्थ समझा जाए।

पहला अध्याय

सामान्य

1.1 लेन-देनों का सारांश

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 1981-82 की प्राप्तियां तथा व्यय गत वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दिये गये हैं :—

	1980-81	1981-82
	(करोड़ रुपयों में)	
(i) राजस्व		
राजस्व प्राप्तियां		
(क) राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व	1,34.98	72.23
(ख) भारत सरकार से प्राप्तियां	1,57.37	1,61.98
जोड़—राजस्व प्राप्तियां	2,92.35	2,34.21
राजस्व व्यय—		
(क) आयोजनेतर	1,32.62	1,51.40
(ख) योजनागत	55.14	61.00
जोड़—राजस्व व्यय	1,87.76	2,12.40
राजस्व अधिशेष (+)	+1,04.59	+21.81
(ii) लोक ऋण—		
प्राप्तियां	24.82	1,79.87
भुगतान	79.46	1,31.16
वृद्धि (+) कमी (−)	−54.64	+48.71
(iii) राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम		
संवितरण	18.18	17.48
वसूलियां	1.65	2.02
वृद्धि (−)	−16.53	−15.46

(iv) **लोक लेखा—**

प्राप्तियां	3,36.73	2,88.16
संवितरण	3,25.01	2,83.76
वृद्धि (+)	+11.72	+4.40

(v) **पूंजीगत व्यय—**

आयोजनेतर	1.11	1.92
योजनागत	51.48	61.01
वृद्धि (—)	—52.59	—62.93
निवल घाटा (—)		
निवल अधिशेष (+)	—7.45	—3.47
आदि रोकड़ शेष	—1.94	—9.39
उपरोक्तानुसार निवल घाटा (—)	—7.45	—3.47
अन्त रोकड़ शेष	—9.39	—12.86*

*मुख्यत: रिजर्व बैंक में जमा द्वारा समाविष्टित। "रिजर्व बैंक डिपोज़िट" से सम्बन्धित रोकड़ शेषों में समाविष्टित और रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों (—32.85 करोड़ रु०) तथा लेखाओं में दर्शाए गए (—13.10 करोड़ रु०) में—19.75 करोड़ रु० का अन्तर था। (—) 20.33 करोड़ रु० तक के अन्तर का समाधान किया जा चुका है, शेष अन्तर (0.58 करोड़ रु०) का समाधान किया जा रहा है (दिसम्बर 1982)।

1.2 **राजस्व अधिशेष/घाटा**

(क) राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1981-82 की राजस्व प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़े वर्ष के दौरान बजट अनुमान तथा वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 के तदनुरूपी आंकड़ों सहित तुलनात्मक रूप में नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	बजट	बजट जमा अतिरिक्त कर भार	वास्तविक आंकड़े	कालम (4) तथा (3) में अन्तर	
				राशि	प्रति-शतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़ रुपयों में)			
1979-80	1,78.33	1,81.95	1,92.61	+10.66	6
1980-81	1,92.88	1,92.88	(**) 2,92.35	+99.47	52
1981-82	2,17.08	2,17.08	(**) 2,34.21	+17.13	8

**वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाए गए थे।

वष 1981-82 में प्राप्तियां बजट अनुमानों से मुख्यत: 'वन' (4.14 करोड़ रु०), 'राज्य आबकारी' (3.44 करोड़ रु०), 'बिक्री कर' (3.27 करोड़ रु०), 'केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान' (2.99 करोड़ रु०) तथा 'उत्पाद शुल्कों में राज्य का भाग, (1.76 करोड़ रु०) के अन्तर्गत बढ़ गईं।

(ख) राजस्व लेखे पर व्यय

(i) बजट अनुमानों तथा (ii) पूरक प्रावधान जमा बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 1981-82 में राजस्व लेखे पर व्यय पिछले दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	बजट	बजट जमा पूरक	वास्तविक आंकड़े	कालम (4) तथा (3) में अन्तर	
				राशि	प्रति-शतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़ रुपयों में)			
1979-80	1,44.15	1,65.62	1,49.74	−15.88	10
1980-81	1,61.47	1,84.74	1,87.76	+3.02	2
1981-82	1,86.62	2,18.52	2,12.40	−6.12	3

(ग) बजट में प्रत्याशित 30.46 करोड़ रु० के अधिशेष की तुलना में 21.81 करोड़ रु० के राजस्व अधिशेष के साथ वर्ष समाप्त हुआ।

1.3 **राजस्व प्राप्तियां**

वर्ष 1981-82 में राजस्व प्राप्तियां (234.21 करोड़ रु०) वर्ष 1980-81

(292.35 करोड़ रु०) की तुलना में निम्न प्रकार थीं :—

	प्राप्तियां		वृद्धि (+) कमी (−)
	1980-81	1981-82	
(1)	(2)	(3)	(4)
	(करोड़ रुपयों में)		
(i) राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व—			
कर राजस्व	33.93	41.49	+7.56
कर-भिन्न राजस्व	1,01.05	30.74	−70.31
(ii) भारत सरकार से प्राप्तियां—			
निगम कर से भिन्न आय पर कर	5.96	6.06	+0.10
सम्पदा शुल्क	0.01	0.25	+0.24
संघीय उत्पाद शुल्कों में राज्य का भाग	15.73	18.36	+2.63
संविधान की धारा 275(1) के परन्तुक तथा संविधान आदेश (राजस्व का वितरण) के अधीन अनुदान	42.33	44.70	+2.37
अन्य अनुदान	93.34	92.61	−0.73
जोड़	2,92.35	2,34.21	−58.14

वर्ष 1981-82 के दौरान भारत सरकार से प्राप्तियां (161.98 करोड़ रु०) वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों का 69 प्रतिशत बनीं।

इस विषय पर अधिक जानकारी भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के हिमाचल प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिवेदन से मिलेगी।

1.4 राजस्व लेखे पर व्यय

(i) वर्ष 1981–82 के दौरान राजस्व लेखे पर विस्तृत शीर्षों के अधीन व्यय की तुलना

उनके अन्तर्गत किये गये प्रावधान के साथ नीचे की गई है :—

व्यय का खण्ड/ उपखण्ड	आयोजनेतर				योजनागत			
	बजट अनुमान	बजट अनुमान जमा पूरक	वास्तविक आंकड़े*	अन्तर	बजट अनुमान	बजट अनुमान जमा पूरक	वास्तविक आंकड़े	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(करोड़ रुपयों में)					
क. सामान्य सेवाएं	44.72	60.15	49.24 (41.49)	—10.92	1.66	1.71	1.99 (1.63)	+0.28
ख. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	58.86	62.98	66.70 (60.21)	+ 3.72	14.73	19.11	22.78 (23.95)	+3.67
ग. आर्थिक सेवाएं								
(क) सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.80	1.89	1.84 (1.79)	−0.05	1.81	1.87	1.70 (1.47)	−0.17
(ख) कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	21.60	24.79	25.35 (21.70)	+0.56	28.03	30.58	27.49 (22.61)	−3.09
(ग) उद्योग तथा खनिज	0.81	0.91	0.88 (0.91)	—0.03	3.62	4.28	4.29 (3.48)	+ 0,01
(घ) जल तथा विद्युत विकास	..	..	0.67 (..)	+0.67	1.24	1.61	1.22 (1.19)	—0.39
(ङ) परिवहन तथा संचार	6.62	6.79	6.59 (6.37)	—0.20	0.96	1.68	1.53 (0.81)	—0.15
जोड़ ग–आर्थिक सेवाएं	30.83	34.38	35.33 (30.77)	+0.95	35.66	40.02	36.23 (29.56)	−3.79

*कोष्ठकों में अंक 1980–81 के लिये व्यय के आंकड़े हैं।

घ. सहायता अनुदान तथा अंशदान	0.16	0.16	0.13 (0.15)	—0.13	..	..	..	..
जोड़	1,34.57	1,57.68	151.40 (132.62)	—6.28	52.05	60.84	61.00 (55.14)	+0.16

गत वर्ष के व्यय की तुलना में वर्ष 1981–82 के दौरान व्यय में महत्वपूर्ण विभिन्नताएं विस्तृत खण्डों के अन्तर्गत परिशिष्ट—1.1 में विश्लेषित की गई हैं।

1.5 पूंजीगत लेखे पर व्यय

(i) बजट अनुमानों तथा पूरक प्रावधान सहित बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 1981–82 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बजट	बजट जमा पूरक	वास्तविक आंकड़े	कालम (4) तथा (3) में अन्तर	
				राशि	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(करोड़ रुपयों में)		
1979–80	37.04	45.38	47.34	+1.96	4
1980–81	38.96	49.10	52.59	+3.49	7
1981–82	47.61	60.71	62.93	+2.22	4

(ii) वर्ष 1981–82 के दौरान पूंजीगत लेखे पर विस्तृत शीर्षों के अधीन व्यय की तुलना उनके लिये किये गये प्रावधान के साथ नीचे की तालिका में की गई है:—

व्यय का खण्ड/ उप खण्ड	आयोजनेतर				योजनागत			
	बजट अनुमान	बजट अनुमान जमा पूरक	वास्तविक आंकड़े*	अन्तर	बजट अनुमान	बजट अनुमान जमा पूरक	वास्तविक आंकड़े*	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(करोड़ रुपयों में)			
निम्न पर पूंजीगत व्यय								
(i) सामान्य सेवाएं	..	..	.. (..)	..	1.92	1.93	2.07 (2.03)	+0.14

*कोष्ठकों के अंक 1980-81 के लिए व्यय के आंकड़े हैं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ii) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	0.84	1.36	1.06 (0.36)	−0.30	10.66	18.17	20.28 (14.65)	+2.11
(iii) आर्थिक सेवाएं–								
(क) सामान्य आर्थिक सेवाएं	..	..	.. (..)	..	1.57	1.67	1.62 (1.60)	−0.05
(ख) कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	..	0.82	0.36 (0.75)	−0.46	4.66	6.20	7.99 (5.32)	+1.79
(ग) उद्योग तथा खनिज	..	..	.. (..)	..	0.76	1.20	1.08 (1.02)	−0.12
(घ) जल तथा विद्युत विकास	..	..	..	..	2.41	2.41	1.70 (2.64)	−0.71
(ङ) परिवहन तथा संचार	0.50	0.50	0.50 (..)	..	24.19	26.45	26.27 (24.22)	−0.18
जोड़—आर्थिक सेवाएं	0.50	1.32	−0.86 (.75)	0.46	33.69	37.93	38.66 (34.80)	+0.73
जोड़	1.34	2.68	1.92 (1.11)	−0.76	46.27	58.03	61.01 (51.48)	+2.98

योजनागत व्यय में वृद्धि (2.98 करोड़ रु०) मुख्यत: सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं (2.11 करोड़ रु०) के अन्तर्गत थी। वर्ष 1980–81 के दौरान भी उसी खण्ड के अन्तर्गत 2.33 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

(iii) वर्ष 1981–82 के दौरान व्यय में गत वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण विभिन्नतायें, विस्तृत खण्डों के अन्तर्गत, परिशिष्ट 1.2 में विश्लेषित की गई हैं।

1.6 सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

(i) वर्ष 1981–82 के लिये बजट अनुमानों और पूरक प्रावधानों सहित बजट अनुमानों की तुलना में सरकार द्वारा वितरित ऋणों और अग्रिमों के वास्तविक आंकड़े वर्ष 1979–80

*कोष्ठकों में आंकड़े 1980–81 में किये गये व्यय के आंकड़े हैं।

और 1980–81 के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दिये गये हैं––

वर्ष	बजट	बजट जमा पूरक	वास्तविक आंकड़े	कालम (4) तथा कालम (3) में अन्तर	
				राशि	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(करोड़	रुपयों में)		
1979–80 ..	15.84	19.23	15.69	––3.54	18
1980–81 ..	17.01	19.38	18.18	––1.20	6
1981–82 ..	19.42	20.88	17.48	––3.40	16

बचत (कालम (5) मुख्यत: (1) "विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण" (2.14 करोड़ रु०) के अन्तर्गत थी जो मुख्यत: राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (1 करोड़ रु०) के जारी न करने और योजना आबंटन में कमी (0.89 करोड़ रु०) के कारण, (ii) 'आवास के लिये ऋण' (0.96 करोड़ रु०) जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को योजना आबटन में कमी के कारण कम ऋण जारी करने से हुई।

(ii) वर्ष 1981–82 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिये बजट तथा ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों के वास्तविक आंकड़े नीचे दिये गये हैं––

वर्ष	बजट	वास्तविक आंकड़े	कालम (3) और (2) में अन्तर	
			राशि	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़	रुपयों में)	
1979––80	1.46	1.60	+0.14	9
1980-81	1.78	1.65	−0.13	7
1981–82	1.79	2.02	+0.23	13

6 (iii) वर्ष 1981–82 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रवर्गों के अन्तर्गत की गई ऋण और अग्रिमों की अदायगी और वसूली तथा प्रत्येक वर्ष आरम्भ/समाप्त होने पर बकाया की व्याख्या नीचे दी गई है––

प्रवर्ग	1979-80				1980-81				1981-82	
	1 अप्रैल 1979 को बकाया शेष	वितरित ऋण	वसूल किये गये ऋण	31 मार्च/1 अप्रैल 1980 को बकाया शेष	वितरित ऋण	वसूल किये गये ऋण	31 मार्च/1 अप्रैल 1981 को बकाया शेष	वितरित ऋण	वसूल किये गये ऋण	31 मार्च 1982 को बकाया शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					(करोड़ रुपयों में)					
(i) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिये ऋण	6.35	1.32	0.21	7.46	1.38	0.18	8.66	1.15	0.27	9.54
(ii) आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण										
(क) सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.01	0.58	0.11	2.48	0.50	0.12	2.86	0.43	0.19	3.10
(ख) कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	3.17	2.34	0.34	5.17	1.01	0.34	5.84	1.12	0.47	6.49
(ग) उद्योग तथा खनिज	2.56	0.24	0.16	2.64	0.52	0.14	3.02	0.34	0.19	3.17
(घ) जल तथा विद्युत विकास	40.39	9.14	..	49.53	12.58	..	62.11	12.49	..	74.60
(ङ) परिवहन तथा संचार	..	0.07	..	0.07	..	..	0.07	..	..	0.07
जोड़ (ii)	48.13	12.37	0.61	59.89	14.61	0.60	73.90	14.38	0.85	87.43
(iii) सरकारी कर्मचारियों को ऋण	2.22	2.00	0.78	3.44	2.19	0.87	4.76	1.91	0.90	5.77
(iv) विविध ऋण	..	..	..	..	..	..	..	0.04	*..	0.04
जोड़	56.70	15.69	1.60	70.79	18.18	1.65	87.32	17.48	2.02	1,02.78

*केवल 36,000 रु० ।

(iv) बकाया वसूलियां— (क) शिमला नगर निगम (वर्ष 1980–81 के अन्त में 4.50 लाख रु०) तथा विभिन्न नगर पालिकाओं (मूलधन 3.52 लाख रु०, ब्याज 2.96 लाख रु०) और भूमिहरों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों (मूलधन 0.02 लाख रु०, ब्याज 0.01 लाख रु०) से सम्बन्धित ऋणों की 6.51 लाख रु० की कुछ वसूलियां वर्ष 1981–82 के अन्त तक बकाया थीं जिनके विस्तृत लेखे लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।

(ख) वित्त विभाग (दिसम्बर 1982/जनवरी 1983) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च 1982 को ऋणों के सम्बन्ध में बकायों में वसूलियां जिनके विस्तृत लेखे विभागों द्वारा रखे जाते हैं वे 2,60.32 लाख रुपये, (मूलधन : 1,66.01 लाख रुपये, ब्याज: 94.34 लाख रुपये) थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

विभाग	राशि
	(लाख रुपयों में)
उद्योग	1,24.18
सहकारिता	48.65
राजस्व	41.26
कृषि	41.16
स्थानीय स्वशासन	4.96
पशु पालन	0.11
जोड़	2,60.32

किन्तु आवास, पंचायती राज, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्यान, ग्रामीण एकीकृत विकास तथा कल्याण विभागों के सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित थी (जनवरी 1983)।

(ग) सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष शेष उनकी स्वीकृति हेतु सूचित किये जाते हैं। बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। मार्च 1982 के अन्त में 8,087 मामलों (बकाया राशि 31.83 करोड़ रु०) के सम्बन्ध में स्वीकृतियां बकाया थीं। महत्वपूर्ण मामलों के ब्यौरे वित्त लेखा 1981–82 के परिशिष्ट "घ" में दिए गए हैं।

1.7 पूंजीगत व्यय के लिए निधियों के स्रोत तथा ऋणों और अग्रिमों के अन्तर्गत निवल निकास

वर्ष 1981–82 के दौरान राज्य सरकार द्वारा "ऋण और अग्रिम" के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय (62.93 करोड़ रु०) और निवल व्यय (15.46 करोड़ रु०) मुख्यत: "राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण" में निवल वृद्धि में से (30.33 करोड़ रु०), "राजस्व अधिशेष" (21.81 करोड़ रु०) में से तथा "केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम" (18.38 करोड़ रु०) में से पूर्ण किया गया।

1.8 ऋण स्थिति

(क) वर्ष 1981–82 के अन्त में सरकार की कुल ऋण देयता 2,52.56 ~~1,79.73~~ करोड़ रुपये थी। मार्च 1980, 1981 तथा 1982 के अन्त में ऋण देयता का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे दिया गया है :—

ऋण का स्वरूप	31 मार्च को शेष		
	1980	1981	1982
		(करोड़ रुपयों में)	
(1) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	18.44	22.35	52.68
(2) भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1,67.22	1,08.67	1,27.05
(i) कुल लोक ऋण	1,85.66	1,31.02	1,79.73
(ii) भविष्य निधियां	39.28	49.17	59.79
(iii) आरक्षित निधियां (ब्याज देय)	0.01	0.01	0.01
(iv) ब्याज हीन देय आभार जैसे कि सिविल जमा, स्थानीय निधियों का जमा, अन्य चिह्नि निधियां इत्यादि	10.70	11.90	13.03
कुल ऋण	2,35.65	1,92.10	2,52.56

(ख) **ब्याज प्रभार**—नीचे की तालिका (गत वर्षों के अंकों सहित) राजस्व पर ब्याज प्रभारों के भार को दर्शाती है :—

	1980–81	1981–82
	(करोड़ रुपयों में)	
राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज	10.04	12.43
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज		
(i) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां	0.37	0.77
(ii) रोकड़ शेषों के निवेश पर ब्याज प्राप्तियां	1.56	0.53
राजस्व पर ब्याज का निवल भार	8.11	11.13
कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता पर निवल ब्याज	2.77	4.75

0.03 करोड़ रु० के लाभांश/ब्याज को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981-82 में राजस्व पर ब्याज का निवल भार 11.10 करोड़ रु० था।

भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये एक करारनामे के अधीन सरकार को प्रत्येक दिन कम से कम 20 लाख रु० बैंक में शेष रखने चाहिएं। यदि शेष स्वीकृत न्यूनतम राशि से भी कम हो जाए तो सरकार बैंक से अधिकतम 4 करोड़ रुपये के साधारण अर्थोपाय अग्रिम ले सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रखी गई भारत सरकार की प्रत्याभूतियों, यदि कोई हों तो, के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम जो 2 करोड़ रु० से अधिक न हो लिया जा सकता है ।

यदि अधिकतम मात्रा में अर्थोपाय अग्रिमों तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के लेने पर भी रोकड़ शेष निर्धारित न्यूनतम से कम हो जाता है तो ऐसी न्यूनताओं को अनावृत छोड़ दिया जाता है परन्तु बैंक उन पर ब्याज लेता है ।

यदि राज्य का शेष माइनस में हो तो बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट की अनुमति दी जाती है। बैंक अर्थोपाय अग्रिमों, न्यूनताओं और ओवर ड्राफ्टों पर विभिन्न दरों से ब्याज लेता है।

राज्य सरकार ने वर्ष 1981–82 के दौरान बैंक में जिस सीमा तक न्यूनतम शेष रखा वह नीचे दर्शाई गई है :––

(i) बिना कोई अग्रिम लिए जितने दिन न्यूनतम शेष बनाए गखा गया	141
(ii) साधारण व विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिन न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	शून्य
(iii) उपरोक्त अग्रिम लेकर परन्तु ओवरड्राफ्ट लिए बिना जितने दिन शेष न्यूनतम से कम रहा	39
(iv) जितने दिन ओवरड्राफ्ट लिया गया	185

अर्थोपाय अग्रिम

वर्ष के आरम्भ में कोई भी अर्थोपाय अग्रिम बकाया नहीं थे। वर्ष के दौरान सरकार ने 21.45 करोड़ रु० साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त किये । इनमें से वर्ष के समाप्त होने से पहले 17.39 लाख रु० का पुनर्भुगतान किया गया जिससे 4.06 करोड़ रु० का शेष बचा था ।

ओवरड्राफ्ट

गत वर्ष के अन्त में राज्य के विरुद्ध कोई भी ओवरड्राफ्ट नहीं था। वर्ष के दौरान 1,30.12 करोड़ रु० ओवरड्राफ्टों के रूप में प्राप्त किये गये थे इनमें से वर्ष के दौरान 1,09.79 करोड़ रु० का पुनर्भुगतान किया गया जिससे वर्ष की समाप्ति पर 20.33 करोड़ रु० का शेष बचा था ।

0.37 करोड़ रु० का अर्थोपाय अग्रिमों (0.09 करोड़ रु०) पर ब्याज के रूप में भुगतान किया गया था ।

1.9 सरकार द्वारा निवेश

विभिन्न प्रतिष्ठानों संस्थानों के शेयर पूंजी, बन्ध पत्रों (बांडों) एवं ऋण पत्रों (डबेंचरज) में वर्ष 1981–82 के दौरान तथा 1981–82 के अन्त तक सरकार का कुल निवेश,उनसे प्राप्त लाभांश/ब्याज सहित निम्न प्रकार है :––

बकायों की श्रेणी	1981–82 में निवेश		1981–82 के अन्त तक निवेश		वर्ष के दौरान प्राप्त	अभ्युक्तियां
	प्रतिष्ठानों/ संस्थानों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रतिष्ठानों/ संस्थानों की संख्या	राशी (करोड़ रुपयों में)	लाभांश /ब्याज (करोड़ रुपयों में)	
(i) सांविधिक निगम––						(i) दोनों (क) तथा (ख) में एक निगम सम्मिलित है।
(क) शेयर तथा ऋण	4	3.03		515.40	0.15	
(ख) ऋण	1	12.49	2	104.00	..	
(ग) जोड़	5	15.52	6(i)	119.40	0.15	
(ii) सरकारी कम्पनियां––						(ii) दोनों (क) तथा (ख) में एक कम्पनी सम्मिलित है
(क) शेयर तथा ऋण पत्र	8	4.16	10	22.19		
(ख) ऋण	2	0.56	6	316.00	(@)	
(ग) जोड़	9(ii)	4.72	11(iii)	338.19		
(iii) संयुक्त स्टाक कम्पनियां––						(iii) दोनों (क) तथा (ख) में पांच कम्पनियां सम्मिलित हैं
(क) शेयर तथा ऋण पत्र	15	..	15	0.10		
(ख) ऋण	..	..	..	..		
(ग) जोड़	15	..	15	0.10		
(iv) सहकारी संस्थान––						(iv) विभाग के पास उपलब्ध नहीं है ।
(क) शेयर तथा ऋण पत्र	582	1.27*	1400	10.74	0.02	
(ख) ऋण	282	0.39	..(iv)	2.84	0.15	
(ग) जोड़	864	1.66	1400	13.59	0.17	
कुल जोड़	893	21.90	1432	471.28	0.32	

टिप्पणी––

(क) व्याख्याएं वित्त लेखे 1981–82 की विवरण संख्या 13 तथा विवरण संख्या 2 के नीचे दी गई व्याख्यात्मक टिप्पणी––1 में दी गई हैं।

(ख) कुल्लू घाटी परिवहन समिति (पहले ही समापित) पर घाटे के 1.35 लाख रु० सम्मिलित हैं जिन्हें बट्टे खाते डालना बाकी रहता है (नवम्बर 1982) ।

(ग) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सहकारी भूमि आबन्धक बैंक सीमित के 22.56 लाख रु० के ऋण पत्र सम्मिलित हैं।

(@) केवल 2000 रु० ।

(*) वर्ष के दौरान 0.04 करोड़ रु० की विमोचित शेयर पूंजी को छोड़कर ।

1·10 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(i) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा अन्य के प्रति ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार ने प्रत्याभूतियां दी हैं।

प्रत्याभूतियां सरकार के राजस्वों पर आकस्मिक दायित्वों के रुप में हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर इन दायित्वों के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिये गये हैं (अधिक विवरण 1980–81 के वित्त लेखे की सारणी संख्या 5 में दिए गए हैं)––

जिस निकाय की ओर से प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूतित अधिकतम राशि	31 मार्च 1982 को बकाया प्रत्याभूतित राशियां
	(करोड़ रुपयों में)	
(i) सांविधिक निगम और बोर्ड	65.93	55.14
(ii) सरकारी कम्पनियां	6.51	6.17
(iii) सहकारी बैंक एवं समितियां	13.03	7.28
(iv) स्थानीय निकाय/स्वायत्त निकाय	2.99	0.37
जोड़	88.46	68.96

(ii) सरकार दी गई प्रत्याभूतियों के बदले में दी गई प्रत्याभूति की कुल राशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेती है किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये सहकारी रियायती वित्त के मामले में यह प्रत्याभूति शुल्क लागू नहीं होता। वर्ष 1981–82 के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क की कुल राशि 0.94 लाख रु० थी। प्रत्याभूति शुल्क के बकाया के बारे में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी।

(iii) संविधान की धारा 293 के अधीन राज्य विधान सभा द्वारा ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जिसमें ऐसी कोई सीमा रखी गई हो जिसके अन्तर्गत सरकार की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार प्रत्याभूतियां दे सके।

(iv) वर्ष 1981–82 के दौरान किसी प्रत्याभूति की सहायता नहीं ली गई।

1.11 योजना निष्पत्ति

वर्ष 1981–82 के दौरान के योजनागत प्रावधान और राजस्व एवं पूंजी लेखे पर व्यय

के आंकड़े निम्न प्रकार थे :—

	प्रावधान (बजट जमा पूरक)	व्यय	वृद्धि
	(करोड़ रुपयों में)		
राजस्व	60.84	61.00	0.16
पूंजी	58.03	61.01	2.98

"राजस्व" के अन्तर्गत 0.16 करोड़ रु० का आधिक्य "सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं" के अन्तर्गत 3.67 करोड़ रु० की वृद्धि का परिणाम था जोकि "जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति के अन्तर्गत "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" पर अधिक व्यय के कारण हुआ और जोकि (i) "आर्थिक सेवाओं—कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं" (3.09 करोड़ रु०) के अन्तर्गत "क्षेत्र विकास" (2.30 करोड़ रु०) पर कम व्यय से हुई बचत से अंशत: प्रति सन्तुलित हुआ ।

"पूंजी" के अन्तर्गत 2.98 करोड़ रु० का आधिक्य जो मुख्यत: "सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं (2.11 करोड़ रु०) के अधीन हुआ जैसा कि पैरा 1.5 (ii) में बताया गया है, वह मुख्यत: 'जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति–ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों' पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

1.12 आयोजनेतर व्यय में वृद्धि

गत दो वर्षों की तुलना सहित वर्ष 1981–82 के दौरान आयोजनेतर (राजस्व) व्यय में वृद्धि निम्न प्रकार से थी :—

1979–80	1980–81	1981–82
(करोड़ रुपयों में)		
1,09.80	1,32.62	1,51.40

गत वर्ष की तुलना में आयोजनेतर व्यय 1980–81 में 22.82 करोड़ रुपए (21 प्रतिशत) और 1981–82 में 18.78 करोड़ रुपए (14 प्रतिशत) बढ़ गया था । वर्ष 1981–82 के दौरान गत वर्ष से आधिक्य मुख्य खण्डों के अधीन परिशिष्ट 1.1 में विश्लेषित है ।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियन्त्रण

2.1 सारांश

(क) नीचे की तालिका में वर्ष 1981–82 के दौरान किये गये कुल व्यय की तुलना अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों की कुल राशि से की गई है :—

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य	प्रतिशतता
		(करोड़ रुपयों में)			
दत्तमत—					
मूल	3,09.07	3,54.02	3,67.21	13.19	4
पूरक	44.95				
प्रभारित—					
मल	22.12	**1,30.42**	**1,44.62**	**14.20**	**11**
पूरक	**1,08.30**				
जोड़					
मूल	3,31.19	4,84.44	5,11.83	27.39	6
पूरक	1,53.25				

27.39 करोड़ रु० का कुल आधिक्य बाईस अनुदानों (राजस्व: 12, पूंजी: 10) (28.87 करोड़ रु०) तथा नौ विनियोगों (राजस्व: 4, पूंजी 5) (14.24 करोड़ रु०) में 43.11 करोड़ रु० के आधिक्य का परिणाम था जोकि चालीस अनुदानों (राजस्व: 22, पूंजी : 18) (15.68 करोड़ रु०) तथा दस विनियोगों (राजस्व: 3, पूंजी:1) (0.04 करोड़ रु०) में हुई 15.72 करोड़ रु० की बचत के कारण आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हो गया।

(ख) अन्य विवरण नीचे दिये गए हैं :—

	राजस्व	पूंजी	ऋण तथा अग्रिम	लोक ऋण	जोड़
			(करोड़ रुपयों में)		
अनुदान तथा प्रभारित विनियोग—					
मूल	2,40.81	60.75	19.42	10.21	3,31.19
पूरक	31.90	13.10	1.46	1,06.79	1,53.25
जोड़	2,72.71	73.85	20.88	1,17.00	4,84.44
वास्तविक व्यय	2,87.67	75.48	17.52	1,31.16	5,11.83
आधिकय (+) बचत (—)	+14.96	+ 1.63	—3.56	+14.16	+27.39

2.2 अनुदानों/प्रभारित विनियोगों पर आधिक्य जिसका नियमानुकूलन अपेक्षित है

(क) अनुदान––निम्नलिखित अनुदानों में 24,96,27,047 रु० (राजस्व) तथा 3,91,17,383 रु० (पूंजी) के आधिक्य का संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियामानुकूलन अपेक्षित है :—

("मूल" जहां भी अंकित हो मूल अनुदान तथा "पूरक" पूरक अनुदान का प्रतीक है)।

अनुदान का नाम तथा संख्या	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
	रु०	रु०	रु०
राजस्व अनुभाग			
(i) 8–शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान––			
मूल 40,57,69,000			
पूरक 2,08,14,900	42,65,83,900	45,28,17,959	2,62,34,059

आधिक्य मुख्यत: "उच्चतर माध्यमिक स्कूलों" (3,02.82 लाख रु०) के अन्तर्गत मुख्यत: अध्यापकों को छुट्टी यात्रा सुविधा/वेतन तथा भत्तों के बकायों के भुगतान करने के कारण हुआ। "प्राथमिक स्कूलों" के अन्तर्गत भी आधिक्य (1,73.30 लाख रु०) हुआ जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जनवरी, 1983)।

उपरोक्त आधिक्य मुख्यत: "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत बचत (172.29 लाख रु०) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हो गया, इसके आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी, 1983)।

वर्ष 1980–81 में भी इस अनुदान के अन्तर्गत 76.91 लाख रु० का आधिक्य हुआ था।

(ii) 9–चिकित्सा तथा परिवार नियोजन

मूल 13,42,89,000			
पूरक 50,38,800	13,93,27,800	15,07,22,288	1,13,94,488

आधिक्य आंशिक रूप से नलबन्दी/नसबन्दी आपरेशनों के अधिक मामलों में प्रतिपूरक भुगतान (27.82 लाख रु०) के कारण हुआ। आयुर्वेदिक औषधालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हुआ 34.39 लाख रु० तथा 32.94 लाख रु० का अधिक व्यय मुख्यत: एक नये आयुर्वेदिक औषधालय, दवाइयों, सामान एवं अन्य आपूर्तियों के क्रय, कर्मचारियों को बकाया के भुगतान और वाहनों के क्रय पर हुआ।

इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 1978–79, 1979–80 तथा 1980–81 में भी आधिक्य हुआ था।

(iii) 10–लोक निर्माण

मूल	29,52,40,000	40,21,90,000	44,52,09,653	4,30,19,653
पूरक	10,69,50,000			

आधिक्य को मुख्यत: कुछ कार्यों के निष्पादन के लिए माल के उपार्जन से और मूल्यों में वृद्धि से सम्बद्ध किया गया था ।

इस अनुदान के अन्तर्गत 1978–79 (95.83 लाख रु०), 1979–80 (5,39.20 लाख रु०) तथा 1980–81 (13,02.65 लाख रु०) में भी आधिक्य हुआ था ।

(iv) 12–लघु सिंचाई

मूल	10,52,25,000	11,24,25,000	16,60,99,474	5,36,74,474
पूरक	72,00,000			

आधिक्य मुख्यत: "उचन्त स्टाक" के अधीन हुआ (480 लाख रु० के प्रावधान के प्रति 970.49 लाख रुपये व्यय किये गये) । लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की मरम्मत और रख-रखाव पर 21.70 लाख रु० के प्रावधान के प्रति 56.59 लाख रु० का व्यय हुआ ।

इस अनुदान के अन्तर्गत 1978–79 (3,92.09 लाख रु०), 1979–80 (6,10.06 लाख रु०) तथा 1980–81 (3,50.19 लाख रु०) में भी आधिक्य हुआ था ।

(v) 15—मत्स्य पालन

मूल	38,20,000	39,32,000	39,74,273	42,273
पूरक	1,12,000			

इस अनुदान के अन्तर्गत 1980–81 में भी आधिक्य (0.42 लाख रु०) हुआ था ।

(vi) 16–वन

मूल	10,27,00,000	10,63,03,900	10,90,26,289	27,22,389
पूरक	36,03,900			

आधिक्य मुख्यत: तकनीकी स्टाफ के वेतनमानों के संशोधन, पौधारोपण के अधिक कार्यों के निष्पादन, वन खेती योजना के अधीन अधिक क्षेत्र लेने और मूल रूप से प्रावधान किये गये सामान की तुलना में अधिक माल खरीदने के कारण हुआ था ।

(vii) 17–सड़कें तथा पुल

मूल	6,57,71,000	9,01,71,000	9,52,44,827	50,73,827
पूरक	2,44,00,000			

आधिक्य मुख्यत: "राज्य उच्चमार्गों" के अनुरक्षण तथा मरम्मत पर अधिक व्यय और सूखा ग्रसित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार के अवसर प्रदान करने के कारण हुआ था।

(viii) 19–सामाजिक सुरक्षा कल्याण तथा जेलें

मूल	4,13,03,000	4,29,19,000	4,44,43,790	15,24,790
पूरक	16,16,000			

आधिक्य मुख्यत: सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए दरों पर अनुग्रह भुगतान, अतिरिक्त महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान और अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों को आवास उपदान देने के कारण हुआ था।

(ix) 20—जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति

मूल	21,76,76,000	22, 64,04,000	32,40,52,838	9,76,48,838
पूरक	87,28,000			

आधिक्य मुख्यत: "ख–मलव्यवस्था तथा जल आपूर्ति–न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत मूलरूप से प्रावधान किये गये (8.29 करोड़ रु०) स्टाक माल की तुलना में अधिक माल खरीदने के कारण हुआ था। जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के रख-रखाव और मरम्मत पर 1.30 करोड़ रु० का अधिक व्यय हुआ था (प्रावधान 0.54 करोड़ रु०, व्यय 1.84 करोड़ रु०)

इस अनुदान के अन्तर्गत आधिक्य 1978–79 (10,72.87 लाख रु०) 1979–80 (8,28.25 लाख रु०) तथा 1980–81 (7,97.33 लाख रु०) में भी हुआ था।

(x) 24–जल तथा विद्युत विकास

मूल	95,00,000	1,30,00,000	1,55,00,000	25,00,000
पूरक	35,00,000			

आधिक्य राज्य में सर्वेक्षण तथा छानबीन पर हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 1983)।

(xi) 25–सिंचाई, नौपरिवहन, जलोत्सारण तथा बाढ़ नियन्त्रण

मूल	81,50,000	94,00,000	1,44,21,621	50,21,621
पूरक	12,50,000			

आधिक्य मुख्यत: बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर परिकल्पित मात्रा से अधिक सामग्री खरीदने कारण हुआ ।

(xii) 30–आवास

मूल	42,53,000	42,53,000	50,23,635	7,70,63

भवनों की मरम्मत पर 5.62 लाख रु० का अधिक व्यय हुआ (प्रावधान 28.64 लाख रु० व्यय 34.26 लाख रु०) ।

पूंजी अनुभाग

(i) 8–शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान

मूल	51,35,000	70,38,000	79,52,216	9,14,216
पूरक	19,03,000			

आधिक्य मुख्यत: "माध्यमिक शिक्षा-भवनों" के अन्तर्गत हुआ (9 लाख रु० के प्रावधान के प्रति व्यय 16.41 लाख रु० हुआ)

(ii) 9–चिकित्सा तथा परिवार नियोजन

मूल	3,26,78,000	3,85,15,000	3,96,89,070	11,74,070
पूरक	58,37,000			

आधिक्य मुख्यत: "चिकित्सा राहत भवनों" (27.23 लाख रु० का आधिक्य) और "कल्याण केन्द्र भवनों" (15.45 लाख रु० का आधिक्य) के अन्तर्गत हुआ ।

परन्तु क्षेत्र परियोजना कार्यक्रम (चिकित्सा शिक्षा) हेतु आबंटित 21.10 लाख रु० और परिवार नियोजन हेतु भवनों के लिये आबंटित 17.96 लाख रु० अप्रयुक्त रहे ।

(iii) 10–सार्वजनिक निर्माण कार्य

मूल	1,54,50,000	1,54,50,000	1,61,18,549	6,68,549

आधिक्य मुख्यत : "न्याय प्रशासन" सम्बन्धी निर्माण कार्यों पर हुआ जहां 6.70 लाख रु० के प्रावधान के प्रति 14.57 लाख रु० का व्यय हुआ ।

(iv) 12–लघु सिंचाई

मूल	2,18,00,000	2,18,00,000	3,93,33,421	1,75,33,421

आधिक्य मुख्यत: "नलकूपों" (95.61 लाख रु०) तथा "लिफ्ट सिंचाई" (58.59 लाख रु०) पर हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं । (जनवरी 1983) ।

(v) 15–मत्स्य पालन

मूल	11,00,000	11,00,000	11,45,599	45,599

(vi) 16–वन

मूल	43,00,000	43,00,000	43,00,000	1

(vii) 20–जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जलापूर्ति

मूल	4,86,90,000	11,64,00,000	13,25,57,848	1,61,57,848
पूरक	6,77,10,000			

आधिक्य मुख्यत: "ग्रामीण नलबद्ध जल आपूर्ति योजनाओं" के अधीन हुआ । 10.65 करोड़ रु० के प्रावधान के प्रति 12.28 करोड़ रु० व्यय हुए। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 1983) ।

(viii) 21––सामुदायिक विकास

मूल	3,30,000	3,30,000	7,46,567	4,16,567

आधिक्य "सामुदायिक विकास भवनों" के अन्तर्गत हुआ जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 1983) ।

(ix) 32–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मूल	38,65,000	39,55,000	43,56,734	4,01,734
पूरक	90,000			

आधिक्य मुख्यत: प्रशासनिक संस्थान सेवाओं सम्बन्धी––मुख्य निर्माण कार्य पर हुआ (प्रावधान 9.55 लाख रु० व्यय : 13.48 लाख रु०) ।

(x) 35–जन जातीय विकास

मूल	3,45,13,000	3,45,13,000	3,63,18,378	18,05,378

आधिक्य मुख्यत: पुरातन देयताओं के निपटान कार्यों, के निष्पादन और जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों के निर्माण पर हुआ ।

(ख) प्रभारित विनियोग ––निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों के सम्बन्ध में 6,77,577 रु० (राजस्व) तथा 14,17,10,09 (पूंजी) का आधिक्य हुआ जिनका नियमानुकूलन भी अपेक्षित

है :—

विनियोग का नाम तथा संख्या		कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
		रु०	रु०	रु०
राजस्व अनुभाग				
(i) 2—राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद				
मूल	11,30,000	13,26,000	13,26,267	267
पूरक	1,96,000			
(ii) 3—न्याय प्रशासन				
मूल	23,72,000	24,52,000	24,69,853	17,853
पूरक	80,000			

आधिक्य "उच्च न्यायालय प्रशासन" के अन्तर्गत हुआ ।

(iii) 17—सड़कें तथा पुल		..	1,436	1,436

व्यय बिना प्रावधान के हुआ जिसके कारण सूचित नहीं किये गये ।

(iv) 33—वित्त				
मूल	11,45,25,000	12,86,25,000	12,92,83,021	6,58,021
पूरक	1,41,00,000			

आधिक्य को प्रत्याशा की अपेक्षा अधिक ब्याज दायित्व से सम्बद्ध किया गया ।

पूंजी अनुभाग

(i) 11—कृषि			56,563	56,563

व्यय बिना प्रावधान के "भवनों" पर हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 1983) ।

(ii) 17—सड़कें तथा पुल				
पूरक	1,97,000	1,97,000	2,32,055	35,055
(iii) 30—आवास				
पूरक	85,900	85,900	92,692	6,792
(iv) 33—वित्त				
मूल	10,21,00,000	1,16,99,90,000	1,31,15,94,338	14,16,04,338
पूरक	1,06,78,90,000			

आधिक्य मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्याशा से अधिक "अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवर ड्राफ्टों " के अन्तर्गत हुआ ।

(v) **35–जनजातीय विकास** .. 7,345 **7,345**

व्यय "लघु सिंचाई" पर बिना प्रावधान के हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये थे ।

2.3 पूरक अनुदान/प्रभारित विनियोग

राजस्व के अन्तर्गत 31.90 करोड़ रु० (मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत) तथा पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत 1,21.35 करोड़ रु० (मूल प्रावधान का 134 प्रतिशत) का पूरक प्रावधान उनतीस अनुदानों तथा चौदह विनियोगों के अन्तर्गत मार्च 1982 में प्राप्त किया गया ।

अनावश्यक , अत्यधिक तथा अपर्याप्त पूरक अनुदानों के महत्वपूर्ण मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) अनावश्यक पूरक अनुदान—निम्नलिखित मामलों में 1,49.56 लाख रु० का पूरक प्रावधान (प्रत्येक 10 लाख रु० से अधिक) पूर्ण रूपेण अप्रयुक्त पड़ा रहा क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हो सका :—

अनुदान का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	व्यय	बचत
		(लाख रुपयों में)		
राजस्व अनुभाग				
(i) 7—पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा	9,25.67	16.59	8,85.18	57.08

बचत को पदों के असृजन/रिक्त पदों से सम्बद्ध किया गया ।

(ii) 21–सामुदायिक विकास	9,44.70	1,20.97	9,42.78	1,22.89

बचत "क्षेत्र विकास–पहाड़ी क्षेत्रों का विकास" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बजाए राज्य सरकार के माध्यम से सीधे एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरणों को इसके भाग को निस्तारित करने के कारण हुई ।

पूंजी अनुभाग

(i) 22—सहकारिता	2,07.25	12.00	1,54.08	65.17

बचत मुख्यत: "भण्डारण तथा विपणन सहकारिताओं की राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निधियों के अनाबंटन/कम आबंटन से सम्बद्ध की गई ।

(ख) पूरक अनुदान जोकि अत्यधिक सिद्ध हुए—निम्न मामलों में अन्य के मध्य पूरक अनुदानें 10 लाख रु० से अधिक सिद्ध हुईं (प्रत्येक 10 लाख रु० से बढ़कर) 6,27.43 लाख रु० के

पूरक अनुदान के प्रति 4,20.54 लाख रु० वास्तव में प्रयुक्त किये गये ।

अनुदान का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	व्यय	बचत
			(लाख रुपयों में)	
राजस्व अनुभाग				
(i) 4—सामान्य प्रशासन	5,09.05	47.22	5,43.35	12.92

बचत मुख्यत: रिक्त पदों, टेलीफोन, डाक तथा गर्म और सर्द मौसम प्रभारों पर मितव्ययिता के कारण कम व्यय करने और समाचार अभिकरणों से कतिपय विज्ञापन बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ii) 22—सहकारिता	2,28.21	10.75	2,28.85	10.11

बचत मुख्यत: राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा निधियों के कम आबंटन के कारण हुई ।

(iii) 23—खाद्य तथा पोषाहार	3,14.85	1,80.13	4,47.81	47.17

बचत (क) व्यय में मितव्ययता तथा पदों के असृजन और (ख) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने के सरकारी निर्णय से सम्बद्ध की गई ।

(iv) 32—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,27.85	1,09.86	4,11.31	26.40

बचत मुख्यत: (क) कतिपय लाटरी जीतने वालों द्वारा दावे प्रस्तुत न करने, (ख) दिल्ली-कुल्लू हवाई सेवा के सम्बन्ध में उपदान के लिए बिल की अप्राप्ति (ग) रिक्त पदों तथा (घ) मितव्ययी उपायों के कारण हुई ।

(v) 33—वित्त	4,39.04	1,29.30	5,52.69	15.65

बचत मुख्यत: "निवर्तन एवं सेवा निवृति भत्तों" के अन्तर्गत प्रत्याशा से कम सेवा निवृत्ति के मामलों के अन्तिम करने के कारण हुई ।

पूंजी अनुभाग

(i) 23—खाद्य तथा पोषाहार	8,87.00	1,07.00	9,10.63	83.37

बचत को मुख्यत: केन्द्रीय पूल से कम गेहूं के आबंटन तथा मितव्ययिता से सम्बद्ध किया गया ।

(ii) 30—आवास	2,19.30	43.17	2,51.20	11.27

बचत को योजना सीमांकन में कटौती के कारण आवास बोर्ड को कम ऋण दिए जाने के सम्बद्ध किया गया ।

(ग) **अपर्याप्त पूरक अनुदान**––निम्न दस मामलों में 18.31 करोड़ रु० का पूरक अनुदान (प्रत्येक 10 लाख रु० से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुआ ; अन्तिम अनावरित आधिक्य (जिस सीमा तक कारण प्राप्त हुए हैं अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित हैं) 24.88 करोड़ रु० था :––

अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
			(लाख रुपयों में)	
राजस्व अनुभाग				
(i) 8––शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और वैज्ञानिक अनुसन्धान	40,57.69	2,08.15	45,28.18	2,62.34
(ii) 9––चिकित्सा तथा परिवार कल्याण	13,42.89	50.39	15,07.22	1,13.94
(iii) 10–सार्वजनिक निर्माण कार्य	29,52.40	10,69.50	44,52.10	4,30.20
(iv) 12––लघु सिंचाई	10,52.25	72.00	16,60.99	5,36.74
(v) 16––वन	10,27.00	36.04	10,90.26	27.22
(vi) 17––सड़कें तथा पुल	6,57.71	2,44.00	9,52.45	50.74
(vii) 19––सामाजिक सुरक्षा कल्याण तथा जेलें	4,13.03	16.16	4,44.44	15.25
(viii) 20––जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति	21,76.76	87.28	32,40.53	9,76.49
(ix) 24––जल तथा विद्युत विकास	95.00	35.00	1,55.00	25.00
(x) 25––सिंचाई, नौपरिवहन जलोत्सारण तथा बाढ़ नियन्त्रण	81.50	12.50	1,44.22	50.22

2.4 अनुदानों में बचत

(क) 15.72 करोड़ रुपये जैसा कि अनुच्छेद 2.1 (क) में उल्लिखित है अप्रयुक्त पड़े रहे। दस अनुदानों के मामले में बचतें (प्रत्येक 20 लाख रु० से अधिक) कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक थीं। पांच मामलों में, अन्य के मध्य, बचत 30 तथा 52 प्रतिशत के मध्य सीमा में रही। इन मामलों के ब्यौरे परिशिष्ट 2.1 में दिए गए हैं।

(ख) कुछ मुख्य योजनाओं का विश्लेषण जहां प्रावधान अंशतः/पूर्णरूपेण अप्रयुक्त पड़ा

था नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या तथा नाम और शीर्ष/योजना	प्रावधान	बचत (बचत की प्रतिशतता) (लाख रुपयों में)
	राजस्व अनुभाग		
1.	21—सामुदायिक विकास 308—क्षेत्र विकास पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	4,35.00	2,52.29 (58प्रतिशत)

बचत को भारत सरकार द्वारा सहायता का विमोचन सरकार के माध्यम से करने की बजाये सीधे करने से सम्बद्ध किया गया ।

पूंजी अनुभाग

2.	17—सड़कें तथा पुल 537—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय		
	(i) सामरिक महत्व तथा सीमावर्ती सड़कें — दीपक (परियोजना)	1,62.48	1,26.14 (78प्रतिशत)
	(2) राज्य उच्चमार्ग	1,77.00	1,77.00 (100 प्रतिशत)
	(3) पांच लाख से बीस लाख तक की लागत के पुल	52.00	52.00 (100प्रतिशत)

उपरोक्त तीन मामलों में बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जनवरी 1983) ।

3.	25—सिंचाई, नौपरिवहन, जलोत्सारण तथा बाढ़ नियन्त्रण 533—सिंचाई, नौपरिवहन, जलोत्सारण एवं बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाएं ख—सिंचाई परियोजनाएं (अवाणिज्यिक)		
	(1) काला कुण्ड परियोजना	20.00	20.00 (100 प्रतिशत)
	(2) सरवरी नदी परियोजना	20.00	20.00 (100प्रतिशत)
	(3) भाबोर साहिब परियोजना चरण—II	20.00	20.00 (100 प्रतिशत)
	(4) चूहड़ू लिफ्ट सिंचाई परियोजना	10.00	10.00 (100प्रतिशत)

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 के सम्बन्ध में बचतें योजना आबंटन को कम किये जाने के कारण हुई बताई गई ।

(5) बल्ह घाटी परियोजना	60.00	60.00 (100 प्रतिशत)

बचत मुख्यत: न्यून योजना आबंटन (29.83 लाख रु०) तथा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति की अप्राप्ति (29.17 लाख रु०) के कारण हुई बताई गई, प्रशासनिक अनुमोदन आदि की अप्राप्ति के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 1983) ।

2.5 बचतों/आधिक्यों के लिए स्पष्टीकरणों की अप्राप्ति

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोजन लेखे जिन में अन्तिम अनुदान/विनियोजन, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई होती हैं, नियन्त्रक अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से भिन्नताओं और विशेष कर प्रभावशाली शीर्षों के अन्तर्गत भिन्नताओं को स्पष्ट करना होता है । किन्तु ऐसा ध्यान में आया है कि बहुत से प्रभावशाली शीर्षों के ब्यौरे में विभिन्नताओं के कारण नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा विभाग को समय पर नहीं भेजे जाते ।

वर्ष 1981–82 के विनियोग लेखाओं के सम्बन्ध में 228 शीर्षों में से 150 मामलों के बारे में विभिन्नताओं के स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 1983) इनसे शीर्षों की संख्या की प्रतिशतता 66 प्रतिशत बनी जिनकी विभिन्नताओं का स्पष्टीकरण अपेक्षित था । वर्ष 1980–81 के सम्बन्ध में भी 58 प्रतिशत शीर्षों (231 में से 133) में महत्वपूर्ण आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरण अपेक्षित था । विनियोग लेखाओं में समाविष्ट सामग्री भेजने के सम्बन्ध में ऐसी देरी के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं में अपूर्ण रह जाता है । मामला सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों और समय समय पर सरकार को भी प्रतिवेदित किया गया था ।

2.6 व्यय की तीव्रता

हिमाचल प्रदेश को बजट नियमावली 1971 के अनुच्छेद 1.33 में परिकल्पित है कि किसी वित्तीय वर्ष में फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर आदि के लिए कोई भी आदेश 15 जनवरी के पश्चात नहीं दिये जाने चाहियें और सहायता अनुदान सम्बन्धी कोई आदेश / संस्वीकृति किसी वित्तीय वर्ष में प्रथम मार्च के पश्चात् जारी नहीं की जानी चाहिए । आगे यह भी प्रावधान है कि आकस्मिकताओं पर व्यय वर्ष भर में बिखेर कर करना चाहिए और मार्च में इस प्रकार सीमित रखना चाहिए कि वह बजट प्रावधान के 1/12 भाग से अधिक न हो ।

संस्वीकृतियों की तथा 16 विभागों द्वारा मार्च 1982 के दौरान 15,000 रुपये से अधिक के आहरणों की नमूना जांच (मई—जुलाई 1982) से यह प्रकट हुआ कि 166 मामलों में 11 मार्च से 31 मार्च 1982 के बीच फर्नीचर, उपस्कर तथा अन्य माल आदि खरीदने हेतु 1,14.16 लाख रु० का आहरण किया गया था । इन सभी मामलों में इस वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में व्यय

की प्रतिशतता नीचे दर्शाए अनुसार थी :—

मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)	बजट प्रावधान की तुलना में व्यय की प्रतिशतता
43	32.15	20 से 49
20	26.82	50 से 74
103	55.19	75 से 100
जोड़ 166	1,14.16	

उपर्युक्त अवधि के दौरान आहृत 1,14.16 लाख रु० के प्रति केवल 2.34 लाख रु० की वास्तविक आदाताओं की रसीदें वितरण के लिए प्रमाण के रूप में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई और 1,11.82 लाख रु० की रसीदें प्रतीक्षित थीं (जुलाई 1982)।

यह मामला सरकार को अगस्त 1982 म प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

2.7 आवश्यकताओं से पहले निधियों का आहरण

सरकार के वित्तीय नियमों में निर्दिष्टित है कि किसी भी धनराशि का कोषागार से आहरण उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक वह तुरन्त वितरण के लिए आवश्यक न हो या स्थायी अग्रिम में से पहले ही उसका भुगतान न हो चुका हो। किसी भी अव्ययित शेष का तुरन्त कोषागार में अवश्य प्रत्यर्पण कर दिया जाना चाहिए। परिशिष्ट 2.2 में वर्णित माल की खरीद तथा कार्यों के निष्पादन हेतु कुल 13.27 लाख रु० की आहृत (फरवरी 1974 तथा मार्च 1981 के मध्य) निधियां नकद तथा बैंक ड्राफ्टों के रूप में रखी गई थीं। इस प्रकार रोकी गई धनराशियों में से मार्च 1978 तथा सितम्बर 1982 के मध्य 10.72 लाख रु० वितरित किये गये थे। 2.55 लाख रु० के शेष में से 0.77 लाख रु० मार्च 1981 तथा अक्तूबर 1982 के मध्य प्रत्यर्पित किये गय थे तथा 1.78 लाख रु० वितरित किये जाने शेष थे।

2.8 त्रुटिपूर्ण बजट तथा व्यय पर अपर्याप्त नियन्त्रण

वर्ष 1979–80, 1980–81 तथा 1981–82 में हुए आधिक्यों और बचतों के व्यापक मूल्यांकन से निम्न बातें सामने आई :—

(क) वर्ष 1980–81 में 10 अनुदानों तथा 4 विनियोगों पर हुए 89.64 करोड़ रु० और 1979–80 में सात अनुदानों तथा 2 विनियोगों पर हुए 20.63 करोड़ रु० के आधिक्य के प्रति 1981–82 में बाईस अनुदानों तथा नौ विनियोगों में 43.11 करोड़ रु० का आधिक्य हुआ।

निम्नलिखित अनुदानों के अन्तर्गत 1979–80, 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान

आधिक्य निरन्तर होता जा रहा है :—

क्रम संख्या	अनुदान	आधिक्य		
		1979–80	1980–81	1981–82
			(करोड़ रुपयों म)	
1.	10—सार्वजनिक निर्माण कार्य	5.39	13.03	4.37
				(राजस्व : 4.30)
				(पूंजी : 0.07)
2.	12—लघु सिंचाई	6.10	3.50	7.12
				(राजस्व : 5.37)
				(पूंजी : 1.75)
3.	20—जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जलापूर्ति	8.28	7.97	11.38
				(राजस्व : 9.76)
				(पूंजी : 1.62)

(ख) वर्ष 1979–80, 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान भी अधिक बचतें हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	बचत की राशि	मामलों की संख्या	
		अनुदान	प्रभारित विनियोग
	(करोड़ रुपयों में)		
1979–80	33.30	27	8
1980–81	6.33	24	9
1981–82	15.72	40	10

निम्न अनुदानों में बृहत् बचतें निरन्तर हुई :—

क्रम संख्या	अनुदान	बचतें		
		1979–80	1980–81	1981–82
			(करोड़ रुपये में)	
1.	11—कृषि	0.85	0.51	0.33
				(राजस्व : 0.18)
				(पूंजी : 0.15)
2.	13—भूमि तथा जल संरक्षण	0.38	0.41	2.37
				(राजस्व : 2.29)
				(पूंजी : 0.08)
3.	21—सामुदायिक विकास	2.04	1.39	(राजस्व) 1.23
4.	24—जल तथा विद्युत विकास	3.28	0.59	(पूंजी) 2.14

(ग) वर्ष 1979–80 से 1981–82 तक के तीन वर्षों में क्रमशः 33.20 करोड़ रु० (1979–80), 35.78 करोड़ रु० (1980–81) तथा 1,53.25 करोड़ रु० (1981–82) की पूरक अनुदानें/विनियोग प्राप्त किये गये। इसमें से 4.93 करोड़ रु० (1979–80), 1.27 करोड़ रु० (1980–81) तथा 1.56 करोड़ रु० (1981–82) की पूरक अनुदानें/प्रभारित विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुये क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ। 7.33 करोड़ रु० (1979–80), 10.14 करोड़ रु० (1980–81), तथा 6.27 करोड़ रु० (1981–82) की पूरक अनुदानें/विनियोग क्रमशः 2.06 करोड़ रु० (1979–80), 3.32 करोड़ रु० (1980-81) तथा 20.07 करोड़ रु० (1981–82) तक अधिक सिद्ध हुए।

गत कई वर्षों से निरन्तर आधिक्य/बचतें, बजट में अधिक यथार्थता तथा व्यय पर और अच्छे नियन्त्रण की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं क्योंकि जहां कई अनुदानों/विनियोगों में प्रावधान पर बृहत आधिक्यों का प्रावधान नहीं किया गया, वहां कई अन्य मामलों में पहले किया गया प्रावधान अनावश्यक अथवा अधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप बहुत बचतें हुईं।

2.9 वसूलियों में कमी/आधिक्य

सरकार द्वारा अनुकरण की गई सकल बजट प्रणाली के अन्तर्गत विधान सभा में प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगें सकल व्यय के लिये होती हैं और उन सभी जमा और वसूलियों का अपवर्जन करती हैं जिन्हें लेखाओं में व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है ; प्रत्याशित वसूलियां और जमा बजट अनुमानों में अलग दिखाए जाते हैं। वर्ष 1981–82 के दौरान 65.88 करोड़ रु० (राजस्व), तथा 13.34 करोड़ रु० (पूंजी) की ऐसी वसूलियों की प्रत्याशा की गई थी परन्तु वर्ष के दौरान वास्तविक वसूलियां 87.86 करोड़ रु० (राजस्व : 75.27 करोड़ रु० तथा पूंजी: 12.59 करोड़ रु०) की थीं जिनके परिणामस्वरूप राजस्व में 9.39 करोड़ रु० का आधिक्य तथा पूंजी में 0.75 करोड़ रु० की कमी हुई। वसूलियों से कमियों/आधिक्यों के कुछ महत्वपूर्ण मामलों का नीचे वर्णन किया गया है, उनके कारण सूचि गहीं किये गये हैं (जनवरी 1983)।

क्रम संख्या	अनुदान का नाम व संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	वसूलियों की अनुमानों पर कमी/आधिक्य की राशि
		राजस्व	राजस्व	राजस्व
			(करोड़ रुपयों में)	
1.	10–सार्वजनिक निर्माण कार्य	36.22	38.40	+2.18
2.	12–लघु सिंचाई	9.72	12.89	+3.17
3.	20–जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति	15.65	19.98	+4.33

2.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर उचित नियन्त्रण तथा आंकड़ों की सार्थकता को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये विभागीय अधिकारियों के लिये आवश्यक है कि वर्ष के लेखे बन्द होने से पहले विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार द्वारा बुक किये गये आंकड़ों से समय समय पर मिलान करें। एक नियंत्रक अधिकारी ने 1981–82 के लिये अपने आंकड़ों का मिलान नहीं किया तथा सात अन्यों ने केवल वर्ष के एक भाग के लिये ही आंकड़ों का मिलान किया। इस प्रकार वर्ष 1981–82 के दौरान 140 करोड़ रुपये का व्यय मिलान रहित रहा।

यह मामला सरकार को अक्तूबर 1982 में प्रदिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

कृषि विभाग

3.1 जन जातीय क्षेत्र उप-योजनाधीन कृषि कार्यक्रम

1. **प्रस्तावनात्मक**––जिला किन्नौर (जनसंख्या 0.59* लाख, क्षेत्र 64.01* वर्ग किलो मीटर), लाहौल व स्पिति (जन संख्या0.32* लाख, क्षेत्र 13688* वर्ग किलोमीटर) तथा चम्बा जिले की पांगी एवं भरमौर तहसीलों (जनसंख्या : 0.42* लाख, क्षेत्र 3419* वर्ग किलोमीटर) के जन जातीय क्षेत्र में वर्ष 1975–76 से कृषि विकास कार्यक्रम चालू है। इसका लक्ष्य प्रत्येक उपज के सम्भाव्य की जांच करना, आत्मनिर्भरता के लिये खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, पोषाहार संबंधी स्तर की उन्नति के लिये दालों के उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। हाथ में लिये गये मुख्य क्रियाकलापों में (क) उर्वरक वितरण, (ख) आलू तथा सब्जी विकास, (ग) भू–संरक्षण, (घ) मिट्टी जांच प्रबन्ध और (ङ) किसानों को कृषि जानकारी की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण सम्मिलित हैं।

भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रतिवर्ष कृषि सम्बन्धी उपकरणों अर्थात् उर्वरकों, बीजों, कृषि यन्त्रों आदि को 50 प्रतिशत उपदान दरों पर प्रदान करने में हुये व्यय पर प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जनजातीय विकास आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सहायता एक मुश्त में चिह्नित की जाती है और कृषि विभाग द्वारा आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं तथा राज्य योजना के अन्तर्गत समस्त निधियों की उपलब्धता को देखते हुये योजनावार बंटवारा किया जाता है।राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का शतप्रतिशत उपदान है। रासायनिक उर्वरकों के उपार्जन और वितरण का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन तथा विकास निगम (हिम फेड) को सौंपा जाता है जो इस कार्य को जिला सहकारी समितियों द्वारा निष्पादित करता है। मिट्टी की जांच तथा प्रशिक्षण सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध की जाती हैं। भू-संरक्षण कार्य उपदान तथा ऋणों के रूप में शतप्रतिशत सहायता देकर वित्तपोषित किये जा रहे हैं।

---

*1982–83 की जनजातीय उपयोजना के मसौदे के अनुसार।

किन्नौर, लाहौल व स्पिति ज़िलों तथा चम्बा जिले की भरमौर तहसील में स्थित 7 कार्यालयों में जून–जुलाई 1982 के दौरान कार्यक्रम की नमूना जांच से तथा कृषि नि॰ देशक हिमाचल प्रदेश शिमला से एकत्रित एवं आपूरित की गई सूचना से जो मदें प्रकट हुई उन्हें अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है।

2. **बजट प्रावधान तथा व्यय**––निम्न तालिका वर्ष 1976–77 से 1981–82 के दौरान उनके प्रति दिये गये बजट प्रावधान तथा व्यय को दर्शाती है:––

वर्ष	प्राप्त हुई केन्द्रीय सहायता	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (––)
		(लाख रुपयों में)			
1976-77	2.14	7.89	7.64	..	0.25
1977-78	10.35	20.82	19.68	..	1.14
1978-79	12.80	29.14	28.40	..	0.74
1979-80	14.83	34.83	37.57	2.74	..
1980-81	15.80	37.20	45.03	7.83	..
1981-82	10.00	51.29	48.57	..	2.72
जोड़	65.92	1,81.17	1,86 89	10.57	4.85

टिप्पणी––इस कार्यक्रम के लिये 1975–76 में कोई बजट प्रावधान नहीं था।

3. **लक्ष्य और उपलब्धियां**––विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1976–77 और 1981–82 के मध्य विभिन्न फसलों के लिये लक्ष्यों के निर्धारण एवं वास्तविक

उत्पादन सम्बन्धी स्थिति नीचे दर्शाई गई है--

क--खाद्यान्न तथा दालें

वर्ष	क्षेत्रफल		उत्पाद		प्रति हैक्टेयर औसत उत्पाद
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	
	(हैक्टयरों में)		(मीट्रिक टनों में)		
1976-77	18,550	17,353	14,170	16,864	0.97
1977-78	13,200*	17,697	10,620*	14,432	0.82
1978 79	13,300*	17,217	10,000*	14,256	0.83
1979-80	13,120**	16,183	10,500**	20,021	1.24
1980-81	13,120**	11,100*	10,500*	12,530*	1.13
1981-82	17,710	1,810***	17,380	11,160*	..
ख--आलू बीज					
1976-77	1,050	1,290	10,775	8,816	6.83
1977-78	1,065	1,483	11,220	17,872	12.05
1978-79	4,680	1,770	12,260	24,260	13.70
1979-80	1,200	1,932	8,200*	24,350	12.60
1980-81	1,250	2,008	12,500	32,259	16.06
1981-82	2,530	2,020	41,100	31,942	15.81
ग--सब्जियां					
1976-77	120	123	1,200	1,235	10.04
1977-78	115*	110*	1,150*	1,105*	10.03
1978-79	130*	125*	1,300*	1,292*	10.33
1979-80	170	175	1,700	1,760	10.05
1980-81	210	210	1,820	2,125	10.12
1981-82	250	260	2,500	2,622	10.08

*चम्बा जिले की भरमौर तहसील के संबंध में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

**लाहौल व स्पिति जिलों के संबंध में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

***किनौर जिले और चम्बा जिले की भरमौर तहसील के संबंध में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

खाद्यान्नों तथा दालों के सम्बन्ध में प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन में कुछ सीमांतरीय वृद्धि हुई है (1976--77 में प्रति हैक्टेयर 0.97 मीट्रिक टन से 1980--81 में प्रति हैक्टेयर 1.13 मीट्रिक टन) और इस अवधि के दौरान प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन में 0.82 मीट्रिक टन तथा 1.24 मीट्रिक टन के मध्य भिन्नता थी। सब्जियों के उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

4. **कृषि सम्बन्धी उपकरण**--जन जातीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये रियायती दरों पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के खाद्यान्नों और नकदी फसलों के बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों का वितरण करना प्रोग्राम में परिकल्पित था। कृषि सम्बन्धी उपकरणों का वितरण 50 प्रतिशत तक की रियायत पर था। वर्ष 1976-77 से 1981-82 की अवधि के दौरान 40.33 लाख रु० का व्यय किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

वर्ष	लाहौल व स्पिति		किन्नौर		चम्बा (भरमौर ब्लाक)	
	लाभ प्राप्त-कर्त्ताओं की संख्या	राशि	लाभ प्राप्त-कर्ताओं की संख्या	राशि	लाभ-प्राप्तकर्ताओं की संख्या	राशि
			(लाख रुपयों में)			
1976-77	1,037	0.56	3,055	1.48	900	0.12
1977-78	2,757	1.76	4,366	2.43	1,800	0.28
1978-79	4,792	3.25	6,252	4.05	1,780	0.25
1979-80	5,859	3.34	7,308	1.98	1,140	0.16
1980-81	7,258	9.34	7,706	2.37	1,650	0.23
1981-82	9,950	5.50	8,389	2.82	2,575	0.41

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि वर्ष 1976-77 से 1981-82 तक की अवधि में कृषि सम्बन्धी उपकरणों के वितरण हेतु प्रावधित निधियों का आलू विकास स्कीम (चम्बा : बजट प्रावधान: 1.98 लाख रु० ; व्यय: 0.34 लाख रु०), पौध संरक्षण स्कीम (चम्बा : बजट प्रावधान : 0.87 लाख रु०; व्यय : 0.34 लाख रु० ; लाहौल एवं स्पिति : बजट प्रावधान : 1.19 लाख रु० ; व्यय 0.70 लाख रु०) और सोयाबीन एवं दालों के विकास (किन्नौर बजट प्रावधान 0.09 लाख रु०, व्यय शून्य और लाहौल एवं स्पिति : बजट प्रावधान 0.20 लाख रु० ; व्यय : 0.02 लाख रु०) के लिये पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया गया।

5. **उर्वरकों का उपार्जन तथा वितरण**––वर्ष 1976–77 से 1981–82 के दौरान रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिये निश्चित लक्ष्यों तथा उनके प्रति उपलब्धियों के संबंध की स्थिति नीचे दी गई है :––

रासायनिक उर्वरक

वर्ष	किन्नौर			लाहौल व स्पिति			चम्बा (भरमौर तथा पांगी)		
	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमियां
					(मीट्रिक टनों में)				
1976–77	130	68	62	75	126	..	55	5	50
1977–78	160	75	85	90	169	..	75	3	72
1978–79	95	57	38	170	293	..	105	9	96
1979–80	120	83	37	240	168	72	400	12	388
1980–81	120	68	52	136	204	..	400	13	387
1981–82	127	174	..	215	390	..	490	25	465

जबकि लाहौल व स्पिति ज़िलों के लिये लक्ष्यों की उपलब्धियों में कोई कमी नहीं थी (वर्ष 1979–80 को छोड़कर) फिर भी किन्नौर तथा चम्बा जिले की पांगी और भरमौर तहसीलों में किसी एक वर्ष भी लक्ष्य (वर्ष 1981–82 को छोड़कर ज़िला किन्नौर) प्राप्त नहीं किये जा सके। सरकार ने बताया (जनवरी 1983) कि चम्बा जिले की पांगी और भरमौर तहसीलों में वाणिज्यिक फसलों को उगाने के विचार से उर्वरकों के उपयोग हेतु लक्ष्य अधिक निर्धारित किये गये थे तथापि उचित सड़कों के अभाव में इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका। किन्नौर जिले में लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट के लिये कोई भी कारण नहीं बताए गए थे।

रासायनिक उर्वरकों के उपार्जन तथा वितरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं ––

(i) कृषि निदेशक द्वारा वर्ष 1978–79 में लाहौल व स्पिति ज़िलों को 400 मीट्रिक टन एन०पी०के० उर्वरक (3.86 लाख रु०) आबंटित की गई। ज़िला कृषि अधिकारी ने वास्तव में 328 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त की (सितम्बर से नवम्बर 1978) और फरवरी–मार्च 1979 में लाहौल आलू उत्पादक समिति मनाली को, जिसे उर्वरकों के वितरण का कार्य सौंपा गया था, मूल्य के 50 प्रतिशत उपदान के रूप में 3.43 लाख रु० का भुगतान किया।

सरकार ने सितम्बर 1978 में निर्णय लिया कि कृषि निदेशक द्वारा उर्वरकों के आबंटन के पश्चात (फोसफेटिक तथा पोटेसिक) हिमफेड उर्वरकों के उपार्जन के लिये शीघ्र पग उठायेगा कृषि निदेशक द्वारा यह तथ्य सत्यापित करने के पश्चात् कि उर्वरक की उक्त मात्रा हिमफेड द्वारा वास्तव में उठा ली गई थी, हिमफेड को 20 प्रतिशत की पेशगी का उपदान संस्वीकृत किया जाना था। शेष उपदान (30 प्रतिशत) के लिये हिमफेड अथवा इसके अनुमोदित विक्रेता को संबंधित कृषि उप-निदेशक को उपदान की शेष राशि के भुगतान की संस्वीकृति के लिये मिलना अपेक्षित था। कृषि निदेशक ने ज़िला कृषि अधिकारी से बिना जांच किये 400 मीट्रिक टन उर्वरक की लागत का 20 प्रतिशत निकालकर हिमफेड को 1.34 लाख रु० का आंशिक भुगतान किया (सितम्बर 1979) और ज़िला कृषि अधिकारी को इसके भुगतान की सूचना दी। ज़िला कृषि अधिकारी ने कृषि निदेशक को सूचित नहीं किया कि प्राप्त उर्वरक की लागत के 50 प्रतिशत का पूरा उपदान पहले ही फरवरी-मार्च 1979 में भुगतान कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप 1.34 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कृषि निदेशक ने सूचित किया (सितम्बर 1982) कि 1.34 लाख रु० की राशि का अधिक भुगतान गलत फहमी के कारण हुआ और हिमफेड से राशि प्राप्त करने के पग उठाये जा रहे थे। सरकार ने बताया (जनवरी 1983) कि अधिक भुगतान को वसूल करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) लाहौल व स्पिति ज़िले में वास्तव में प्राप्त और वार्षिक उर्वरक खाते के लेखे में लेखाबद्ध किये गये उर्वरकों की मात्रा उन उर्वरकों की अपेक्षा कम थी जिनके वहन के उपदान का भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 0.27 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ।

(iii) इफको की 328 मीट्रिक टन एन० पी० के० 12 : 32 : 16 उर्वरक को कीर्तपुर (लाहौल व स्पिति जिले के लिये निकटतम रेल शीर्ष) की अपेक्षा अम्बाला रेल शीर्ष से वहन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 0.27 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान किया गया (130 किलोमीटर के लिये 3280 क्विंटल पर $6\frac{1}{4}$ पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर की दर से)।

(iv) परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार (अक्तूबर 1975) छोटे आकार वाले तथा बड़े आकार वाले माल के वहन के लिये भिन्न-भिन्न दरें निश्चित की गई थीं। छोटे आकार वाले माल में अनाज, आलू, फल, सब्जियां, मिट्टी का तेल, पैट्रोल तथा कंटेनरों में स्नेहक अथवा अन्य सामान, वस्तुयें आती हैं जो अपने वजन की अपेक्षा कम स्थान घेरती हैं। यह ध्यान में आया कि लाहौल तथा स्पिति जिले में छोटे आकार वाले माल के लिये निश्चित दर (8 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर) की बजाय हिमफेड को उर्वरक के प्रत्येक 50 किलोग्राम के बोरे की ढुलाई के लिये (मात्रा : 9365.70 क्विंटल) हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा निश्चित बड़े आकार वाले पदार्थों के लिये (11 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर) अधिकतम दर से वहन प्रभार दिया गया। उपायुक्त के आदेशों के आधार पर क्रमशः फरवरी 1979 तथा मार्च 1980 से दर 11 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर से बढ़ा कर $16\frac{1}{2}$ पैसे तथा 20 पैसे कर दी गई। उपायुक्त केवल खच्चरों तथा मजदूरों द्वारा वस्तुओं को वहन करने की दरें निश्चित कर सकता था। सड़क परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दरों को लागू करने में असफल होने के परिणामस्वरूप 0.91 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ (1978-79 तथा 1979-80 के दौरान)। लेखा-परीक्षा में यह इंगित किया जाने पर निदेशक कृषि विभाग ने बताया कि वसूली की जायेगी।

(v) कृषि निदेशक एवं सलाहकार ने चम्बा जिले में वितरण के लिये 1195 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से 500 मीट्रिक टन एन०पी०के० 15 : 15 : 15 उर्वरक खरीदने की (मार्च 1979) संस्वीकृति दी थी। 200 मीट्रिक टन एन०पी०के० 15 : 15 : 15 उर्वरक की आपूर्ति के लिये एक फर्म को दिनांक मई 1979 के प्रोफार्मा बिल के प्रति 2.39 लाख रुपये का आहरण और भुगतान किया गया (मई 1979 : 1.19 लाख रु० तथा जून 1979 : 1.20 लाख रु०)। फर्म ने 1195 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से जून–जुलाई 1979 में 90 मीट्रिक टन एन० पी० के० 15 : 15 : 15 उर्वरक (मूल्य: 1.08 लाख रु०) आपूरित की। अक्तूबर 1979 से अप्रैल 1981 के दौरान आपूरित की गई 1.31 लाख रु० की शेष राशि का समायोजन 1805 रु० प्रति मीट्रिक टन की अधिक दर से एन०पी० के० 12 : 32 : 16 उर्वरक (50 मीट्रिक टन) और 6 मीट्रिक टन 2615 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से तथा एन०पी० के० 15: 15 : 15(15.05 मीट्रिक टन) 1695 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से किया गया।

एन०पी०के० 15 : 15 : 15 उर्वरक की 200 मीट्रिक टन की आपूर्ति के लिये पेशगी भुगतान के प्रति विभिन्न प्रकार की केवल 161.05 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुई थी। आगे विभाग 500 मीट्रिक टन आबंटन के प्रति 1979 की खरीफ फसल के लिये केवल 90 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त कर सका। एन०पी०के० 15 : 15 : 15 उर्वरक की निर्दिष्ट मात्रा की अनापूर्ति के कारण 0.47 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

(vi) 1974–75 के दौरान 0.26 लाख रु० की लागत का जर्मन मिश्रण (20 मीट्रिक टन) कृषि उप–निदेशक कुल्लू के लेखाओं में काजा ब्लाक को अन्तरित किया गया दर्शाया गया (लाहौल तथा स्पिति जिला) परन्तु न तो यह काजा ब्लाक में और न ही ज़िला कृषि अधिकारी लाहौल व स्पिति के केन्द्रीय स्टाक रजिस्टर में लेखाबद्ध किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अक्तूबर 1978) कृषि निदेशक ने निर्देश दिया (जुलाई 1981) कि मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाये और इसके परिणाम 30 सितम्बर 1981 से पूर्व लेखापरीक्षा को सूचित किय जायें। विभाग द्वारा अभी तक कोई जांच नहीं की गई थी (नवम्बर 1982)।

(vii) सरकारी आदेशों में (अगस्त 1977) हिमफेड को लाहौल व स्पिति जिले में रासायनिक उर्वरकों के उपार्जन तथा वितरण के कार्य को सौंपे जाने के साथ-साथ यह परिकल्पित था कि प्रत्यक्ष सत्यापन के पश्चात् हिमफेड द्वारा जिला कृषि अधिकारी के पास सितम्बर 1977 में रखा उर्वरक का स्टाक ले लिया जायेगा और हिमफेड द्वारा उसका भुगतान विभाग को किया जायेगा। हिमफेड को ज़िला कृषि अधिकारी द्वारा 0.75 लाख रु० की उर्वरक अन्तरित नहीं की गई और 0.09 लाख रु० की लागत की उर्वरक 1978–79 (0.08 लाख रु०) तथा 1979–80 (0.01 लाख रु०) के दौरान बेची गई। शेष मात्रा स्टाक में पड़ी थी (लागत: 0.66 लाख रु०)। बाकी बचे स्टाक का निपटान करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(viii) सरकार ने उर्वरक की किस्म को नियंत्रित करने के लिये सुन्दरनगर (मंडी ज़िला) में एक प्रयोगशाला की स्थापना की (मई 1977)। कृषि निदेशक द्वारा फील्ड यूनिटों को यह अनुदेश जारी किये गये थे (मई 1977) कि नियमित अन्तराल पर थोक व्यापारियों के गोदामों से उर्वरकों के नमूने लें और उन्हें विश्लेषित करवायें ताकि यदि कोई नमूना घटिया पाया जाये तो उस उर्वरक के पारेषण की आपूर्ति बन्द की जा सकती थी। कृषि निदेशक द्वारा ये निर्देश अक्तूबर 1979 में दोहराये गये थे। यह देखा गया कि चम्बा एवं किन्नौर ज़िलों के जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध

में जबकि उर्वरकों का एक भी नमूना कभी प्रयोगशाला में विश्लेषित नहीं किया गया था फिर भी लाहौल एवं स्पिति जिले में विभिन्न सहकारी समितियों से एकत्र किए गए केवल 70 नमूने (1979-80, 23, 1980-81 : 47) ही प्रयोगशाला में विश्लेषित किए गए थे। 1,000 नमूने प्रतिवर्ष विश्लेषित करने वाली क्षमता की प्रयोगशाला में वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान केवल 1521 (1977-78 : 55, 1978-79 : 375, 1979-80 : 306, 1980-81 : 387 तथा 1981-82 : 398) नमूने (राज्य भर से प्राप्त) ही विश्लेषित किए गए थे। क्षमता की कम प्रयुक्ति को विश्लेषण रसायनज्ञ सुन्दरनगर द्वारा कर्मचारियों की कमी से सम्बद्ध (फरवरी 1983) किया (जैसे चार किस्म नियंत्रण निरीक्षकों के संस्वीकृत पदों के प्रति केवल दो ही निरीक्षक कार्यरत थे)। पुन: यह बताया गया कि नमूनों के विश्लेषण के बिना उर्वरकों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित न किया जा सका कि ये उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप थे।

6. आलू बीजों का उपार्जन तथा वितरण

(i) आलू की बिक्रयलब्धि की राशि के 0.15 लाख रु० जो सरकारी लेखा में जमा करवाने थे उनका आलू उत्पादक सहकारिता समिति काजा को गलती से भुगतान किया गया था। विभाग ने समिति से अभी तक राशि वसूल नहीं की थी (अक्तूबर 1982)। सरकार ने बताया (जनवरी 1983) कि समिति से राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

(ii) किन्नौर जिले में (पूह ब्लाक) जिला कृषि अधिकारी किन्नौर ने नवम्बर–दिसम्बर 1978 में स्थानीय तौर से 1.50 लाख रु० की लागत के 730.40 क्विंटल बीज आलू खरीदे। कृषि निरीक्षक पूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि 28.80 क्विंटल बीज आलू (लागत 0.06 लाख रु०) तो इसके क्रय करने के एक सप्ताह के अन्दर सड़ चुके थे। इसी प्रकार कल्पा ब्लाक में मार्च 1981 में 0.19 लाख रु० के खरीदे गये 93.50 क्विंटल बीज आलू में से फरवरी 1982 में 0.05 लाख रु० की लागत के 24 क्विंटल बीज आलू सड़ चुके थे। सरकार ने बताया (जनवरी 1983) कि विभागीय छानबीन के अनुसार तापमान की तीव्र गिरावट, पाला पड़ने के कारण सड़न पैदा हो गई थी तथा हानि को बट्टे खाते में डालने हेतु मामला विचाराधीन था।

7. बीज गुणन फार्म की स्थापना

कार्यक्रम के उद्देश्यों की बढ़ोतरी हेतु सरकार ने पांगी ब्लाक (ज़िला चम्बा) में बीज गुणन फार्म की स्थापना का निर्णय लिया (दिसम्बर 1978) और इस के लिये वन विभाग से 50 बीघे भूमि जुलाई 1979 में अन्तरित करवाई गई। योजना में यह परिकल्पित था कि 3 किलो–मीटर की दूरी पर स्थित स्रोत से पाइप द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जायेगी। अभी तक 50 बीघा भूमि में से 20 बीघे में खेती की गई है (नवम्बर 1982)। वर्ष 1980–81 के दौरान फार्म पर उत्पन्न की गई 10.35 क्विंटल गेहूं (प्रथम फसल) की समस्त मात्रा बीज के रूप में प्रयुक्त करने के लिये अनुपयोगी पाई गई। फार्म को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किये गये थे। कृषि उप निदेशक चम्बा ने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल किल्लार को निर्माण कार्य का अनुमान तैयार करने के लिये आग्रह किया (जनवरी 1982) परन्तु यह कार्य अभी तक नहीं किया गया था (नवम्बर 1982)। 1979–82

की अवधि के दौरान फार्म पर 2.59 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। सरकार ने बताया (जनवरी 1983) कि फार्म को सिचाई सुविधाओं के प्रावधान के सम्बन्ध में मामला लोक निर्माण विभाग से अनुसरण किया जा रहा था।

मार्च 1977 में बीज गुणन फार्म में प्रयोग के लिये उपसाधनों के साथ जिला कृषि अधिकारी, किन्नौर द्वारा एक शक्ति संचालित 0.19 लाख रु० का खरीदा गया हल केवल 18 दिन चला और फिर खराब हो गया और मरम्मत के अभाव के कारण अप्रयुक्त पड़ा था (नवम्बर 1982)।

8. **भूसंरक्षण योजना**––योजना में विद्यमान भूमि के संरक्षण के साथ–साथ अधिक से अधिक बंजर भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने की परिकल्पना थी। विभाग ने 35.27 लाख रु० का व्यय किया था (ऋण के रूप में 6.39 लाख रु० सम्मिलित) तथा कृषि योग्य 591.03 हैक्टेयर भूमि को आवृत किया था वह निम्नलिखित है :––

वर्ष	किन्नौर जिला		लाहौल व स्पिति जिला	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
		(हैक्टेयरों में)		
1975––76	55	30	शून्य	शून्य
1976––77	60	36	25	26.66
1977––78	65	59	30	28.29
1978––79	60	64	30	30.78
1979––80	60	70	60	41.80
1980––81	निर्धारित नहीं	77.08	35	36.43
1981––82	तदैव	45.09	30	45.90
जोड़	300	381.17	210	209.86

किन्नौर ज़िले में 1975–76 से 1977–78 के लिये निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। लाहौल व स्पिति जिले में 1979–80 में उपलब्ध प्रगति लक्ष्य से 30 प्रतिशत कम पड़ी।

योजना से संबंधित अभिलेखों की छानबीन के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं:––

(i) लाहौल व स्पिति जिले में 10 मामलों में (अनुमानित लागत: 0.18 लाख रु०) योजनायें संस्वीकृत की गई थीं और निर्माण कार्य आदेश अगस्त 1981 में जारी हुये थे जबकि मापन पुस्तिका में जून 1981 से पूर्व ही निर्माण कार्य को मापने के पश्चात् ही दर्ज किया गया था। मामले की जांच नहीं की गई थी (नवम्बर 1982)।

(ii) भू–संरक्षण योजनायें अनुमोदित अनुमानों के अनुसार ही निष्पादित की जानी थी। लाहौल तथा स्पिति जिले में 11 पूर्ण हुये निर्माण कार्यों में 9916 घन मीटर भूमि कार्य तथा 671 घन मीटर पत्थर चिनाई के काय की अनुमानित मात्रा के प्रति वास्तव में कार्य क्रमश: 2896 घनमीटर (0.04 लाख रु०) तथा 1013 घन मीटर (0.20 लाख रुपये) हुआ। मामले की जांच नहीं की गई थी (अगस्त 1982)।

(iii) लघु सिंचाई योजनायें तीन से छः मास के अन्दर पूरी की जानी अपेक्षित होती हैं। किन्नौर जिले में 1977–78 तथा 1979–80 के मध्य हाथ में ली गई 12 लघु सिंचाई योजनायें (अनुमानित लागत 1.22 लाख रु०) जिन से 47.71 हैक्टेयर सिंचाई की सम्भावना थी प्रगति पर थीं यद्यपि निर्माण कार्य को आरम्भ हुये दो से चार वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इन निर्माण कार्यों पर 0.92 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था जिसमें 0.76 लाख रु० सम्मिलित थे जो पालिथीन के पाइपों का उपार्जन करने में व्यय हुये जोकि लाभ प्राप्तकर्ताओं को उपदान/ऋण के प्रति पहले से जारी किये जा चुके थे। विभाग को लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा पालिथीन के पाइपों को प्रयुक्त करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी (अगस्त 1982)। जिन परिस्थितियों में पालिथीन नालियां लाभ प्राप्तकर्ताओं को बांटी गई थीं, जब कि स्कीमें पूरी नहीं हुई थीं, वे अभिलिखित नहीं थीं।

(iv) 1975–76 से लेकर 1691 भू–संरक्षण योजनायें हाथ में ली गई थीं और 1981–82 तक 22.09 लाख रु० का व्यय किया गया था (किनौर: 978 निर्माणकार्य 14.21 लाख रु० तथा लाहौल व स्पिति: 713 निर्माण कार्य: 7.88 लाख रु०) परन्तु एक भी मामले में कार्य सम्पन्नता का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था।

9. **मूल्यांकन**––योजना 1975–76 से चालू की गई है परन्तु विभाग द्वारा योजना के प्रभाव का जायजा लेने के लिये इस के कार्यकलाप के मूल्यांकन तथा आवश्यक उपचारी उपाय करने का कार्य अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है (नवम्बर 1982)।

10. **उप–संहार**––(i) जनजातीय क्षेत्रों में 1975–76 से कृषि विकास कार्यक्रम चालू है और 1981–82 में समाप्त होने वाले छः वर्षों के दौरान कार्यक्रम पर 1,86.89 लाख रु० व्यय किये जा चुके थे। खाद्यान्नों तथा दालों के संबंध में प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन में केवल सीमांत वृद्धि हुई है (1976–77 में प्रति हैक्टेयर 0.97 मीट्रिक टन से 1980–81 में प्रति हैक्टेयर 1.13 मीट्रिक टन)। औसत उत्पादन की भिन्नता प्रति हैक्टेयर 0.82 मीट्रिक टन तथा प्रति हैक्टेयर 1.24 मीट्रिक टन के मध्य थी। सब्जियों के उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

(ii) जबकि लाहौल व स्पिति जिले में रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिये निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी नहीं थी (1979–80 को छोड़कर) तो किन्नौर तथा चम्बा जिलों की पांगी तथा भरमौर तहसीलों में 1981–82 जिला किन्नौर के अलावा किसी भी वर्ष कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

(iii) रासायनिक उर्वरकों के वितरण में 3.26 लाख रु० के सकल अधिक भुगतान/परिहार्य भुगतान ध्यान में आये।

(iv) पांगी ब्लाक (जिला चम्बा) में बीज गुणन फार्म की स्थापना पर 2.59 लाख रु० का किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ क्योंकि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में बीज की फसल उगाना सम्भव नहीं था।

3.2 **राजस्व की हानियां**––

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन लोगूमिनस फसलों जैसे दालों के उत्पादन में वृद्धि

हेतु रिसोबियम बैक्टीरिया कल्चर (लोगूम कल्चर) को शिमला में 1976-77 में स्थापित सूक्ष्म जैविक प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जाता है जिसे सरकार द्वारा बताई गई दरों पर राज्य में किसानों को वितरित किया जाता है।

कृषि विद शिमला के लेखाओं की नमूना जांच (जुलाई 1981) ने दर्शाया कि 1978-79 तथा 1980-81 के मध्य विभिन्न कृषकों को लोगूम कल्चर के 17,368 पैकेट निःशुल्क वितरित किये गए थे यद्यपि भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजना में ऐसी कल्चर का निःशुल्क वितरण प्रतिबन्धित था। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर तथा पंजाब कृषि विश्व विद्यालय लुधियाना द्वारा प्रभारित किए जाने वाले मूल्यों (तीन रु० प्रति पैकेट) के आधार पर इन पैकेटों की कीमत 0.52 लाख रु० निकाली गई।

कृषि विद, हिमाचल प्रदेश ने 3 रु० प्रति पैकेट की दर के निर्धारण की सिफारिश (28 सितम्बर 1978 तथा 30 मार्च 1981) की थी परन्तु कृषि निदेशालय ने आदेश दिया (मई 1981) कि पैकेट निःशुल्क बांटे जायें। इन पैकेटों के निःशुल्क वितरण हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था जिससे 0.52 लाख रु० के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने बताया (जनवरी 1983) कि 0.52 लाख रु० के लगीयूम कल्चर के निःशुल्क वितरण के नियमानुकूलन हेतु कार्योत्तर संस्वीकृति प्रदान करने के लिये कार्रवाई की गई थी।

पशु पालन विभाग

3.3 गहन पशु विकास परियोजना, घनाहटी

1. प्रस्तावनात्मक––राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1975 से राजकीय दुग्ध आपूर्ति योजना शिमला के दुग्धशाला क्षेत्र में घनाहटी में एक गहन पशु विकास परियोजना संस्वीकृत की। प्रारम्भ में क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ रहे 11 मुख्य ग्राम खण्ड जिला पशु पालन अधिकारी के नियन्त्रण से परियोजना को हस्तान्तरित किये गए थे और 4 केन्द्र/उपकेन्द्र वर्ष 1976 में तथा 7 वर्ष 1977–78 में और जोड़ लिये गए थे। इस समय परियोजना के अधीन घनाहटी में एक केन्द्रीय वीर्य संग्रहण बैंक, दो क्षेत्रीय केन्द्र (दाड़लाघाट और सुन्नी में एक–एक) तथा कुल 20 उप केन्द्र हैं।

परियोजना को 1978–79 तक "योजनागत" स्कीम के रूप में तथा तत्पश्चात् आयोजनेतर स्कीम के रूप में चलाया गया। परियोजना का लक्ष्य स्थानीय गायों के संकरण के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। परियोजना में इसके अधीन आवृत्त क्षेत्रों में कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु सामयिक टीके लगाने तथा उपचार के माध्यम से संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों के प्रति दोगले पशुओं के उपयुक्त चारे तथा पर्याप्त स्वास्थ्य पग दृष्ट थे। पशु प्रदर्शनियां एवं रैलियां भी आयोजित की जानी थीं। कार्यक्रम को पशुपालन निदेशक द्वारा परियोजना अधिकारी गहन पशु विकास परियोजना घनाहटी के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। अन्य संस्थाएं अर्थात् पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा पहाड़ी पशु विकास केन्द्र उस परियोजना क्षेत्र में कृत्रिम

गर्भाधान कार्य करती हैं जहां पर अभी तक परियोजना द्वारा कोई भी केन्द्र नहीं खोला गया है तथापि उनका तकनीकी नियंत्रण परियोजना अधिकारी के पास रहता है।

परियोजना मूल रूप से 50,000 दुधारू नस्ल बढ़ाने योग्य पशुओं के लिये परिकल्पित थी जिसे बाद में 20,000 पशुओं तक घटा दिया गया था तथा शेष पशुओं की देखभाल विभाग की अन्य संस्थाओं अर्थात् पशु चिकित्सालयों, पशु औषधालयों आदि द्वारा की जानी थी जो गहन पशु विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं। संस्थाएं पशुओं के उपचार तथा अन्य व्यापक कार्य के लिये सुविधाएं उपलब्ध करने के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान का उत्तरदायित्व भी लेती ह।

46.27 लाख रु० के बजट प्रावधान के प्रति योजना पर 1974–75 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान 43.50 लाख रु० व्यय किये गये थे जैसे नीचे विवरण दिया गया है :—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
	(लाख रुपयों में)	
1974—75	3.85	2.50
1975—76	3.47	3.47
1976—77	4.64	4.65
1977—78	6.00	5.28
1978—79	7.20	6.55
1979—80	5.91	5.9
1980—81	7.75	7.75
1981—82	7.45	7.39
जोड़	46.27	43.50

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा परियोजना के योजनागत स्कीम के रूप में

संचालन के समय उसके प्रति उपलब्धियां निम्नांकित हैं--

क्रियाकलाप	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त उपलब्धियां			निर्धारित लक्ष्यों पर उपलब्धियों की प्रतिशतता
		गहन पशु विकास परियोजना द्वारा	*अन्य संस्थाओं द्वारा	जोड़	
(i) कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	12,500	7,123	6,053	13,176	105
(ii) निकम्में सांडों का खस्सी (अण्डोछेदन) करना	14,000	4,062	8,899	12,961	93
(iii) टीके लगाना (संख्या में)	50,000	22,834	1,81,679	1,04,513	209
(iv) पशु प्रदर्शनियां तथा रैलियां	100	18	**लागू नहीं होता।		18
(v) चारे की खेती के अधीन क्षेत्र***	800	1,021	**लागू नहीं होता		128
(vi) आवृत्त घासनी *** (चरागाह) (बीघे)‡	3,600	1,197	**उक्त--		33

योजना के अधीन आवृत्त किये जाने वाले प्रस्तावित 50,000 नस्ल योग्य पशुओं की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान (12,500) तथा टीके लगाने (10,000 वार्षिक) हेतु निर्धारित लक्ष्य कम थे। केन्द्रों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा भी नस्ल वृद्धि योग्य संख्या आवृत्त करने के कारण कृत्रिम गर्भाधान तथा टीके लगाने में उपलब्धियां लक्ष्यों को पार कर गई थीं यद्यपि योजना के अनुसार परियोजना के अधीन स्थापित किए गए केन्द्रों द्वारा ही आवृत्ति उपलब्ध करवाई जानी थी। पशुपालन निदेशक द्वारा गिरावट या कमी को यद्यपि क्षेत्र की भौगोलिकता, पशु प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु लम्बी दूरियों को तय करने के कारण कृषकों की प्रतिकूल प्रतिक्रिया, पारितोषिकों की अपर्याप्त संख्या एवं राशि तथा बिखरे क्षेत्रों से सम्बद्ध किया गिया (अक्तूबर 1982)।

पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला से एकत्रित सूचना के द्वारा अनुपूरित उपरोक्त क्रियाकलापों से सम्बन्धित अभिलेखों के नमूना परीक्षण (मई-जुलाई 1982) के दौरान ध्यान में आये तथ्यों ने निम्नलिखित बातों को अनावरित किया।

2. **संकरण**--कार्यक्रम में निम्नांकित पग उठाकर स्थानीय गायों (व्याख्या रहित) में विजातीय रक्त को 62.5 प्रतिशत के स्तर तक लाने हेतु विजातीय सांडों से कृत्रिम गर्भाधान के

*परियोजना के तकनीकी नियंत्रण के अधीन पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय आदि।

**लागू नहीं होना दर्शाता है।

***मार्च 1979 के पश्चात् एक अलग योजना को स्थानान्तरित क्रियाकलाप।

माध्यम द्वारा उनका संकरण परिकल्पित था:—

(क) व्याख्या रहित (स्थानीय) गायों का 100 प्रतिशत जर्सी/होल्स्टीन फ्रीजियन सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा।

(ख) 50 प्रतिशत विजातीय रक्त वाले प्रथम पीढ़ी के मादा बछड़े का 75 प्रतिशत विजातीय रक्त वाले दोगले जर्सी सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा।

(ग) 75 प्रतिशत विजातीय रक्त वाले द्वितीय पीढ़ी के मादा बछड़े का 50 प्रतिशत साहीवाल–जर्सी सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा।

देशी गाय तथा संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार ब्याने की अवधि क्रमश: 58 तथा 30 माह पश्चात् होती है। इस प्रकार 62.5 प्रतिशत विजातीय रक्त वाली गायें दूसरी पीढ़ी में 87 माह (9+39+39) की अवधि में प्राप्त की जा सकती थीं।

विभाग ने 62.5 प्रतिशत विजातीय रक्त वाली गायें प्राप्त करने हेतु न तो कोई नस्ल वृद्धि कार्यक्रम बनाया था और न संकरण के उद्देश्य हेतु अपेक्षित विभिन्न प्रकार के विजातीय सांडों की मांग को ही निर्धारित किया था। मार्च 1982 के अन्त तक परियोजनाधीन कोई भी 50 या 75 प्रतिशत विजातीय रक्त वाला सांड प्रचलन में नहीं लाया गया था।

50 अथवा 75 प्रतिशत विजातीय रक्त वाले सांडों के वीर्य के अभाव में विभाग 75 प्रतिशत अथवा अधिक के दोगले बछड़ों में विजातीय रक्त की प्रतिशतता का दर्जा कम करने के लिये साहीवाल सांड का वीर्य प्रयुक्त कर रहा था। इसका परिणाम संकर पशुओं में विजातीय रक्त के वांछित स्तर की विलम्बित उपलब्धियों में निकला क्योंकि इस पद्धतिको अपना कर तीसरी पीढ़ी का दर्जा 62.5 प्रतिशत पर कायम रखने की बजाय 37.5 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के विजातीय रक्त के मध्य तक कम कर दिया गया था।

परियोजना अधिकारी ने बताया (जुलाई, 1982) कि विजातीय रक्त के वांछित स्तर के सांडों की अनुपलब्धता के कारण साहीवाल सांड उपार्जित किये गए थे।

3. **वीर्य बैंक**—विभिन्न केन्द्रों/उपकेन्द्रों को आपूर्ति किये जाने वाले वीर्य के उत्पादन तथा प्रक्रियान्वयन हेतु 1 जनवरी 1975 को घनाहट्टी में एक वीर्य बैंक की स्थापना की गई थी। वीर्य के परीक्षण एवं प्रक्रियान्वयन हेतु उसी समय एक प्रयोगशाला (व्यय: 0.21 लाख रु.) स्थापित की गई थी। प्रयोगशाला में अधिकतम 300 खुराक (2 मि०ली०) प्रति दिन के परीक्षण आदि की सुविधाएं थीं। मार्च 1982 के अन्त तक कुल वीर्य उत्पादन 2.15 लाख मि० ली० था। 31 मार्च 1982 को कोई अन्तिम शेष नहीं था। गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र के अन्दर कुल 45 पशुपालन संस्थाओं में से 41 केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पशु विकास क्षेत्र के बाहर भी 17 केन्द्रों को वीर्य की आपूर्ति की जाती थी।

वर्ष 1974–75 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान 2.15 लाख मि० ली० पतला किया गया वीर्य एकत्र किया गया था एवं गहन पशु विकास परियोजना केन्द्रों (0.93 लाख मि०लि०),

गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य संस्थाओं (0.81 मि० ली०) तथा गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं (0.41 लाख मि०ली०) को वितरित किया गया था। गहन पशु विकास परियोजना केन्द्रों के मामलों में 0.39 लाख मि० ली० वीर्य प्रयुक्त किया गया था तथा 0.54 लाख मि०ली० (58 प्रतिशत) नष्ट किया गया था। गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य संस्थाओं के मामले में 0.29 लाख मि०ली० वीर्य प्रयुक्त किया गया था तथा 0.52 लाख मि०ली० (64 प्रतिशत) नष्ट किया गया था जबकि गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं के सम्बन्ध में 0.13 लाख मि०ली० वीर्य प्रयुक्त किया गया था और 0.28 लाख मि०ली० (68 प्रतिशत) नष्ट किया गया था। वर्ष 1977–78 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान गहन पशु विकास परियोजना केन्द्रों (22) द्वारा प्रयुक्त वीर्य की कुल प्रतिशतता 36 तथा 48 के मध्य थी। बेकार गए वीर्य का मूल्य लगभग 2.75 लाख रु० निकला।

प्रयुक्ति की न्यून प्रतिशतता को परियोजना अधिकारी (जुलाई 1982) द्वारा प्रजनकों से अनुकूल प्रतिक्रिया न मिलने से सम्बद्ध किया गया था। प्रचार माध्यमों एवं निजी प्रयत्नों के माध्यम से प्रजनकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई थी।

4. **कृत्रिम गर्भाधान**—1977–78 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान किए गए कुल कृत्रिम गर्भाधान की संख्या 16,141 (आवर्तकों सहित) थी। क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कृत कृत्रिम गर्भाधान, गर्भावस्था निदान, पैदा हुए बछड़ों के विवरण नीचे सारणीकृत हैं—

वर्ष	कृत कृत्रिम गर्भाधान			ऐसे मामलों की कुल संख्या जिन में गर्भावस्था निदान किए गए थे	सकारात्मक पाए गए कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	सकारात्मक पाए गए कृत्रिम गर्भाधान की प्रतिशतता	पैदा हुए बछड़े		
	प्रथम	आवर्त	कुल				नर	मादा	कुल
1977–78	1807	369	2176	1565	840	46	324	291	615
1978–79	2314	426	2740	1709	947	41	408	453	861
1979–80	2688	508	3196	2577	1427	53	532	532	1064
1980–81	3168	503	3671	2676	1452	46	613	589	1202
1981–82	3720	638	4358	3419	1919	52	795	781	1576
जोड़	13697	2444	16141	11946	6585	48	2672	2646	5318

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि :—

(i) योजना में कृत्रिम गर्भाधान के सभी मामलों को आवृत्त करते हुए पुष्टि करने हेतु प्रावधानों के बाजूद भी 4195 मामलों में गर्भ निदान नहीं किया गया था। तथापि पशुपालन निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1982) कि शत प्रतिशत व्याप्ति व्यवहार्य नहीं थी। विशेषकर जबकि प्रजनक गायों की बारम्बार बिक्री कर देते हैं जिसे योजना के अधीन परिकल्पित नहीं किया गया था ।

(ii) पैदा हुए बछड़े सकारात्मक मामलों से कम थे ।

ब्याने तथा उसकी तुलना में कृत्रिम गर्भाधान की प्रतिशतता निम्नांकित थी :—

ब्यानें की प्रतिशतता	उपकेन्द्रों की संख्या		
	1978–79	1979–80	1980–81
10 से 20	1	..	..
21 से 30	7	..	..
31 से 39	2	2	5
40 तथा अधिक	12	20	17

गिरावट की छानबीन नहीं की गई थी (अक्तूबर 1982)।

उपकेन्द्रों के अभिलेखों के नमूना परीक्षण के दौरान विसंगतियां ध्यान में आई थीं जैसे कि नीचे दर्शाया गया है :—

उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र द्वारा परियोजना प्राधिकारियों को बताए गए कृत्रिम गर्भाधान	उपकेन्द्र में रखे गए अभिलेखों के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान
1978-79		
जुन्गा	28	30
बसन्तपुर	32	38
घनाहट्टी	315	308
1979-80		
बसन्तपुर	55	29
घनाहट्टी	304	284
1980-81		
जुन्गा	41	45
बसन्तपुर	32	33
घनाहट्टी	360	304

क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा गर्भनिदान तथा उत्पन्न नस्ल के सत्यापन के सम्बंध में दी गई सूचना की पुष्टि हेतु परियोजना के पास कोई पद्धति नहीं है।

पशुपालन निदेशक ने सूचित किया (अक्तूबर 1982) कि उपरोक्त विसंगतियों की छान-बीन की जाएगी ।

5. **नस्ल बढ़ाने-योग्य पशु संख्या की व्याप्ति**—पनेश, थाची, जुन्गा, बुघार, दानौघाट, शोघी, दुर्गापुर, बसन्तपुर तथा पांटी उपकेन्द्रों के मामले में निर्धारित लक्ष्य नस्ल बढ़ाने योग्य गायों की संख्या से बहुत कम थे जैसे कि नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम संख्या	उप केन्द्र का नाम	नस्ल बढ़ाने योग्य संख्या पर निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिशतता			
		1978–79	1979–80	1980–81	1981–82
1	पनेश	21	21	27	40
2	थाची	6	13	16	17
3	जुन्गा	8	8	11	15
4	बुघार	17	17	23	37
5	दानौघाट	8	11	15	20
6	शोघी	20	12	16	19
7	दुर्गापुर	10	13	16	25
8	बसन्तपुर	8	8	11	14
9	पांटी	12	12	17	29

पशुपालन निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1982) कि लक्ष्य निर्धारित करने में विगत वर्ष के दौरान निष्पादन, क्षेत्र की भौगोलिकता तथा अन्य कारण जैसे प्रजनकों की कट्टर रूढ़िवादिता एवं परम्परागतता को ध्यान में रखा गया था। तथापि नमूना परीक्षित इकाइयों में इसके आधार स्वरूप कोई भी अभिलेख नहीं पाए गए थे ।

पुनः यह देखा गया था कि कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपलब्ध व्याख्या रहित गायों की संख्या परियोजना के आरम्भ के 7 वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात भी दोगली गायों से कहीं अधिक

थी जैसे कि नीचे विवरण दिया गया है :—

वर्ष	किये गए कृत्रिम गर्भाधान			
	व्याख्या रहित	जर्सी	हौल्स्टीन फ़ैज़ियन	जोड़
1978–79	1,708 (74)	534 (23)	72 (3)	2,314
1979–80	1,918 (71)	639 (24)	131 (5)	2,688
1980–81	2,297 (73)	680 (21)	191 (6)	3,168
1981–82	3,476 (94)	194 (5)	50 (1)	3,720
जोड़	9,399 (79)	2,047 (17)	444 (4)	11,890

टिप्पणी :—कोष्ठकों के आंकड़े कृत्रिम रूप से गर्भाधान की गई गायों की कुल संख्या पर विभिन्न-नस्लों की गायों की प्रतिशतता प्रकट करते हैं।

परियोजना अधिकारी ने वर्ण संकर गायों की संख्या में कमी को अनुपयुक्त आर्थिक दशाओं, उद्यान मालिकों द्वारा ऐसे पशुओं की तीव्र मांग तथा सूखे के कारण प्रजनकों द्वारा ऐसे पशुओं के परियोजना क्षेत्र से बाहर विक्रय से सम्बद्ध किया। पशुपालन निदेशक ने बताया (अक्तूबर 1982) कि प्रजनकों के ऊपर गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र से बाहर के प्रजनकों को अपनी दोगली गायों/फली (गाभिन) बछड़ियों को बेचे जाने के मामले में विभाग का कोई नियंत्रण नहीं था ।

6. **टीके लगाना**—टीके लगाने के कार्य को विवेक पूर्ण करने हेतु पशुपालन निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला ने अक्तूबर 1977 में गहन पशु विकास परियोजना घनाहटी के परियोजना अधिकारी सहित सभी राजकीय पशुधन फार्मों के प्रबन्धकों को निर्देश जारी किए थे कि विभिन्न संक्रमाक रोगों अर्थात "हैमोथैजिक सैप्टीकामिस' (एस. एच.) तथा ब्लैक-क्वार्टर" (बी. क्यू.) की रोकथाम के टीकों के लगाने को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। पुनः यह परिकल्पित किया गया था कि एच. एस. तथा बी. क्यू. के टीके क्रमशः अप्रैल तथा जून महीने में वार्षिक रुप से लगाए जाने चाहिएं ।

गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र की 1977-78 में गोजातीय नस्ल बढ़ाने योग्य पशु-संख्या 19,155 थी। 1979-80 तथा 1981-82 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के लिए केवल 10,000 टीकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिससे रोकथाम के टीके हेतु गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र की 50 प्रतिशत गोजातीय पशु-संख्या को अनावृत छोड़ा गया।

वर्ष 1978–79 से 1981–82 के वर्षों के दौरान अपेक्षित, लगाए गए तथा आवृत्त टीकों की प्रतिशतता वर्षवार इस प्रकार थी :—

वर्ष	नस्ल योग्य संख्या	अपेक्षित टीके		क्रय किए गए टीके		लगाए गए टीके		अपेक्षित टीकों पर लगाए गए टीकों की प्रतिशतता	
		एच.एस.	बी.क्यू.	एच.एस.	बी.क्यू.	एच.एस.	बी.क्यू	एच. एस.	बी. क्यू.
		(संख्या)							
1978-79	19,155	19,155	19,155	3,200	3,340	2,379	2,086	12	11
1979-80	19,155	19,155	19,155	2,000	900	2,792	2,097	15	11
1980-81	19,155	19,155	19 155	900	780	1,211	1,724	6	9
1981-82	19,155	19,155	19,155	3,000	2,000	2,461	1,088	13	6

टिप्पणी: 1978–79 के आंकड़े ही अनुवर्ती वर्षों के लिए अपनाए गए हैं क्योंकि 1977–78 के पश्चात् कोई गणना नहीं की गई।

वर्ष 1977–78 (जिस वर्ष अन्तिम गणना की गई थी तथा उसके पश्चात् कोई गणना नहीं हुई) की नस्ल–वृद्धि योग्य संख्या 19,155 सहित वर्ष 1978–79 से 1981–82 के मध्य लगाये जाने हेतु अपेक्षित टीकों पर लगाए गए टीकों की प्रतिशतता में एच. एस. के लिए 6 से 15 तक तथा बी. क्यू के लिए 6 से 11 तक की सीमा के लिए अन्तर था।

आपूर्ति के लिए टीकों की मांग लक्ष्य से कहीं कम थी तथा आपूर्ति मुख्यत: कुछ चुने हुए केन्द्रों/उपकेन्द्रों को की गई थी। परिणामस्वरूप गोजातीय पशुओं की कम प्रतिशतता (6 प्रतिशत से 15 प्रतिशत) को टीके लगाए गये।

यह भी पाया गया कि केन्द्रीय भंडार घनाहट्टी (वीर्य बैंक) से गहन पशु विकास परियोजना के केन्द्रों को एच. एस. तथा बी. क्यू. दोनों के ही टीके प्रत्येक वर्ष के सम्मुख अंकित महीने में जारी किए गए थे। उस महीने का सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया था जिसमें टीके अत्यन्त प्रभावोत्पादक होते थे। जिन केन्द्रों को टीके जारी किए गए थे तथा जिनमें टीके लगाए ही नहीं गए थे, उन की संख्या नीचे

इंगित की गई है :—

वर्ष	एच. एस. टीके (अप्रैल में दिए जाने के अपेक्षित)			बी. क्यू. टीके (जून में दिए जाने के अपेक्षित)			* ऐसे उपकेन्द्रों की संख्या जिन में कोई टीके नहीं लगाए गए थे
	निर्गम का मास	जिन केन्द्रों को जारी किए गये उन की सं. (कुल 22 केन्द्र)	प्रयुक्ति का मास	निर्गम का मास	जिन केन्द्रों को जारी किए गए उन की संख्या (कुल 22 केन्द्र)	प्रयुक्ति का मास	
1978–79	जुलाई 1978	7	सितम्बर, दिसम्बर 1978 तथा जनवरी 1979	जुलाई, दिसम्बर 1978 तथा जनवरी 1979	7	सितम्बर, दिसम्बर 1978 तथा जनवरी 1979	4
1979–80	अप्रैल अगस्त, सितम्बर तथा नवम्बर 1979	8	अप्रैल, जून, सितम्बर, नवम्बर तथा दिसम्बर 1979	अप्रैल, अगस्त तथा सितम्बर 1979	10	अप्रैल तथा जून 1979	3
1980–81	जून, जुलाई तथा दिसम्बर 1980	7	जून, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर तथा दिसम्बर 1980	जून, जुलाई, अगस्त अक्तूबर तथा दिसम्बर 1980 एवं फरवरी तथा मार्च 1981	7	जून, अक्तूबर, दिसम्बर 1980 तथा जनवरी 1981	6
1981–82	मई से जुलाई तथा दिसम्बर 1981	21	जून, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर तथा दिसम्बर 1981	जुलाई 1981	21	जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर 1981	3**

*अन्तिम कालम में दी गई संख्या उन उप केन्द्रों से सम्बन्धित है जिन्होंने घनाहट्टी अथवा किसी अन्य स्रोत से टीके प्राप्त नहीं किये ।

**घनाहट्टी, सुन्नी तथा बिगरी केन्द्रों को टीके जारी किए गए थे । लेकिन ये वर्ष के दौरान प्रयुक्त नहीं हुए थे ।

परियोजना अधिकारी ने टीके लगवाने में गिरावट को सीमित बजट प्रावधान, टीका जारी करने वाली मेदा संस्थाओं द्वारा टीके की विलम्बित आपूर्ति जो केवल अग्रिम नकद भुगतान पर टीका जारी करती है तथा स्थानिक मारी के क्षेत्रों तथा उन्हीं क्षेत्रों तक टीकों की सीमितता से सम्बद्ध किया जहां बीमारी फैल सकती है जैसे नदियों तथा नालों के तटवर्ती क्षेत्रों तक ।

तथापि यह पाया गया कि कुल बजट प्रावधान पर्याप्त था एवं मेदा संस्थाओं से एच. एस. तथा बी. क्यू. टीकों की आपूर्ति 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान आदेश दिए जाने के दो महीनों के अन्दर ही प्राप्त कर ली गई थी ।

7. **इकाइयों की निष्क्रियता** —दो क्षेत्रीय केन्द्र एवं केन्द्रीय वीर्य संग्रहण बैंक सीधे पशु सहायक चिकित्सकों के अधीन हैं । घनाहट्टी को छोड़ कर प्रत्येक उपकेन्द्र एक स्टाक सहायक के अधीन है । क्षेत्रीय केन्द्रों तथा केन्द्रीय वीर्य संग्रहण बैंक के लिए किसी भी स्टाक सहायक की संस्वीकृति नहीं की गई थी । निकटस्थ क्षेत्रीय केन्द्र के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन रहने वाले उपकेन्द्रों को उस समय बन्द रखना पड़ता है जब सम्बद्ध स्टाक सहायक ड्यूटी पर नहीं रहता । स्टाक सहायक की अनुपस्थिति के दौरान उपकेन्द्रों के वीर्यवाहक कार्य विहीन रहते हैं ।

एक वर्ष में 30 दिन या उससे अधिक समय तक बन्द रखे गए केन्द्रों की संख्या निम्नांकित थी :—

वर्ष	केन्द्रों की संख्या
1975–76	3
1976–77	4
1977–78	5
1978–79	3
1979–80	5
1980–81	4
1981–82	6

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 6 केन्द्र लगभग प्रत्येक वर्ष बन्द रहे । इससे प्रजनकों द्वारा गर्भाधान कार्यक्रम को प्रभावित किए जाने की सीमा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था ।

8. **जुन्गा तथा बसन्तपुर उपकेन्द्रों का कार्य संचालन**—लेखा परीक्षा में दो उपकेन्द्रों के क्रियाकलापों को समीक्षित किया गया था जिसके परिणाम निम्नांकित हैं :—

(i) जुन्गा उपकेन्द्र ने नस्ल बढ़ाने योग्य 892 गायों से फरवरी 1978 में कार्य प्रारम्भ किया । उपकेन्द्र द्वारा 1978–79 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान 1,925 मि. ली. वीर्य प्राप्त किया गया था । जिसमें से केवल 243 मि. ली. प्रयुक्त किया गया था तथा 1,682 मि. ली. (87 प्रतिशत) नष्ट किया गया था । इस अवधि के दौरान उपकेन्द्र में केवल 129 कृत्रिम गर्भाधान किए गए थे जिनके प्रति उत्पन्न नस्ल की संख्या केवल 18 (1981–82 को

शामिल करके) थी। उपकेन्द्र के अभिलेखों के अनुसार 1978–79 से 1980–81 तथा 1981-82 के दौरान क्रमश: बी. क्यू. तथा एच. एस. के कोई भी टीके नहीं लगाए गए थे। पुन: 1978–79 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान खुरों एवं मुंह की बीमारियों (एफ. एण्ड एम. डी.) के कोई भी टीके नहीं लगाए गए थे।

(ii) बसन्तपुर उपकेन्द्र (नस्ल वृद्धि योग्य संख्या : 927) ने नवम्बर 1977 में कार्य प्रारम्भ किया। वर्ष 1978–79 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान इस केन्द्र ने 3125 मि.ली. वीर्य प्राप्त किया जिसमें से केवल 521 मि.ली. प्रयुक्त किया गया एवं 2604 मि. ली. (83 प्रतिशत) नष्ट किया गया था। उपकेन्द्र के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1980–81 के दौरान बी. क्यू., एच. एस. तथा खुरों एवं मुंह की बीमारियों के कोई भी टीके नहीं लगाए गए थे। पुन: कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु उपकेन्द्र द्वारा आवृत्त क्षेत्र में वर्ष 1981–82 तक कोई भी पशु प्रदर्शनी नहीं की गई थी। 1977–78, 1978–79 तथा 1980–81 के वर्षों में केवल एक सिनेमा प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी।

पशुपालन निदेशक ने इस उपकेन्द्र की असंतोषजनक कार्यप्रणाली को कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों से सम्बद्ध (अक्तूबर 1982) किया जिसकी छानबीन की जा रही बताई गई थी (अक्तूबर 1982)।

9. **प्राकृतिक सेवाएं**––परियोजना घन्नाहट्टी तथा क्षेत्रीय केन्द्र दाड़लाघाट में भसों के लिए प्राकृतिक सेवा उपलब्ध करती है। घनाहट्टी में 17 अक्तूबर 1977 तक तीन मुर्रा भैंसे, 1 अक्तूबर 1980 तक दो तथा तत्पश्चात् एक भैंसा रखा गया था। क्षेत्रीय केन्द्र दाड़लाघाट में नियमित रूप से दो मुर्रा भैंसे रखे जा रहे थे। विभाग द्वारा निर्धारित स्तर प्रतिमानों के अनुसार प्रत्येक वयस्क मुर्रा भैंसे से प्रति वर्ष कम से कम 80 से 100 प्राकृतिक सेवाएं प्राप्त की जानी थीं/हैं। निम्नांकित तालिका यह दर्शाती है कि 1977–78 से 1980–81 तक की अवधि के दौरान घनाहट्टी में प्रत्येक भैंसे से एक वर्ष में प्राप्त औसत प्राकृतिक सेवा की सीमा 29 से 46 के मध्य थी और इसीलिए घनाहट्टी में एक से ज्यादा मुर्रा भैंसों का रखना अनुचित था (अतिरिक्त भैंसों पर व्यय : 0.13 लाख रुपये):––

वर्ष	प्राप्त प्राकृतिक सेवाओं की संख्या	भैंसों (मुर्रा) की संख्या	प्रत्येक भैंसे से प्राप्त औसत वार्षिक प्राकृतिक सेवा
1977–78	(i) 22	3 (17–10–1977 तक)	29
	(ii) 55	2 (18–10–1977 से)	
1978–79	65	2	33
1979–80	86	2	43
1980–81	(i) 22	2 (1–10–1980 तक)	46
	(ii) 49	1 (2–10–1980 से)	
1981–82	80	1	80

परियोजना के प्रारम्भ होने के 7 वर्षों के पश्चात् भी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु स्थानीय प्रजनकों को आकर्षित करने में विभाग असफल रहा।

विभाग के अनुसार परियोजना में रखे गए भैंसे जवान थे तथा प्राकृतिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किए जाने थे। उत्तमतम प्रयत्नों के बावजूद भी एक भैंसा प्रशिक्षित नहीं किया जा सका था और वह प्राकृतिक सेवा प्रदान करने से अलग रहता था। इस भैंसे को 2-10-1980 को गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत एक पंचायत को स्थानान्तरित किया गया था।

10. **प्रचार**--परियोजना कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु बछड़ा रैली, पशु प्रदर्शनी, नुमाइश तथा सिनेमा प्रदर्शनों की व्यवस्था करने की परिकल्पना करती है। वर्ष 1978-79 तक ऐसी 20 रैलियां/प्रदर्शन प्रतिवर्ष के लक्ष्य (तत्पश्चात् कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं हुये) के प्रति वर्ष 1975-76 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान कुल 15 बछड़ा-रैलियां आयोजित की गई थीं तथा कोई भी पशु प्रदर्शन आयोजित नहीं किया था। पुनः 1976-77, 1978-79 से 1981-82 के दौरान केवल 3 नुमाइशें लगाई गई थीं। परियोजना अधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया था कि उनके द्वारा परियोजना के क्रियाकलापों के प्रचार को रेडियोवार्ता, सरकारी पत्रिकाओं तथा पंचायत/खण्ड स्तर की बैठकों के माध्यम से अनुपूरित किया जाता है।

11. **डेरी प्रसार**--परियोजना द्वारा आवृत्त क्षेत्रों में विभाग ने विभिन्न दोगले पशुओं में विजातीय रक्त की प्रतिशतता को प्रदर्शित करने वाला कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। पुनश्च गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्रों में दुग्ध के कुल उत्पादन सम्बन्धी सूचना भी उपलब्ध नहीं थी। वांछित सूचना के आभाव में यह नहीं देखा जा सका कि विगत सात वर्षों (1975-76 से 1981-82) के दौरान दूध के औसत उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई। तथापि कार्यक्रम द्वारा आवृत्त क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से एकत्रित दूध की मात्रा ने दर्शाया कि दुग्ध एकत्रण 1977-78 के 11.40 लाख ली. से घट कर 1981-82 में 5.73 लाख ली. हो गया जैसे कि नीचे ब्यौरे दिये गये हैं :--

वर्ष	दुग्ध एकत्रण केन्द्रों की संख्या	सहकारी समितियों की संख्या	आपूर्ति किया गया दूध (लाख ली. में)
1975-76	1	3	0.13
1976-77	12	5	9.38
1977-78	23	7	11.40
1978-79	23	9	9.37
1979-80	24	12	7.90
1980-81	30	15	5.21
1981-82	28	15	5.73

विभाग द्वारा दुग्ध एकत्रण में गिरावट को द्वि-अक्षीय मूल्य प्रणाली के लागू किए जाने, दूध के स्तर की सख्त परीक्षा तथा ऐसे अस्वीकृत दूध के निजी ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत किए जाने से सम्बद्ध किया गया था। इस प्रकार परियोजना द्वारा योजना के मुख्य लक्ष्यों में से विपणन हेतु राजकीय दुग्ध आपूर्ति योजना शिमला के दुग्ध क्षेत्र में 20,000 ली० प्रतिदिन के हिसाब से कुल दुग्ध एकत्रण को बढ़ाने का एक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था।

12. **सारांश**--(i) यद्यपि मार्च 1982 की समाप्ति तक परियोजना पर 43.50 लाख रु० व्यय किए जा चुके हैं फिर भी 1974-75 में इसके प्रारम्भ होने से इसकी उपलब्धि केवल उपलब्ध जर्सी सांडों के साथ एक सीमित स्तर पर वर्ण संकरण ही थी।

(ii) विभाग ने परियोजना के सात वर्ष से भी अधिक के कार्य संचालन के पश्चात् भी 62.5 प्रतिशत विजातीय रक्त वाली गायों को प्राप्त करने हेतु न तो कोई नस्ल वृद्धि कार्यक्रम बनाया था और न दोगलेपन के उद्देश्यों के लिये अपेक्षित विभिन्न प्रकार के विजातीय सांडों की मांग को ही निर्धारित किया था। विजातीय रक्त न रखने वाले साहीवाल सांड के वीर्य के साथ किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान ने वांछित परिणामों को विलम्बित कर दिया था।

(iii) पुनः परियोजना द्वारा आवृत्त क्षेत्रों में दुग्ध के कुल उत्पादन के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना के अभाव में तथा गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र में विजातीय रक्त वाली गायों के सर्वेक्षण के बिना यह नहीं कहा जा सकता था कि विजातीय सांडों के वीर्य के साथ स्थानीय गायों के वर्ण संकरण के माध्यम से दुग्ध उत्पादन का स्तर बढ़ाने में परियोजना को किस सीमा तक सफलता मिली थी।

(iv) वर्ष 1974-75 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान वीर्य बैंक द्वारा 2.15 लाख मिली ली० पतला किया गया वीर्य एकत्रित किया गया था एवं गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत तथा बाहर की विभिन्न संस्थाओं में वितरित किया गया था। इसमें से 0.81 लाख मि०ली० प्रयुक्त किया गया था तथा 1.34 लाख मि०ली० नष्ट कर दिया गया था (लागत: 2.75 लाख रु०)।

(v) 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान किये गए कृत्रिम गर्भाधानों की कुल संख्या 16,141 (दोहराने सहित) थी। इसके प्रति केवल 11,946 मामलों में ही गर्भ निदान किया गया था तथा 6,585 मामले सकारात्मक पाये गए थे। क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा गर्भ निदान और उत्पन्न नस्ल के सत्यापन के सम्बन्ध में दी गई सूचना की पुष्टि हेतु परियोजना के पास कोई पद्धति नहीं थी। तीन उपकेन्द्रों में नमूना परीक्षण के दौरान इन उपकेन्द्रों द्वारा परियोजना प्राधिकारियों को बताए बिना गए तथा इनके अभिलेखों में उपलब्ध कृत्रिम गर्भाधानों के मामलों की संख्या में विसंगतियां पाई गई थीं।

(vi) विभाग द्वारा 62.5 प्रतिशत विजातीय रक्त की गायों को प्राप्त करने हेतु न तो कोई नस्ल वृद्धि कार्यक्रम बनाया गया था और न ही नस्ल वृद्धि के उद्देश्य के लिये अपेक्षित विजातीय सांडों की विभिन्न नस्लों की आवश्यकता को निर्धारित किया गया था।

(vii) 9 उपकेन्द्रों के मामले में निर्धारित लक्ष्य नस्ल वृद्धि योग्य गायों की संख्या से कम थे तथा नस्ल वृद्धि योग्य गायों की संख्या पर निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिशतता की सीमा 1978-79 से 1981–82 तक के दौरान 6 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मध्य थी।

(viii) गहन पशु विकास परियोजना क्षेत्र की गोजातीय नस्ल वृद्धि योग्य संख्या वर्ष 1977–78 में 19,155 थी। इस संख्या को विभिन्न छूत की बीमारियों अर्थात् हैमोरोथैजिक सैप्टीकार्निया तथा ब्लैक क्वार्टर के प्रति वार्षिक रूप से क्रमशः अप्रैल तथा जून के महीने में रोकथाम के टीके लगाकर आवृत्त किया जाना था। वर्ष 1978–79 से 1981–82 की अवधि के दौरान लगाये गए टीकों की प्रतिशतता एच०एस० के लिए 6 से 15 तथा बी०क्यू० के लिये 6 से 11 के मध्य थी।

(ix) निकटस्थ क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहने वाले उपकेन्द्र उस समय बन्द करने पड़ते हैं जब सम्बद्ध स्टाक सहायक ड्यूटी पर नहीं होता है। ऐसी अवधि के दौरान वीर्य वाहक कार्यहीन रहते हैं। 1975–76 से 1981–82 की अवधि के दौरान ऐसे केन्द्रों की संख्या तीन और छः के मध्य थी जो वर्ष में तीस दिन या उससे अधिक के लिए बन्द रहे।

(x) प्रत्येक प्रौढ़ मुर्रा भैंसे से प्राप्त की जाने वाली 80 से 100 वार्षिक प्राकृतिक सेवाओं के प्रति 1977–78 से 1980–81 की अवधि के दौरान प्रत्येक भैंसे से प्राप्त औसत प्राकृतिक सेवा की संख्या 29 से 46 के मध्य थी।

(xi) वार्षिक रूप से परिकल्पित 20 रैलियों/प्रदर्शनों के लक्ष्य के प्रति 1975–76 से 1981–82 की अवधि के दौरान 18 बछड़ा रैलियां आयोजित की गई थीं तथा कोई भी पशु प्रदर्शन आयोजित नहीं किये गए थे।

यह मामला अगस्त 1982 में सरकार को सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

उद्योग विभाग

3.4 जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम

1. **प्रस्तावनात्मक**—ग्रामीण क्षेत्रों में एवं छोटे कस्बों में विस्तृत रूप से फैले हुये कुटीर एवं लघु–उद्योगों के प्रभावोत्पादक विकास की उपलब्धि के विचार से भारत सरकार ने देश में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम का सूत्रपात (1 मई 1978) किया। जिले की सम्पूर्ण औद्योगिक प्रगति हेतु केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने एवं एक छत के नीचे सभी सेवायें तथा सहायता जैसे कि जिले में कच्चा माल तथा अन्य संसाधनों सम्बन्धी सूचना देना, मशीनरी और उपकरणों, कच्चे माल, क्रेडिट सुविधाओं, विपणन, सहायता तथा किस्म नियन्त्रण, अनुसंधान, विस्तार और लघु एवं ग्रामीण उद्यमियों द्वारा वांछित उद्यम प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाना था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग तथा हस्तशिल्प एवं हथकरघा जैसी संस्थाओं से भी जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से तथा अपनी गतिविधियों को इन्हीं के साथ एकीकृत करके कार्य करना अपेक्षित था।

राज्य स्तर पर उद्योग निदेशक ही मुख्य समन्वयक अधिकारी है तथा प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में पर्याप्त अनुभव वाले संयुक्त निदेशक/वरिष्ठ उप निदेशक स्तर का एक महा प्रबन्धक तथा उप निदेशक/वरिष्ठ सहायक निदेशक के दर्जे के सात कार्यकारी प्रबन्धक लगाने का प्रावधान था। राज्य के सभी 12 जिलों में 1 जून 1978 से जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गए थे।

उद्योग निदेशालय से एकत्रित सूचना द्वारा अनुपूरित चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना के आठ जिलों में इस कार्यक्रम की कार्य प्रणाली का मई–जुलाई 1982 के दौरान नमूना परीक्षण किया गया था तथा ध्यान में आये महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में उत्तर–वर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं—

2. **संगठन**—(i) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु यह परिकल्पित किया गया था कि जिला उद्योग केन्द्र नेतृत्व के गुण एवं संगठनात्मक योग्यता वाले पर्याप्त अनुभवी तथा परखी गई योग्यता के व्यक्तियों से सुसज्जित किये जायेंगे। तथापि यह ध्यान में आया कि एक महा प्रबन्धक तथा सात कार्यकारी प्रबन्धकों की बजाय दो जिलों (किन्नौर, लाहौल स्पिति) के अलावा सभी जिलों में एक महा प्रबन्धक तथा चार कार्यकारी प्रबन्धक तैनात किये गए थे। पुनः कोई भी नियुक्ति नियम नहीं बनाये गए थे तथा केन्द्र सरकार की मार्गदर्शन रेखाओं के विपरीत महा प्रबन्धकों के पद ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति करके भरे गए थे जो या तो जिला उद्योग अधिकारियों अथवा ग्रामीण उद्योग प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। कार्यकारी प्रबन्धकों के पद उद्योग विभाग के विस्तीर्ण अधिकारियों/मुख्य लिपिकों की पदोन्नति तथा अग्रणी बैंकों, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, हिमाचल प्रदेश खनिज एवं उद्योग विकास निगम (एच०पी०एम०आई० डी०सी०) तथा हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड से प्रतिनियुक्ति के माध्यम द्वारा भरे गए थे। जून 1978 से नवम्बर 1982 तक की अवधि के दौरान ये नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गई थीं।

जिला उद्योग कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी वर्ग को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन नव सृजित पदों के प्रति समायोजित किया गया था। रिक्त पदों के कारण कार्यक्रम की क्रिया प्रणाली

प्रभावित हुई जैसे कि महा प्रबन्धक ने बताया ।

(ii) जिला उद्योग केन्द्रों में महा प्रबन्धकों एवं कार्यकारी प्रबन्धकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करने तथा अपने दायित्वों के प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वियन हेतु कार्यक्रम में विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् आर्थिक छानबीन एवं संसाधन, मशीनरी का क्रय, कच्चे माल सम्बन्धी सहायता, क्रेडिट तथा वित्त, विपणन इत्यादि में क्षेत्रीय आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करना परिकल्पित था । महा प्रबन्धकों/ कार्यकारी प्रबन्धकों को कोई विशेषीकृत प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। उद्योग निदेशक ने बताया (मई 1982) कि प्रबन्धकों/कार्यकारी प्रबन्धकों को सामान्यतः तभी प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

3. **वित्तीय परिव्यय**—वर्ष 1978–79 में भारत सरकार ने भवनों एवं पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे फर्नीचर, दृढ़ स्थित वस्तुओं तथा वाहनों की कीमत को आवृत्त करने हेतु प्रत्येक केन्द्र को 5.00 लाख रुपये का अनावर्त्ती अनुदान तथा केन्द्र एवं राज्य के मध्य 75:25 के आधार पर बांटे जाने वाला 5.00 लाख रु० का आवर्त्ती अनुदान उपलब्ध किया। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहनों की प्रोन्नत योजनाओं तथा लघु एवं कुटीर इकाइयों को ऋण सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा शत–प्रतिशत निधियां भी उपलब्ध कराई गई थीं। तथापि वर्ष 1979–80 में सहायता की पद्धति परिशोधित की गई थी तथा आवर्ती एवं अनावर्ती दोनों के लिये कार्यक्रम के सभी अवयवों हेतु केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा 50:50 के आधार पर निर्धारित किया गया था।

वर्ष 1978–79 तथा 1981–82 के दौरान बजट प्रावधान व्यय तथा कार्यक्रम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के रूप में नियत की गई राशियां निम्नांकित हैं—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान
		(लाख रुपयों में)	
1978–79			
जिला उद्योग केन्द्र	30.33	15.94	18.00
ऋण	..	14.30	34.00
पूंजी	20.00	23.53	30.20
1979–80			
जिला उद्योग केन्द्र	58.90	35.32	22.80
ऋण	..	11.60	6.00
पूंजी	4.00	3.26	..
1980–81			
जिला उद्योग केन्द्र	55.00	46.84	17.50
ऋण	20.00	17.20	8.73
पूंजी	10.00	3.88	..
1981–82			
जिला उद्योग केन्द्र	58.53	58.48	19.50
ऋण	17.71	17.97	9.80
पूंजी	0.78	0.71	3.50
	2,75.25	2,49.03	1,70.03

(i) 2.94 लाख रु० अधिक आहूत किए गए ।

(ii) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम पर हुये लेखाबद्ध व्यय में निदेशालय को सुदृढ़ बनाने पर किया गया 5.48 लाख रु० का व्यय भी सम्मिलित है जो केन्द्रीय सहायता के योग्य नहीं था ।

4. **क्रिया कार्यक्रम, लक्ष्य एवं उपलब्धियां** (i) कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक जिला उद्योग कन्द्र ने एक गतिविधि योजना तैयार करनी थी जिसे अपनी शक्तियों को जिले की मांग, कार्यकुशलता और अधिक स्रोतों पर केन्द्रित करना चाहिये था एवं औद्योगिक विकास कार्यक्रम के खण्ड वार ब्यौरे उपलब्ध करने थे । राज्य में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा कोई भी सर्वेक्षण नहीं कराया गया था । तथापि 1976 के दौरान विभाग के आर० आई० पी० द्वारा किए गए जिलों के सर्वेक्षण को, आंकड़ों को अद्यतन किए बिना वर्ष 1979--80 तथा आगामी वर्षों के लिये गतिविधि योजना के निर्माण हेतु आधार रूप में अपनाया गया था ।

(ii) राज्य में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 1978 से की गई थी । तथापि नमूना परीक्षित किसी भी जिले में वर्ष 1978–79 के लिये गतिविधि योजना तैयार नहीं की गई थी । ये योजनायें वर्ष 1979–80 तथा 1980–81 हेतु सभी जिलों के लिये तैयार की गई थीं परन्तु फिर वर्ष 1981–82 के लिये कांगड़ा, किन्नौर, मण्डी, सिरमौर तथा शिमला जिलों में तैयार नहीं की गई थी । जिला उद्योग केन्द्र चम्बा, किन्नौर तथा मण्डी के महा प्रबन्धकों द्वारा इन गतिविधि योजनाओं के तैयार न किये जाने को उनके पास कर्मचारियों की कमी तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों से अपेक्षित आंकड़ों की अप्राप्यता से सम्बद्ध (जुलाई 1982) किया गया था ।

(iii) वर्ष 1978–79 से 1981–82 की अवधि के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन पंजीकृत इकाइयों की स्थिति नीचे सारणीकृत है:—

जिले का नाम	पंजीकृत इकाइयों की संख्या	उत्पादन में जिला उद्योग केन्द्रों के निर्माण से पहले लगी लेकिन कार्यक्रम के अधीन पंजीकृत इकाइयों की संख्या	मान्यता समाप्त इकाइयों की संख्या	पंजीकृत लेकिन गतिविधि योजना में परिकल्पित न की गई इकाइयों की संख्या	सेवादायिनी इकाइयों की संख्या
चम्बा	207	42	..	..	89
कांगड़ा	596	192	..	248	330
किन्नौर	241	लागू नहीं	..	6	173
मण्डी	528	223	5	457	280
सिरमौर	227	41	8	92	98
शिमला	426	197	..	..	172
सोलन	279	66	4	171	72
ऊना	252	47	3	159	46
योग	2,756	808	20	1,133	1,260

(क) 808 इकाइयां जिला उद्योग केन्द्रों के निर्माण से पहले ही उत्पादन में लगी थीं। उद्यमियों की रुचि के अभाव, विपणन की समस्याओं, कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा वित्त के अभाव के कारण नई नई पंजीकृत इकाइयों में से 20 इकाइयों की मार्च 1982 तक मान्यता खत्म की गई थी।

(ख) 1,260 इकाइयां सेवा दायिनी उद्योग की प्रकृति की थीं जैसे आटा मिलें, आटो सर्विसिंग इकाइयां तथा टायर रिट्रीडिंग आदि।

(ग) 1,133 इकाइयों जैसे कि मसाले पीसना, लिफाफा बनाना, गत्ते का काम, रंगने तथा धुलाई का काम, फोटो स्टेट तथा मोमबत्ती बनाने के काम आदि की स्थापना की परिकल्पना सम्बद्ध जिलों की गतिविधि योजना में नहीं की गई थी। यद्यपि 52 इकाइयों (कांगड़ा : 1, किन्नौर : 37 सिरमौर : 4, शिमला : 10) की स्थापना की परिकल्पना गतिविधि योजना में की गई थी फिर भी इनकी स्थापना नहीं की गई थी। गतिविधि योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों की कमी, कुछ विशिष्ट प्रकार की इकाइयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबन्धों, वित्तीय इकाइयों एवं उद्यमियों की रुचि के अभाव, अप्रशिक्षित क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग आदि से सम्बद्ध किया गया (जून 1982) था।

(iv) कार्यक्रम में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तथा/अथवा छोटे कस्बों में विस्तृत रूप से फैल हुये कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास की परिकल्पना की गई थी। इस मार्गदर्शक सिद्धांत से अलग हटकर गतिविधि योजना के बावजूद भी जिला उद्योग केन्द्रों ने कांगड़ा (2), सोलन (6) तथा सिरमौर (30) जिलों में 38 मध्यम तथा बड़े उद्योगों को सुविधाएं/सहायता उपलब्ध की।

(v) बीमार इकाइयों (जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना से पहले पहचानी गई 44 इकाइयां तथा तत्पश्चात् 37) से जानी जाने वाली 81 इकाइयों (चम्बा : 4, किन्नौर : 1, सिरमौर 5, सोलन : 48 तथा ऊना : 23) में से केवल 20 इकाइयां (चम्बा : 2, किन्नौर : 1, सोलन : 5 तथा ऊना : 12) ही जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम अवधि के दौरान पुनर्जीवित की गई थीं। शेष इकाइयां (61) उनकी विपणन समस्याओं, कच्चे माल की अनुपलब्धता, वित्त के अभाव, अव्यवस्थापन, उद्यमियों की अनुभवहीनता के कारण बीमार ही रहीं (जुलाई 1982)। बीमार इकाइयों में सोलन जिले की ऐसी 35 इकाइयां भी थीं जो पैकिंग डिब्बे बनाने वाली, हौजरी, आटा तथा संयुक्त इकाइयां थीं तथा जो केवल इनके कारोबार की ऋतु समाप्त होने के दौरान अस्थाई बीमार रहती थीं।

जैसे कि केन्द्रों के सामान्य प्रबन्धकों द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण कांगड़ा तथा किन्नौर जिलों में बीमार इकाइयों की पहचान का कार्य सम्पन्न नहीं किया गया था (जुलाई 1982)।

(vi) 1964–65 तथा 1980–81 के मध्य स्थापित 78 इकाइयों (कांगड़ा : 4 सोलन : 40, सिरमौर : 8, सोलन : 11, तथा ऊना : 15) को विपणन समस्याओं, वित्त के अभाव, कच्चे माल की अनुपलब्धता एवं कुप्रबन्ध के कारण जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के पश्चात् बन्द कर दिया गया था। पहले से ही सृजित सुविधाए/सेवाएं व्यर्थ हो गई थीं।

(vii) गतिविधि योजनाओं के अनुसार नमूना परीक्षित जिलों में सोलह स्थानों पर (चम्बा : 1, कांगड़ा : 2, किन्नौर : 1, मण्डी : 1, शिमला : 1, सिरमौर : 3, सोलन : 5, तथा ऊना : 2) औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित की जानी थीं। तथापि इनमें से केवल छः स्थानों पर (कांगड़ा : 1, किन्नौर : 1, सिरमौर : 1, सोलन : 1 तथा ऊना : 2) औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये थे। शेष 10 स्थानों पर स्थानों के अन्तिम न किये जाने, स्थानों के विलम्बित चयन, निर्माण सामग्री आदि की कमी के कारण औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित नहीं की जा सकीं। इस प्रकार इन सम्पदाओं में इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध नहीं की। ऐसे स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटन हेतु 34 शेड तथा 299 भूमि खण्ड उपलब्ध थे जिनमें से 236 इकाइयों की स्थापना हेतु केवल 26 शेड तथा 284 भूमि खंड आबंटित किये गए थे तथापि वास्तव में इन शेडों/भूमिखण्डों में केवल 87 इकाइयों स्थापित की गई थीं जिनमें से 79 इकाइयां उत्पादन में लगी थीं। औद्योगिक शेड आदि के आबंटन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी यह इकाइयां प्रत्याशा के अनुरूप नहीं निकली थीं। ऊना की औद्योगिक सम्पदा में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध 8 शेडों में रखा गया था। औद्योगिक क्रिया कलापों हेतु इन शेडों की प्रयुक्ति की असफलता ने इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को प्रभावित किया।

5. **सुविधाएं तथा सेवाएं**—(i) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा मशीनरी तथा उपकरण, कच्चे माल, क्रेडिट सुविधाओं, विपणन सहायता तथा किस्म नियंत्रण, अनुसंधान विस्तार तथा उद्यमी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध करवाई जानी थीं। चम्बा, ऊना को छोड़ कर नमूना परीक्षित किसी जिले में गतिविधि योजनाओं में इनके लिये कोई लक्ष्य निर्धारित अथवा शामिल नहीं किये गये थे। चम्बा में क्रेडिट सुविधाएं तथा विस्तार उपलब्ध करवाने हेतु तथा ऊना में केवल विस्तार हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गए थे।

जिलों के अभिलेखों के नमूना परीक्षण ने दर्शाया कि जब कि किसी भी जिले में किस्म नियंत्रण एवं अनुसंधान सुविधा उपलब्ध नहीं की गई थी फिर भी जिला उद्योग केन्द्रों के पास उपलब्ध अन्य सुविधाओं का उपयोग पार्टियों द्वारा मशीनरी एवं उपकरण का 3 जिलों (चम्बा, सोलन तथा ऊना), कच्चे माल के प्रबन्ध का 6 जिलों (चम्बा, कांगड़ा, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना), विपणन सहायता का 6 जिलों (चम्बा, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना) एवं विस्तार सेवाओं के प्रबन्ध का 6 जिलों (चम्बा, कांगड़ा, मण्डी, सिरमौर, सोलन तथा ऊना) में उपयोग किया गया। किन्नौर में किसी भी सेवा का उपयोग नहीं किया गया।

गुण नियन्त्रण तथा अनुसंधान की सुविधाओं के प्रावधान न रखने को विभाग ने इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा प्रबन्ध की कमी से सम्बद्ध किया। प्रावधित सुविधाओं को पार्टियों से प्रत्युतर की कमी के कारण उपयोग में नहीं लाया गया था।

(ii) जिला उद्योग केन्द्रों के निर्माण के बाद 456 पार्टियों को 36.53 लाख रुपये स्वीकृत किये गए थे तथा ऋणों के रूप में अग्रिम दिये गए थे। केन्द्रों द्वारा 35 राशियों, जो वसूली के लिये दय तथा अतिदेय थीं, की अलग से कोई स्थिति प्रकट नहीं होती थी (जुलाई 1982)।

वर्ष 1980–81 के बाद विभाग ने ऋणों की स्वीकृति की पद्धति बंद कर दी थी। इसके विपरीत उद्यमियों को सरल ऋणों के रूप में सीमान्त धन प्रदान करने की प्रणाली उद्भूत की गई ताकि वे बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से निधियां प्राप्त कर सकें। 1981–82 में जिला उद्योग केन्द्रों ने 150 पार्टियों को 11.34 लाख रु० सीमांत धन सरल ऋण स्वीकृत किये जिनमें से 0.37 लाख रुपये सम्बद्ध पार्टियों से क्षतिपूर्तिबंध पत्र के अभाव में तथा अन्य शर्तों जैसे आगामी किस्तों में विमोचन हेतु निर्धारित परिसम्पत्तियों के सृजन को पूर्ण न करने के कारण 18 पार्टियों को असवितरित रहा।

(iii) संस्था सम्बन्धी क्रेडिट बढ़ाने के लिये उद्यमियों को सहायता देने हेतु 3,154 मामले (12,32.36 लाख रु०) 31 मार्च 1982 तक क्रेडिटों की व्यवस्था करने के लिये जिला उद्योग केन्द्रों को सन्दर्भित किए गए थे जिनमें से 2,332 मामले बैंक द्वारा अनुमोदित किये गए थे, 403 मामले अस्वीकृत किए गए थे जबकि मार्च 1982 के अन्त में शेष 419 मामले (2,07.54 लाख रुपये) बैंक के पास अनिर्णीत पड़े थे। रुके हुये मामलों की पड़ताल से पता चला कि बैंकों में 164 मामले एक वर्ष से भी अधिक अवधि से रुके हुये थे और 58 मामलों की रुकावट की अवधि 6 महीने से 12 महीने तक थी। शेष 197 मामले बैंकों में एक वर्ष से भी अधिक अवधि से रुके हुये थे।

वसूली योग्य प्राप्य राशि, वसूल हुई राशि एवं बकाया वसूली योग्य राशि की सूचना जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। यह सूचना बैंकों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों से मंगवाई गई थी (मई 1982) परन्तु प्रतीक्षित थी (नवम्बर 1982)।

6. **कार्यक्रम का संचालन करना**—

(i) जिले में जिला उद्योग केन्द्र और राज्य सरकार के अन्य विभागों/उपक्रमों, स्थानीय निकायों और गैर–सरकारी एजेंसियों में प्रभावपूर्ण समन्वय की उपयुक्त व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ने जिला सलाहकार समिति का निर्माण करना था। विभाग ने बताया (मई 1982) कि ऐसी कोई भी समिति नहीं बनाई गई और मामला सरकार के विचाराधीन था।

(ii) सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों की देख–रेख और कार्यगति के संचालन हेतु राज्य स्तर पर समन्वय समिति का निर्माण किया, जिसकी छः बैठकें हुईं परन्तु विभाग के अनुसार (मई 1982) समिति की औद्योगिक सहकारिताओं, अन्तिम सेल्ज़ टैक्स नम्बर जारी करने और धान कूटने हेतु लाईसेंस देने सम्बन्धी सिफारिशें आदि पूर्णतया लागू नहीं की जा सकीं क्योंकि आवश्यक शक्तियां जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदत्त नहीं की गई थीं।

(iii) विशिष्ट और विकासीय संस्थाओं को जिला उद्योग केन्द्रों के साथ काम करना था और उनकी गतिविधियों को जिला उद्योग केन्द्रों के साथ एकीकृत करना था। विभाग ने बताया (मई 1982) कि कोई भी जिला उद्योग केन्द्र मान्य एजैन्सियों जैसा कि (क) राज्य सरकार के अनेक विभाग (ख) केन्द्रीय विकास एजैंसियां अर्थात् हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग आदि आदि (ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, की ओर से कार्य नहीं कर रहा था और जिला उद्योग केन्द्रों को इस सम्बन्ध में कोई भी शक्तियां प्रदत्त नहीं थीं।

7. **कच्चे माल का डिपू**—विभाग ने (दिसम्बर 1978) जिला उद्योग केन्द्रों के अधीन ग्रामीण

तथा कुटीर उद्योगों में लगे शिल्पी कारीगरों को कच्चे माल की लाभ और हानि के बिना पूर्ति के लिये कच्चे माल के लघु डिपू स्थापित करने का निर्णय लिया। ऐसा कोई भी डिपू स्थापित नहीं किया गया था।

8. **रोजगार सृजन**—निम्नांकित तालिका 1981–82 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान लघु स्तर के उद्योगों के माध्यम से सृजित रोजगार को इंगित करती है :—

जिला	1979–80	1980–81		1981–82	
	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां	लक्ष्य	प्राप्तियां
सोलन	335	650	686	772	1,257
कांगड़ा	336	600	337	379	399
ऊना	376	शून्य	398	448	554
किन्नौर	50	59	50	56	161
कुल्लू	77	400	381	429	279
नाहन	224	शून्य	275	309	437
हमीरपुर	192	376	91	102	264
मण्डी	262	375	109	123	219
लाहौल व स्पिति	शून्य	20	23	26	20
बिलासपुर	420	शून्य	476	536	210
चम्बा	68	500	636	715	120
शिमला	247	255	110	124	543
जोड़	2,587	3,235	3,572	4,019	4,463

उद्योग निदेशक ने असमान रोजगार पैदा करने को विभिन्न जिलों में सम्भाव्य तथा औद्योगिक वातावरण में भिन्नता से सम्बद्ध किया (दिसम्बर 1982)। कर्मचारियों की समस्याओं तथा सम्भावित उद्यमियों की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई थी।

9. **कार्यक्रम का मूल्यांकन**—समान वातावरण में लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा विकेन्द्रीकृत औद्योगिक खण्ड के लिये सभी सेवाएं तथा सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के प्रभाव के विश्लेषण की दृष्टि से विभाग द्वारा मूल्यांकन का कार्य हाथ में नहीं लिया गया था (जुलाई 1982)।

10. **सारांश**—(i) विभाग ने वर्ष 1978–79 तथा 1981–82 के दौरान कार्यक्रम पर 2,75.25 लाख रु० के कुल परिव्यय के प्रति 2,49.03 लाख रु० का व्यय किया। यद्यपि यह सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यकारी योजनाओं में परिलक्षित 16 स्थानों के प्रति केवल 6 स्थानों पर ही औद्योगिक परिसम्पत्तियां स्थापित कर सका। भुगताने योग्य 1,48.09 लाख रु० केन्द्रीय अनुदान के प्रति प्राप्त केन्द्रीय अनुदान 1,70.03 लाख रु० था। परिणाम स्वरूप 21.94 लाख रु० का अधिक आहरण हुआ। कार्यक्रम के ऋण अवयव के सम्बन्ध में 1978–79 तथा 1979–80 में कोई बजट प्रावधान नहीं था तथा 25.90 लाख रु० के व्यय को 40.00 लाख रु० के केन्द्रीय ऋण से पूर्ण किया गया था। जिस सीमा तक ऋण के अपर्याप्त प्रावधान ने कार्यक्रम को लागू करने पर प्रभाव डाला था उसका मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(ii) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा 2,756 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई थीं जिनमें वे 808 इकाइयां भी सम्मिलित की गई थीं जो जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना से पूर्व ही उत्पादन कर रही थीं और जिनको जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा पंजीकृत किया गया था। 20 इकाइयों का पंजीयन समाप्त करना पड़ा था क्योंकि वे प्रत्याशा के अनुकूल नहीं थी।

(iii) बीमार इकाइयों के रूप में पहचानी गई 81 इकाइयों में से केवल 20 इकाइयों की जिला उद्योग कन्द्रों द्वारा समीक्षा की जा सकी। कांगड़ा तथा किन्नौर जिलों में बीमार इकाइयों की पहचान को हाथ में नहीं लिया गया था। 78 इकाइयों को जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के पश्चात् बन्द कर दिया गया था।

(iv) निर्देशनों के विपरीत किन्हीं नियुक्ति नियमों के बनाए बिना जिला उद्योग अधिकारियों/प्रधानाचार्य तथा विस्तार अधिकारियों मुख्य लिपिकों को पदोन्नति दे कर क्रमशः महाप्रबन्धक तथा कार्यकारी प्रबन्धकों के पदों को भरा गया था। इन अधिकारियों के लिय दी गई प्रशिक्षण की सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठाया गया था।

(v) जिला उद्योग केन्द्रों ने 1 जून 1978 से कार्य करना आरम्भ किया था परन्तु 1979–80 तथा 1980–81 (वर्ष 1981–82 के लिये कार्यकारी योजनाएं केवल चम्बा सोलन तथा ऊना जिलों में तैयार की गई थीं) के वर्षों के लिये 1976 में किये गए सर्वेक्षण को अद्यतन किये बिना कार्यकारी योजनाओं को तैयार किया गया था।

कार्यकारी योजनाएं जिस प्रकार तैयार की गई थीं वास्तव में उस प्रकार लागू नहीं की गई थीं क्योंकि 1,133 वे इकाइयां पंजीकृत की गई थीं जिनकी स्थापना की जानी परिकल्पित नहीं की गई तथा 52 इकाइयां जिनको स्थापित किया जाना परिकल्पित था, स्थापित नहीं की गई थीं।

(vi) जबकि किसी भी जिला उद्योग केन्द्र में गुण–नियन्त्रण तथा अनुसंधान की सुविधा नहीं दी गई थी, अन्य सुविधाएं जोकि जिला उद्योग अधिकारियों के लिये उपलब्ध थीं उनका लाभ केवल कुछ पार्टियों द्वारा उठाया गया।

(vii) किसी भी जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला सलाहकार समितियां स्थापित नहीं की गई थीं। राज्य स्तर पर समिति की सिफारिशों को भी जिला उद्योग केन्द्रों को पर्याप्त शक्तियां न

दिये जाने के कारण पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका।

(viii) विभाग द्वारा स्कीम की कार्यप्रणाली के मूल्यांकन का कार्य हाथ में नहीं लिया गया था।

(ix) वर्ष 1979–80 तक कार्यक्रम के अधीन रोज़गार के अवसर पैदा करने हेतु कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। ज़िला उद्योग केन्द्रों की स्थापना से पहले तथा बाद में राज्य में औद्योगिक वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना भी उद्योग निदेशालय में उपलब्ध नहीं थी।

(x) ऋणों की व्यवस्था करने हेतु बैंकों को सन्दर्भित 3,154 मामलों (12,32.36 लाख रु०) में से मार्च 1982 के अन्त तक 419 मामले (2,07.54 लाख रु०) बैंकों के पास अनिर्णीत पड़े थे।

यह मामला अगस्त 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

राजस्व विभाग

3.5 सरकारी धन का गबन

सरकार के अनुरोध पर उपायुक्त कुल्लू के लेखाओं की विशेष लेखापरीक्षा की गई (सदर कानूनगो कुल्लू, जनवरी 1982) जिससे प्रकट हुआ कि बिल क्लर्क ने 0.22 लाख रु० का गबन किया था जोकि मार्च 1973 से अगस्त 1978 की अवधि के दौरान नकद पैसे को संभालने का कार्य कर रहा था जैसा कि नीचे दिया गया है:--

(i) नवम्बर 1977 से मार्च 1978 के मध्य पटवारखानों के उपलक्ष पर 0.12 लाख रु० का किराया आहृत किया गया तथा रोकड़ पुस्तक में उन्हीं तिथियों को वितरित किया गया दर्शाया गया। जिन संबंधित आदाताओं को राशि का वितरण किया गया था उन्होंने ऐसी किसी राशि की प्राप्ति को अस्वीकृत किया। रोकड़ पुस्तक में वितरण की प्रविष्टियां अवास्तविक पाई गईं (सितम्बर 1979)। बिल क्लर्क ने उपायुक्त के आदेशों के अधीन 0.12 लाख रु० की राशि खजाने में (फरवरी 1980) जमा करवा दी।

(ii) मनाली शहर में (जून 1978) अग्नि पीड़ितों के मध्य वितरण के लिये सरकार के (जुलाई 1978) मुख्यमन्त्री राहत कोष से वित्तीय सहायता के लिये 0.20 लाख रु० का चैक प्राप्त हुआ जो अगस्त 1978 में भुनाया गया था। इसे रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति की ओर लेखाबद्ध नहीं किया गया था। तहसीलदार कुल्लू के लिये अग्नि पीड़ितों में वितरण के लिये 0.03 लाख रु० की पेशगी दी गई थी, लोक निर्माण विभाग कुल्लू को (सितम्बर 1978) अग्नि द्वारा हुए मलबे को हटाने के लिये 0.08 लाख रु० का भुगतान किया गया था, 0.05 लाख रु० उपायुक्त के बचत लेखे में जमा करवाये गये थे (फरवरी 1979) और बिल क्लर्क ने 0.04 लाख रु० नवम्बर 1979 तक अपने पास रखे थे। जब उपायुक्त ने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई (नवम्बर 1979) तो उसके फलस्वरूप उसने तात्कालिक रोकड़िये को राशि वापिस कर दी।

(iii) वेतन तथा भत्तों, छुट्टी वेतन तथा कार्य ग्रहण अवधि वेतन आदि के कारण खजाने से 0.11 लाख रु० आहृत किये गये (जून 1976 से मई 1977 तक) जोकि रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति तथा भुगतान दोनों ओर दर्ज किये गये पाये गये। जिन तिथियों को रोकड़ पुस्तक में वितरण को दर्शाया गया था वास्तव में उन तिथियों को सम्बन्धित आदाता को राशि का वितरण नहीं किया गया था। तत्पश्चात बिल क्लर्क ने उन्हीं कर्मचारियों के नाम कम राशि के (0.07 लाख रु०) फर्जी बिल तैयार किये (जिसे खजाने से आहृत नहीं किया गया था) और उन्हें 2 नवम्बर, 1977 को राशि का भुगतान किया। इस प्रकार 0.11 लाख रु० के कुल

आहरण में से वास्तव में 0.07 लाख रु० वितरित किये गये थे और 0.04 लाख रु० की शेष राशि का गबन किया गया था।

(iv) (क) फील्ड अधिकारियों को कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के बकायों के कम प्रेषण, (ख) रोकड़ पुस्तक में खजाने से आहृत यात्रा भत्तों की पेशगी को लेखाबद्ध न करने, वास्तविक आदाता को यात्रा भत्ता पेशगी को वितरण न करने, जबकि इसे रोकड़ पुस्तक में वितरित किया हुआ दर्शाया गया है, से बिल क्लर्क ने अप्रैल 1973 से जनवरी 1978 तक 0.02 लाख रु० का गबन किया था।

(i) आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टियों को सत्यापित करने की चूक, (ii) पटवार खानों के किराये को आहरण तथा वितरण को देखने के लिये किराया रजिस्टर का न बनाना, (iii) रोकड़ पुस्तक में लेन-देनों को लेखाबद्ध न करना, (iv) यात्रा भत्ता पेशगी अग्रिम रजिस्टर का न बनाना, (v) आहरण तथा वितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्तक में यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या धन की प्रविष्टियां उचित रूप से दर्ज हो चुकी हैं और तत्पश्चात् उनके संवितरण की पूरी निगरानी आदि में असफलता तथा (vi) उप कार्यालय को प्रेषित राशि के विवरण एवं प्रेषण प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना के अभाव के कारण गबन का कार्य सरल हुआ।

उपायुक्त ने अक्तूबर 1982 में सूचित किया कि अब उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा था। तात्कालिक बिल क्लर्क के विरुद्ध पुलिस के पास नवम्बर 1979 में मामला दर्ज किया गया था। जिस कर्मचारी को मुख्य दण्डाधिकारी कुल्लू ने अपराधी ठहराया था उसने सत्र न्यायालय मंडी में अपील दायर की थी। अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1982)।

यह मामला सरकार को जुलाई 1982 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

ग्रामीण एकीकृत विकास विभाग

3·6 सरकारी धन की हानि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि (i) जिन कार्यालयों में एक से अधिक रोकड़ पेटी है तो प्रत्येक रोकड़ पेटी का वास्तविक नकद शेष एक साथ गिना जाना चाहिये। बाहरी स्थानों में अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में कार्यालय अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा मनोनीत अन्य राजपत्रित अधिकारी जब भी उनके पास दौरा लगाये तभी उसे गिनेगा और रोकड़ पुस्तक में जांच की तिथि तथा पाई गई राशि (शब्दों में) दर्शाते हुये टिप्पणी दर्ज करेगा, (ii) किसी भी विभाग की कोई भी रोकड़ पेटी अथवा निधि को खजाने में कलक्टर की विशेष संस्वीकृति के बगैर सुरक्षित अभिरक्षण में न रखा जाये। जिन मामलों में रोकड़ पेटियां खजाने में रखी जाती हैं उनमें पेटी की चाबी अथवा चाबियां खजाने में नहीं रखी जानी चाहियें।

खंड विकास अधिकारी कुनिहार (सोलन जिला) के कार्यालय के मामले में खंड विकास अधिकारी ने 27 अक्तूबर 1977 को स्थानान्तरण के समय नकद के प्रत्यक्ष स्त्यापन का प्रमाणपत्र दर्ज किये बिना एक अधीनस्थ गैर-राजपत्रित कर्मचारी को यह इंगित करके राशि सौंपी कि कार्यालय की रोकड़ पेटी में 9,450.49 रु० पड़े थे और 35,000 रु० अर्की उप–खजाने में पड़े थे। आने वाला खंड विकास अधिकारी कुनिहार में 28-10-1977 को पहुंचा परन्तु रोकड़ पेटी का कार्यभार लिये बिना उसी दिन छुट्टी पर चला गया। कार्यभार ग्रहण करने को आने वाला अधिकारी 26 नवम्बर 1977 को नकद के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये अर्की उप–खजाने में गया और अर्की उप–खजाने से रोकड़ पेटी में 35,000 रु० गायब पाये। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं :—

(i) गबन इस तथ्य के कारण हुआ कि खजाने से नकद उस समय आहूत किया गया जब कि इसके तुरन्त वितरण की आवश्यकता नहीं थी। खंड विकास अधिकारी नें 30 मार्च 1977 को 0.33 लाख रु० आहूत किये (वेतन तथा भत्ते : 2,161 रु०, निष्पादन के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये भुगतानार्थ : 21,758 रु० कार्यालय व्यय 3,503 रु० तथा सफदा से प्राप्तियां : 5,438 रु०) जबकि उसके पास पहले ही 0.25 लाख रु० थे (वेतन तथा भत्ते: 2,789 रु०, निर्माण कार्यों तथा अन्य के लिये विविध भुगतान : 22,536 रु०. 30 तथा 31 मार्च 1977 को केवल 0.10 लाख रु० के कुल वितरण किये गये थे। उप–खजाने में पड़ी रोकड़ पेटी में लेनदेन के कार्य को मुख्य लिपिक ने संभाल रखा था क्योंकि खंड विकास अधिकारी इस निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये अर्की कभी नहीं गया था।

(ii) नियमों का उल्लंघन करते हुये विभागीय रोकड़ पेटी के इकहरे ताले की दूसरी चाबी उप–खजाने में पड़ी थी (सितम्बर 1964) जब कि ऐसी विभागीय रोकड़ पेटी, जिसे खजाने में

रखा जाता है, की दूसरी चाबी को खजाना अधिकारी के पास रखना सर्वथा वर्जित है।

(iii) खंड विकास अधिकारी कार्यालय में पड़ी रोकड़ पेटी की राशि एवं उप खजाने में पड़ी पेटी की राशि को दर्शाये बिना मास के अन्त में नकद शेष नियमित रूप से सत्यापित कर रहा था।

(iv) दिसम्बर 1975 में खंड के निरीक्षण के दौरान जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी सोलन (निरीक्षण अधिकारी) ने भी नकद का प्रत्यक्ष सत्यापन करते समय कार्यालय में पड़ी रोकड़ पेटी तथा उप–खजाने की राशि को नहीं दर्शाया।

मुख्य लिपिक जिसे रोकड़ पेटी की चाबी सौंपी गई थी के विरुद्ध मामला पुलिस में पंजीकृत किया गया (नवम्बर 1977)। मामला न्यायालय को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1982)।

सरकार ने बताया कि (अगस्त 1982) मामला अभी न्यायाधीन था।

3.7 अपूर्ण निर्माण कार्य

खंड विकास अधिकारी कांगड़ा के लेखाओं की नमूना जांच (मार्च 1981) से प्रकट हुआ कि तक्कीपुर लिफ्ट सिंचाई योजना (संस्वीकृत राशि : 0.42 लाख रु., निर्माण : 0.19 लाख रु० तथा बिजली का कनैक्शन : 0.23 लाख रु०) जो कार्य सौंपे जाने (दिसम्बर 1977) से छ : मास के अन्दर पूर्ण की जानी थी उसे पूर्ण नहीं किया गया/चलाया नहीं गया था यद्यपि जनवरी 1981 तक इस निर्माण कार्य पर 0.61 लाख रु० का व्यय किया गया था। इस व्यय में वह 0.21 लाख रु० भी सम्मिलित थे जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को पम्प के विद्युत कनेक्शन देने के लिये भुगतान किया गया था। 0.40 लाख रु० का शेष व्यय ठेकेदार के भुगतान पर (0.10 लाख रु०) केन्द्रापसारी पम्पों की लागत (0.13 लाख रु०) जी. आई. पाइपों (0.13 लाख रु०) तथा अन्य विविध मदों पर (0.04 लाख रु०) किया गया था।

विद्युत बोर्ड द्वारा दिसम्बर 1979 में पम्प को विद्युत कनेक्शन दिया गया परन्तु जल को लिफ्ट करने के लिये स्थापित पम्प मोटर में कुछ दोषों के कारण (अक्तूबर 1980 में ध्यान में आये) योजना को चालू नहीं किया जा सका। खंड विकास अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1982) कि विद्यमान पम्प हाऊस से जल को लिफ्ट नहीं किया जा सका इसलिये अन्य स्थान पर पम्प हाउस के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था।

यह मामला सरकार को जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

उद्यान विभाग

3.8 मधुमक्खी पालन इकाइयां

परागण द्वारा फल उत्पादन को सुधारने, मधुमक्खी पेटिकाओं के अनुरक्षण के लिए सलाह देने तथा बीमारियों के प्रति मधुमक्खी परिवारों की सुरक्षा हेतु और शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने

के लिए किन्नौर, मण्डी तथा सोलन* जिलों में 1960 तथा 1979 के मध्य मधुमक्खी पालन इकाइयां स्थापित की गई थीं।

किन्नौर, मण्डी तथा सोलन जिलों के जिला उद्यान अधिकारियों के लेखाओं के एक जांच परीक्षण (मई—जुलाई 1982) से प्रकट हुआ कि यद्यपि 1977–78 से 1981–82 की अवधि के दौरान किन्नौर (2.69 लाख रु०), मण्डी (2.22 लाख रु०) तथा सोलन (1.90 लाख रु०) जिलों में मधुमक्खी पालन इकाइयों पर 6.81 लाख रुपये का व्यय किया गया तथापि विभिन्न क्रिया–कलापों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को किसी एक जिले में एक बार भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह ध्यान में आया कि (i) मधुमक्खी पेटिकाओं, (ii) निजी मधुमक्खी पालकों को मधु–मक्खी कालौनी की बिक्री तथा (iii) हृदयरोग के प्रति परिवारों के उपचार के संबंध में किन्नौर जिले में वर्ष 1981–82 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान कुछ भी गतिविधियां नहीं हुईं जबकि लक्ष्य मधुमक्खी पेटिकाओं का 75 (1980–81), 90 (1981–82), निजी मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कालौनी की बिक्री के लिये 100 (1980–81), 75 (1981–82) एवं हृदयरोग के प्रति मधुमक्खी कालोनी के उपचार के लिये 420 (1977–78), 600 (1979–80), 700 (1980–81) तथा 865 (1981–82) के थे। आगे इस तथ्य के बावजूद भी कि जिला किन्नौर में न तो कोई मधुमक्खी पेटिकायें आपूरित की गई थीं और न ही हृदयरोग के प्रति किसी कालोनी का उपचार किया गया था फिर भी इन गतिविधियों के लक्ष्यों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई। वर्ष 1977–78 से 1981–82 की अवधि के दौरान मंडी तथा सोलन जिले में भी निजी मधुमक्खी पालकों को कोई कालोनी आपूरित नहीं की गई थी। मंडी तथा सोलन जिले में प्रत्येक जिले में वर्ष 1980–81 में 75 तथा वर्ष 1981–82 में 90 के लक्ष्यों के प्रति वर्ष 1980–81 में केवल 3 (मंडी) तथा वर्ष 1981–82 में 53 (मंडी: 13, सोलन : 40) मधुमक्खी पेटियां आपूरित की गई थीं। वर्ष 1977-78 से 1979–80 की अवधि के दौरान न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था और न ही इन दोनों जिलों में भी किसी मधुमक्खी पेटियों की आपूर्ति की गई थी।

मंडी जिले के लक्ष्य में 700 किलोग्राम (1977–78) से 850 किलोग्राम (1981–82) की वृद्धि के प्रति उत्पादन घट कर 540.07 किलोग्राम (1977–78) से 2.4 किलोग्राम (1981–82) रह गया। इसी प्रकार सोलन जिले में मधुमक्खी का उत्पादन (वर्ष 1977–78) 1,005.98 किलोग्राम से (1980–81 तथा 1981–82 के लिये उत्पादन के आकड़े उपलब्ध नहीं थे) घट कर (1979–80) 195 किलोग्राम रह गया।

संबंधित जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा मधु के उत्पादन में गिरावट को निदेशालय द्वारा अगस्त 1980 में मंडी तथा सोलन जिलों में मधुमक्खी कालोनी के प्रजनन को रोकने से सम्बद्ध किया गया था (जुलाई 1982)। तथापि यह ध्यान में आया कि इन आदेशों के जारी करने से पूर्व मौसम तथा वनस्पति के संबंध में मधुमक्खियों के क्रियाकलाप पर आधारित मधुमक्खी कालोनियों को निचली पहाड़ियों से ऊंची पहाड़ियों को तथा विपरीत क्रम से बदला जाता था। तथापि इन क्षेत्रों में मधु के उत्पादन के लिये लक्ष्यों में वृद्धि के आधार का उल्लेख नहीं किया गया था।

---

*उन जिलों के सम्बन्ध में सूचना, जहां इकाइयों को पूर्वकालिक पंजाब सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाने से पहले आरम्भ किया गया था, उपलब्ध नहीं थी।

उद्यान निदेशक ने लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी निम्नलिखित से सम्बद्ध की (जुलाई/अक्तूबर, 1982) :—

(i) विपरीत मौसम की परिस्थिति के कारण मधुमक्खी कालोनियों को विकसित नहीं किया जा सका जिसके फलस्वरूप सरकारी केन्द्र पर मधुमक्खी कालोनियों की संख्या में कमी हुई, (ii) निजी मधुमक्खी पालकों से न्यून प्रतिक्रिया मिली क्योंकि निजी मधुमक्खी पालक स्वयं मधुमक्खियों के झुंड पकड़ कर कालोनियों को बढ़ा रहे थे, (iii) केवल उन मधुमक्खी कालोनियों का उपचार किया गया था जिनको बीमारी लगने का डर था, (iv) स्टाफ की कमी और (v) प्रयोग के आधार पर 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान मधुमक्खियों के प्रजनन को रोकना (प्रजनन का कार्य फिर 1982–83 से आरम्भ हुआ)। यह भी बताया गया था कि उपरोक्त कारणों का विभिन्न उपलब्धियों पर सामूहिक प्रभाव था और उन्हें पृथक विश्लेषित नहीं किया गया था।

तीन जिलों में किये गये 6.81 लाख रु० के व्यय के विश्लेषण से प्रतीत हुआ कि 6.03 लाख रु० स्टाफ के वेतन तथा भत्तों पर व्यय किये गये (किन्नौर : 2.57 लाख रु० ; मंडी : 1.72 लाख रु० तथा सोलन : 1.74 लाख रु०) और योजना के अन्तर्गत सेवा को लागू करने पर केवल 0.78 लाख रु० का व्यय किया गया था (किन्नौर : 0.11 लाख रु०, मण्डी 0.50 लाख रु० और सोलन 0.17 लाख रु०)।

यह मामला सरकार को सितम्बर 1982 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

सामान्य

3.9 कार्यहीन मशीनरी

(i) उपार्जन तथा बिक्री अधिकारी, फल डिब्बा बन्दी इकाई शम्शी (कुल्लू जिला) के लेखाओं की नमूना जाँच (फरवरी 1982) से प्रकट हुआ कि नवम्बर 1978 तथा अक्तूबर 1980 के दौरान 0.65 लाख रु० की जो मशीनरी खरीदी गई (जल शोधन संयंत्र 0.25 लाख रु०, पास्च्यूरीकरण यंत्र 0.23 लाख रु०, बोतल धोने वाली मशीन : 0.05 लाख रु०, रस वितरक (0.12 लाख रु०) उसे प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि प्राप्ति पर उन्हें दोषयुक्त पाया गया। आपूर्तिकर्ता से दोषों को दूर करवाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (अक्तूबर 1982)।

(ii) पशुपालन अधिकारी चम्बा ने चम्बा में लगभग 2.26 लाख रु० की लागत से दूध को ठंडा करने के संयंत्र को स्थापित करने के लिये एक दूध ठंडा करने की इकाई तथा दूध पम्प खरीदा (मार्च 1981) जिसके प्रति 2.03 लाख रु० प्रयुक्त नहीं किये गये थे (फर्म को नब्बे प्रतिशत का अभिवेदित भुगतान कर दिया था) क्योंकि न तो भवन का निर्माण किया गया था जहां पर मशीनरी को स्थापित किया जाना था और न ही जल विद्युत, नींव आदि अन्य अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध की गई थीं (जनवरी 1982)। जिला पशुपालन अधिकारी ने बताया (जनवरी 1982) कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा हाथ में लिया गया 5.20 लाख रु० की लागत का भवन-निर्माण कार्य (दिसम्बर 1979) अपूर्ण पड़ा था।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1982) कि पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण भवन

को पूरा नहीं किया जा सका । वर्ष 1981–82 के अन्त में तीन वर्षों के दौरान 2.50 लाख रु० दिये गये जिसको लोक निर्माण विभाग ने पूरी तरह से प्रयुक्त किया और भवन (अनुमानित लागत: 5.20 लाख रु०) की 1982–83 के दौरान पूर्ण होने की संभावना थी । आगे यह बताया गया था कि उपस्कर को पहले ही खरीदा गया था ताकि इसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात् तुरन्त स्थापित किया जा सके ।

(iii) सहायक मत्स्य निदेशक जसूर (जिला कांगड़ा) के लेखाओं की नमूना जांच (सितम्बर 1981) से प्रकट हुआ कि पौंग डैम में किश्तियों को तैराने के लिये जनवरी 1978 के दौरान 0.61 लाख रु० की लागत से दो मरीन डीजल इंजन खरीदे गए जोकि ड्राइवर के अभाव के कारण बेकार पड़े हुये थे (सितम्बर 1981) ।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1982) कि उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण ड्राइवर की नियुक्ति में विलम्ब हुआ । सरकार ने यह भी बताया कि ड्राइवर को नियुक्त किया जा चुका है (नवम्बर 1981) और मोटर किश्तियों का प्रयोग किया जा रहा है ।

3.10 दुर्विनियोजन, गबन आदि

मार्च 1982 के अन्त तक लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित सरकारी धन के दुर्विनियोजन , गबन आदि के आरोपित मामलों, जिन पर सितम्बर 1982 के अन्त तक अन्तिम कार्रवाई अनिर्णीत थी, की स्थिति नीचे दी गई है :—

	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
31 मार्च 1981 तक प्रतिवेदित और 30 सितम्बर 1981 को बकाया मामले	123	61.20
1981–82 के दौरान प्रतिवेदित मामले	20	15.03
सितम्बर 1982 तक निपटाये गये मामले	2	0.25
30 सितम्बर 1982 को बकाया मामले	141	75.98

इनमें से 50.81 लाख रु० के 98 अन्तर्ग्रस्त मामले लोक निर्माण विभाग तथा 16.17 लाख रु० के 9 अन्तर्ग्रस्त मामले वन विभाग से संबंधित थे ।

परिशिष्ट 3.1 में बकाया मामलों के विभागवार तथा वर्षवार विश्लेषणों को दर्शाया गया है । 102 मामले (राशि : 52.10 लाख रु०) 1978–79 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे । परिशिष्ट 3.2 उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें सितम्बर 1982 के अन्त तक 141 मामले बकाया पड़े थे ।

3.11 प्रतिरूपी अनियमिततायें

सिविल विभाग

छः विभागों अर्थात् लोक सम्पर्क, अर्थ तथा सांख्यिकी, कानून तथा सतर्कता ग्रामीण एकीकृत विभाग, शिक्षा तथा कृषि के संबंध में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की छानबीन से कुछ विशेष अनियमिततायें ध्यान में आई जोकि नीचे दी गई हैं :—

1. अनियमित व्यय

मार्च 1968 तथा मार्च 1982 के मध्य 169 मामलों में 23.20 लाख रु० की राशि का व्यय अनियमित था (लोक सम्पर्क : 19 मामले, 1.76 लाख रु०; अर्थ तथा सांख्यिकी : 11 मामले, 1.95 लाख रु० ; कानून तथा सतर्कता : 4 मामले, 0.14 लाख रु०, ग्रामीण एकीकृत विकास : 39 मामले, 12.33 लाख रु० ; शिक्षा : 90 मामले, 5.91 लाख रु० ; कृषि : 6 मामले, 1.11 लाख रु०) क्योंकि सक्षम प्राधिकारी से न तो उक्त व्यय को करने की संस्वीकृति ली गई थी और न ही क्रय से पूर्व निविदायें आमन्त्रित की गई थीं । भंडार नियंत्रक से भी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र आदि प्राप्त नहीं किये गये थे। इन मामलों में संबंधित विभाग तुलनात्मक दरें प्राप्त करने से वंचित रह गए।

2. अनुपयोगी वस्तुयें

94 मामलों में अप्रैल 1972 से फरवरी 1982 की अवधि के दौरान 3.81 लाख रु० मूल्य की अनुपयोगी वस्तुयें (लोक सम्पर्क: 6 मामले, 0.26 लाख रु० ; ग्रामीण एकीकृत विकास : 4 मामले, 0.38 लाख रु० ; शिक्षा : 79 मामले, 2.59 लाख रु० ; कृषि : 5 मामले, 0.58 लाख रु०) निपटान के लिये प्रतीक्षित थीं (नवम्बर 1982) । इन वस्तुओं को अनावश्यक रखने के फलस्वरूप अधिक खराबी तथा श्रम और जगह की हानि अन्तःग्रस्त हो सकती है ।

3. अधिक भुगतान

291 मामलों में वेतन तथा भत्तों में जून 1968 तथा मार्च 1982 की अवधि से संबंधित 12.86 लाख रु० का अधिक भुगतान (लोक सम्पर्क: 23 मामले, 0.25 लाख रु० ; अर्थ तथा सांख्यिकी : 15 मामले, 0.24 लाख रु०, कानून तथा सतर्कता : 17 मामले, 0.15 लाख रु० ; ग्रामीण एकीकृत विकास : 6 मामले, 0.11 लाख रु० ; शिक्षा : 216 मामले, 11.97 लाख रु० कृषि : 14 मामले 0.14 लाख रु०) वसूली के लिये प्रतीक्षित था (नवम्बर 1982) ।

चौथा अध्याय

निर्माण कार्य व्यय

4.1 लोक निर्माण विभाग—

1. **प्रस्तावनात्मक**—सेब विधायन एवं विपणन परियोजना के वाणिज्यिक अवयव का हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम द्वारा निष्पादन का भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 1980–81 की रिपोर्ट के अनुच्छेद 7.8.7 में उल्लेख किया गया था। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें शाखा) द्वारा निष्पादित की गई परियोजना के आवाणिज्यक अवयवों की जून–जुलाई 1982 में समीक्षा की गई थी।

2. **वित्तीय एवं प्रत्यक्ष प्रगति**—लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में बजट प्रावधान तथा उसके प्रति व्यय की स्थिति निम्नवत थी :—

वर्ष	बजट प्रावधान (लाख रुपयों में)	*व्यय
1974–75	70.00	58.75
1975–76	1,68.00	2,09.55
1976–77	1,93.00	1,81.79
1977–78	1,90.00	1,90.10
1978–79	97.30	49.05
1979–80	27.00	49.29
1980–81	40.20	45.94
1981–82	35.00	60.66
जोड़	8,20.50	8,45.13

प्रत्यक्ष निष्पादन के सम्बन्ध में परियोजना के अंतर्गत निष्पादित व्यक्तिगत निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में निर्माण कार्य के सभी अवयवों को आवृत्त करने के लिए कोई विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। जबकि परियोजना के 3 अवयवों में (सड़क निर्माण कटाई, पार–गामी नालियां बिछाना तथा सड़क को पक्का करना/रोड़ी बिछाना) लक्ष्य अधिकतया प्राप्त किए

*विभागीय अभिलेखों के अनुसार 8,28.38 लाख रु०।

गए थे, एक अवयव अर्थात् पुलों के निर्माण में 18 पुलों के निर्माण परिलक्षित कार्य में से 8 पुलों का निर्माण किया गया था। सड़कों को सभी मौसमों में बनाये रखने के लिए ये पुल मूल परियोजना के अतिरिक्त थे।

परियोजना के अधीन सड़कों के कार्य एवं सड़क अनुरक्षण उपकरण के कथ पर लगाए गए 11 मंडलों के अभिलेखों के नमूना परीक्षण (जून–जुलाई 1982) के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख निम्नांकित है।

3. **सड़क निर्माण कार्यों का निष्पादन**––(i) मूल परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार सारे सड़क निर्माण कार्य सितम्बर 1978 तक पूर्ण करने नियत थे। परियोजना के अन्तर्गत निष्पादन हेतु 36 सड़कों (पहुंच सड़कों को छोड़कर) में से 28 सड़कों का निर्माण कार्य 1974–75 में, 7 सड़कों का 1975–76 में तथा 1 सड़क का जून 1978 में हाथ में लिया गया। ये सड़कें (अनुमानित लागत 644 लाख रु०) लगभग 742.30 लाख रु० की लागत से मार्च 1982 के अन्त तक पूरी कर ली गईं। प्रमुख अभियन्ता ने (अक्तूबर 1982) बताया कि वर्ष 1978–79 में भारी वर्षा व बाढ़ के कारण व्यावहारिक रूप में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

निम्नांकित मामलों में सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन में न केवल विलम्ब हुआ बल्कि बजट प्रावधान से भी आधिक्य रहा :––

कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमान (लाख रुपयों में)	कार्य आरम्भ करनेकी तिथि	पूर्ण करने की अनुबद्ध अवधि	पूर्ण करने की सही तिथि	बजट प्रावधान (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में)
मन्डरोल बैसर सड़क चिंडी पांगना	3.00	19.96	सितम्बर 1974	4 वर्ष	मार्च 1982	16.46	18.77
सड़क रकमी पांगना	10.89	22.77	अक्तूबर 1974	3 वर्ष	मार्च 1982	37.30	43.70
सड़क कोटखाई देवरी खनेटी	2.28	4.97	जून 1978	1 वर्ष	अप्रैल 1981	4.97	9.70
सड़क महांडली	16.56	14.80	अक्तूबर 1974	2 वर्ष	मार्च 1982	31.02	39.23
टिक्कर सड़क कांसाकोटी	14.00	17.83	अक्तूबर 1974	1 वर्ष	मार्च 1982	27.20	31.08
दलगांव सड़क कोकलारा	10.60	16.58	जून 1974	3 वर्ष	मार्च 1982	16.64	19.65
पांगोआं आंडी सड़क	16.30	19.72	मई 1974	3 वर्ष	मार्च 1982	41.10	44.54
जोड़		1,16.63				1,74.69	2,06.67

उपरोक्त से यह देखा जायेगा कि उपरोक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन में देरी के अलावा निधियों की कमी के कारण एक को छोड़ कर सारे मामलों में वास्तविक व्यय न केवल अनुमानित लागत से पर्याप्त मात्रा में बढ़ा बल्कि (आधिक्य 18 और 163 प्रतिशत के बीच रहा) बजट प्रावधान का भी पालन नहीं किया गया । विश्व बैंक परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इसे श्रम दरों एवं मूल्य सूचक अंक से सम्बद्ध किया गया । निर्माण कार्यों के संशोधित अनुमानों के अनुमोदन की प्रतीक्षा थी (अगस्त 1982) ।

(ii) अपूर्ण कार्य--कुल्लू जिला में पतली कूल-बड़ागांव-पांगन सड़क निर्माण (0/0 कि.मि. से 7/0 कि. मी. तक) कार्य को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगस्त 1974 में 23.13 लाख रु० के लिए प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया । निर्माण कार्य तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बगैर सितम्बर 1974 में आरम्भ किया गया था । 15.85 लाख रु० की तकनीकी संस्वीकृति फरवरी 1977 में प्रदान की गई थी । कार्य पर मार्च 1982 तक 39.68 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था तथा विश्व बैंक परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य पूर्ण हुआ प्रतिवेदित किया गया था । दिसम्बर 1981 में तैयार किये गए संशोधित अनुमान के अनुमोदन की प्रतीक्षा थी (जून 1982) । ऐसा देखा गया कि 275 मीटर लम्बी सड़क (आर. डी. 3/170 से 3/445) अधूरी छोड़ी गई थी क्योंकि गांव वालों ने अपनी जमीन पर सड़क का निर्माण नहीं होने दिया जिसका विभाग द्वारा कार्य आरम्भ होने से पूर्व भूमि अर्जन नहीं किया गया था । यद्यपि कार्य पिछले सात-आठ वर्षों से विचाराधीन है तथापि भूमि अर्जन एक्ट, 1892 के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्रवाई अभी तक (सितम्बर 1982) नहीं की गई । सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन की समय पर न की गई कार्रवाई को गलती के कारण सड़क का यह भाग प्रयोग में नहीं लाया जा सका ।

(iii) लूरी आउट (लम्बाई : 21 किलोमीटर) सड़क के पक्का करने, तारकोल बिछाने व पारगामी नालियों के काम का सरकार द्वारा 20.41 लाख रु० का प्रशासनिक अनुमोदन किया गया था । यह कार्य कुल्लू मण्डल नं. 1 द्वारा 1974 में आरम्भ किया गया था तथा मार्च, 1979 में पूरा किया गया था । कार्य पर मार्च 1982 तक 23.97 लाख रु० का व्यय किया गया । वर्ष 1978 की मौनसून के समय सड़क क्षतिग्रस्त हुई तथा अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त कुल्लू ने जनवरी 1979 के निरीक्षण के दौरान कहा कि क्षति अपर्याप्त नालियों के कारण हुई । अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को प्रस्तुत किये गये राज्य निधियों से 3.51 लाख रु० की लागत से 69/0 कि. मी. तथा 76/70 कि. मी. के नवीनीकरण कार्य के अनुमान के अनुमोदन की प्रतीक्षा (जुलाई 1982) थी । मरम्मत का कार्य आरम्भ (अगस्त 1982) नहीं किया गया था ।

(iv) विश्व बैंक परियोजना के निर्माणाधीन सड़कों के लिए अर्जित निजि भूमि पर 106 क्षतिग्रस्त वृक्षों सहित 1959 वृक्षों (1910 फलदार वृक्ष तथा 49 फल न देने वाले वृक्ष) के लिए पांच मंडलों में मई 1978 तथा फरवरी 1982 के मध्य 8.02 लाख रु० का प्रतिकर दिया गया । मण्डी-II, राजगढ़ तथा जुब्बल मण्डलों में उन वृक्षों, जिनका प्रतिकर दिया गया, के वर्गीकृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे । वृक्षों के निपटान इंगित करने वाला कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था ।

(v) 30.87 लाख रु० की लागत से सोजा-राहड़ी सड़क के निर्माण कार्य को सरकार ने अगस्त 1974 में प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया। मंडी मण्डल II ने कार्य का निष्पादन किया तथा यह जून 1981 में पूर्ण किया गया। 53.64 लाख रु० के निष्पादित वास्तविक कार्य के पश्चात् तैयार किए गए ब्यौरेवार अनुमान, जिनकी मुख्य अभियन्ता द्वारा संस्वीकृति प्रतीक्षित थी, में 1.45 लाख रु० के लाभकारी पत्थरों (20208.87 घ. मी.) के समाकलन का प्रावधान था। कार्य अंशतः विभाग द्वारा तथा ठेकेदारों द्वारा निष्पादति किया गया था।

किन्तु अभिलेखों की नमूना परीक्षा से प्रकट हुआ कि कोई लाभदायक पत्थर न इकट्ठे किए गए और न उनको लेखाबद्ध किया गया। इसके विपरीत विभाग द्वारा सड़कों पर तह बिछाने हेतु 0.95 लाख रु० के 4885.77 घ. मी. पत्थर विभिन्न आपूर्ति कर्त्ताओं से खरीदे गए। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि एक पुछ-ताछ के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा अक्तूबर 1981 में आपूर्तिकर्त्ताओं से किए गए सारे कार्य आदेश/अनुबन्ध कब्जे में लिए गए थे। यदि लाभदायक पत्थर इकट्ठे करके उनके चट्ठे बना लिये गये होते तो पत्थरों की खरीद पर 0.95 लाख रु० का व्यय कम से कम रोका जा सकता था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1982) कि पत्थर नर्म व परतबद्ध था तथा तह बिछाने व बियरिंग के लिए अयोग्य था। तथापि ब्यौरेवार अनुमानों, जो वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर तैयार किये गए थे, में 1.45 लाख रु० के मूल्य के पत्थरों के विशेष समाकलन के प्रावधान के कोई कारण स्पष्ट नहीं किए गए थे।

(vi) कुमारसैन (0.46 लाख रु०) व राजगढ़ (0.65 लाख रु०) मण्डलों में 1.11 लाख रु० मूल्य के माल (तारकोल, रेडियां आदि) को लेखाबद्ध नहीं किया गया था। अलेखाबद्ध सामग्री के विषय में उत्तरदायी ठहराने हेतु कोई कारवाई नहीं की गई थी।

(vii) सितम्बर 1976 व मार्च 1980 के मध्य रामपुर, करसोग व कुल्लू मण्डलों में विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा कार्यभार सौंपते समय निम्न विवरणित 1.52 लाख रु० का माल या तो दुर्विनियोजित (1.32 लाख रु०) किया गया या कम (0.20 लाख रुपए) पाया गया था :—

क्रमांक	मण्डल का नाम	राशि	अभ्युक्तियां
		(लाख रुपयों में)	
(i)	रामपुर	0.70	पत्थर, आर. सी. सी. कालर/पाइप, रेत आदि (i) जोकि सुंगरी–समरकोट सड़क के 0/0 कि. मी. से 13/0 तक सड़क पक्का करने व तारकोल बिछाने तथा पारगामी नालियों के कार्य और

क्रमांक	मण्डल का नाम	राशि	अभ्युक्तियां
			(ii) नारकण्डा–सिद्धपुर, बाहली सड़क के निर्माण कार्य के स्थल पर सामान के खातों से सम्बन्धित है, कनिष्ठ अभियन्ता ने जुलाई 1976 में नहीं सौंपा । मार्च 1980 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित आरोप-पत्र जारी नहीं किया (अक्तूबर 1982) गया था ।
(ii)	करसोग	0.62	चिंडी–पांगना सड़क निर्माण कार्य पर 206 तारकोल के ड्रमों का मूल्य जिन्हें प्रयुक्त हुआ नहीं दर्शाया गया बल्कि शेष को अक्तूबर 1976 में स्थल सामान के खाते में शून्य रखा गया ।
(iii)	रामपुर	0.09	अप्रैल 1976 में जरोल-गाहन सड़क निर्माण कार्य के स्थल सामान लेखे से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध रोड़ी की कमी ध्यान में आई ।
(iv)	कुल्लू	0.09	फरवरी 1978 में लूरी-औट सड़क को पक्का करने व तारकोल बिछाने हेतु 5 मीट्रिक टन एम. एस. प्लेटें खरीदी गईं परन्तु लेखे में नहीं ली गईं ।
(v)	करसोग	0.02	स्थल पर सामान के लेखे में डीजल (600 लीटर) व मोबिल तेल (30 लीटर) की खपत दो बार दिखलाई गई जो दिसम्बर 1976 में ध्यान में आई ।
	जोड़	1.52	

न तो दुर्विनियोजन/कमीयों की जांच की गई है और न ही किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है (जुलाई 1982) ।

(viii) रामपुर, कुमारसैन, जुब्बल व कुल्लू मण्डलों के 11 निर्माण कार्यों के स्थल पर सामान लेखे में 4.31 लाख रु० का सामान (तारकोल, हयूम पाइप, लोहे की चादरें, आदि) पड़ा हुआ था यद्यपि कार्य दिसम्बर 1981 में पूर्ण किए हुए बताए गए थे । यह सामान न तो स्टाक में लिया गया और न ही किसी अन्य कार्य के लिए दिया गया (जुलाई 1982) ।

(ix) विश्व बैंक परियोजना के अन्तगर्त पैकिंग गृहों शीत भण्डारों के निर्माणहेतु 6 मण्डलों में 1976-77 से 1981-82 के मध्य हिमाचल प्रदेश फल विधायन व विपणन निगम से प्राप्त 60.43 लाख रु० के जमा के प्रति 86.71 लाख रु० का मार्च 1982 तक व्यय हो चुका था । मुख्य अभियन्ता के अनुदेशों (जनवरी 1982) के अनुसार सम्बन्धित मण्डलाधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे 31 जनवरी 1982 तक अनुमानों द्वारा समर्थित अतिरिक्त जमा राशियों का दावा प्रस्तुत करें। सभी मण्डलाधिकारियों ने मार्च 1982 तक दावे प्रस्तुत कर दिए थे तथा अभी तक (दिसम्बर 1982) हिमाचल प्रदेश फल विधायन व विपणन निगम से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

4. **सड़क अनुरक्षण उपकरण**--अक्तूबर 1977 में मांगी गई विश्व-व्यापी निविदाओं के (जो दिसम्बर 1977 में खोले गए थे) आधार पर 49.79 लाख रु० की कुल लागत पर हवा भरे टायरों सहित 5 एँगल डोज़र ट्रैक्टरों के लिए मार्च 1978 में फर्म "क" व "ख" को आदेश दिए गए थे (तीन फर्म "क" ले 11.46 लाख रु० प्रति ट्रैक्टर की दर से तथा दो फर्म "ख" से 7.70 लाख रु० की दर से 40 प्रतिशत सीमा शुल्क सहित) । फर्म द्वारा आपूर्ति किए गए डोजरों की निर्दिष्ट सौंपने की अवधि अनुबन्ध के हस्ताक्षरित होने की तिथि से छः मास थी (फर्म "क" द्वारा जुलाई 1979 तथा फर्म "ख" द्वारा अक्तूबर 1979) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं :--

(i) फर्म "क" द्वारा आपूर्ति किए गए तीन डोजर बम्बई बन्दरगाह पर 7 जुलाई 1979 को पहुंचे । प्रेषण की समय में निकासी के लिए अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल ने (मई 1979 में) बम्बई की एक फर्म को निकासी एजेंट नियुक्त किया । निकासी एजेंट के माध्यम से डोजरों की सुपुदर्गी सितम्बर 1979 में ली गई थी फिर भी विभाग ने 0.26 लाख रु० (जुलाई से अगस्त 1979) बन्दरगाह प्राधिकरण को उपकरण के विलम्ब शुल्क के रूप में दिए । बन्दरगाह प्राधिकरण ने विभाग को उनके अभिवेदन पर 0.10 लाख रु० प्रेषित किए । उक्त फर्म को विभाग ने परिहार्य अदायगी के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा उसे (दिसम्बर 1979) इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए लिखा । इसमें आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (नवम्बर 1982) ।

(ii) स्थानीय निमन्त्रित दरों के आधार पर फर्म "अ" द्वारा प्रदान किए गए डोजर

मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के आदेशानुसार एक निजी परिवाहक द्वारा बम्बई से शिमला को सड़क मार्ग से लाद कर (माल गाड़ी द्वारा परिवहन के सामान्य साधन के विपरीत) लाए गए ताकि वे सेब के मौसम 1979 अर्थात जुलाई मध्य से सितम्बर मध्य तक प्रयोग हेतु उपलब्ध हो सकें । परिवाहक को भाड़े के 1.05 लाख रु० (0.35 लाख रु० प्रति डोजर की दर से) का भुगतान किया (अगस्त 1979) गया था । फर्म "ब" द्वारा आपूर्ति किए गए दो डोजर बम्बई से रेल पर लादे गए थे जो शिमला में मार्च 1980 में प्राप्त किए गए थे। 0.13 लाख रु० की राशि का भाड़े के रूप में (दिसम्बर 1980) भुगतान किया गया था । निजि फर्म द्वारा परिवाहित तीन डोजर शिमला में अगस्त 1979 में पहुंचे । राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 22 पर फागू (जिला शिमला) के निकट स्खलनों को साफ़ करने के लिये एक डोजर को तैनात (अगस्त 1979) किया गया था तथा अभी इसने केवल 12 घंटे ही कार्य किया था कि इसका टायर फट गया । क्षतिग्रस्त टायर फर्म द्वारा अप्रैल 1982 में बदला गया था । यह भी नवम्बर 1982 में ध्यान में आया कि फर्म "अ" द्वारा आपूर्ति किए गए शेष दो डोजर मार्च 1980 व अगस्त 1980 के मध्य प्रयोग में लाए गए थे । तथा पहला डोजर (नं. 191) 762 घंटे (मार्च 1980 से जुलाई 1982 तक) काम करने के बाद भवन तथा सड़क मण्डल कुमारसैन में निष्क्रिय हो गया था । अधिशासी अभियन्ता यान्त्रिक मण्डल ढली, जिसे यह मुरम्मत के लिए भेजा गया था, ने सितम्बर 1982 में बताया कि डोजर के इंजन के सिलेंडर ब्लाक, क्रैन्क शाफ्ट आदि दुरुपयोग के कारण बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे तथा मरम्मत अनुज्ञेय सीमाओं को पार कर चुके थे । आगे की प्रगति प्रतीक्षित (दिसम्बर 1982) थी । इस प्रकार फर्म "अ" द्वारा आपूर्ति किए गए 3 डोजरों को सड़क मार्ग द्वारा परिवाहित करने पर 0.86 लाख रु० (1.05 लाख रु० में से बम्बई से शिमला तक तीन डोजरों का 0.19 लाख रुपयों का रेल भाड़ा घटा कर) के अतिरिक्त व्यय से वांछित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

5. **अनियमित व्यय**—नियमों में व्यवस्था के अनुसार ब्यौरेवार अनुमान की सक्षम अधिकारी द्वारा संस्वीकृति के बाद ही कार्य या दायित्वों पर व्यय करना चाहिए । यद्यपि कार्य पूर्ण (मार्च 1982) किए जा चुके थे, 15 निर्माण कार्यों पर 5 मण्डलों में 1974–75 से 1981–82 तक 3,48.17 लाख रु० का व्यय बिना तकनीकी संस्वीकृति के किया जा चुका था ।

(ख) उन मामलों में जहां व्यय प्रशासकीय अनुमोदन व तकनीकी संस्वीकृति से 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए सक्षम अधिकारी से संशोधित प्रशासकीय अनुमोदन/तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है । 11 मण्डलों की नमूना लेखा परीक्षा (जुलाई 1982) से यह प्रकाश में आया कि 29 मामलों में 225 लाख रु० का प्रशासकीय अनमोदन से आधिक्य था तथा 24 मामलों में

व्यय 1974–75 से 1981–82 तक 1,97 लाख रु० तकनीकी संस्वीकृत अनुमानों से अधिक था। आधिक्य क्रमश : 9 से 148 प्रतिशत तथा 15 से 823 प्रतिशत की सीमा में रहा। इन मामलों में आधिक्य का नियमानुकूलन अभी (जुलाई 1982) करना था ।

6. **सारांश**––परियोजना के प्रतिवेदन के अनुसार अवाणिज्यिक अवयवों का निष्पादन 7,08.90 लाख रु० की लागत से सितम्बर 1978 तक पूर्ण होना अनुसूचित था। परन्तु मार्च 1982 तक 8,45.13 लाख रु० की लागत से अधिकतर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किये गये थे।

(i) 18 पुलों में से केवल 8 ही निर्मित किये जा सके । अपर्याप्त निधियों के प्रावधान के कारण 7 मामलों में निश्चित अवधि में सड़कों का निर्माण नहीं हो सका था।

(ii) सेब-मौसम 1979 के दौरान प्रयोग हेतु बम्बई से शिमला तक तीन डोजर सड़क द्वारा (माल गाड़ी के सामान्य परिवहन माध्यम की अपेक्षा) लाद कर लाए गए थे। डोजर सेब-मौसम 1979 के दौरान प्रयोग में नहीं लाए गए थे (एक डोजर के अलावा जिसने केवल 12 घंटे काम किया) तथा इस तरह सड़क द्वारा इन डोजरों पर परिवहन के 0.86 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय से अभीष्ट आशय पूरा नहीं हुआ ।

(iii) सात सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन में देरी के अलावा (अनुमानित लागत: 1,16.63 लाख रु०), एक को छोड़कर सारे मामलों में 1981–82 तक व्यय (2,06.67 लाख रु०) न केवल भारी मात्रा में अनुमानित लागत से बढ़ा (आधिक्य की सीमा 18 प्रतिशत तथा 163 प्रतिशत के मध्य रही) बल्कि बजट प्रावधान (1,74.69 लाख रु०) को भी ध्यान में नहीं रखा गया था। गिर्माण कार्यों के संशोधित अनुमानों के अनुमोदन की प्रतीक्षा थी ।

(iv) जिला कुल्लू में पतली कूहल बड़ागांव पांगण सड़क के निर्माण कार्य की 15.85 लाख रु० के लिए तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई थी तथा वह 39.68 लाख रु० की लागत से पूर्ण प्रतिवेदित किया गया था। उसमें आर. डी. 3/170 से आर. डी. 3/445 तक सड़क छूटी हुई थी क्योंकि वहां सड़क निर्माण हेतु निजि भूमि अर्जित नहीं की गई थी। सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन की समय पर कार्रवाई न करने की गलती के कारण वह भाग प्रयोग में लाने योग्य नहीं था ।

(v) पांच मण्डलों में परियोजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु अर्जित निजी भूमि पर 1,959 वृक्षों, जिनका 8.02 लाख रु० का मुआवज़ा दिया गया था, के वर्गीकृत ब्यौरे व निवर्तन का तरीका/उपयोग उपलब्ध नहीं थे ।

(vi) सोजा––राहड़ी सड़क निर्माण के वास्तविक निष्पादन के आधार पर तैयार किए गए विस्तृत अनुमान (अनुमोदन अपेक्षित) में 1.45 लाख रु० के लाभ-

दायक पत्थरों की प्राप्ति के क्रेडिट का प्रावधान था। लाभदायक पत्थर न इकट्ठे किये गये और न लेखाबद्ध किये गए। दूसरी ओर काम में प्रयोग हेतु 0.95 लाख रु० के पत्थर खरीदे गए थे।

(vii) 3 मण्डलों में सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा चार्ज देते समय 1.52 लाख रु० का सामान या तो दुर्विनियोजित किया गया था या कम पाया गया था। पुनः दो मण्डलों में 1.11 लाख रु० मूल्य की सामग्री लेखाबद्ध नहीं की गई थी। कमी/अलेखाबद्धता की जांच नहीं की गई थी।

सरकार को मामला सितम्बर 1982 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

4.2 बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्य

1. परिचयात्मक—रावी नदी/सहायक नदियां (चम्बा) में 1955 में तथा सुकेती खड्ड (मण्डी) में 1960 में अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण हुई हानियां/क्षतियों से भूमि कटाव तथा कृषि योग्य/कृषि अयोग्य भूमि व सम्पत्ति/जायदाद को बचाने के उद्देश्य से बाढ़ नियन्त्रक निर्माण कार्यों के प्रावधान की आवश्यकता महसूस की गई।

1971 से पहले बाढ़ नियन्त्रक कार्यों का निष्पादन बहुद्देशीय परियोजना विभाग के द्वारा निष्पादित किया जाता था जिसका एक उप-मण्डल इन्दौरा (कांगड़ा) में स्थित था। 1972 में सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) के अन्तर्गत कुसुम्पटी (शिमला) में पूर्ण रूपेण एक बाढ़ नियन्त्रण मण्डल स्थापित किया गया तथा बाढ़ नियन्त्रक कार्य इस नव निर्मित मण्डल, जिसका बाद में सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य मण्डल नाम रखा गया था, को स्थानान्तरित कर दिए गए थे। इस प्रकार के दूसरे मण्डल भी बाद में जोड़े गए थे। 10 अधीक्षण अभियन्ताओं व मुख्य अभियन्ता की देखरेख में 27 मण्डल सिंचाई व जन स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।

कुल निर्माणाधीन सम्पूर्ण कार्यों के ब्यौरे मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग (अगस्त 1982) के पास सहज उपलब्ध नहीं थे। तथापि 1972–73 से 1976–77 तक की अवधि की नवीन व्यय की अनुसूचियों तथा मण्डलों द्वारा 1977–78 से 1981–82 की अवधि की दी गई सूचना द्वारा अनुपूरित विभाग द्वारा 1972–73 से मार्च 1982 तक कुल 124 बाढ़ नियन्त्रक कार्य (105 कार्यों का अनुमानित मूल्य 2,78.74 लाख रु०) हाथ में लिए गए थे। इन 124 कार्यों पर मार्च 1982 तक 3,43.47 लाख रु० का व्यय हो चुका था। विभाग द्वारा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की न तो प्रमुख योजना तैयार की गई थी और न ही राज्य में कुल बाढ़ से प्रभावित होने योग्य क्षेत्र के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण किया गया था।

11 मण्डलों में अभिलेखों की नमूना परीक्षा (मई से जुलाई 1982) के फलस्वरूप ध्यान में आई बातें जो 12 मण्डलों से प्राप्त सूचना द्वारा अनुपूरित हुईं वह अनुवर्ती अनुच्छेदों में दी जाती हैं :—

2. बजट तथा व्यय—1977–78 से 1981–82 तक प्रावधित तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर प्रयुक्त निधियों की स्थिति नीचे दी जाती है :—

वर्ष	बजट		व्यय		बचत (—) या आधिक्य (+)	
	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
					(लाख रुपयों में)	
1977–78	3.27	57.30	1.67	48.79	(—) 1.60	(—) 8.51
1978–79	6.88	1,04.74	10.03	1,06.10	(+) 3.15	(+) 1.36
1979–80	20.00	11.20	18.23	17.57	(—) 1.77	(+) 6.37
1980–81	40.62	26.61	53.54	21.12	(+) 12.92	(—) 4.49
1981–82	32.00	18.97	39.06	14.89	(+) 7.06	(—) 4.08
जोड़	1,02.77	2,18.82	1,22.53	2,08.48	(+) 19.76	(—) 10.35

ऐसा देखा जायेगा कि वर्ष 1978–79 से 1981–82 तक व्यय बजट प्रावधान की सीमा में नहीं रखा गया। आधिक्य नए कार्यों से सम्बद्ध किया गया जो समुचित आर्थिक प्रावधान के बिना आरम्भ किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप निर्माणाधीन कार्य निधियों की कमी के कारण, जैसा नीचे दर्शाया गया है, अधूरे रहे ।

3. कार्यों का निष्पादन—(i) मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने बतलाया (अगस्त 1982) कि बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया था। तथापि 16 मण्डलों में 42,17.240 हैक्टेयर भूमि व भवन सम्पत्ति की रक्षा हेतु वर्ष 1978–79 से 1981–82 के दौरान 98 बाढ़ नियन्त्रण कार्य (79 कार्यों की अनुमानित लागत: 2,31.56 लाख रु० जिनमें 31 कार्य पूर्ण तथा 48 निर्माणाधीन थे) निष्पादन हेतु आरम्भ किए गए। इनमें से मार्च 1982 तक 1,14.76 लाख रुपयों (31 कार्यों पर 1,06.20 लाख रु० की अनुमानति लागत के प्रति) की लागत से 32 कार्य (बाढ़ संरक्षण क्षमता: 9,56.780 हैक्टेयर) पूरे कर लिए गए थे। 23 मण्डलों में से शेष 7 में ऐसे किसी कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था ।

(ii) निम्न मामलों में मार्च 1982 के अन्त तक कार्य की प्रगति व्यय तथा अन्तर्ग्रस्त अवधि के अनुरूप नहीं थी :—

क्रमांक	कार्य का नाम	अनु-मानित लागत (लाख रु० में)	पूर्ण होने की निर्दिष्ट अवधि (महीनों में)	शुरु करने की तिथि	मार्च, 1982 तक खर्च	व्यय की अनु-मानित लागत से प्रतिशतता (लाख रु० में)	प्रत्यक्ष प्रगति: अनुमानों के अनुसार क्षेत्र का रक्षण	प्रत्यक्ष प्रगति: प्रगति प्रति-वेदनों के अनुसार वास्त-विक क्षेत्र रक्षण	उपलब्धियों की प्रतिशतता	शेष कार्य जो पूरा करना है
							(हैक्टेयर)			
1	सरोल गांव (चम्बा) में बाढ़ नियंत्रण	2.64	12	जुलाई 1978	2.95	112	60.69	34.40	57	111 मीटर लम्बा तटबन्धन
2	अजौली II (द्वितीय चरण) ऊना	0.55	6	जून, 1978	0.61	111	4	2	50	310 मीटर की लम्बाई में तटबन्धन
3	अजौली II–वारची (चम्बा)	1.45	6	जुलाई 1978	1.53	106	8.08	4.04	50	169 मीटर की लम्बाई में तटबन्ध तथा एक नियन्त्रक बांध
4	अजौली–इसपुर (ऊना)	3.98	6	जून 1979	4.10	103	182.18	40.48	22	30 मीटर की लम्बाई में तटबन्धन
5	अजौली-नांगला (डलहौज़ी)	1.50	36	सितम्बर 1978	1.40	93	80.92	40.46	50	466 मीटर की लम्बाई की पानी की नाली

6	अजौली–ठठल (पंजौआ) (ऊनाII)	2.18	12	अप्रैल	1978	2.00	92	120	60	50	आर डी. 0.261 कि. मि. से 0.535 कि. मी. तक तटबन्धन
7	गेहरा (चम्बा) में बाढ़ नियन्त्रण	3.70	12	मई	1978	3.02	82	36.42	12.14	33	220 मीटर की लम्बाई में तट बन्धन
	जोड़	16.00				15.61					

यद्यपि 16 लाख रु० अनुमानित लागत के प्रति 15.61 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था तथापि प्रत्यक्ष प्रगति 22 और 57 प्रतिशत के मध्य रही। कम प्रगति को वर्ष दर वर्ष अपर्याप्त निधियों के प्रावधान से सम्बद्ध किया गया।

(iii) यद्यपि नियमों में प्रावधान है कि किसी कार्य का आरम्भ तथा दायित्व का आदान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि विस्तृत डिजाइन तथा अनुमान की सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति न हो, फिर भी पाया गया कि मण्डल अभियन्ताओं द्वारा बिना प्रशासकीय अनुमोदन तथा तकनीकी संस्वीकृति के कार्य आरम्भ किए गए थे। 1978–79 से 1981–82 के मध्य 7 मण्डलों में जिन पर 77.34 लाख रु० का व्यय किया गया 19 कार्य शुरु किए गए थे परन्तु जिनकी प्रशासकीय अनुमोदन व तकनीकी सस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी तथा 1974–75 से 1981–82 तक 10 मण्डलों द्वारा निष्पादित 55 कार्यों (22 पूर्ण तथा 33 प्रगति पर) के मामलों में तकनीकी संस्वीकृति के बिना 1,55.56 लाख रु० का व्यय किया गया था। इसके अलावा 11 मण्डलों में 1,06.06 लाख रु० की अनुमानित लागत से 39 निर्माण कार्यों (20 पूर्ण तथा 19 प्रगति के पथ पर) का निष्पादन वर्ष 1974–75 से 1981–82 तक हाथ में लिया गया जिनके प्रति मार्च 1982 तक 1,48.29 लाख रु० का व्यय किया गया था। परिणामतः संस्वीकृत अनुमानों से 42.23 लाख रुपयों का अधिक व्यय हुआ।

वर्ष 1973–74 से 1981–82 के मध्य हाथ में लिए गए 9 कार्यों (4 प्रगति के पथ पर तथा 5 पूर्ण) के मामले में आधिक्य 50 से 220 प्रतिशत रहा जिसे मण्डलाधिकारियों द्वारा मजदूरी की दरों में माल के मूल्य में वृद्धि से सम्बद्ध किया गया। आधिक्य को अभी तक (जुलाई 1982) नियामानुकूलित नहीं किया गया है। प्रणाली की असफलता के लिए अनुमानों पर आधिक्यों को नियमित करने हेतु समुचित प्रक्रिया का न होना जिम्मेदार था।

4. स्कीमों के निष्पादन में देरी––बाढ़ नियन्त्रण कार्य आरम्भ करने की तिथि से सामान्यतया तीन महीनों से एक वर्ष के अन्दर पूरे करने अपेक्षित थे। निम्न मामलों में विभाग ने 9 कार्यों को, जिसमें 49.37 लाख रु० (बाढ़ रक्षा क्षमता: 412.06 हैक्टेयर भूमि तथा आवास सम्पत्ति) का व्यय निहित था, पूरे करने के लिए 3 से 8 वर्ष लगाए :––

मण्डल का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	कार्य को आरम्भ करने की तिथि	पूर्ण करने की तिथि	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	व्यय	पूर्ण करने हेतु लिया गया वास्तविक समय	क्षेत्र/जायदाद रक्षित
		(लाख रु० में)			(महीनों में)	(लाख रुपयों में)	(महीनों में)	
मण्डी	हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग मंडी में प्रथम वृत के कार्यालय के ऊपर नाले पर बाढ़ रक्षा	0.40	जुलाई 1976	मार्च 1982	3	0.38	69	कार्यालय भवन
ऊना-II	उद्योग क्षेत्र गगरेट की बाढ़ रक्षा	12.27	मई 1978	मार्च 1982	6	7.23	47	202 हैक्टेयर भूमि
ऊना	मावा सिंधिया की बाढ़ रक्षा	9.98	अप्रैल 1977	मार्च 1982	6	11.10	60	16 हैक्टेयर भूमि
जुब्बल	गांव गिलटारी की बाढ़ रक्षा	2.79	1974	सितम्बर 1981	6	3.01	90	4.04 हैक्टेयर भूमि
कुल्लू	कलाथ में गर्म पानी के चश्में की रक्षा हेतु बाढ़ रक्षा	1.42	मार्च 1974	जनवरी 1982	12	2.34	95	0.02 हैक्टेयर भूमि
ऊना-II	टेहरा को टेहरा खड से बाढ़ रक्षा	7.18	मार्च 1978	मार्च 1982	6	5.12	49	4 हैक्टेयर भूमि

ऊना-II	खडार वाली गांव की बाढ़ रक्षा	4.46	मार्च 1978	मार्च 1982	4	8.19	49	120 हैक्टेयर भूमि
ऊना-II	अम्बोटा खड्ड से शमशी गांव की बाढ़ रक्षा	7.38	मई 1978	मार्च 1982	6	8.58	37	60 हैक्टेयर भूमि
ऊना-II	पंजोआ खड्ड की बाढ़ रक्षा	2.96	अप्रैल 1978	मार्च 1982	6	3.42	48	6 हैक्टेयर भूमि
		48.84				49.37		412.06 हेक्टेयर भूमि

कार्यों को देरी से पूर्ण करने के परिणामस्वरूप 412.06 हैक्टेयर भूमि तथा आवास सम्पत्ति को संरक्षण प्रदात्त करने में देरी हुई।

तत्परता की कमी से जो समय व लागत की सीमा बढ़ी उसके कारण थे अप्रभावी नियन्त्रण उपाय। मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग ने बताया (अगस्त 1982) कि मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी क्योंकि कोई बाढ़ नियन्त्रण कार्य-परियोजना विभाग द्वारा हाथ में नहीं लिया गया था।

शेष 66 कार्यों में से (98 नफी 32), 62 कार्य जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है प्रगति के पथ पर थे (मार्च 1892), 3 कार्य छोड़ दिये गए थे, तथा एक कार्य पानी के बहाव पर झगड़े के कारण अधूरा पड़ा था। 62 कार्यों में से 1977–78 से 1978–79 की अवधि में आरम्भ किये गए 27 कार्य पूरे नहीं किये (मार्च 1982) गए हैं, पूरे करने में देरी दो से चार वर्षों के मध्य रही तथा मार्च 1982 तक 1,35.20 लाख रु० व्यय किए जा चुके थे। शेष 35 कार्य 1979–80 से 1981–82 के मध्य हाथ में लिये गए थे तथा मार्च 1982 तक 46.95 लाख रुपयों का व्यय किया गया था। सम्बन्धित मण्डलाधिकारियों द्वारा कार्यों को पूर्ण करने में देरी को निधियों की कमी/सामान की अनुपलब्धता तथा संस्वीकृत/असंस्वीकृत अनुमानों के प्रति निधियों के थोड़े थोड़े निस्तारण से सम्बद्ध किया गया। दिए गए कारणों से यह स्पष्ट होगा कि नियन्त्रण स्तर पर उपयुक्त उपचारी उपाय करने में असफलता रही थी।

5. **परित्यक्त कार्य**—(i) सिंचाई एवं–लोक स्वास्थ्य मण्डल रिकांग पिओ में 1979-80 में बिना आवश्यक प्रशासकीय अनुमोदन तथा तकनीकी संस्वीकृति के तीन बाढ़ सुरक्षा कार्य (टांग नाला, थेम रंग तथा बड़सन) हाथ में लिये गए। मण्डलाधिकारी द्वारा 1980–81 में 1.25 लाख रु० का (0.85 लाख रु० में 1979-80 तथा 1981-82 में टांग नाले पर, 0.32 लाख रु० 1979–80 तथा 1980–81 में थेमरिंग पर और 0.08 लाख रु० 1979–80 में बडसन पर) व्यय करने के पश्चात् यह कार्य परित्यक्त कर दिये गये क्योंकि रक्षा कार्य पूरा करना सम्भव नहीं था। इस तरह 1.25 लाख रु० का व्यय व्यर्थ हुआ। उन परिस्थितियों को जिनमें इन कार्यों को हाथ में लिया गया था तथा 1.25 लाख रु० व्यय करने के पश्चात् इन्हें छोड़ दिया गया था खोजने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ii) सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल नं० 1 ऊना में 1977–78 तथा 1978–79 के मध्य अजौली–समौली बाढ़ रक्षा कार्य (अनुमानित लागत 0.74 लाख रु०) पर 0.74 लाख रु० खर्च किये गए थे। यह कार्य पानी के बहाव पर झगड़े के कारण मार्च 1980 में बन्द कर दिया गया था।

उपरोक्त 4 कार्यों के बन्द करने/छोड़ देने के परिणामस्वरूप इन पर व्यय किये गए 1.99 लाख रु० निष्फल रहे। राशि को बट्टे–खाते में डालने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

6. **(i) उपमानक कार्य का निष्पादन**—275 एकड़ भूमि तथा अन्य भवन सम्पत्ति की रक्षा हेतु नूरपुर सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल की सुरवां खड्ड में 8 वर्षों में 7.58 लाख रु० की लागत से 12 ठोकरों के निर्माण का फैसला (दिसम्बर 1973) किया गया। दिसम्बर

1978 तक कोई कार्य नहीं किया गया था। ठोकर संख्या 2 व 4 के निर्माण का कार्य 1.49 लाख रु० में एक ठेकेदार जनवरी 1979 को इस शर्त से कि यह 5 जुलाई 1979 (यह अवधि 31 अक्तूबर 1979 तक आगे बढ़ाई गई) तक पूरा कर लिया जायगा, दिया गया। कार्य मार्च 1979 में आरम्भ किया गया। अधिशासी अभियन्ता ने कार्य के निरीक्षण के बाद (मई 1979) यह बताया कि कार्य विनिर्देशों के अनुसार निष्पादित नहीं किया जा रहा तथा कार्य की प्रगति धीमी थी। आगे ठेकेदार को 15 जून 1979 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया जिस के न करने पर वर्षा के कारण कोई क्षति हो तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

कार्य 2.13 लाख रुप० की लागत से 10 जुलाई 1979 को पूरा किया गया। सामान का अधिक अधिग्रहण मुख्यत: अधिक व्यय का कारण था। इसकी अधिशासी अभियन्ता ने नमूना परीक्षा नहीं की जैसा कि नियमों में अपेक्षित है। ठोकर संख्या 4 का एक भाग 11/12 जुलाई 1979 को बह गया। क्षतिग्रस्त ठोकर की 0.09 लाख रु० के व्यय पर उसी ठेकेदार द्वारा मरम्मत करवाई गई। यही ठोकर (नं० 4) तथा ठोकर नं० 2 का एक भाग दोबारा जुलाई 1980 में बह गया। दोनों ठोकरों की क्षति अनुमानत: 0.45 लाख रु० की थी।

यद्यपि अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया कि किया गया कार्य विनिर्देशों से निम्न था तथा कार्य क्षतिग्रस्त हो गया था, अभी तक (दिसम्बर 1982) न कोई जांच की गई तथा न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। तथापि ठेकेदार को पूरे पैसे दे दिये गए थे। इस प्रकार 2.22 लाख रु० का सारा व्यय निष्फल रहा।

(ii) **प्रगति के पथ पर कार्य की क्षति**—सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल, सोलन में मार्च 1979 में 11.17 लाख रु० (8.87 लाख रु० व 2.30 लाख रु०) की लागत से दो बाढ़ सुरक्षा कार्य (सिरसा नदी के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करना तथा पाली नदी पर दाबटा गांव को सुरक्षा प्रदान करना) हाथ में लिये गये तथा मार्च 1982 तक 10.05 लाख रु० (5.01 लाख रु० तथा 5.04 लाख रु०) का व्यय किया गया। इन कार्यों का आशय 800 एकड़ भूमि व 23 गांवों को सुरक्षा प्रदान करना था। सहायक अभियन्ता नालागढ़ ने प्रतिवेदित किया कि 1.16 लाख रु० की लागत से बने ये कार्य भारी वर्षा के कारण बाढ़ से (1980–81 व 1981–82 में) क्षतिग्रस्त हो गये थे। न तो उपरोक्त हानि (1.16 लाख रु०) के लिये जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु कोई विभागीय जांच की गई न ही क्षतिग्रस्त कार्यों के दोबारा निर्माण के लिये कोई पग उठाए गए (जुलाई 1982)।

7. क्रय

(i) **दोषपूर्ण सामग्री की खरीद**—अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल, जुब्बल नें (नवम्बर 1980) मेहतपुर (हिमाचल प्रदेश) की एक दर संविदा फर्म को 20 मी०टन जी०आई० तार खरीदने के लिये आदेश जारी किया तथा सामान की कीमत के 1.43 लाख रु० सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य उप मण्डल, चौपाल के निरीक्षण के पश्चात् स्थल पर (मेहतपुर) ही दे दिये (मार्च 1981) गए।

10 मी० टन जी. आई. तार फर्म ने सीधी सहायक अभियन्ता रोहड़ू को प्रेषित की (मार्च 1981) जिसने प्रतिवेदित किया (मार्च 1981) कि माल निर्धारित स्तर से निम्न था। यद्यपि निम्न स्तर के माल को बदलवाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई,

4.29 मी० टन जी० आई० तार की एक बाढ़ सुरक्षा कार्य (चौपाल में) नवम्बर तथा दिसम्बर 1981 में खपत की गई। शेष तार (15.71 मी० ट० कीमत 1.12 लाख रु० जिसे त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदित किया गया था, दो उप मण्डलों के पास रही (नवम्बर 1982)।

(ii) (क) **सामान की अविवेकपूर्ण खरीद**—4.99 लाख रु० की कीमत की 67.385 (92.10 मी०टन में से) मी० टन जी० आई तार नवम्बर 1980 व मई 1981 के मध्य सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल, कुल्लू (61.मी० टन) द्वारा तथा फरवरी 1981 से मार्च 1982 की अवधि में सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल, पांवटा द्वारा (31.10 मी० टन) खरीदी गई इन मण्डलों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी (जून 1982)। निधियों की कमी के कारण कुल्लू मण्डल में दिसम्बर 1980 में कार्य बन्द कर दिया गया था तथा अन्य कार्य पांवटा मण्डल में अब तक 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य (5 प्रतिशत) की पूर्ण करने की आवश्यकता के लिये शेष 22.230 मी० टन जी०आई० तार की मात्रा काफी अधिक है।

(ख) **एम० ए० एस० रजिस्टर में पड़ी हुई सामग्री**—1.12 लाख रु० की सामग्री (देवदार की लकड़ी आर० सी० सी० पाइप, चट्ठे के पत्थर, तार क्रेट आदि) जिसे तीन कार्यों, जो पूरे हो चुके थे, को जारी किया गया था, तीन मण्डलों सिंचाई एवं स्वास्थ्य मण्डल नं० II, ऊना सिंचाई एवं स्वास्थ्य मण्डल, मण्डी तथा सिंचाई एवं स्वास्थ्य मंडल, नूरपुर में 5 से 7 वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त पड़ी रही। इसके निपटाने हेतु कोई पग नहीं उठाए गए (दिसम्बर 1982)।

(iii) **माल का परिहार्य समायोजन**

नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक या जिस माल की तुरन्त आवश्यकता न हो, उसकी लागत को निर्माण कार्य के नामें डालना आदि माल के अवास्तविक समायोजन वर्जित हैं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल–II ऊना में 53.975 घन मीटर देवदार लकड़ी 0.55 लाख रु० की लागत से खरीदी गई (मार्च 1978) और उसका मूल्य तीन बाढ़ नियंत्रण कार्यों के नामे डाल दिया गया। तत्पश्चात् 42.542 घन–मीटर लकड़ी (मूल्य 0.43 लाख रु०) अन्य निर्माण कार्यों को अन्तरित कर दी गई (1978–79, 1979–80 एवं 1980–81) क्योंकि यह उन निर्माण कार्यों के लिये नहीं चाहिये थी, जिनके नामे इसका खर्चा मूल रूप से डाला गया था। इसी प्रकार 15 मीट्रिक टन कांटेदार तार और 18.476 घन-मीटर देवदार लकड़ी (दोनों का मूल्य 0.87 लाख रु०) को मूल रूप से (1977–78) एक बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य के नामे डाला गया (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल ऊना–II)। तत्पश्चात् उसे या तो अन्य निर्माण कार्यों को अन्तरित कर दिया गया (1978–79 और 1979–80) या अन्य मण्डलों को बेच दिया गया (1980–81)। ऐसे समायोजनों के कारण अभिलेखित नहीं थे।

(iv) (क) **मशीनरी का अनियमित क्रय**—सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल ऊना I में दो बुल्डोजर 10.09 लाख रुपये की लागत से देहली की एक फर्म से खरीदे गये (मार्च 1978) (मुख्य अभियन्ता के दिसम्बर 1977 में दिये गये मांग पत्र के प्रति) और

उनका मूल्य (सितम्बर 1978) तीन बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के नामें डाल दिया गया जिनके अनुमानों में उनके क्रय का प्रावधान नहीं था । मण्डल ने अधीक्षण अभियंता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल सुन्दर नगर के आदेशों के अधीन और दो पुराने बुल्डोजर 2.91 लाख रु० की लागत से ब्यास–सतलुज लिंक परियोजना सुन्दर नगर से खरीद लिये । इन दोनों बुल्डोजरों की लागत दो बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के नामे डाल दी गई । उक्त मशीनरी की खरीद का ना तो इन निर्माण कार्यों के अनुमानों में कोई प्रावधान था और न ही सक्षम प्राधिकारियों की संस्वीकृति प्राप्त की गई थी (नवम्बर 1982) ।

मुख्य अभियंता द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार बुल्डोजर की कार्य सम्भावना 800 से 1200 घण्टे प्रति वर्ष है । चार वर्षों के अन्तर्गत (1978–79 से 1981–82) दो बुल्डोजरों का निष्पादन सन्तोषजनक रहा, जबकि अन्य दो बुल्डोजरों ने (खरीद का स्रोत: ब्यास सतलुज लिंक परियोजना) 6,400 घण्टों (न्यूनतम 800 घण्टे प्रति वर्ष) के प्रति 3,418 (2600 + 818) घण्टे काम किया । इससे 2,982 घण्टे की हानि हुई । मण्डलीय अधिकारी द्वारा बुल्डोजरों के प्रचालन को सुधारने के लिये कोई पग नहीं उठाये गये थे (अगस्त 1982) तथा उनकी पूर्ण प्रयुक्ति अभी तक प्राप्त नहीं की गई है । मुख्य अभियंता ने मण्डलीय अधिकारियों के कार्यभार में मशीनरी के कम प्रयोग के बारे में (मार्च 1981) इंगित किया था ।

(ख) भण्डार नियंत्रक हिमाचल प्रदेश द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश (अक्तूबर 1978) के प्रति, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल नूरपुर ने एक बुल्डोजर 6.17 लाख रु० की लागत से देहली आधारित फर्म से खरीदा (अक्तूबर 1978) । बुल्डोजर की खरीद सक्षम प्राधिकारी अर्थात् मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत नहीं की गई थी ।

बुल्डोजर अक्तूबर 1978 में प्राप्त हुआ था और उसकी लागत चार बाढ़ नियंत्रण कार्यों के नामे डाली गई परन्तु उनके अनुमानों में ऐसी किसी भी मशीनरी को खरीदने का प्रावधान नहीं था । वर्ष 1981 में बुल्डोजर ने 800 घण्टों के प्रति 412 घण्टे काम किया और इस प्रकार 388 घण्टे की हानि बुल्डोजर में खराबी और काम की कमी के कारण हुई ।

(ग) इसी प्रकार सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल नं० 1 ऊना ने मार्च 1978 में दो ट्रैक्टर (1.23 लाख रु०) खरीदे और उनकी लागत दो बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के नामे डाल दी जबकि उनके अनुमानों में ट्रैक्टरों की खरीद का कोई प्रावधान नहीं था ।

इस प्रकार विभाग ने 20.40 लाख रु० की लागत की भारी मशीनरी खरीदी तथा लागत को उन बाढ़ नियंत्रण कार्यों के नामे डाला । इसके बावजूद भी विभागीय अधकारियों ने तर्क दिया कि निधियों की कमी के कारण कार्य की अपूर्णता रही । जिनमें इस प्रकार की मशीनरी के उपार्जन हेतु कोई प्रावधान नहीं था । यन्त्रों तथा संयंत्रों के लिये अनुमान, जिनके प्रति बुल्डोजर तथा ट्रैक्टर खरीदे जाने थे, अभी तक तैयार नहीं किये थे (दिसम्बर 1982) । निधियों की कमी के कारण, निधियों के ऐसे अपवर्तन ने जिस सीमा तक कार्य को प्रभावित किया, वह सुनिश्चित करने योग्य नहीं था ।

8. **व्यय का त्रुटिपूर्ण प्रदर्शन**—सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल चम्बा ने वर्ष 1980-81 तथा 1981–82 के अन्तर्गत चूला नाला को बाढ़ से बचाने के कार्य पर 0.77 लाख रु० का व्यय बिना प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी संस्वीकृति तथा बिना बजट प्रावधान के किया तथा खर्चे को बजट प्रावधान वाले किरी नाला बाढ़ नियंत्रण कार्य के नामे डाला, जिसका प्रयोजन साथ लगे क्षेत्र में 30 एकड़ भूमि का बचाव करना था।

इसी प्रकार सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल डलहौजी, में वर्ष 1978–79 से 1981-82 के दौरान जलापूर्ति योजना' की विशेष मरम्मत पर 2.68 लाख रु० व्यय किये गये थे परन्तु खर्चे को बाढ़ नियंत्रण कार्यों के नामे डाला गया था, जहां कि निधियां उपलब्ध थीं। मण्डलीय अभियंता द्वारा किये गये अनधिकृत व्यय की छान-बीन एवं नियमानुकूलन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (नवम्बर 1982)।

9. **अनियमित व्यय**—यद्यपि बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य (सवां नदी रामपुर पेखुबेला का जलमार्ग) अनुमान में केवल 'सरकण्डा" 'और "ध्रुब घास उगाने का प्रावधान था, फिर भी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल नं० 1, ऊना ने वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक 5000 पौधों को उगाने तथा तार लगाने पर 0.47 लाख रुपये का व्यय किया गया। ऐसा अभिलेख जिसमें पौधों को उगाने/जीवित रहने सम्बन्धी सूचना हो, प्रस्तुत नहीं किया गया था (दिसम्बर 1982)।

10. **अन्य रुचिकर बातें**

(क) **सरकारी भण्डार का दुर्विनियोजन**—(i) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल मण्डी में सीमेंट की 383 बोरियां (मूल्य 0.09 लाख रुपये) बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य सुकेती खड्ड के दायें किनारे ददौर पुल (मण्डी) के ऊपरी भाग के मौके पर सामान के रजिस्टर से भण्डार को जून/जुलाई 1977 में अन्तरित दर्शायी गई थीं परन्तु सम्बन्धित बिन कार्डों की नमूना जांच के समय तक (जुलाई 1982) ऐसी कोई भी प्रविष्टि ना ढूंढी जा सकी। अलेखबद्ध सीमेंट की छान-बीन अभी तक नहीं की गई है (दिसम्बर 1982)।

(ii) उपरोक्त निर्माण कार्य (i) के प्रति 40 मीट्रिक टन जी०आई० तार (4 एम० एम०) लेखाबद्ध की थी (जून एवं जुलाई 1977) जिसके प्रति 7.185 मीट्रिक टन जी० आई० तार प्रयुक्त की गई और 12 मीट्रिक टन किसी अन्य कार्य को बिना मांग पत्र का नम्बर तथा दिनांक दर्शाये अन्तरित हुई बताई गई थी। मौके पर सामान रजिस्टर में शेष 20.815 मीट्रक टन के बदले 3.815 मीट्रिक टन निकाला गया था, जिससे 17 मीट्रिक टन जी०आई० तार मूल्य 1.02 लाख रु० (17 मीट्रिक टन 6,000 रु० प्रति मीट्रिक टन) अलेखाबद्ध रही। तार की अलेखाबद्ध होने की छान-बीन तक नहीं की गई है (दिसम्बर 1982)।

(iii) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल नं० 1 हमीरपुर में 5 मीट्रिक टन जी०आई० तार (मूल्य 0.23 लाख रु०) बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य खैरी गांव से अन्तरित दर्शायी गई थी, परन्तु मौके पर सामान के रजिस्टर में उस निर्माण कार्य का नाम जिसको सामान अन्तरित किया

गया तथा अन्य विवरण अभिलिखित नहीं थे। मामले की अभी तक छान–बीन नहीं की गई (दिसम्बर 1982)।

ख. **खाली जगह (वॉयड) की कटौती न करने से अधिक भुगतान**—लोक निर्माण विभाग की पुस्तक की विशिष्टियों में यह प्रावधान है कि जब ठेकेदारों से गोला पत्थरों की आपूर्ति ली जाती है, तो ऐसी आपूरित मात्रा को चट्ठे में मापा जाना चाहिये तथा खाली जगह की प्रतिपूर्ति के लिये सातवां हिस्सा कम करना चाहिये। घटाने के बाद की मात्रा ही भुगतान के साथ–साथ मौके पर माल के रजिस्टर में लेखाबद्ध प्रयोजनों के लिये अन्तिम मात्रा ली जायेगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल नं० 1 ऊना ने 1863.01 घन–मीटर गोलापत्थर विभिन्न कार्य आदेशों के अन्तर्गत 64 रुपये 90 पैसे प्रति घन मीटर की दर से खरीदे। सातवां हिस्सा घटाने के बाद गोला पत्थरों की मात्रा 1596.87 घन मीटर बनती है, जबकि मण्डल ने ठेकेदार को 14वां हिस्सा घटाने के बाद 1798.64 घनमीटर का भुगतान कर दिया परिणाम–स्वरूप 0.13 लाख रु० (201.77 घन मीटर × 64.90 रु०) का अधिक भुगतान हो गया।

11. सारांश—(i) वर्ष 1977–78 और 1981–82 के अन्तर्गत 16 मण्डलों ने 98 बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य (79 कार्यों की अनुमानित लागत 2,31.56 लाख रु०) भवन सम्पति के अतिरिक्त 4217.240 हैक्टेयर भूमि को संरक्षण प्रदान करने हेतु निष्पादन के लिये हाथ में लिये गये। उनमें से केवल 32 निर्माण कार्य (956.780 हैक्टेयर भूमि की आवृति) 114.76 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हो सके (मार्च 1982)। 9 निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में उसे 8 वर्ष लगे जबकि उनका निर्दिष्ट समय 3 महीने से 12 महीने का था। 4 निर्माण कार्यों (व्यय 1.99 लाख रु०) को परित्यक्त किया गया। 19 निर्माण कार्य (एक पूर्ण और 18 प्रगतिशील) जिनके उत्तर 77.34 लाख रु० का व्यय किया गया, को बिना प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी संस्वीकृति के निष्पादन हेतु किया गया जबकि 55 निर्माण कार्यों (22 पूर्ण और 33 प्रगतिशील व्यय 155.56 लाख रु०) को बिना तकनीकी संस्वीकृति के निष्पादन हेतु लिया गया। 7 निर्माण कार्यों के मामले में किया गया व्यय कार्य की प्रगति के अनुरूप नहीं था। बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों को पूर्ण होने से अर्जित लाभ का विभाग ने मूल्यांकन नहीं किया (दिसम्बर 1982)।

(ii) नूरपुर मण्डल में एक ठेकेदार को जनवरी, 1979 में दो ठोकरों के निर्माण का कार्य सौंपा गया, जो 10 जुलाई, 1979 को पूर्ण हुआ, जिसे मण्डलीय अधिकारी ने विशिष्टताओं के अनुसार नहीं पाया (मई 1979)। कार्य पूर्ण होने के एक/दो दिनों के पश्चात् अर्थात् 11/12 जुलाई, 1979 को एक ठोकर का कुछ हिस्सा बह गया। इस ठोकर का बाकी बचा हिस्सा पूर्ण रुप से तथा दूसरी ठोकर का कुछ हिस्सा जुलाई 1980 में बह गया। ठेकेदार से इस हानि की वसूली हेतु मण्डलीय अधिकारी द्वारा कोई भी पग नहीं उठाया गया था। (दिसम्बर 1982)

(iii) सोलन मण्डल में दो निष्पादन अधीन निर्माण कार्यों को 1.16 लाख रु० की क्षति हुई, परन्तु मण्डली अधिकारी द्वारा क्षति के कारणों की छान-बीन अथवा क्षतिग्रस्त भाग को दोबारा बनाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

(iv) मार्च 1981 में (जुब्बल मण्डल) 20 मीट्रिक टन दोषपूर्ण जी. आई. तार 1.43 लाख रु० की लागत से खरीदी गई। उसमें से 15.71 मीट्रिक टन जी. आई. तार. (मूल्य 1.12 लाख रु०) अप्रयुक्त रही (अक्तूबर 1982)। कुल्लु और पांवटा मण्डलों में 4.99 लाख रु० की 67.385 मीट्रिक टन जी. आई. तार बिना तुरन्त आवश्यकता के खरीदी गई। तीन मण्डलों में माल जिसकी लागत 1.12 लाख रु० थी 5 से 7 वर्षों तक अप्रयुक्त रहा। ऊना मण्डल नं० II में वर्ष 1977-78 के अन्तर्गत माल (1.42 लाख रु०) बजट अनुदान को प्रयुक्त करने के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यों के नामे डाल दिया और तत्पश्चात् अन्य कार्यों को अन्तरित कर दिया क्योंकि वह बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये नहीं चाहिये था।

(v) भारी मशीनरी (मूल्य 20.40 लाख रु०) बिना अनुमानक बनाये और बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति खरीदी गई।

(vi) वर्ष 1977-78 से 1981-82 के दौरान डलहौजी मंडल में 2.68 लाख रु० का व्यय जोकि तीन जलापूर्ति योजनाओं से सम्बन्धित था, गलती से बाढ़ नियंत्रण कार्यों के नामे डाल दिया गया। ऊना मण्डल नं. 1 में 5,000 वृक्षों को उगाने और तार लगाने हेतु 0.47 लाख रु० का खर्च किया गया जबकि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अनुमान में सरकण्डा और ध्रूव घास को उगाने का प्रावधान था।

(vii) जून 1977 से नवम्बर 1979 की अवधि में माल की कमी (1.34 लाख रु०) की छान बीन अभी तक (दिसम्बर 1982) मण्डलीय अधिकारियों (मण्डी और हमीरपुर) द्वारा होनी अपेक्षित है।

(viii) गोला पत्थरों की आपूर्ति को मापते समय मण्डलीय अधिकारी ऊना-1 ने खाली स्थान (वायड) की कटौती 1/14 की दर से की जबकि नियमों में निर्दिष्ट कटौती 1/7 की दर से होनी थी। इस कारण ठेकेदार को (1981-82) 0.13 लाख रु० का अधिक भुगतान हो गया। अधिक भुगतान की वसूली हेतु मण्डलीय अधिकारी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई (दिसम्बर 1982)।

(ix) राज्य में कुल्लू बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कभी भी नहीं किया गया। विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन/अन्तिम करने में विलम्ब के कारणों के लिये उत्तरदायी विभिन्न तत्वों के विश्लेषण की दृष्टि से तथा सुधार के उपायों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

उपरोक्त मामले सरकार को अगस्त 1982 में प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।

4.3 जय सिंघपुर-विजय सड़क का निर्माण

मुख्य अभियन्ता ने ज़िला कांगड़ा में विजयपुर गांव को सड़क से जोड़ने के लिये 2.60 लाख रु० की लागत से आलमपुर हारसीपतन सड़क से एक किलोमीटर के निर्माण कार्य की स्वीकृति अगस्त 1978 में प्रदान की। निर्माण कार्य दो वर्षों में पूर्ण होना अनुबन्धित था। पालमपुर (भवन एवं सड़कें) मण्डल नं. 1 ने कार्य का निर्माण विभागीय ढंग से जुलाई 1978 में आरम्भ किया और मार्च 1981 तक 0.50 लाख रु० की लागत से 500 मीटर सड़क का निर्माण किया। सहायक अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता को लिखा (फरवरी 1979) कि एक

स्थानीय बागवान की इच्छा थी कि रेखांकन उसके बाग से नहीं गुजरना चाहिये और रेखांकन तथा कार्य आदेश का निरस्तीकरण चाहा । रेखन हेतु नया कार्यकारी अनुमान तथा कार्य-आदेश प्रस्तावित किया गया था । अगस्त 1980 में इस कार्य के लिये 6.88 लाख रु० का अनुमान स्वीकृत किया गया और चिह्नांकन (किलोमीटर 0/720 से 2/0) सड़क निर्माण कटाई (किलोमीटर 0/450 से 0/720) पर 0.45 लाख रु० का व्यय किया गया ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1982) कि 500 मीटर लम्बी सड़क की संरचना व कटाई (व्यय 0.50 लाख रु०) करने के बाद विजयपुर गांव का पहाड़ की दूसरी ओर से सड़क सम्पर्क स्थापित करने का निर्णय किया गया क्योंकि मूल सम्पर्क सड़क का रेखांकन सन्दल लकड़ी के बगीचों से गुजरता था, जिसके विरुद्ध वहां की क्षेत्रीय जनता में रोष था । पुरानी सड़क का 500 मीटर निर्मित भाग जयसिंहपुर से विजयपुर तक नई सड़क (लम्बाई 3.50 किलोमीटर) के विस्तार के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा ।

4.4 परित्यक्त बाथरी नगवांई सड़क

खण्ड विकास अधिकारी, भटियाट (चम्बा ज़िला) ने वर्ष 1971-72 के दौरान क्रैश-प्रोग्राम के अधीन 0.24 लाख रु० की लागत से बाथरी सड़क के 2.10 मीटर चौड़े और एक किलोमीटर लम्बे हिस्से का निर्माण किया । जुलाई 1972 में सड़क लोक-निर्माण विभाग को सौंप दी गई । चूंकि सड़क लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार नहीं थी इस लिये पूरी लम्बाई (0/0 से 6/0 किलोमीटर) तक सड़क निर्माण और इसकी चौड़ाई 5/7 मीटर के कार्य का 5.14 लाख रु० का अनुमान अधीक्षण अभियन्ता को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति हेतु मई 1972 में प्रस्तुत किया गया ।

डलहौज़ी मण्डल के अभिलेख के अनुसार 0.65 लाख रु० का व्यय (वर्ष 1972-73 के दौरान 0.44 लाख रु० और 1973-74 के दौरान 0.21 लाख रु०) सड़क के सुधार और इसे लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार जीप योग्य बनाने के लिये 2.40 कि. मीटर की दूरी तक सड़क को 2.10 मीटर चौड़ी करने पर प्रशासनिक अनुमोदन, व्यय एवं तकनीकी संस्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया, जो अभी तक प्रतीक्षित थीं (सितम्बर 1982) । निर्माण कार्य में और प्रगति इस कारण से न हुई कि रेखांकन में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था । अधिशाषी अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 1982) कि काम गत वर्षों में निधियों की अनुपल्लधता के कारण पूरा नहीं हो सका । अधूरी सड़क पर 0.89 लाख रु० के व्यय से इस प्रकार कोई भी उद्देश्रय अभी तक हल न हो सका (दिसम्बर 1982) ।

मामला सरकार को मई 1982 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983) ।

4.5 सड़क का मोड़ना एवं पुल का निर्माण

भटियुंड धार को आवृत करती हुई कोटी-सुन्दला-लंगेड़ा-जम्मु सीमा सड़क (राज्य उच्च मार्ग नं. 35) का भाग किलोमीटर 12/730 से 12/900 तक वर्ष 1970 में 1.78 लाख रु० की लागत से बनाया गया परन्तु धार की दोषपूर्ण परतों के कारण सड़क वर्ष-प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में वाहन यातायात के लिये बन्द रही । जिला चम्बा का सम्पर्क जम्मू और काश्मीर राज्य से स्थापित करने के अलावा यह उच्च मार्ग बैरास्यूल परियोजना को पावर हाऊस को जाने वाली सुरंग एवं स्यूल नदी पर बाँध बनाने हेतु माल व व्यक्तियों के यातायात के लिये भी प्रयोग में लाया जाता

था । सड़क को वर्ष भर यातायात के लिये खुला रखने के लिये भटियुंड धार पर उपमार्ग बनाने और वर्तमान रेखांकन के नीचे भटियुंड धार पर पुल बनाने हेतु एक प्राथमिक अनुमान 10.86 लाख रु० की राशि का जुलाई 1979 में बनाया गया। बैरा स्यूल प्राधिकारियों ने उप-मार्ग निर्माण की अनुमति (दिसम्बर 1978) दे दी थी और उन्होंने निकाली गई अनुमानित लागत 9.10 लाख रु० में से अपने हिस्से के 4.55 लाख रु० जमा करा दिये (1978-79) । सरकार ने निर्माण कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन मार्च 1980 में 14.30 लाख रु० के लिये किया । परिशोधित अनुमान 20.70 लाख रु० (सड़क-निर्माण के लिये 12.60 लाख रु० और धार पर पुल निर्माण हेतु 8.10 लाख रु०) की स्वीकृति प्रतीक्षित थी (सितम्बर 1981) । अनुमानित लागत में बढ़ोतरी दरों में वृद्धि (2.11 लाख रु०) और पुल की आकृति और क्षेत्र में परिवर्तन (4.29 लाख रु०) से सम्बद्ध की गई । पुल के कार्य को छोड़कर बाकी निर्माण कार्य 11.30 लाख रु० की लागत से पूर्ण हुआ था (जून 1980) । इस अवधि में मूल सड़क के अनुरक्षण पर 0.96 लाख रु० व्यय किया गया (1980-81 और 1981-82) ।

मार्च 1980 में संस्वीकृत अनुमान में धार पर 15.25 मीटर लम्बे आर. सी. सी. टी. बीम पुल के निर्माण हेतु 3.81 लाख रु० का प्रावधान किया गया था। विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात बीम पुल , जिस के लिये जुलाई 1980 में बनाये गये संशोधित अनुमान में 8.10 लाख रु० का प्रावधान था, के बदले 32.40 मीटर का स्टील ट्रस पुल बनाने का निश्चय किया गया (फरवरी 1981) । मार्च 1979 में एक उखाड़ा हुआ पुल बेरा स्यूल परियोजना से 1.69 लाख रु० में खरीदा गया । नवम्बर 1980 में पुल के कुछ हिस्से पुर्जे जिनका मूल्य 0.36 लाख रु० था, चोरी हो गये । मामला पुलिस के पास जांचाधीन है, चोरी हुये पुर्जों में से 0.08 लाख रु० के पुर्जे बरामद हो चुके हैं (फरवरी 1981) गुम हुये पुर्जे फिर परियोजना से सितम्बर 1981 में 0.15 लाख रु० में उपलब्ध किये गये । पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो सका । (फरवरी 1982) और 11.30 लाख रु० की लागत से बनाये गये मोड़ का उपयोग नहीं हो सका। बैरा स्यूल परियोजना के अधिकारियों ने अपने अनुमान के आधार पर अपने हिस्से के 4.55 लाख रु० जमा करा दिये थे । ऊपर संदर्भित 10.86 लाख रु० प्राथमिक अनुमान के आधार पर भी 0.88 लाख रु० और 1.10 लाख रु० अभी भी परियोजना अधिकारियों से वसूल करने को थे । (फरवरी 1982) ।

इससे यह स्पष्ट है कि 11.30 लाख रु० की लागत से बनाये गये मोड़ का, पुल के पूरा न होने के कारण, प्रयोग नहीं हो सका । आगे पुल-निर्माण में देरी और पुल के क्षेत्र व नमूने में परिवर्तन के कारण अनुमानित लागत 9.10 लाख रु० से बढ़ कर 20.70 लाख रु० हो गई और यह और भी अधिक होगी क्योंकि पुल का अभी तक निर्माण नहीं हो सका (फरवरी 1982) ।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1982) कि निर्माण कार्य को पूर्ण करने में देरी समय-समय पर बहुत कम निधि के आबंटन के कारण हुई थी । आगे यह भी बताया गया कि पुर्जों की चोरी करने वाले दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुचलका चीफ जुडिशियल दण्डाधिकारी चम्बा की अदालत में 13 जनवरी 1982 को प्रस्तुत किया जा चुका है ।

4.6 नयोगल खड्ड पर झूला पुल का निर्माण

पालमपुर के निकट गांव बन्दला और गण्डी को जोड़ने के लिये नयोगल खड्ड के आर-पार 430 फुट लम्बे झुला पुल के निर्माण का प्रशासनिक अनुमोदन जुलाई 1970 में 6.70 लाख रुपये के लिये किया गया। निर्माण कार्य पालमपुर (भवन एवं सड़कें) मण्डल नं. 1 ने दिसम्बर 1970 में आरम्भ किया और यह दो वर्षों में पूर्ण होना निर्धारित था। मुख्य अभियन्ता से दिसम्बर 1974 में 4.58 लाख रुपये (पहुंचों, गाइड बन्ध एवं कूहलों को छोड़कर) की तकनीकी संस्वीकृति मिलने से पहले ही 3.48 लाख रु० का व्यय (तार रस्सी 1.34 लाख रु० और 0.76 लाख रु० कमानियों और काठियों सहित) 1974-75 तक हो चुका था। जुलाई 1981 तक निर्माण कार्य पर 8.27 लाख रु० का व्यय हो चुका था। निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण है क्योंकि 2 टावर्ज़ जिनकी नपाई 38 फुट है, अभी तक बनाने शेष हैं और 0.76 लाख रु० की लागत की उपरोक्त कमानियां एवं काठियां अभी तक लगानी बाकी हैं (मार्च 1982)।

सड़क निर्माण का एक अन्य कार्य लुंगरी-भट्टी जिसकी लम्बाई 4.807 किलोमीटर और चौड़ाई 5/7 मीटर है और जो गण्डी बन्दला गांवों को पुल के पार जोड़ती है उस का प्रशासनिक अनुमोदन सरकार ने 5.95 लाख रु० का (जनवरी 1974) दो वर्षों में कार्य पूर्ण करने हेतु किया गया। निर्माण कार्य तकनीकी संस्वीकृति के पहले ही शुरु कर दिया गया था (सितम्बर 1978) जोकि अभी तक प्रतीक्षित है (फरवरी 1982) और केवल 1.54 किलोमीटर सड़क बनाने पर जुलाई 1981 तक 1.33 लाख रु० का व्यय किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रारम्भिक लागत अनुमान, जो कि मुख्य अभियन्ता को अक्तूबर 1973 में दिया गया, के अनुसार निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 8.19 लाख रु० बताई गई थी।

इस प्रकार पुल एवं सड़क का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा यद्यपि निर्माण कार्य लगभग क्रमशः 12 और 9 वर्ष पूर्व शुरु किया गया था और 9.60 लाख रु० का व्यय विफल रहा है। इसके अलावा एक दशक बीत जाने पर भी विभाग न तो आर-पार पुल ही बना सका और न ही इस ने इस भाग के लिए कोई सम्पर्क सड़क ही बनाई।

सरकार ने बताया (अगस्त 1982) कि निर्माण कार्य का निष्पादन निधियों की उपलब्धता के अनुसार ही किया गया, यदि निधियां उपलब्ध हो गईं तो पुल का पूर्ण निर्माण शीघ्र ही सम्भावित होगा।

4.7 सोलन सतही जल संगठन का कार्यकलाप

राज्य में भूमिगत जल तथा सतही जल लघु सिंचाई संगठन की मज़बूती के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के कार्यकलाप पर वर्ष 1979-80 के लेखा परीक्षाप्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 4.3 में टिप्पणी की गई थी। राज्य में भूमिगत जल तथा सतही जल लघु सिंचाई संगठन की मजबूती के लिए इसी प्रकार की योजना सितम्बर 1975 में भारत सरकार कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। इसी उद्देश्य के लिए इन्हीं तरीकों पर जैसा कि भूमि जल तथा सतही जल लघु सिंचाई संगठन को मज़बूत करने के लिये अन्तरीय ढांचा बनाने हेतु राज्य

को 50% बराबर की अनुदानें उपलब्ध कराई जानी थीं ।

उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1978-79 दौरान हिमाचल प्रदेश में योजना को लागू करने के लिये भारत सरकार के कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय द्वारा 5.66लाख रु० तक की कुल लागत का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था (अप्रैल 1978) जिसमें से 2.83 लाख रु० राज्य का हिस्सा था । तदनन्तर अवधि को इस आशय से 1981-82 तक बढ़ा दिया गया (सितम्बर 1979) कि राज्य सरकार इसके पश्चात अपने साधनों से तकनीकी आंतरिक ढांचे के लिये जिम्मेदारी स्वयं सम्भालेगी । भारत सरकार द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार, अन्यों के मध्य, संगठन पर एक हाईड्रोलोजिस्ट तथा दो सहायक भू-वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाना था ताकि योजना के प्रत्येक अनुशासन में कार्य कलाप का निर्विघन रूप से होना सुनिश्चित हो सके । तथापि भारत सरकार द्वारा योजना के अनुमोदन के समय कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे और न ही योजना के लागू करने को अवधि को बढ़ाने के समय योजना में कोई नई परियोजनाएं जोड़ी गई थीं ।

निष्पादित किये जाने वाले मुख्य क्रियाकलापों में लघु जलागमों में अतिरिक्त स्टेशनों की स्थापना हेतु मार्ग दर्शक रेखा तैयार करना, चुने हुए विद्यमान कार्यों पर हाइड्रोलोजिक आंकड़ों के एकत्रण हेतु मानक पद्धति की व्यवस्था करना, हाइड्रोलोजिक आंकड़ों के विश्लेषण में आधुनिक विश्लेषणकारी एवं सांखियकीय पद्धति को लागू करने हेतु क्षमता का विकास करना, वर्षा एवं बहाव का अध्ययन करना और उन के मध्य अधिक वास्तविक सम्बन्ध स्थापित करना, कार्यों के हाइड्रोलोजिक डिजाइन में सुधार करना तथा आधुनिक विचारों पर आधारित फसल, भूमि और सिंचाई आयोजन, जल व्यवस्था एवं कार्यों के डिजाइन को लागू करना था ।

सतही जल संगठन सोलन के लेखाओं की नमूना जांच (जून 1981) से निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आये :—

(क) संगठन ने अगस्त 1978 में कार्य आरम्भ किया और 5.66 लाख रु० के अनुमोदित परिव्यय (स्टाफ 2.16 लाख रु०, उपस्कर : 3.50 लाख रु०) के प्रति मार्च 1982 तक स्टाफ (12.09 लाख रु०) तथा उपस्कर आदि (3.19 लाख रु०) पर 15.28 लाख रु० की राशि व्यय की जा चुकी थी।

(ख) विभाग द्वारा एक सहायक अभियन्ता (जुलाई 1979) को तैनात कर के सहायक भू-वैज्ञानिक का एक पद भरा गया और दूसरा पद जून 1980 में भरा गया । हाइड्रोलोजिस्ट का पद अभी तक नहीं भरा गया था (मई 1982) यद्यपि भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार उपरोक्त कार्यकलाप हाइड्रोलोजी के क्षेत्र में प्रशिक्षित अनुभवी तकनीकी स्टाफ द्वारा किया जाना था । संगठन में तैनात स्टाफ जांच एवं अनुमानों को बनाने में

प्रयोग किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	जिले का नाम	जांच की गई योजनाओं की संख्या	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए अनुमानों की संख्या
1	सोलन	85	40
2	सिरमौर	6	5
3	शिमला	26	7
4	ऊना	7	6
	योग	124	58

इसके अतिरिक्त संगठन ने वर्ष 1981-82 में 35 जल आपूर्ति योजनाओं की प्रारम्भिक जांच की और उनमें से 8 के प्राथमिक अनुमान 18.70 लाख रुपये की राशि के बनाये और उच्च अधिकारियों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये ।

महायोजना जांच मण्डल द्वारा भी अनुमान तथा डिजायन तैयार किये जाते हैं । अत : संगठन उस कार्य को निष्पादित नहीं कर रहा था जोकि उसे विशेष रूप से सौंपा गया था ।

(ग) संगठन द्वारा अप्रैल 1979 तथा मार्च 1980 में 1.63 लाख रुपये की लागत से एक जीप और एक ट्रक खरीदा गया जिसे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अन्य मण्डलों को क्रमश: अप्रैल 1979 तथा अप्रैल 1980 में अन्तरित किया गया । ट्रक (लागत: 1.20 लाख रुपये) दिसम्बर 1981 में वापिस लिया गया तथा जीप की लागत (0.43 लाख रुपये) अभी वसूल की जानी थी (मई 1982 । 0.17 लाख रुपये के खरीदे गये प्रयोगशाला उपस्कर अन्य उपमण्डलों के पानी के नमूनों की 'भुगतान पर जांच' के लिये प्रयुक्त किये जा रहे थे ।

नवम्बर 1981 में संगठन को नियमित कार्यकारी मण्डल में परिवर्तित कर दिया गया ।

योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थात् हाइड्रोलोजिकल आंकड़ों का संग्रहण तथा हाइड्रोलोजिकल कार्य के डिजाइन का सुधार, जिस पर 15.28 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था (मार्च 1982 तक), प्राप्त नहीं किया गया था ।

यह मामला सरकार को जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983) ।

4.8. ठेकेदार को अधिक भुगतान

कांगड़ा जिले में जसूर गंगथ इन्दौरा सड़क पर छौंछ खड्ड के ऊपर पुल निर्माण हेतु

दिसम्बर 1977 में अधिशासी अभियन्ता नूरपुर (भवन तथा सड़कें) मण्डल द्वारा एक ठेकेदार के साथ हुए अनुबन्ध पर संलग्न मात्रा अनुसूची में अन्य बातों के साथ साथ जल उलीचने अथवा निकालने सहित परिपूर्ण मिट्टी में खुदाई हेतु व्यवस्था सम्मिलित थी। अतिरिक्त शर्तों में शर्त संख्या 38 तथा अनुबन्ध से संलग्न विशिष्टता में प्रावधान था कि जल की निकासी अथवा उसके दिशा परिवर्तन हेतु विभाग द्वारा ठेकेदार को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। उसी स्थान पर शर्त संख्या 75 में पुनः निर्धारित किया गया था कि ठेकेदार रोड़ी भरने तथा राजगीरी के काम के अन्तर्गत समजल शैय्या तैयार करेगा और जल की निकासी की अपनी व्यवस्था करेगा ताकि शुष्क भूमि पर व्यावहारिक रूप से नींव में रोड़ी एवं राजगीरी का काम उसकी उद्धृत दरों के अन्दर ही हो सके तथा इस पर ठेकेदार को कुछ भी भुगतान नहीं होगा। कार्य (अनुमानित लागत 9.13 लाख रुपये) प्रगति के पथ पर था और अगस्त 1982 के अन्त तक 6.69 लाख रुपये का व्यय हो चुका था।

मण्डल के लेखाओं की नमूना जांच (जुलाई 1981) में यह प्रकाश में आया कि ठेकेदार ने खोदे हुए पूर्ण गढ्ढों में से पानी की निकासी के लिये पम्प लगाये थे ताकि पुल के सतंभों के निर्माण में रोड़ी का काम चल सके और उसने पानी की निकासी की दरें निश्चित करने की प्रार्थना की। उसका दावा (7.86 लाख रुपये) अधिशासी अभियन्ता ने जून 1978 और फिर अक्तूबर 1980 में इस तर्क पर अस्वीकार कर दिया कि उसने हर प्रकार की मिट्टी की खुदाई करने की अबाध दरों की पेशकश की थी, जोकि उसे अनुबन्ध की धारा 5 के अन्तर्गत मान्य थी।

तदनन्तर अनुबन्ध की धाराओं के विपरीत ठेकेदार को मई 1982 तक 0.71 लाख रुपये का भुगतान जल की निकासी (0.39 लाख रुपये खुदाई के दौरान और 0.32 लाख रुपये रोड़ी डालने के अन्तर्गत) जो कि क्रमशः अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के आदेशों से हुई के लिये किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता नूरपुर मण्डल ने बताया (मई 1982) कि जल के नीचे काम करवाने का कोई विशिष्ट प्रावधान न होने की वजह से ठेकेदार को पानी की निकासी के व्यय का भुगतान किये बिना निर्माण कार्य करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता था। इससे आगे बताया गया कि अनुबन्ध का अतिरिक्त अनुच्छेद नं० 75 जो कि अपरिवर्तनीय शर्त अनुबन्ध के साथ लगी है, का कोई महत्व नहीं, जब तक कि उसके प्रभाव का वास्तविक मूल्यांकन न किया हो और निविदाओं की स्वीकृति के समय उसे दृष्टिगत न रखा हो, और यह केवल वहीं पर प्रयुक्त होती है, जहां कि अकस्मात ही थोड़ी मात्रा में जल को सम्भालना हो। उसने आगे बताया कि निर्माण कार्य अनुबन्ध के अनुच्छेद 11 के अनुसार अर्थात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टताओं के आधार पर होना था जिन में पानी की निकासी का अलग भुगतान करने का प्रावधान है।

अधिशासी अभियन्ता की उपरोक्त धारणा मान्य नहीं थी क्योंकि अतिरिक्त शर्त में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्टित था कि पानी की निकासी के लिये कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा। चूंकि अनुबन्ध मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित था इस लिये अधीक्षण अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता इस भुगतान को प्राधिकृत करने के लिये सक्षम नहीं थे।

मामला सरकार को जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है नवम्बर 1982)।

4.9. व्यर्थ व्यय

रानीताल–कोटला सड़क चक्की–मण्डी सड़क से 46 किलोमीटर पर विभक्त होती है और पहाड़ों के विमार्गगमन के पश्चात् वृत्ताकार मार्ग द्वारा इस सड़क पर किलोमीटर 37/549 से किलो–मीटर 44/182 में पड़ने वाले गांव बग्गा और जंगल से गुजरती है। सड़क उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। क्षेत्रीय जनता के अभिवेदन पर मुख्य अभियंता ने (नवम्बर 1973) अधिशासी अभियंता नूरपुर मण्डल को रानीताल कोटला सड़क 5 किलोमीटर के प्रति 2.55 किलोमीटर लम्बी सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु प्राधिकृत कर दिया जोकि गांव जंगल 38/350 किलोमीटर से विभक्त होती है और फिर गांव बग्गा में उसी सड़क को 43/100 किलोमीटर पर मिलाती है। चूंकि 2.55 किलोमीटर लम्बी सम्पर्क सड़क के पूर्ण रेखांकन में 8 फुट चौड़ा रास्ता विद्यमान था इसलिये सम्पर्क सड़क निर्माण की लागत 0.66 लाख रुपये (नवम्बर 1973) अनुमानित की थी (सुधार एवं चौड़ा करना 12'/15' सड़क संरचना : 0.20 लाख रुपये, भूमि अधिग्रहण एवं मकानों का मुआवजा 0.31 लाख रुपये और पारगति नालियों का निर्माण 0.15 लाख रुपये) सरकार ने 3.95 लाख रुपये की लागत से सम्पर्क सड़क के निर्माण की स्वीकृति (नवम्बर 1974) प्रदान की थी जिसमें संरचना का सुधार, पारगामी नालियों का निर्माण, पक्का करना व तारकोल विछाना, भूमि अधिग्रहण और विविध मदें सम्मिलित थीं। निर्माण कार्य अप्रैल 1978 में आरम्भ किया गया और 1981–82 में 3.12 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुआ। सम्पर्क सड़क के लिये भूमि का अधिग्रहण अभी करना था और कोई भी मुआ–वजा नहीं दिया गया था। (जुलाई 1982)।

अधिशासी अभियंता नूरपुर मंडल ने अपने प्रतिवेदन (फरवरी 1974) द्वारा अधीक्षण अभियंता को बताया कि यद्यपि गांव जंगल और बग्गा से होता हुआ सड़क का रेखांकन लम्बाई में छोटा है परन्तु उसका अनुसरण नहीं किया जा सका क्यों कि गांव वालों ने सड़क को अपनी कृषि योग्य भूमि में से गुजरने नहीं दिया और रेखांकन में तीखे/अन्धे मोड़ भी हैं।

जुलाई 1979 तक वृत्ताकार मार्ग, 37/549 किलोमीटर से 44/182 किलोमीटर के बीच 7.78 लाख रुपये का व्यय हो चुका था। सम्पर्क सड़क के निर्माण से वृत्ताकार मार्ग किलो–मीटर 38/350 से किलोमीटर 43/100 के बीच के भाग, जिसकी 5.98 लाख रुपये के व्यय से बनाया गया था को परित्यक्त कर दिया गया। अधिशासी अभियंता ने बताया (मई 1982) कि सड़क सुधार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसलिये सड़क की संरचना पर किया गया 5.98 लाख रु. का व्यय निष्फल रहा क्योंकि जो सम्पर्क सड़क अब बनी है वह छोटी है और संबंधित गांव की जन संख्या को भी लाभान्वित कर देती है।

मामला सरकार को जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

4.10. अपूर्ण सड़कें

बिलासपुर—I देहरा और करसोग मण्डलों के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा (नवम्बर/दिसम्बर, 1981/फरवरी, 1982) से इंगित हुआ कि निम्नलिखित सड़कों का निर्माण,

जिन पर 3.76 लाख रुपये का व्यय हो चुका था अपूर्ण रहा :—

क्रमांक	सड़क का नाम	अनुमानक के अनुसार सड़क की लम्बाई	कार्य आरम्भ की तिथि	जिस तिथि से कार्य बन्द हुआ	पूर्ण कार्य का ब्यौरा	व्यय (लाख रुपयों में)	निर्माण कार्य को बन्द करने के कारण
1.	गांव लेहरी सराह से होती हुई लढ़यानी से बरोटा सड़क	8	1979–80	जनवरी 1980	सर्वेक्षण कटाई–2.5 कि० मी० चौड़ाई—1.150 कि०मी०	0.88	मालिकों की अपील पर अदालत द्वारा स्थगन आदेशों के कारण
2.	सोविन से होती हुई मोहिन से बलधार सड़क	4.5	जून 1979	जून 1981	सड़क चौड़ी करना 3.900 कि०मी० पारगामी नालियों का निर्माण—1	1.25	——तदैव——
3.	इंतरु अलोह सड़क	2.5	अप्रैल 1979	जुलाई 1980	1.395 कि०मी०	0.53	निधियों की कमी
4.	खेरां खड्ड से पीर सलूही	2.5	—तदैव—	—तदैव—	0.2 कि०मी०	0.20	—तदैव—
5.	ढावला से नेहर सड़क	5	—तदैव—	मार्च 1981	1.435 कि०मी०	0.43	—तदैव—
6.	गलसास नाला धुन्धन बगसयाड़ सड़क	24	1976–77	मार्च 1981	0.4 किलोमीटर इकहरी बस योग्य सड़क	0.47	क्योंकि इस क्षेत्र के लिये दूसरी सड़क

क्रमांक	सड़क का नाम	अनुमानक के अनुसार सड़क की लम्बाई	कार्य आरम्भ की तिथि	जिस तिथि से कार्य बन्द हुआ	पूर्ण कार्य का ब्यौरा	व्यय (लाख रुपयों में)	निर्माण कार्य को बन्द करने के कारण
					1.10 किलोमीटर 4′ चौड़ा रास्ता 0.75 किलोमीटर संरचना 5/7 मीटर चौड़ी 3.66 किलो-मीटर संरचना 2.75 मीटर चौड़ी एक किलोमीटर, सर्वेक्षण कटाई 1.5 किलो-मीटर रास्ता		अर्थात् मोहता बाग-सेद सड़क पहले ही निर्माणाधीन थी।
					जोड़	3.76	

3.76 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो चुका है। मामला सरकार को जुलाई 1982 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

4.11. जल आपूर्ति योजना, भेरी बालकरू पी

कांगड़ा ज़िले में व्यास नदी से लिफ्ट जल आपूर्ति योजना भेरी बालक रूपी के लिये मार्च 1970 में 1.72 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। बरसातों में नदी में भारी बाढ़ें आने के कारण जन स्वास्थ्य मण्डल, पालमपुर द्वारा यह स्रोत उपयुक्त नहीं माना गया था। फरवरी 1972 में न्यूगल खड्ड के किनारे अन्तः संचरण दीर्घा (इनफिलट्रेशन गैलरी) और जलकूप बनाने के लिये 2.46 लाख रुपये का दूसरा अनुमान संस्वीकृत किया गया था। पालमपुर (भवन तथा सड़कें मण्डल) ने 1972–73 के दौरान कार्य शुरु कर दिया था, तथा 1.36 लाख रुपये का व्यय उस मण्डल ने मई 1974 में अन्तः संचरण दीर्घा, भण्डारण बांध (आर०सी०सी० कूएं के अतिरिक्त) जलकूप तक पाइप लाइन बिछाने और वितरण पाइप (548 मीटर) के निर्माण के लिये किया था। फिर यह कार्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, धर्मशाला, अब पालमपुर में स्थिति, को स्थानांतरित कर दिया गया था।

1974 में बरसात में, अन्तः संचरण दीर्घा तथा दीर्घा को जलकूपों से जोड़ने वाली पाइप लाइन का एक भाग बाढ़ में बह गया था जिससे 0.30 लाख रुपये की क्षति हुई। वर्ष 1977 में अधीक्षण अभियंता ने बताया कि न्यूगल खड्ड में अन्तः संचरण दीर्घा सफल नहीं हो सकती क्योंकि बाढ़ के दौरान खड्ड में अत्याधिक पानी आ जाता है।

न्यूगल खड्ड के दायें किनारे संचरण कूंआ बना कर पानी का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। यह स्रोत भी पानी के कम रिसने के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया। अधिक जांच के बाद एक अन्य स्रोत, पपरोला गांव के निकट स्थित एक नाला, खोजा गया और इस स्रोत के आधार पर 4.51 लाख रुपये का परिशोधित अनुमान अगस्त 1979 में बनाया गया जिसके लिये अभी संस्वीकृति प्रतीक्षित है। कार्य सितम्बर 1979 में आरम्भ कर दिया गया था और 4.83 लाख रुपये (मार्च 1982 तक व्यय) की लागत से सितम्बर 1981 में पूरा कर दिया गया था।

पानी के स्रोत के गलत चुनाव के कारण विभाग को कार्य पूरा करने में लगभग नौ वर्ष लगे जिस दौरान क्षेत्र के निवासियों को योजना के लाभों से वंचित रखा गया। देरी के परिणामतः 2.37 लाख रुपये (4.83 लाख रुपये माइन्स 2.46 लाख रुपये) का टाला जा सकने वाला अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके कारण पंपिंग मशीनरी के मूल्य में वृद्धि, विद्युत पूर्ति और वितरण प्रणाली का और अधिक लम्बा हो जाना थे।

मामला जुलाई 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; जिसका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

4.12. चुंगी प्रभारों की अदायगी

जून 1978 के दौरान नगरपालिका, चम्बा ने 5 लाख रुपये (0.30 लाख रुपये को छोड़कर जो पहले ही जनवरी 1976 में दे दिये गये थे) का एक पक्षीय निर्धारण हिमाचल प्रदेश नगरपालिका नगर लेखा संहिता की धारा V.17 के अन्तर्गत किया जिसका कि 1952 से 1978 तक चम्बा में आयात होने वाले चुंगी योग्य माल पर चम्बा मण्डल द्वारा देय बकाया था। नगरपालिका

ने अधिशासी अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग चम्बा को कहा कि वह इस निर्धारण पर अपनी स्वीकृति दे। अधिशासी अभियंता ने माल के विवरण को जाने बिना ही 1.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। शेष राशि अभी तक देय है (नवम्बर 1979) अधिशासी अभियंता चम्बा ने सूचित किया (सितम्बर 1982) कि विभाग के पास 1952 से लेकर नगर निगम के सभी बिल मौजूद हैं। क्योंकि आयात माल के विवरण के समायोजन का कार्य अभी बकाया था इसलिये अदायगी में विलम्ब हुआ। यद्यपि विभाग के पास विवरण मौजूद होने पर भी पहले ही समय पर भुगतान न किये जा सकने तथा 3.50 लाख रुपये की शेष देय राशि के भुगतान को रोके रखने के कारण नहीं बताए गये थे।

मामला जुलाई 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

4.13. अमतेहड़-सुनहड़ मुण्डला-दौलतपुर सड़क का निर्माण

ग्यारह गांवों को सड़क द्वारा जोड़ने के लिये ज़िला कांगड़ा में पांच किलोमीटर लम्बी अमतेहड़–सुनेहड़ मुण्डला–दौलतपुर सड़क द्वारा अमतेहड़ गांव को दौलतपुर से जोड़ने का निर्णय लिया गया था। मई 1972 में 5.52 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य के दो वर्ष के भीतर पूर्ण होने का निश्चय था। धर्मशाला मण्डल के लेखाओं की नमूना जांच (मार्च 1982) में यह प्रकट हुआ कि 1972–73 में विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था और अगस्त 1980 तक 0.50 लाख रुपये के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय द्वारा 2/640 कि० मी० तक का कार्य पूरा कर दिया गया था (अगस्त 1980)। कांगड़ा से नगरोटा रेल मार्ग के मध्य एक रेल चौराहा बनाने के लिये रेल प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न हो सकने के कारण यह निर्माण कार्य निरंतर क्रम से नहीं हो सका। अप्रैल 1974 में "कोई आपत्ति नहीं है" का एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिये रेल प्राधिकारियों से सम्पर्क किया गया जो अभी तक प्रतीक्षित था। अधिशासी अभियंता ने बताया (मई 1982) कि मामला रेल प्राधिकारियों से पत्राचाराधीन था और रेल की भूमि 6 मास के भीतर अधिग्रहण की जा सकेगी। यह भी बताया गया था कि निजी भूमि अर्जन हेतु पत्र क्रियान्वित किये जा रहे थे और वहां सपाट खेत होने के कारण सड़क को यातायात हेतु खोलने से पहले भूमि की खुदाई के कार्य को पूर्ण करना ठीक नहीं समझा गया था।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1982) कि कार्य का पूर्ण होना बजट में निधियों तथा भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है और प्रस्तुत मामले में विभिन्न वर्षों में स्वीकृत बजट में उपलब्ध निधियों के अनुसार निर्माण कार्य किया गया है।

पांचवाँ अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

लोक निर्माण विभाग

5.1 सामग्री की कम प्राप्ति

सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य मण्डल, डलहौजी के लेखाओं की नमूना जांच (नवम्बर 1981) ने दर्शाया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रेल से प्रेषित 1.36 लाख रुपये मूल्य के जी०आई० पाइपों के 9 प्रेषण जनवरी 1979 से जून 1981 तक की अवधि के दौरान कम प्राप्त हुये थे। चार प्रेषणों (0.77 लाख रुपये) के सम्बन्ध में दावे समय पर (जून/जुलाई 1980 में तीन तथा अगस्त 1981 में एक) प्रस्तुत किये गए थे तथा प्रेषणों की प्राप्ति के 6 महीने के अन्दर दावे प्रस्तुत किए जाने के अपेक्षित पांच प्रेषणों (0.50 लाख रुपये) के लिये दावे विलम्ब (मार्च 1979, जुलाई 1979 तथा अगस्त 1979 के दौरान प्राप्त हुए प्रेषण तथा जून 1980 एवं जुलाई 1980 में प्रस्तुत किये गए दावे) से प्रस्तुत किये गए थे। दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से 0.59 लाख रुपये की वसूली संदेहास्पद हो गई है।

जून 1982 में यह मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

5.2. पौलिथीन पाइपों का अविवेकपूर्ण क्रय

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, बिलासपुर के लेखाओं के नमूना जांच (नवम्बर–दिसम्बर 1981) नें दर्शाया कि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य वृत्त सुन्दरनगर, द्वारा जनवरी 1979 में दिये गए आपूर्ति आदेशों के प्रति मई से सितम्बर 1979 तक की अवधि के दौरान 7.75 लाख रुपये के मूल्य के विभिन्न व्यास के 3,600 मी. उच्च घनत्व वाले पौलिथीन पाइप खरीदे गये थे।

3.55 लाख रुपये के मूल्य की 1,580 मीटर पाइपें अक्तूबर 1979 से मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान अन्य मण्डलों को बेच दी गई थीं। मण्डल द्वारा फालतू घोषित की गई 4.20 लाख रुपये के मूल्य की शेष 2,020 मीटर पाइपें अप्रयुक्त पड़ी थीं (नवम्बर 1981)।

बिना किसी तात्कालिक आवश्यकता के क्रय का परिणाम निधियों के अवरोधन में निकला।

यह मामला अगस्त 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

5.3 फालतू भंडार

कांगड़ा (भवन एवं सड़क) मण्डल के बिन कार्डों की नमूना जांच (सितम्बर 1981) ने प्रकट किया कि मार्च 1967 से जुलाई 1975 तक की अवधि के दौरान क्रय की गई 1.60 लाख रुपये की सामग्री (पाइप फिटिंग आदि) मण्डल की आवश्यकता से अधिक थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 1982) कि सामग्री का सम्बन्ध सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य कार्यों से था तथा वह उस मण्डल द्वारा प्रयुक्त नहीं की जा सकती थी। फालतू सामग्री को सभी अधीक्षण अभिन्ताओं एवं अधिशासी अभिन्ताओं के मध्य उनकी आवश्कताओं की पूर्ति हेतु प्रचारित किया गया (नवम्बर 1981) लेकिन कोई भी मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ तथा सामग्री अप्रयुक्त पड़ी है (मई 1982)।

यह मामला जून 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

गृह विभाग

5.4 अप्रयुक्त भंडार

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि जन सेवा की निश्चित आवश्यकतानुसार मितव्ययी ढंग से सामग्री का क्रय किया जाना चाहिये तथा साथ ही भंडारों को वास्तविक आवश्कताओं से काफी पहले सामग्री का क्रय न करने की सावधानी भी बरती जानी चाहिये। सरकार ने भी निर्धारित किया हुआ है कि विगत दो वर्षों के दौरान दी गई तथा आगामी तीन वर्षों के दौरान दिए जाने हेतु प्रस्तावित वर्दी के जारी किये जाने को प्रदर्शित करने वाली एक विवरणी वार्षिक रूप से तैयार करके पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रदर्शित की जानी चाहिये।

पुलिस अधीक्षक, शिमला के लेखाओं की नमूना जांच (दिसम्बर 1981) ने दर्शाया कि क्रय के आधिक्य के कारण 5.98 लाख रुपये के अप्रयुक्त वस्त्रों की मदें पड़ी हुई थीं जैसे कि नीचे विवरण दिया गया है:—

वर्ष	आदि शेष	क्रय की गई वस्त्र सामग्री	जारी की गई वस्त्र मदें	अन्त शेष
		(लाख रुपयों में)		
1979–80	1.40	1.67	1.31	1.76
1980–81	1.76	1.70	1.82	1.64
1981–82 (अक्तूबर 1981 तक)	1.64	5.05	0.71	5.98

पुलिस अधीक्षक, शिमला ने बताया (दिसम्बर 1982) कि वस्त्र सामग्री (5.98 लाख रुपये) के अन्तिम शेष में सभी जिलों से सम्बन्धित तथा दिसम्बर 1981 में इन जिलों को वितरित 2.78 लाख रुपये का खैरीकाट का कपड़ा एवं अनुमोदित प्रणाली का न पाया गया तथा अस्वीकृत

0.69 लाख रुपये का बादामी मिश्रित वस्त्र सम्मिलित था । उप-स्तरीय वस्त्र के बदलाये जाने सम्बन्धी मामला फर्म के साथ पत्राचाराधीन था। पुनः यह बताया गया कि 0.66 लाख रुपये के मूल्य की वर्दियां नवम्बर 1982 तक प्रयुक्त की जा चुकी थीं तथा 1.85 लाख रुपये मूल्य की शेष मदें भंडार में पड़ी थीं।

यह मामला मई 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर, 1983)।

मत्स्य पालन विभाग

5.5 भंडार का अनावश्यक क्रय

सहायक निदेशक, मत्स्य पालन, जस्सूर (कांगड़ा जिला) के लेखाओं की नमूना जांच (सितम्बर 1982) ने दर्शाया कि जनवरी 1978 एवं मार्च 1981 के मध्य (0.26 लाख रु० जनवरी 1978 ; 0.05 लाख रु० मार्च 1978 ; 0.59 लाख रु० मार्च 1979 तथा 0.24 लाख रु० मार्च 1981) क्रय की गई 1.14 लाख रु० के मूल्य की सामग्री (लकड़ी के स्लीपर, सी० जी० आई० शीट कांटेदार तार तथा कोनिया लोह) अप्रयुक्त पड़ी थी क्योंकि मोटरबोट, शैड तथा मत्स्य पालन परिसर जिन पर इन का प्रयोग किया जाना था निर्मित ही नहीं किये गये थे (जून 1982)।

यह मामला मई 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

6.1 अनुदान एवं उनका उपयोग

वर्ष 1981-82 में सरकार ने पंचायतों, नगर पालिकाओं, सहकारी समितियों, शिक्षा संस्थाओं आदि को अनुदान स्वरूप 9,63.80 लाख रु. का भुगतान किया जैसे कि नीचे वर्णित है :—

क्रम संख्या	विभाग	1981-82 के दौरान प्रदत्त अनुदान
		लाख रुपयों में
1	ग्रामीण एकीकृत विकास	3,34.73
2	शिक्षा	1,20.04
3	कृषि	1,73.61
4	स्थानीय स्वशासन	1,36.32
5	उद्योग	87.72
6	कल्याण	25.82
7	सहकारिता	19.50
8	पशुपालन	10.42
9	वन	29.50
10	पंचायती राज	11.79
11	लोक निर्माण कार्य	1.60
12	सामान्य प्रशासनिक (सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं)	4.96
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.31
14	पर्यटन	7.48
	जोड़	9,63.80

नियमों के अन्तर्गत यदि विशेषतया अन्यथा निर्दिष्ट न हो तो विभागीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय को अनुदानों के संवितरण के एक वर्ष के भीतर इस आशय के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वांछित होते हैं कि अनुदानों का उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया था जिन के लियें भुगतान किया गया था। लोक लेखा समिति प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण की धीमी प्रगति पर बार-बार असंतोष प्रकट कर चुकी थी और सिफारिश कर चुकी थी कि क्षेत्रीय अधिकारियों के असामान्य विलम्ब के मामलों की पूर्णत: छानबीन की जानी चाहिये। वर्ष 1958-59 से 1980-81 तक प्रदत्त अनुदानों के सम्बन्ध में 1,213 बकाया पड़े उपयोगिता प्रमाण पत्रों (19,04.69 लाख रुपये) में से 30 सितम्बर 1982 तक केवल 223 प्रमाण पत्र (2,73.59 लाख रु.) प्रस्तुत किये गये थे और 990 प्रमाण पत्र (16,31.10 लाख रु.) बकाया रह गए (30 सितम्बर 1982)। इन 990 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विभागवद्ध विवरण नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	विभाग	प्रमाण पत्रों की संख्या	धनराशि
			(लाख रुपयों में)
1	कृषि	50	5,85.36
2	ग्रामीण एकीकृत विकास	239	4,71.77
3	स्थानीय स्वशासन	349	1,82.75
4	उद्योग	30	1,47.78
5	पशुपालन	28	38.94
6	पर्यटन	1	3.00
7	शिक्षा	113	1,06.20
8	कल्याण	154	49.40
9	पंचायती राज	15	28.99
10	सहकारिता	2	7.00
11	चिकित्सा	7	0.11
12	वन	2	9.80
	जोड़	990	16,31.10

अप्राप्य उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नवत है :—

	प्रमाण पत्रों की संख्या	धन राशि (लाख रुपयों में)
तीन वर्ष तक विलम्बित	663	12,35.98
तीन वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष तक विलम्बित	175	2,92.34
पांच वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम तक विलम्बित	91	95.88
दस वर्ष से अधिक विलम्बित	61	6.90
	990	16,31.10

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में यह ज्ञात करना सम्भव नहीं था कि प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुदानों को उसी (उन्हीं) उद्देश्य (श्यों) पर व्यय किया गया था जिसके (जिनके) लिए वह दिए गए थे एवं निधियों का दुर्विनियोजन हुआ था या नहीं ।

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खण्ड 15 के प्रावधानों के अनुसार जहां किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त किया जाता है तो नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक उस पद्धति की छानबीन करेंगे जिसके द्वारा सम्मोदन प्राधिकारी ऐसे प्रदत्त अनुदानों तथा ऋणों की शर्तों के पूर्ण होने से स्वयं को सन्तुष्ट करता है । खण्ड 15 के अधीन लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्यों को खण्ड 13 के अधीन सम्बन्धित मामलों के साथ अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है ।

उद्योग विभाग

6.2 हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग संस्था

1. **प्रस्तावनात्मक**—हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड अधिनियम 1966 के अधीन 8 जनवरी 1968 को स्थापित किया गया था ।

बोर्ड का मुख्य कार्य अन्य बातों के साथ-साथ खादी तथा ग्रामीण उद्योग में लगे व्यक्तियों, समितियों अथवा संस्थाओं को ऋण देकर, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों को संचालन हेतु आवश्यक कार्यकुशलता के विचार से प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करके, ऐसे उद्योगों के उत्पाद में व्यापार अथवा व्यवसाय के संचालन तथा प्रचार एवं प्रसार और परिष्कृत माल के विपणन हेतु व्यवस्था करके ऐसे उद्योगों को प्रोन्नति, प्रोत्साहन एवं सहायता देकर आयोजन संगठन एवं खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है ।

2. **संगठनात्मक ढांचा**—बोर्ड में कम से कम तीन और अधिक से अधिक नौ सदस्यों की

व्यवस्था थी। 31 मई 1982 को बोर्ड के छः सदस्य थे। मार्च 1980 तथा जनवरी 1982 के मध्य बोर्ड की केवल आठ सभाएं हुईं।

3. **वार्षिक लेखे.**—बोर्ड के लेखाओं का लेखापरीक्षण नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 खण्ड 20(1) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग अधिनियम 1966 के खण्ड 29(5) के साथ वाचित नियम 17 में अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन महीनों के भीतर वार्षिक लेखे तैयार किए जाएंगे एवं बोर्ड के सामने रखे जाएंगे। प्रमाणीकरण के पश्चात् ये लेखे सामान्यतः अगस्त के अन्त तक सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

वर्ष 1979-80 तक के वार्षिक लेखे महालेखाकार हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ द्वारा प्रमाणित हैं। 1980-81 तथा 1981-82 के लेखे अनुस्मरणों के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. जुलाई-अगस्त 1982 में बोर्ड की समीक्षा की गई थी। महत्वपूर्ण निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं क्योंकि बोर्ड द्वारा लेखे संकलित नहीं किए गए थे।

5. **कार्यकारी परिणाम.**—1980-81 को समाप्त पिछली चतुर्वार्षिकी के लिए बोर्ड के कार्यकारी परिणाम नीचे सारणीकृत हैं:—

खादी	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
		(लाख रुपयों में)		
आय	1,28.80	1,29.31	1,65.73	1,60.78
व्यय	**1,23.58**	**1,18.02**	**1,55.52**	**1,55.74**
सकल लाभ	5.22	11.29	10.21	5.04
प्रावधान	2.55	7.83	9.20	4.20
शुद्ध लाभ	2.67	3.46	1.01*	0.84*
कच्चे माल तथा बिक्री का उपभोग	63.32	58.12	86.21	87.59
अन्तिम स्टाक	56.93	63.95	70.14	65.11
महीनों के उपभोग के रूप में अन्तिम स्टाक	11	13	10	9

*1981-82 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

ग्रामीण उद्योग	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
	(लाख रुपयों में)			
आय	11.33	12.98	13.69	22.67
व्यय	10.51	10.36	12.35	21.00
सकल लाभ	0.82	2.62	1.34	1.67
प्रावधान	0.40	2.55	0.88	1.45
शुद्ध लाभ	0.42	0.07	0.46	0.22
कच्चे माल एवं बिक्री का उपभोग	7.64	8.14	9.51	12.89
अन्तिम स्टाक	2.50	3.64	2.99	7.74
महीनों के उपभोग के रूप में अन्तिम स्टाक	4	5	4	7
प्रशासन—				
आय	20.19	16.37	18.92	39.19
व्यय	20.19	16.37	18.92	39.19

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि खादी के मामलों में लाभ (शुद्ध) तीव्रता से गिरकर 3.46 लाख रु० (1978–79) से 1.01 लाख रु० (1979–80) तथा 0.84 लाख रु० (1980–81) हो गया। ग्रामीण उद्योगों के मामले में लाभ (शुद्ध) 0.42 लाख रु० (1977–78) से गिरकर 0.07 लाख रु० (1978–79) तथा 0.46 लाख रु० (1979–80) से गिरकर 0.22 लाख रु० (1980–81) हो गया था ।

हिमाचल प्रदेश राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया (अगस्त 1982) कि लाभों में गिरावट मुख्यत: प्रासंगिक व्यय अर्थात् किरायों, दरों एवं करों, विद्युत एवं जल प्रभारों तथा वाणिज्य केन्द्रों आदि के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि और सरकारी विभागों से आदेशों की अप्राप्तता से सम्बन्धित थी ।

6. ऋण/अनुदान

(क) **राज्य सरकार से अनुदान बोर्ड**.—प्रशासनिक व्यय को वहन करने तथा राज्य सरकार की जन-जातीय विकास योजना के अधीन विशेष योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करता है । 8 जून 1968 से 31 मार्च 1982 तक की अवधि के दौरान कुल 2,37.83 लाख रु० के अनुदान प्राप्त किए गए थे जिनके प्रति 2,06.31 लाख रुपये का व्यय किया गया था ।

(ख) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता का विमोचन.—एक समस्त ...क कार्यक्रम के आधार पर बोर्ड ने वर्ष प्रतिवर्ष खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग से वित्तीय ...यता प्राप्त की। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग से प्राप्त कुल ऋण एवं अनुदान तथा इनके ...म्भ होने की तिथि अर्थात 8 जनवरी 1978 से 31 मार्च 1982 तक बोर्ड द्वारा संवितरित राशि ...: 5,32.14 लाख रु० तथा 4,70.66 लाख रु० थी और 61.48 लाख रु० शेष बचे थे। ...नांकित तालिका आयोग द्वारा आबंटित ऋणों एवं अनुदानों की धनराशि, बोर्ड द्वारा ...योग से वास्तव में प्राप्त की गई राशि तथा उनके प्रति 1981–82 को समाप्त हुए पांच वर्षों के ...रान संवितरित राशि को इंगित करती है :—

खादी	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82
			(लाख रुपयों में)		
(i) आयोग द्वारा आबंटित निधियां					
ऋण	18.74	32.01	0.42	0.29	2.49
अनुदान	..	0.14	0.14	0.11	0.16
(ii) आयोग से प्राप्तियाँ					
ऋण	4.23	23.96	0.08	0.09	1.14
अनुदान	..	0.07	0.08	0.07	0.03
(iii) संवितरण					
ऋण	..	..	08.42	0.29	1.24
अनुदान	..	0.13	0.14	0.11	0.15
(iv) गिरावट (i)—(ii)					
ऋण	14.57	8.05	0.34	0.20	1.35
अनुदान	..	0.07	0.06	0.04	0.13

बोर्ड ने जबकि वर्ष 1977–78 एवं 1978–79 के दौरान आयोग से क्रमश: 4.23 लाख ...पये (ऋण) तथा 24.03 लाख रुपये (ऋण: 23.96 लाख रुपये तथा अनुदान : 0.07 लाख ...पये) प्राप्त किए थे फिर भी 1978–79 के दौरान उनके प्रति संवितरण केवल 0.13 लाख रुपये (अनुदान) था। अभिलेखों की छानबीन ने दर्शाया कि पहले से ही प्राप्त की गई निधियों की अप्र-...ुक्त/असंवितरण के कारण 1978–79 के दौरान आंबटित राशियों के शेष के विमोचन हेतु पुनरादान

बिल आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। प्रबन्धकारिणी ने गिरावट (अगस्त 1982) को कारिणी में परिवर्तन से सम्बद्ध किया। वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान आ आबंटन की तुलना में निधियों की प्राप्ति में गिरावट को आयोग के पास निधियों की कमी के बताया गया था। पुनः यह देखा गया था कि आयोग से प्राप्त धनराशि से अधिक के अनुदान को से वसूल किए गए अनुदानों की अप्रयुक्त धनराशि में से प्रदत्त किया गया था तथा अनुवर्ती वर्षों में पुनरादान किया गया था। असंवितरित ऋणों की शेष राशि को बोर्ड द्वारा कार्यकारी (31 मार्च 1982 को 63.53 लाख रुपये) के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिसे आयोग द्वा प्रतिवर्ष पश्चात् नवीनीकृत किया जाता है :—

ग्रामीण उद्योग	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	198
			(लाख रुपयों में)		
(i) आयोग द्वारा आबंटित निधियां					
ऋण	38.39	66.63	60.96	90.80	153
अनुदान	5.84	9.16	8.91	12.37	15.
(ii) आयोग से प्राप्तियां					
ऋण	42.46	27.52	60.38	53.57	127
अनुदान	8.80	6.16	8.86	17.33	10.
(iii) संवितरण					
ऋण	38.11	27.76	59.76	74.24	126.
अनुदान	5.73	6.04	7.94	11.66	12.
(iv) गिरावट (i)—(ii)					
ऋण	..	39.11	0.58	37.23	26.
अनुदान	..	3.00	0.05	..	4.

अभिलेखों की छानबीन ने दर्शाया कि पहले से ही प्राप्त की गई निधियों की अप्रयुक्ति/अवि के कारण 1978–79 के दौरान हुए आंबटन के अनुसार शेष धनराशि के विमोचन हेतु समा बिल आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। प्रबन्ध कारिणी ने गिरावट (अगस्त 1982) को प्र कारिणी में परिवर्तन से सम्बद्ध किया। वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान आबं आंबटन की तुलना में निधियों की प्राप्ति में गिरावट को आयोग के पास निधियों की कमी के का बताया गया था। पुनः यह देखा गया था कि आयोग द्वारा विमोचित निधियों से अधिक अनुदा ऋणों का संवितरण अप्रयुक्त अनुदानों/कार्यकारी पूंजीगत ऋण की धनराशि की पुनः प्रयुक्ति के का हुआ था जिसे आयोग के अनुमोदन से मुख्य तेल इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु

कर्ताओं से वसूल किया गया था। 31 मार्च 1982 को बोर्ड द्वारा ऐसे शेषों की प्रयुक्ति की ति निम्नांकित थी :—

	ऋण प्राप्त-कर्ताओं से वसूली गई राशि	आयोग को पुनर्भुगतान हेतु देय राशि	आयोग को पुनर्भुगतान की गई धन राशि	बोर्ड द्वारा प्रयुक्त शेष
	(लाख रुपयों में)			
ीण उद्योग				
ऋण	59.80	59.80	34.18	25.62
नुदान	6.07	6.07	3.16	2.91
ी				
ऋण	0.28	0.28	0.28	..
नुदान	0.19	0.19	0.19	..

(ग) **ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान**—आयोग द्वारा संस्वीकृत ण दो प्रकार के हैं, अर्थात (i) खादी कार्यक्रम हेतु विमोचित ऋण,

(ii) ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम हेतु विमोचित ऋण।

31 मार्च 1982 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए बोर्ड द्वारा ऋणों एवं अनुदानों के वितरण की स्थिति, वर्ष के दौरान वसूली हेतु प्राप्य राशि तथा अतिदेय वसूली की राशि निम्नांकित थी :—

	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82
			(लाख रुपयों में)		
वितरण					
(क) खादी					
ऋण	..	..	0.42	0.29	1.24
अनुदान	..	0.13	0.14	0.11	0.15
(ख) ग्रामीण उद्योग					
ऋण	38.11	27.76	59.76	74.24	1,26.62
अनुदान	5.73	6.04	7.94	11.66	12.43
ली हेतु प्राप्य राशि					
खादी	..	..	..	..	..
ामीण उद्योग	15.72	22.61	29.92	40.67	54.98
त की गई राशि					
खादी	..	..	..	..	..
ामीण उद्योग	3.75	5.90	8.96	10.99	15.49
तिदेय राशि					
खादी	..	..	..	..	..
ामीण उद्योग	11.97	16.71	20.96	29.68	39.49

निष्प्रभावी इकाइयों के पास निधियों के अवरोधन के कारण अतिदेय राशि
बताई गई थी।

(घ) समाहर्ताओं के पास अनिर्णीत मामले---हिमाचल प्रदेश खादी एवम् ग्रामीण अधिनियम, 1966 में व्यवस्था है कि ऋण प्राप्त कर्ताओं से ऋण तथा अनुदान की व्यति की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जाएगी। 31 मार्च 1982 को 19.55 (अनुदान: 2.74 लाख रुपये तथा ऋण: 16.81 लाख रुपये) की राशि के 347 माम हर्ताओं के पास अनिर्णीत पड़े थे जिनमें से 147 मामले दो वर्ष से अधिक पुराने थे। शेष में वसूलियां करने हेतु कदम उठाए जा रहे थे।

(ङ) **ब्याज**---खादी कार्यक्रम के अधीन आयोग द्वारा दिये गये ऋण ब्याज-मुक्त है ग्रामीण उद्योगों को स्थापना के लिए दिये गये ऋणों पर 4 प्रतिशत दर से ब्याज विलम्बित अदायगियों पर इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय है।

31 मार्च 1979 को 11.13 लाख रुपये का ब्याज ऋण लेने वालों से बकाया था द्वारा वसूली के लिए अतिदेय राशि पर कोई दण्ड स्वरूप ब्याज नहीं निकाला गया था 1982) और न ही कोई कार्यवाही की गई थी।

(च) **उपयोगिता प्रमाण-पत्र**---नियमों के अनुसार, लाभ-प्राप्तकर्ताओं को वितरित और अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक वर्ष या बढ़ाई गई छः मास तक की अवधि के प्राप्त हो जाने चाहिएं अन्यथा सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित उनसे वसूलने योग्य होती है। 1982 तक वितरित 3,91.33 लाख रुपयों के ऋणों तथा अनुदानों में से 30 जून 19 1,17.69 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित थे जैसे कि नीचे विवरणित हैं :—

निम्नलिखित तिथि को स्थिति	अनुदान/ऋण की अवधि	वितरित राशि	प्रयुक्त राशि	प्राप्त अनुदान में से अप्रयुक्त राशि	राशि उपयो प्रमा प्राप्त
		(लाख रुपयों में)			
15-5-1977	1968-69 से 1976-77	1,33.08	80.36	4.69	48
31-1-1979	1968-69 से 1976-77	1,33.08	87.04	6.49	39
31-5-1980	1968-69 से 1979-80	1,85.57	1,18.09	11.56	55
30-6-1981	1968-69 से 1980-81	2,39.07	1,58.70	14.86	65
30-6-1982	1968-69 से 1981-82	3,91.33	2,43.06	30.58	1,17

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विश्लेषण निम्न प्रकार था :—

	(लाख रुपयों में)
तक विलम्बित	81.33
से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम समय तक विलम्बित	23.37
से अधिक समय तक विलम्बित	12.99

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अनुपस्थिति में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि प्राप्तकर्ताओं ने उन्हीं उद्देश्यों के लिए राशि व्यय की है जिनके लिए वह दी गई थी तथा क्या निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया है अथवा नहीं। वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के उपार्जन हेतु पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी।

रोजगार तथा अर्जन में वृद्धि—बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य रोजगार का सृजन करना तथा ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार लाना है। बोर्ड ने 1977–78 में 1,116 (10,735 अंश कालिक) व्यक्तियों से बढ़ाकर 1981–82 में 29,435 (23,163 अंशकालिक) व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया। प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय वर्ष 1977–78 में 903.31 रुपये से घट कर 1981–82 में 724.87 रुपये हो गई। आंशिक रूप से व्यक्तियों को रोजगार देने के कारण मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई। खादी इकाइयों (बोर्ड द्वारा चालित) और ग्राम उद्योग इकाइयों (विभागीय और बोर्ड द्वारा वित्तपोषित दोनों ही) के संबंध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले गत 5 वर्षों के लिए उत्पादन बिक्री, रोजगार और अर्जन की स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है :—

	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82
	(लाख रुपयों में)				
खादी					
उत्पादन					
लक्ष्य	27.65	38.30	33.00	33.50	40.00
उपलब्धियां	27.50	21.00	31.66	34.36	36.88
कमियां	0.15	17.00	1.34	..	3.12
बिक्री					
लक्ष्य	30.50	42.00	37.00	52.00	60.00
उपलब्धियां	24.50	29.32	42.00	50.32	54.61
कमियां	6.00	12.68	..	1.68	5.34

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-
रोजगार	5,593	2,263	4,190	6,000	6,
(गिनती में)	(5,212)	(2,263)	(4,050)	(5,850)	(6,
मजदूरी (लाख रुपयों में)	2.39	2.65	3.00	3.60	4.
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत अर्जन (रुपयों में)	42.73	117.10	71.60	60.00	62.
		(लाख रुपयों में)			
ख. ग्राम उद्योग					
उत्पादन	1,94.16	2,31.60	3,76.43	5,49.87	8,73.
बिक्री	2,02.14	2,48.62	4,28.05	6,26.73	9,56.
रोजगार	5,523	6,310	8,856	12,879	22,
(गिनती में)	(5,523)	(4,090)	(5,377)	(9,143)	(16,
मजदूरी (लाख रुपयों में)	49.89	53.84	69.14	1,26.83	166.
प्रति वर्ष प्रति औसत अर्जन (रुपयों में)	903.31	853.25	780.31	984.78	724.

टिप्पणी—कोष्ठकों में दिये आंकड़े अंश कालिक श्रमिकों की संख्या को दर्शाते हैं।

उपरोक्त से यह देखा जायेगा कि खादी खण्ड के अन्तर्गत जहां उत्पादन तथा बिक्री दर वर्ष बढ़ती गई है, प्रति श्रमिक वार्षिक औसत अर्जन 1,17.10 रुपये (वर्ष 1978–79) घट कर वर्ष 1981–82 के दौरान 62.09 रुपये रह गया था। उसी प्रकार ग्राम उद्योग के अन्तर्गत 1977–78 में 903.31 रुपये वार्षिक प्रति श्रमिक औसत अर्जन लगातार घट 1981–82 में 724.87 रुपये रह गया; सिवाये वर्ष 1980–81 के जबकि यह बढ़कर 984. रुपये हो गया था।

8. **विभागीय इकाइयों की कार्य प्रणाली**—बोर्ड द्वारा 57 विभागीय इकाइयां चलाई जा रही हैं। ये इकाइयां दो वर्गों में आती हैं जैसे (i) खादी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां और (ii) ग्राम उद्योग वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां सभी 67 इकाइयों के वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 के लेखे बकाया हैं। वर्ष 1979–80 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान अधिकतर इकाइयां घाटे पर चल रही थीं जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :—

विवरण	केन्द्रों की गिनती	1977–78		1978–79		1979–80		अभ्युक्तियां
		लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	
क–खादी				(लाख रु० में)				
कताई केन्द्र	32	0.22	..	..	0.26	..	0.44	इन इकाइयों में लाभ अंशतः अन्तिम स्टाक के 15 प्रतिशत अति-मूल्यांकन के कारण था।
बुनाई केन्द्र	14	5.03	..	3.70	..	3.84	..	
रेशम केन्द्र	1	0.12	..	..	..	..	0.11	
फिनिशिंग संयंत्र	1	..	1.17	..	0.80	0.21	..	
ख. ग्राम उद्योग								
चीनी मिट्टी के बर्तनों का केन्द्र	1	..	0.08	..	0.08	..	0.04	प्रबन्ध समिति ने बताया (अगस्त 1982) कि चीनी मिट्टी के बर्तनों का केन्द्र पहले ही बन्द कर दिया गया था (जुलाई 1980) और अन्य केन्द्रों को ग्रामीण युवाओं को आत्म-रोजगार के लिए प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों में परि-वर्तित करने का प्रस्ताव था।
हस्त निर्मित कागज केन्द्र	1	..	0.06	..	0.15	..	0.13	
बांस केन्द्र	1	..	0.12	..	0.16	..	0.10	
लकड़ी के कार्य का केन्द्र	1	..	..	..	0.13	..	0.01	
चर्म केन्द्र	5	0.69	..	0.59	..	0.81	..	

प्रबन्धक समिति ने हानियों को (अगस्त 1982) केन्द्रों के समीप सुलभ मंडियों के न होने से सम्बद्ध किया। इन केन्द्रों में उत्पादित वस्तुएं या तो बहुत भारी भरकम हैं या फिर टूटने वाली हैं तथा यह आर्थिक दृष्टि से भी दूर की मंडियों में नहीं ले जाई जा सकतीं।

9. **वाणिज्य केन्द्रों का कार्यकलाप**––बोर्ड ने मुख्यत: विभिन्न इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की वृद्धि के लिए विभिन्न स्थानों पर वाणिज्य केन्द्र (10) खोले थे। वर्ष 1977–78 से वर्ष 1979–80 के दौरान वाणिज्य केन्द्र के कार्यकलाप के परिणाम निम्न प्रकार थे :––

	1977–78	1978–79	1979–80
		(लाख रुपयों में)	
आदि स्टाक	26.73	34.14	36.08
क्रय (उपभोग/स्थानांतरणों को घटा कर)	51.62 (––) 1.16 = 50.46	50.22 (––) 1.16 = 49.06	82.74 (––) 1.46 = 81.28
	50.46	49.06	81.28
उत्पादन (कच्चा माल + मजदूरी)	1.38	2.59	2.07
पूरक व्यय	4.26	4.69	4.62
बिक्री/स्थानांतरण	45.00	50.04	77.78
अन्य आय	2.39	5.23	1.86
अन्तिम स्टाक	34.14	36.08	42.31
लाभ (+)/हानि (–)	(––) 1.30	(+) 0.87	(––) 2.10

प्रबन्धक समिति द्वारा हानियों को उत्पादक इकाइयों द्वारा स्थानान्तरित उत्पादित वस्तुओं की वाणिज्य केन्द्र में लाभ की दर में अतिरिक्त प्रभारों को जोड़े बिना बिक्री से सम्बद्ध किया गया था।

10. **छूट के दावे**––खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के आदेशों के अनुसार प्रति वर्ष "गांधी जयन्ती" के अवसर पर निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर बोर्ड छूट की अनुमति देता है। बोर्ड द्वारा बिक्री पर दी गई छूट खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग से वसूल की जाने योग्य होती है। जोकि सामान्यत: प्रतिमाह की बिक्री के समापन पर बोर्ड द्वारा मांगी जानी चाहिए। अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विभिन्न स्थानों पर स्थित बिक्री केन्द्रों से बिक्री के विषय में सूचनाओं के देरी से प्राप्त होने के कारण छूट के ये दावे बोर्ड द्वारा आयोग को समय पर नहीं प्रस्तुत किये गये थे। अगस्त 1982 तक प्राप्तव्य छूट दावों के बकायों की स्थिति निम्न प्रकार थी :––

वर्ष, जिससे दावे सम्बन्धित हैं	मास/वर्ष जिसमें दावे प्रस्तुत किये गये	राशि
		(लाख रुपयों में)
1979–80	अगस्त 1981	0.26
1980–81	अगस्त 1981	3.92
1981–82	अगस्त 1982	5.48
जोड		9.66

वर्ष 1980–81 के दौरान प्रदर्शनियों में 0.24 लाख रुपये की दी गई छूट के दावे प्रस्तुत नहीं किये गये थे। प्रबन्धक समिति ने कहा (अगस्त 1982) कि कर्मचारियों की कमी के कारण दावे समय पर प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।

11. **जन-जातीय उप-योजना/विशेष अवयव योजना**—(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 58.99 लाख रुपये (नीचे विवरणित) बोर्ड को अनुदान के रूप में दिये जोकि राज्य के जिलों जैसे लाहौल तथा स्पिति, किन्नौर और चम्बा की पांगी और भरमौर तहसील के जनजातीय क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए थी जिनमें स्थानीय हस्तशिल्प का पुट हो तथा अधिक से अधिक श्रमिक कार्यरत हों। अनुदान का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	जन जातीय उपयोजना	विशेष अवयन योजना	व्यय
	(लाख रुपयों में)		
1977–78	3.40	..	2.70
1978–79	7.59	..	2.22
1979–80	9.00	..	6.14
1980–81	11.50	3.50	6.38
1981–82	14.09	10.00	5.63
जोड	45.49	13.50	23.07

प्राप्त अनुदानों द्वारा स्थापित इकाइयों में से कुछ के कार्यकलाप का विवरण नमूना जांच के फलस्वरूप संक्षेप में नीचे दिया गया है :—

(i) **ऊन धुनने का संयंत्र, केलोंग**—केलौंग में (ज़िला लाहौल एवं स्पिति) ऊन धुनने के संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार ने 3.40 लाख रुपए स्वीकृत (मार्च 1978) किए। वर्ष 1977–78 के दौरान 60 क्विंटल क्षमता वाले संयंत्र को चालू किया गया । 1981–82 में समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान संयंत्र की क्षमता के उपयोग को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :—

	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981-82
			(क्विंटलों में)		
आंकी गई क्षमता	60	60	60	60	60
धुनी गई मात्रा	30	24.07	24.42	24	36
आंकी गई उपयोग की प्रतिशतता	50	40	40	40	60

प्रबन्धक समिति ने कमी को (i) विद्युत की कमी और (ii) लाभ–प्राप्तकर्ताओं के पास ऊन की अपर्याप्त उपलब्धता से सम्बद्ध किया (अगस्त 1982)।

(ii) **प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र, पांगी**––पांगी (जिला चम्बा) के जन–जातीय क्षेत्र में इस केन्द्र की स्थापना के लिए 0.67 लाख रुपये की राशि दी गई थी (मार्च 1979)। यह केन्द्र सितम्बर, 1979 में स्थापित किया गया था तथा प्रशिक्षण केन्द्र जनवरी 1980 में आरम्भ किया गया था। बुनाई में प्रति वर्ष 12 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के बदले दो वर्षों में 12 बुनकरों को ही प्रशिक्षण दिया गया था। प्रबन्धकों के अनुसार यह स्थानीय लोगों से प्राप्त प्रत्युत्तर में उत्साह की कमी के कारण था। फिर भी, बोर्ड स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयत्न कर रहा था।

(iii) **ऊन धुनने का संयन्त्र, पियू**––यह संयन्त्र 1978–79 में बोर्ड द्वारा 4.40 लाख रुपये की प्राप्त (मार्च 1979) अनुदान की राशि में से मई 1981 में स्थापित किया गया था। संयंत्र पर किये गये व्यय का ब्यौरा बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था। 1981–82 के दौरान 60 क्विंटल प्रति वर्ष की क्षमता के प्रति केवल 10 क्विंटल ऊन की धुनाई की गई थी। प्रबन्धक समिति ने बताया कि इस संयंत्र की स्थापना का प्रथम वर्ष होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके।

(iv) **बिक्री एम्पोरियम मनाली**––लाहौल तथा स्पिति के जन-जातीय क्षेत्रों के उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए सितम्बर 1978 में मनाली (कुल्लू जिला) में एम्पोरियम की स्थापना की गई थी। यद्यपि सितम्बर 1978 से जून 1982 के दौरान बोर्ड जन-जातीय क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं का उपार्जन/बिक्री नहीं कर सका क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन का मामला खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग की प्रमाणीकरण समिति के विचाराधीन था। एम्पोरियम में उन वस्तुओं की बिक्री नहीं की जा सकती थी जिन्हें समिति से अनुमोदन प्राप्त न हो।

वर्ष 1979–80 के दौरान बोर्ड ने 9.00 लाख रुपये प्राप्त किये जिसके प्रति 6.14 लाख रुपये का व्यय किया गया था। वर्ष 1981–82 के दौरान प्राप्त 14.00 लाख रुपये के अनुदान के प्रति विभिन्न योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था (अगस्त 1982)।

(ख) वर्ष 1980–81 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की सहायता के लिए बोर्ड को 3.50 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। तदनुसार 1.75 लाख रुपये प्रति योजना की लागत से भरमौर (चम्बा जिला) और रिसु (लाहौल और स्पिति जिला) में चार धुरों वाले ऊन की कताई के चरखों का प्रशिक्षण देने की योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार को फरवरी 1981 में प्रस्तुत की गईं। इन योजनाओं को लागू करने की अपेक्षा बोर्ड ने 2.70 लाख रुपये की लागत से अक्तूबर, 1981 में धुनाई का एक संयंत्र खरीदा जो कि नवम्बर 1982 में स्थापित किया गया। इंगित किये जाने पर बोर्ड द्वारा जनवरी 1983 में राज्य सरकार का अनुमोदन लिया गया।

12. **प्रख्यापन**––खादी और ग्राम उद्योग के परिष्कृत उत्पादों की बिक्री के प्रबन्ध के लिए

प्रख्यापन और प्रचार हेतु खादी और ग्राम उद्योग आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त 1.00 लाख रुपए के आरम्भिक बजट आबंटन से बोर्ड ने 1977 के आरम्भ में एक शाखा बनाई। प्रख्यापन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जनवरी 1977 में एक प्रख्यापन अधिकारी और जून 1978 में एक प्रौजैक्टर चालक की नियुक्ति की गई थी।

वर्ष 1978-79 से 1981–82 की अवधि के दौरान बोर्ड ने केवल दो गोष्ठियों का प्रबन्ध और तीन प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

अन्य माध्यमों द्वारा प्रख्यापन जैसे प्रदर्शनियां, गोष्ठियां, समाचार पत्र, रेडियो वार्ता, लघु पुस्तकें इत्यादि के अतिरिक्त बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बोर्ड की नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में शिक्षा देने के लिए फिल्म प्रदर्शनों का भी आयोजन किया। वर्ष 1978–79 और 1981–82 के दौरान प्रदर्शित 87 फिल्म प्रदर्शनों में से 29 प्रदर्शन शिमला ज़िले में, 14 हमीरपुर ज़िले में, 11 मण्डी ज़िले में और 8 कांगड़ा जिले में आयोजित किये गये। चम्बा, सिरमौर और ऊना नामक तीन जिले प्रख्यापन शाखा के निर्माण के दिन से लेकर अभी तक आवृत नहीं हुए जबकि शेष जिलों में यह प्रदर्शन 3 से 6 तक की सीमा के भीतर थे। प्रदर्शनों की संख्या 1979–80 मे 36 से घट कर 1980–81 में 29 और 1981–82 में 6 हो गई। 1982–83 में कोई भी फिल्म प्रदर्शन आयोजित नहीं किया गया था (दिसम्बर, 1982)। बोर्ड की ख्यापन शाखा द्वारा न तो कोई लक्ष्य ही निर्धारित किये गये थे न ही खादी और ग्राम उद्योगों के कार्यक्रम को राज्य की ग्रामीण जनता तक ले जाने के लिए कोई नीति ही निर्धारित की गई थी (दिसम्बर 1982)।

प्रबन्धक समिति ने बताया (अगस्त 1982) कि प्रख्यापन उद्देश्यों के लिए बोर्ड को पर्याप्त अनुदान नहीं प्राप्त हो रहा था। यह भी कहा गया था कि फिल्मों की संख्या में कमी इसलिए आई क्योंकि बोर्ड के पास उपलब्ध फिल्में पुरानी हो गई थीं। नई फिल्में खरीदने के लिए बोर्ड के पास पर्याप्त निधि नहीं थी।

13. **लेखा पद्धति पुस्तिका और आन्तरिक लेखापरीक्षा**––अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने वाली कोई लेखा पद्धति पुस्तिका बोर्ड ने नहीं बनायी है। आन्तरिक लेखापरीक्षा बोर्ड की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा किया जा रहा है जिसमें एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक और एक लेखापरीक्षक है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा बोर्ड का वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है। इकाइयों के 1980–81 और 1981–82 के लेखाओं को तैयार करना और उनकी आन्तरिक लेखा परीक्षा करना अभी बकाया था (अगस्त 1982)।

बोर्ड ने न तो कोई क्रय प्रणाली ही बनाई है और न ही क्रय के लिए कोई स्थायी समिति(यां) ही बनाई हैं।

14. **वार्षिक लेखाओं में निरंतर विद्यमान अनियमितताएं**––हिमाचल प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम, 1966 की धारा 29(5) के अन्तर्गत तैयार किये गये वार्षिक लेखाओं पर दिये गये

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यद्यपि टिप्पणी की गई थी फिर भी कुछ अनियमितताएं वर्ष प्रति वर्ष दोहराई जा रही हैं। अनियमितताओं में से कुछ नीचे विवरणित हैं :—

(i) कच्चे माल के शेष भण्डार के मूल्य को, इसे खरीदने तथा जारी करने हेतु भण्डार को दो प्रकार से मूल्यांकन करके, अधिक आंका गया।

(ii) विभिन्न ऋणदाताओं और विभिन्न ऋण प्राप्तकर्ताओं का विवरण बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था।

(iii) वर्ष प्रति वर्ष न्यूनतायें बढ़ रही थीं। इनकी न तो जांच की गई थी और न ही इनका विवरण बोर्ड के पास उपलब्ध था।

(iv) उचन्त (परिसम्पत्ति) के अन्तर्गत रखी गई राशि का विवरण बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था।

(v) क्रय के लिए दिए गये बहुत से अग्रिम 1973–74 तक से बकाया था।

15. **अन्य रुचिकर प्रकरण**—(i) **बोर्ड के धन का दुर्विनियोजन**—1 अप्रैल 1976 से बैंक–समायोजन विवरणों का तैयार करना अभी बकाया है। बैंक तथा बोर्ड के लेखाओं में 31 मार्च 1978 को 4.47 लाख रुपए का अन्तर था। यह अन्तर वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता रहा और 31 मार्च 1980 को यह बढ़ कर 58.93 लाख रुपए हो गया।

लेखापरीक्षा में बार–बार इंगित किये जाने के बाद अप्रैल 1976 से 19 मार्च 1982 की अवधि से सम्बन्धित समायोजन मई 1982 में पूर्ण किया गया। परिणामस्वरूप यह पाया गया कि मुख्य कार्यालय के रोकड़ी द्वारा लेखे मे दर्शाई गई राशि, इस उद्देश्य के लिए मई 1976 से मई 1981 के दौरान बैंक से निकाली गई राशि से कम थी। यह कमी 0.60 लाख रुपए की थी। इसके प्रति प्रबन्धक समिति ने 0.26 लाख रुपए वसूल कर लिए थे (नवम्बर 1982) और 0.34 लाख रुपए शेष बकाया थे। मामला पुलिस को प्रतिवेदित किया गया था (मई 1982) और उसका अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

(ii) **सावड़ा स्थित एक संघ को आर्थिक सहायता**—बोर्ड ने सावड़ा (शिमला) में एक फल तथा सब्जी संरक्षण इकाई की स्थापना के लिए 31 मार्च 1978 को 0.92 लाख रुपए पूंजीगत व्यय ऋण के रूप में आर्थिक सहायता की संस्वीकृति दी और 0.13 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिये। 25 सितम्बर 1979 को बोर्ड ने उपयोगीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकार किया। सहायक निदेशक, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के प्रवास के दौरान 16 अगस्त 1979 को यह पाया गया कि मशीनरी का मूल्य अधिक आंका गया था। सहायक निदेशक उस फर्म के बिल की प्रतिलिपि प्राप्त की जिसने मशीनरी आपूर्ति की थी और यह पाया कि 0.26 लाख रुपए क्रय मूल्य के प्रति संघ ने 0.66 लाख रुपए के उपयोगीकरण प्रमाण-पत्र दिये थे। सहायक निदेशक द्वारा

नवम्बर 1979 में मामला बोर्ड के ध्यान में लाया गया जिसमें यह सुझाव दिया गया कि संस्था को और कार्यकारी पूंजीगत ऋण का वितरण न किया जाए। बोर्ड ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि दूसरी ओर सितम्बर 1979 में उपयोगीकरण प्रमाणपत्र स्वीकार कर लिए तथा नवम्बर 1979 में 0.75 लाख रुपए का कार्यकारी पूंजीगत ऋण वितरित कर दिया। प्रबन्धक समिति ने बताया (अगस्त 1982) कि मामले की जांच की जा रही थी।

(iii) **ऋण का अनियमित भुगतान**—हमीरपुर के कत्था उद्योग संघ को फरवरी 1979 में 1.40 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया था। संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार पूंजीगत व्यय की राशि तीन किश्तों में जारी की जानी थी अर्थात् पहली किश्त उस समय जारी की जानी थी जब संघ के नाम पर भूमि खरीदी गई थी, दूसरी किश्त खोखों (शैड) के निर्माण के समय और शेष राशि यंत्र और उपसाधन खरीदने पर दी जानी थी। इसी प्रकार कार्यकारी पूंजीगत ऋण उस समय जारी किया जाना था जब संघ कच्चा माल खरीद चुका हो। बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि संघ और बोर्ड के संयुक्त खाते में डाली गई थी जिसको बोर्ड के सहायक विकास अधिकारी द्वारा चलाया जाना था। अप्रैल 1979 में संघ को ऋण का वितरण किया गया था। 0.05 लाख रुपए की एक अन्य राशि 31 मार्च 1980 को प्रबन्धक समिति द्वारा अनुदान के रूप में वितरित की गई थी।

अप्रल 1982 तक संघ ने कोई लेनदेन नहीं किया था जिसका कारण यह बताया गया था कि खैर वृक्ष के मालिकों, जिन्हें संघ ने अग्रिम प्रदान किए थे, को वन विभाग से वृक्ष गिराने के लिए अनुमति नहीं मिली थी। फिर भी, 27 जून 1982 को संघ ने एक प्रस्ताव के माध्यम से बोर्ड को बताया कि बोर्ड द्वारा दी गई सहायता से निर्मित खोखे (शैड) अधिक वर्षा व तूफान के कारण नष्ट हो गये थे। स्पष्टतया भूमि की खरीद, भवन निर्माण और कच्चे माल की खरीद सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि किए बिना बोर्ड ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी।

प्रबन्धक समिति ने बताया (जुलाई 1982) कि संस्वीकृति के नियमों व शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी सहायक विकास अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है तथा इस त्रुटि के लिए उसके विरुद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4,441 रुपए और 37,444 रुपए के ऋण पुनर्भुगतान की किश्तें दिनांक 11 नवम्बर 1981 तथा 11 जनवरी 1982 को देय थीं। अभी तक संघ ने वास्तव में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया था (अगस्त 1982)। प्रबन्धक समिति ने बताया (अगस्त 1982) कि इकाई के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

(iv) **कताई व बुनाई कर्ताओं को जारी किये गये माल की वापसी न होना**—वर्ष 1980-81 के दौरान 32 कताई व 14 बुनाई केन्द्र बोर्ड के अधीन कार्यरत थे जिनमें बोर्ड राज्य में बुनाई व कताई कर्ताओं को ऊन, पश्मीना तथा रूई कताई के लिए तथा ऊनी धागा, पश्मीना तथा रूई बुनाई के लिए जारी करता था। अभिलेखों की नमूना परीक्षा से प्रकट हुआ कि 1974–75 से 1980–81 की अवधि के दौरान 0.81 लाख रुपए का कच्चा माल (कताई केन्द्र, रिवालसर : 0.01 लाख रुपए, कताई केन्द्र बाली चौकी : 0.08 लाख रुपए, कताई केन्द्र मण्डी: 0.25 लाख रुपए, कताई केन्द्र कुल्लू: 0.10 लाख रुपए, बुनाई केन्द्र, कुल्लू: 0.10 लाख रुपए, कताई केन्द्र रामपुर 0.10 लाख रुपए

बुनाई केन्द्र सुन्दरनगर 0.17 लाख रुपए) कताई कर्त्ताओं तथा बुनाई कर्ताओं 1974-75 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान को जारी किया गया था परन्तु अभी तक उन्होंने न तो वह कता हुआ और न ही बुना हुआ माल वापिस किया है (जून 1982)। प्रबंध समिति ने बताया (अगस्त 1982) कि माल उचित जांच के बाद बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। बोर्ड ने माल और उसके मूल्य को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

यह भी बताया गया कि जितना शीघ्र सम्भव होगा कताई कर्त्ताओं के पास बकाया माल को वसूल करने के लिए निर्देश जारी किये जा रहे हैं। आगे परिणाम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 1982)।

(v) **क्लीवलैंड सम्पदा शिमला की खरीद**--नवम्बर 1977 में बोर्ड के मुख्य कार्यालय की स्थापना के लिए बोर्ड के सभापति और एक पार्टी जिनमें 'क' (पिता) व 'ख' (पुत्र) सम्मिलित हैं के मध्य "क्लीवलैंड सम्पदा" के नाम से जानी गई भूमि और भवनों की खरीद के लिए एक अनुबन्ध किया गया। अनुबन्ध के अनुसार भूमि और भवनों की बिक्री के लिए वह सम्पति सभी ऋणों से मुक्त बताई गई थी और उसे स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त था। बोर्ड प्राधिकारियों ने यद्यपि, सम्पत्ति के स्वामित्व को राजस्व अभिलेखों के अनुसार सत्यापित नहीं किया था और न ही उन्होंने बेचने वाली पार्टी से बिक्री अनुबन्ध के साथ संलग्न योजना और **तसीमा** पर हस्ताक्षर करवाए। वर्ष 1975-76 के लिए नवीनतम जमाबन्दी के अनुसार सम्पत्ति का स्वामित्व "क" और उसकी मां के नाम था। सभी अभिलेखों, दस्तावेज़ों साक्ष्यों आदि पर विचार करने के पश्चात् तहसीलदार शिमला ने अगस्त 1979 में प्रस्तावित नामान्तकरण को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि "क" अपने अधिकार से सम्पत्ति के 1/2 भाग तथा शेष आधे के 1/3 भाग को जोकि उसकी मां के देहान्त के बाद उसे मिलना था, का स्वामी था। आधे का शेष 2/3 भाग उसकी दो बहनों के नाम था।

बोर्ड ने स्वामित्व की पुष्टि किये बिना ही नवम्बर 1977 में क्लीवलैंड भूमि सम्पत्ति की खरीद में "क" और "ख" को 2.50 लाख रुपए की राशि दे दी। 0.23 लाख रुपए का पंजीकरण व्यय भी बोर्ड ने वहन किया था। इसके साथ ही भवन के नवीनीकरण पर बोर्ड ने 1.55 लाख रुपए (अगस्त 1982) तक का व्यय किया।

प्रबन्धक समिति ने बताया (अगस्त 1982) कि कानूनी कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन हेतु मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(vi) **भण्डारों इत्यादि की कमियां, दुर्विनियोजन और छुटपुट चोरी**--31 मार्च 1982 तक 5.45 लाख रुपए के कुल भण्डारों इत्यादि की कमियां, दुर्विनियोजन और छुटपुट चोरी में से अभी तक 0.88 लाख रुपए की वसूली की गई है। ये मामले 1973-74 और 1980-81 के मध्य ध्यान में आए और सम्बन्धित कर्मचारियों को जुलाई 1977 और मार्च 1980 के मध्य अभियोग पत्र जारी किये गये थे अगले परिणाम प्रतीक्षित थे (अगस्त 1982)।

(vii) **क्रय अग्रिम**--बोर्ड अपने सदस्यों को और कर्मचारियों को कच्चा माल व मशीनरी इत्यादि खरीदने के लिए अग्रिम देता है। जिन कर्मचारियों को यह अग्रिम दिये गये थे उनके निजी-

खाता–लेखाओं की छानबीन से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 1982 को 66.00 लाख रुपए बकाया थे जिनका समायोजन/वसूली अभी नहीं हुआ था/हुई थी। यह अग्रिम 1974-75 तक से दिये गये थे। इन अग्रिमों का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। अग्रिमों के समायोजन/अव्ययित शेष की वसूली के लिए कोई सामयिक कार्यवाही नहीं की गई थी।

साथ ही यह भी ध्यान में आया कि :—

(क) 3.66 लाख रुपए की राशि का अग्रिम जो अक्तूबर 1972 से अक्तूबर 1980 के दौरान दिया गया था उन दो कर्मचारियों से वसूल करना अभी बकाया था जिन्हें क्रमशः सितम्बर 1977 और मार्च 1981 में सेवाच्युत कर दिया गया था।

(ख) 2.09 लाख रुपए की राशि का अग्रिम जो अक्तूबर 1974 से जून 1981 के दौरान दिया गया था, बोर्ड के एक कर्मचारी और एक अधिकारी से वसूल करना बकाया था जिसका क्रमशः नवम्बर 1976 और जून 1981 में देहान्त हो गया था।

(ग) कच्चे माल इत्यादि की खरीद के लिए दिये गये 23.97 लाख रुपए के अग्रिम उन 4 कर्मचारियों से बकाया थे जो बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर थे और अब मूल कार्यालयों को वापिस भेजे जा चुके थे। इसमें से 23.79 लाख रुपए केवल एक ही कर्मचारी के प्रति बकाया थे जिसने कि 14 अक्तूबर 1981 को बोर्ड छोड़ दिया था।

प्रबन्धक समिति द्वारा बताया गया (जुलाई 1982) कि अग्रिमों के तुरन्त समायोजन कर–वाने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को स्मरण पत्र जारी किये जा रहे हैं।

सारांश —

(i) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखे बकाया थे (दिसम्बर 1982)।

(ii) खादी और ग्राम उद्योग आयोग से इसके आरम्भ की तिथि (8 जनवरी 1978) से 31 मार्च, 1982 तक ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त 532.14 लाख रुपए की प्राप्ति के प्रति बोर्ड केवल 470.66 लाख रुपए ही संवितरित कर सका जिससे 61.48 लाख रुपए का शेष अप्रयुक्त रहा।

(iii) "खादी" शीर्ष के अधीन बोर्ड का लाभ 1978–79 के दौरान 3.46 लाख रुपए से घट कर 1979–80 में 0.01 लाख रुपए तथा 1980–81 में 0.84 लाख रुपए रह गया। इसी प्रकार ग्राम उद्योग शीर्ष के अधीन भी लाभ 1977–78 के दौरान 0.42 लाख रुपए से घट कर 1978–79 में 0.07 लाख रुपए और पुनः 1979–80 में 0.46 लाख रुपए से घट कर 1980–81 में 0.22 लाख रुपए रह गया।

(iv) ऋणियों से ऋण की अतिदेय राशियां 1977-78 के दौरान 11.97 लाख रुपए से बढ़ कर 1978–79 में 16.71 लाख रुपए तथा 1979–80 के दौरान 20.96 लाख रुपए से बढ़ कर 1980–81 में 29.68 लाख रुपए तथा 1981–82 में 39.49 लाख रुपए हो गईं।

(v) 31 मार्च 1982 को वसूल न किये गये ऋण के 19.55 लाख रुपए से सम्बद्ध 347 मामले वसूली हेतु समाहर्त्ताओं के पास अनिर्णीत पड़े थे।

(vi) 31 मार्च 1982 तक संवितरित 391.33 लाख रुपए के ऋण/अनुदान के प्रति 30 जून 1982 को बोर्ड द्वारा 117.68 लाख रुपए के उपयोगीकरण प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित थे।

(vii) यद्यपि सहायता प्राप्त इकाइयों का उत्पादन तथा बिक्री बढ़ गई थी फिर भी वार्षिक प्रति श्रमिक औसत अर्जन 117.10 रुपए (1978–79) से घट कर 1981–82 के दौरान 62.09 रुपए हो गया था।

(viii) भरमौर तथा सिसू में ऊन की कताई के चार धुरों वाले चरखों में प्रशिक्षण देने हेतु प्राप्त 3.50 लाख रुपए के अनुदान को सरकार के अनुमोदन के बिना एक धुनाई संयंत्र की स्थापना हेतु प्रयुक्त किया गया।

(ix) बैंक लेखाओं के समय पर समायोजन न होने के कारण 6 मई, 1976 से 25 मई, 1982 के दौरान 0.60 लाख रुपए का गबन हुआ था।

(x) भूमि और भवनों के स्वामित्व की पुष्टि के बिना एक भवन के अर्जन हेतु 2.50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था।

(xi) प्रख्यापन कार्यक्रम नियोजित ढंग से शुरु नहीं किया गया था।

(xii) 1974-75 से 1981–82 के दौरान 66.00 लाख रुपए की राशि के ऋण 31 मार्च 1982 को बोर्ड के कर्मचारियों से बकाया थे। इनमें से 23.79 लाख रुपए की राशि उस एक कर्मचारी से बकाया थी जो कि बोर्ड के लिए प्रतिनियुक्त था और 14 अक्तूबर, 1981 को मूल विभाग को वापिस चला गया था।

उपरोक्त मुद्दे सितम्बर 1982 में सरकार को संदर्भित किये गये थे; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग

6.3. निर्माण कार्य अनुदान—

1. **प्रस्तावनात्मक**—ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा हाथ में लिए गये लघु सिंचाई कार्यों, पेयजलापूर्ति योजना जलोत्सारण, स्कूल, भवनों, पठन–कक्षों, सम्पर्क सड़कों आदि के निर्माण से समविष्ट विकास कार्यों को अंशतः सरकारी अनुदानों द्वारा तथा

अंशत: सार्वजनिक अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु शिमला मुख्यालय में एक अधिशासी अभियन्ता को तैनात किया गया है। सहायता के लिये प्रत्येक जिले में एक सहायक अभियन्ता तथा प्रत्येक खण्ड में एक कनिष्ठ अभियन्ता होता है। कार्यों को खण्ड विकास अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन निष्पादित करवाया जाता है।

विभाग द्वारा बनाए गये अनुदान सहायता नियमों तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में अन्य बातों के साथ 2 प्रावधान है कि :—

(क) अनुदान सहायता को सामान्यत: भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथा सभी अप्रयुक्त अनुदानों को प्रयुक्तता की अवधि के समाप्त होने के एक दम बाद सरकार को प्रत्यवर्तित किया जाना चाहिए।

(ख) संस्वीकृति प्राधिकारियों के लिये अनिवार्य होगा कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुदान से सम्बन्धित शर्तें पूर्ण रूप से लागू की गई हैं अनुदान ग्राहियों से व्यय के प्रतिवेदनों को मांगे।

(ग) यदि कार्यक्रम के निष्पादन में या धाराओं एवं शर्तों में से किसी एक का पालन करने में किसी समय पंचायत/ग्राम समितियां दोषी हों तो अनुदान की समस्त राशि ब्याज सहित शीघ्र ही पुनर्भुगतान योग्य होनी चाहिए।

(घ) कोई भी राशि वास्तविक आवश्यकता से पहले आहृत नहीं की जानी चाहिए।

(ङ) निर्धारित प्रतिशतता पर जन अंशदानों की मात्रा लाभ प्राप्त कर्ताओं से प्राप्त की जानी चाहिए।

2. **अनुदान सहायता कार्यों की अपूर्णता**—16 खण्डों में, 12.82 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत 153 निर्माण कार्यों (पेयजलापूर्ति योजनाएं, लघु सिंचाई कार्य, स्कूल भवन, पहुंच सड़कें आदि) के निष्पादन हेतु तीन महीनों से एक वर्ष तक पूर्ण किए जाने के लिए दिसम्बर 1960 तथा मार्च 1982 के मध्य पंचायतों को कुल 10.74 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। इनमें से 58 कार्य अपूर्ण पड़े थे, 41 को हाथ में नहीं लिया गया था, 12 कार्य परित्यक्त किये गये थे, 13 क्षतिग्रस्त हुए जबकि 29 कार्य विवादों के कारण अनिर्णीत प्रतिवेदित किये गये थे। सितम्बर 1982 तक 4.55 लाख रु. का व्यय किया गया था। शेष 6.19 लाख रु. अनुदान सहायता नियमों के विपरीत पंचायतों के पास अप्रयुक्त पड़े थे। जनवरी 1981 में ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निदेशन जारी किये थे कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सरकारी निधियों के अप्रयुक्त शेष तथा अनुदान सहायता राशियों को शीघ्र ही, परन्तु मार्च 1981 तक प्रयुक्त किया जाये। विभाग ने निधियों के एक वर्ष के भीतर प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त न होने की हालत में इसे सरकारी लेखे को प्रत्यर्पित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। लेखा परीक्षा में यह ध्यान में आया कि अप्रयुक्त शेषों की स्थिति को जानने तथा वसूलियों को प्रभावी करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि अप्रयुक्त शेषों की स्थिति को दर्शाने वाली सूचना तथा ब्यौरेवार

लेखाओं की विवरणी निदेशालय में उपबलब्ध नहीं थी (अक्तूबर 1982)। इसे इंगित किये जाने पर उपनिदेशक (ग्रामीण विकास) ने सूचित किया (अक्तूबर 1982) कि खण्डों /समितियों के पास 1 अप्रैल 1982 को पड़े अप्रयुक्त शेषों को दर्शाने वाली सूचना मांगी जा चुकी थी।

इस प्रकार के कार्यों की आगामी जांच से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं :–

(i) **अपूर्ण कार्य**––4.94 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत 58 निर्माण कार्यों जिनमें (अधिकतर पेयजलापूर्ति योजनाएं, लघु सिंचाई कार्य, स्कूल भवन) चम्बा जिले के (29 निर्माण कार्य) चम्बा और भरमौर खण्डों, हमीरपुर जिले (4 निर्माण कार्य) के भोरंज खण्ड, ऊना जिले (7 निर्माण कार्य) के धुन्दला खण्ड, ऊना जिले (3 निर्माण कार्य) के गगरेट खण्ड, कांगड़ा जिले (2 निर्माण कार्य) के इन्दौरा खण्ड, कागड़ा जिले (4 निर्माण कार्य) के बैजनाथ खण्ड, मण्डी जिले (3 निर्माण कार्य) के करसोग खण्ड, चम्बा जिले (3 निर्माण कार्य) के सलूनी खण्ड तथा कुल्लु जिले (3 निर्माण कार्य) के कुल्लू खण्ड शामिल थे उनके निष्पादन के लिए अगस्त 1964 तथा मार्च 1982 के मध्य पंचायतों को 4.02 लाख रुपये के राशि की अनुदान का आहरण तथा भुगतान किया गया था। निर्माण कार्य जो तीन महीने से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किये जाने निर्दिष्टित थे, मुख्यत: निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिए पंचायतों के न मानने के कारण एवं निर्माण करने के पदार्थों के उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण पड़े रहे (सितम्बर 1982)। सितम्बर 1982 तक इन निर्माण कार्यों पर 1.92 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

(ii) **हाथ में न लिये गये निर्माण कार्य**––(क) 2.04 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत 20 निर्माण कार्यों के (पेयजलापूर्ति योजनाएं, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, रस्सा पुल आदि) चम्बा जिले (14 निर्माण कार्य) के भरमौर तथा चम्बा खण्डों, ऊना जिले (1 निर्माण कार्य) के गगरेट खण्ड, कांगड़ा जिले (2 निर्माण कार्य) के इन्दौरा खण्ड तथा हमीरपुर जिले (3 निर्माण कार्य) के हमीरपुर खण्ड, निष्पादन के लिए जुलाई 1965 तथा मार्च 1981 के मध्य सम्बन्धित पंचायतों को कुल 1.61 लाख रुपये की अनुदानों का आहरण तथा अग्रिम दिया गया था। विभाग ने बताया कि ये कार्य मुख्यत: सीमैंट की अनुपलब्धता, जन–अंशदान के इकट्ठा न करने, पंचायतों की अनिच्छा आदि के कारण हाथ में नहीं लिए गए थे (सितम्बर 1982)। चम्बा खण्ड में इन कार्यों के प्रति 0.35 लाख रु. का व्यय लेखाबद्ध किया गया था।

(ख) सलूनी खण्ड (चम्बा जिला) में 0.25 लाख रु. (भरांगल) तथा 0.24 लाख रु० (लेहर) के लिए संस्वीकृत (मार्च 1970) 2 सिंचाई कूहलों के निर्माण के लिए राजकीय भाग 0.43 लाख रु. (भरागल : 0.22 लाख रु. तथा लेहर : 0.21 लाख रु.) का आहरण किया गया था तथा ग्राम पंचायत के नाम में सहकारी बैंक, चम्बा में जमा करवाया गया था (मार्च 1970)। प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी ने अनुभव किया (जनवरी 1971) कि ये योजनाएं स्वतन्त्र रूप में हाथ से नहीं ली जा सकतीं। पंचायती राज अधिशासी अभियन्ता ने इन दोनों योजनाओं को एकीकृत कर दिया तथा 0.72 लाख रु. के लिए एक ब्यौरेवार अनुमान तैयार किया (मार्च 1971)। कृषि उत्पाद आयुक्त ने पूर्व आहृत राशि की प्रयुक्ति की वैकल्पिक योजनाओं को तैयार करने का निर्देश दिया (सितम्बर 1971) परन्तु अभी तक कोई भी वैकल्पिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं तथा 0.43 लाख रु. की राशि बैंक में अप्रयुक्त पड़ी थी (सितम्बर 1982)। राशि को सरकारी खजाने

में प्रत्यर्पित करने अथवा कार्य को आरम्भ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। (सितम्बर 1982)।

(ग) रामपुर खण्ड (जिला शिमला) में 17 सामुदायिक निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा फरवरी 1979 तथा जुलाई 1980 के मध्य 0.70 लाख रुपये आहूत किये गये तथा डाकखाने में जमा करवाये गये थे। राशि अप्रयुक्त पड़ी थी (सितम्बर 1981) तथा विभाग ने न तो कार्यों को निष्पादित करने और न ही राशि को सरकारी लेखे में प्रत्यर्पित करने के लिए कोई उपाय किये थे।

(घ) रैत खण्ड (कांगड़ा जिला) में 0.60 लाख रु. की अनुमानित लागत पर बोह तथा मनाई में 2 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए मार्च 1980 तथा मार्च 1981 के दौरान 0.60 लाख रुपये आहूत किये गये थे। सरकार ने बताया (सितम्बर 1982) कि आहूत राशि को उचित स्थल की अनुपलब्धता तथा भूमि विवाद के कारण प्रयुक्त नहीं किया जा सका। राशि को दिसम्बर 1981 में खजाने में जमा किया गया था। इस प्रकार राशि को 9 और 21 महीनों की सीमा अवधि के लिए रोके रखा गया था तथा इस उद्देश्य के लिए भूमि अर्जन हेतु पूर्व प्रबन्ध करने के लिए विभाग की असफलता के कारण राशि को जमा करवाना पड़ा था।

3. **परित्यक्त कार्य**–(क) सामुदायिक एवं आयुर्वेदिक भण्डारों के निर्माण, जल आपूर्ति योजनाओं, सड़कों की मरम्मत तथा मत्स्य तालाबों और लिफ्टसिंचाई के लिए 6 मामलों में (चम्बा जिला के सलूनी खण्ड 1, भरमौर खण्ड 4 तथा कांगड़ा जिले के परागपुर खण्ड 1) 0.54 लाख रु० की अनुमानित लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु मार्च 1964 तथा जनवरी 1976 के मध्य पंचायतों को 0.38 लाख रु० आहूत करके अग्रिम के रूप में प्रदान किये गये थे। ये निर्माण कार्य परित्यक्त किए गये थे। विभाग ने बताया कि कार्यों को अनुचित स्थल चयन, काम न करने योग्य योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि द्वारा पुनरावृत्ति के कारण परित्यक्त किया गया था।

(ख) चौंतड़ा खण्ड (मण्डी जिला) में 6 सामुदायिक विकास कार्यों को 0.50 लाख रु० का व्यय करने के पश्चात् अगस्त 1965 तथा अप्रैल 1976 के दौरान निलम्बित कर दिया गया था। कार्य पुनः आरम्भ नहीं हुए थे। सरकार ने बताया (नवम्बर 1982) कि कार्यों के निर्माण के लिए खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पंचायतों को दी गई अनुदान सहायता राशि का पंचायतों द्वारा गबन किया गया था तथा मामला न्यायालय में दाखिल किया जा चुका था।

4. **क्षतिग्रस्त कार्य**––(क) चम्बा जिले में 12 निर्माण कार्य, सलूनी तथा भरमौर प्रत्येक में 6 निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 0.96 लाख रुपये, भुगतान किये गये अनुदान :0.63 लाख रुपये) फरवरी 1960 तथा मार्च 1974 के दौरान निष्पादन के लिए हाथ में लिए गये थे। ये सभी कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही क्षय को प्राप्त/क्षतिग्रस्त हो गये। इस प्रकार इन कार्यों पर 0.27 लाख रु. का व्यय बेकार रहा। मामला जांचाधीन था (नवम्बर 1982)।

(ख) 0.21 लाख रु. (सहकारी भाग 0.18 लाख रु.) के लिए संस्वीकृत बधोली

सिंचाई कूहल का निर्माण पंचायत द्वारा सितम्बर 1966 में हाथ में लिया गया था, जबकि संस्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित थी। 0.18 लाख रु. फरवरी 1967 तथा मार्च 1969 में आहूत किये गये थे तथा बैंक में रखे गये थे जिनमें से 0.13 लाख रु. पंचायत को निस्तारित किये गये थे। चूंकि पंचायत कार्य को पूर्ण करने में असफल रही, यह कार्य मई 1972 में ठेकेदार को सौंपा गया था तथा अनुमान को 0.35 लाख रु. (सरकारी भाग: 0.31 लाख रु.) के लिए संशोधित किया गया था, जिनमें से 0.19 लाख रु. अक्तूबर 1972 तथा मार्च 1973 के दौरान भुगताए गये थे। जब कार्य समाप्त होने को था तो यह वर्षा तथा लहासों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। कार्य पुन: आरम्भ नहीं किया गया था (अक्तूबर 1982)।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 1982) कि खण्ड कार्यालय को वास्तविक हानि को बट्टे खाते डालने के लिए मामले पर कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके हैं।

5. **अनिर्णीत/विवादग्रस्त कार्य**—(क) दिसम्बर 1960 से मार्च 1977 के मध्य 2.08 लाख रु० की चम्बा जिले (11 निर्माण कार्य) के भरमौर खण्ड, ऊना जिले (5 निर्माण कार्य) के गगरेट खण्ड तथा चम्बा जिले (13 निर्माण कार्य) के सलूनी खण्ड में (29 निर्माण) पेय जल आपूर्ति योजनाएं लघु सिंचाई कार्य, पहुंच सड़कें आदि, के मामले में दिसम्बर 1960 तथा मार्च 1977 के मध्य कुल 1.44 लाख रुपये के अनुदान आहूत किए एवं भुगतान किये गये और 1.19 लाख रु० का व्यय किया गया था। ये कार्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा में थे (सितम्बर 1982)। खण्ड विकास अधिकारी, चम्बा ने बताया (सितम्बर 1982) कि पंचायत द्वारा गुम किया हुआ माल जांचाधीन था और अन्य मामले भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा हाथ में लिए गये थे।

(ख) भरमौर खण्ड (चम्बा जिला) में 0.17 लाख रु. की अनुमानित लागत पर अगस्त 1968 तथा अप्रैल 1970 के दौरान संस्वीकृत 3 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए 0.12 लाख रु. आहूत करके भुगताये गये थे। इस कार्य के निष्पादन की स्थिति सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी (दिसम्बर 1981) द्वारा अभिलेख को सम्बन्धित पंचायत के बर्खास्त हुए कर्मचारी के पास पड़ा बताया गया।

(ग) भरमौर खण्ड (चम्बा जिला) में अनिर्णीत जनजातीय विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त से 1.36 लाख रु. सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किये गये (अप्रैल 1977) जो मार्च 1978 तक प्रयुक्त किए जाने थे। वर्ष 1977-78 (0.63 लाख रु.) तथा 1978-79 (0.02 लाख रु.) के दौरान 0.65 लाख रु. प्रयुक्त किये गये थे तथा 0.71 लाख रु. अप्रयुक्त पड़े थे (सितम्बर 1982)। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1982) कि राशि को अनिर्णीत/विवादाग्रस्त कार्यों के कारण प्रयुक्त नहीं किया जा सका। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिये गये विवरणों से यह तथ्य ध्यान में आया कि विवाद मुख्यत: माल के गायब होने तथा स्थानीय विवादों आदि से संबंधित थे। कुछ अभिलेख भ्रष्टाचार निरोध विभाग के पास पड़े प्रतिवेदित किये गये।

6. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम**—नाहन खण्ड में मार्च 1981 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 1.05 लाख रुपये (0.65 लाख रु० खजाने से तथा 0.40

लाख रु. निदेशक, ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग से प्राप्त चक के भुनाने के माध्यम से) आहृत किये गये थे। इसमें से उद्देश्य हेतु 0.71 लाख रु. ही प्रयुक्त किये गये थे तथा 0.16 लाख रु. पुश्ता दीवार के निर्माण, पहुंच सड़कों के निर्माण पर व्यय किये गये थे जिनकी अगस्त 1982 तक कार्यक्रम में व्यवस्था नहीं की गई थी। 0.18 लाख रु. की शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी (सितम्बर 1982)।

यह मामला सरकार को मई-जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

वन खेती तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग

6.4 अनुदान

हिमाचल प्रदेश फार्म वन विकास समिति को अनुदानें—इण्डो-जर्मन धौलाधार फार्म वन परियोजना के निष्पादन हेतु अक्तूबर 1980 में सम्मिलित तथा भारतीय समिति अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश फार्म वन विकास समिति को 1979-80 तथा 1981-82 के मध्य विभाग ने 30.20 लाख रु. की राशि की अनुदानें संस्वीकृत की। अनुदानों के विवरण नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	अनुदान का उद्देश्य	राशि
		(लाख रुपयों में)
1979-80	धौलाधार परियोजना के आरम्भ होने से पूर्व प्राथमिक परियोजना कार्यों के लिए व्यय करने हेतु	1.00
1980-81	समिति के प्रबन्ध-मंडल द्वारा अनुमोदित मदों पर व्यय के लिए जर्मन विशेषज्ञों के निजी सामान के सीमा शुल्क के व्यय को पूरा करने के लिए	7.70 2.50
1981-82	समिति के प्रबन्ध-मंडल द्वारा अनुमोदित मदों पर व्यय के लिए	19.00

अन्य बातों के साथ-साथ अनुदान सहायता के लिए संस्वीकृति में प्रावधान है कि अनुदान उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जायेगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया था तथा इसका उपयोगीकरण प्रमाण-पत्र उचित समय के भीतर भेजा जाएगा और यह महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित किया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अनुदानों का नियमन करने वाली शर्तों को पूरा करने तथा उनके उपयोगीकरण के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। विभाग के पास समिति द्वारा अनुदानों के सम्बन्ध में यह सूचना, कि जिस उद्देश्य के लिए ये दी गई थीं उस उद्देश्य के लिए उनका उपयोगीकरण हुआ, उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा (i) समिति को अनुदान के भगतान हेतु कोई नियम नहीं बनाए गये थे, (ii) संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में अनुदानों का

कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया था, न ही यह देखने के लिए कि राशि का लाभ पूर्वक उपयोगीकरण किया गया था तथा अनुदानों के अप्रयुक्त शेष को प्रत्यर्पित किया गया था, प्रभावी तथा स्थाई जांच के लिए कोई प्रणाली निर्धारित की गई थी और (iii) अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं की पुस्तकों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था।

उस प्रणाली को जांचने के लिए, जिसके द्वारा संस्वीकृति प्राधिकारी अनुदानों के नियमन तथा उनके उपयोगीकरण की शर्तों को संपूर्णता से स्वयं की सन्तुष्टि करता है संस्वीकृति प्राधिकारी के अभिलेखों की छानबीन (मई 1982) से निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं :—

(i) समिति को अनुदानों के भुगतान को नियमित करने के लिए विभाग द्वारा (दिसम्बर 1981) बनाये गये नियमों के मसौदे को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रतीक्षित था (मई 1982)।

(ii) संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा न तो अनुदानों का रजिस्टर, जैसा कि निर्धारित किया गया था, बनाया गया था और न ही कोई ऐसी कार्य पद्धति तैयार की गई थी जिससे प्रभावी तथा स्थायी रूप में यह निगरानी की जाये कि धनराशि को लाभ पूर्वक प्रयुक्त किया गया था और अनुदानों का अव्ययित शेष प्रत्यर्पित किया गया था।

(iii) संस्वीकृति प्राधिकारी के पास न कोई सूचना उन मदों के सम्बन्ध में थी जिन पर प्रबन्ध-मण्डल ने व्यय संस्वीकृत किया था, प्राधिकारी के पास कोई सूचना नहीं थी और न इस बारे कि क्या इस के द्वारा किसी परिसम्पत्ति का सृजन होना था। न तो अनुनग्राहियों द्वारा इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे और न ही ये विभाग द्वारा मंगवाए गए थे।

(iv) विभाग द्वारा अनुदानग्राहियों के लेखाओं की नमूना जांच के लिए लेखापरीक्षा अधिकरण स्थापित नहीं किया गया था।

मामला जुलाई 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 1983)।

कल्याण विभाग

6.5 अनुदानें

(i) बालवाड़ियों, बाल/बालिका आश्रम, कपड़ा सीने के केन्द्रों, कार्यरत महिलाओं के होस्टल आदि को चलाने के लिए राज्य में विभिन्न संगठनों को 1980-81 (33.84 लाख रु.) तथा 1981-82 (37.06 लाख रु.) के दौरान विभाग द्वारा कुल 70.90 लाख रु. के अनुदान संस्वीकृत किए गए थे। मार्च के महीनों में 31.88 लाख रु. (1980-81: 16.70 लाख रु.; 1981-82: 15.18 लाख रु.) वितरित किए गये थे (मार्च के अन्तिम सप्ताह में 29.02 लाख रु.)। यद्यपि नियमों में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष में पहली मार्च के पश्चात् अनुदान सहायता के लिए कोई आदेश/संस्वीकृति जारी नहीं की जानी चाहिए तथा व्यय को सारा वर्ष समानता से चलते रहने देना चाहिए।

(क) भारत सरकार ने 42.03 लाख रु. का अनुदान संस्वीकृत किया तथा अनुगामी, निजी संगठन/संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण की लागत के 75 प्रतिशत के प्रति अप्रैल/मई 1981 में पहली किस्त के रूप में 10.51 लाख रु. निस्तारित किये। लागत का शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना था जिसने 3.72 लाख रु. (31-3-1981 को 1.25 लाख रु. तथा 31-3-1982 को 2.47 लाख रु.) निस्तारित किये जैसा कि नीचे विवर्णित है :—

संस्थान का नाम	होस्टल की स्थिति	भारत सरकार के निस्तारित शेयर की राशि	राज्य के निस्तारित शेयर की राशि
		(लाख रुपयों में)	
बाल कल्याण के लिए भारतीय सभा	शिमला	1.42	0.42
तदैव	ठियोग	1.41	0.41
तदैव	चम्बा	1.41	0.41
तदैव	नाहन	1.42	0.41
विज्ञापित क्षेत्र समिति परवाणु (जिला सोलन)	परवाणु	1.41	0.41
नगर समिति ऊना	ऊना	2.02	0.41
नगरपालिका हमीरपुर	हमीरपुर	1.42	1.25
जोड़		10.51	3.72

अन्य बातों के साथ-साथ अनुदान की शर्तों में प्रावधान था कि भवनों का निर्माण जितनी जल्दी सम्भव हो, किया जाना चाहिए परन्तु यह कार्य अनुदान-सहायता की पहली किश्त की प्राप्ति की तिथि से 18 महीनों के बाद नहीं होना चाहिए। सात होस्टलों में से पांच होस्टलों के मामले में निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है तथा दो होस्टल निर्माणाधीन (अक्तूबर 1982) हैं जबकि संस्थानों को धनराशि वितरित किये नौ महीने बीत चुके हैं।

(ख) भारत सरकार का शेयर भूमि-खण्डों के स्वामित्व के प्रमाण तथा अनुमोदित स्थल योजनाओं के प्रस्तुत करने पर निस्तारित किया जाना था। नमूना जांच (जून 1982) से प्रकट हुआ कि अनुदान के निस्तार के लिए पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया गया था परिणामतः अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा 3.72 लाख रु. का राज्य शेयर प्रयुक्त नहीं किया गया (जून 1982)।

(ii) 9.79 लाख रु. के संस्वीकृत अनुमान के प्रति सुन्दरनगर में अपंग-गृह के निर्माण के लिए अधिशासी अभियन्ता (भवन तथा सड़कें) सुन्दरनगर को मार्च 1980 में 5.69 लाख रु. का भुगतान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अनुमान को मार्च 1981 में 14.67 लाख रु. के लिए संशोधित किया गया था और 9.08 लाख रु. की शेष राशि (मार्च 1981 में 5.30 लाख रु.

तथा सितम्बर 1981 में 3.78 लाख रु.) का अधिशासी अभियन्ता को बाद में भुगतान किया गया था। मूल्य बढ़ जाने के कारण मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी 1982 में अनुमान को 32.33 लाख रु. के लिए संशोधित किया गया था । प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 1982) ।

सरकार द्वारा निस्तारित कुल 14,67 लाख रु. में से सितम्बर 1982 तक 9. 80 लाख रु. की राशि व्यय की जा चुकी थी। 4.87 लाख रु. की शेष राशि अधिशासी अभियन्ता के पास अव्ययित पड़ी थी (अक्तूबर 1982) ।

(iii) सरकार ने भारतीय बाल कल्याण परिषद् (हि. प्र.) को चम्बा में गद्दियों के बच्चों के लिए होस्टल के निर्माण, उसे चलाने तथा उसकी मरम्मत के लिए मार्च 1981 में 0.50 लाख रु. की अनुदान सहायता संस्वीकृत की तथा उसका भुगतान किया । संस्वीकृति में यह परिलक्षित था कि अनुदानग्राहियों द्वारा अनुदान की अप्रयुक्तता के मामले में 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

नमूना जांच (जून 1982) से प्रकट हुआ कि विभाग को न तो होस्टल के निर्माण की प्रगति ज्ञात थी न ही अनुदानग्राहियों से उपयोगीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था। आगे, ब्याज उदग्रहण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जैसा कि संस्वीकृति में परिलक्षित था।

(iv) विभाग द्वारा 1980-81 तथा 1981-82 में क्रमशः 33.84 लाख रु. तथा 37.06 लाख रु. की राशि की अनुदान सहायता संस्वीकृत की गई थी। इनके प्रति वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए क्रमशः 20.44 लाख रु. तथा 3.00 लाख रु. की राशि के उपयोगीकरण प्रमाण-पत्र जो मई 1982 तक प्राप्त होने अपेक्षित थे, अभी प्रतीक्षित थे (जून 1982)।

(v) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधायें प्रदान करने तथा उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1978-79 के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक परीक्षापूव शिक्षा केन्द्र आरम्भ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1978-79 तथा 1981-82 के दौरान केन्द्र को कुल 3.00 लाख रु. (नीचे विवर्णित) के अनुदान संस्वीकृत किये गये/भुगताए गये थे :—

संस्वीकृति की तिथि	भुगतान की तिथि	अनुदान की राशि
		(लाख रुपयों में)
31-3-1979	31-3-1979	0.25
31-3-1980	31-3-1980	0.75
31-3-1981	31-3-1981	1.00
4-11-1982	12-3-1982	1.00
	जोड़	3.00

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि यद्यपि केन्द्र 1978-79 में स्थापित किया गया था परन्तु प्रशिक्षणार्थियों का पहला समूह 15-5-1981 को आरम्भ हुआ था। इस प्रकार 1978-79 तथा 1980-81 के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ था।

शिक्षा केन्द्र के अवैतनिक निदेशक ने पुस्तकों, उपकरण तथा उपस्कर पर निम्नलिखित व्यय अप्रैल 1982 में सूचित किया :—

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82	जोड़
		(लाख रुपयों में)		
पुस्तकें	0.53	0.15	0.18	0.86
कार्यालय उपकरण/उपस्कर	0.41	0.27	0.36	1.04

वर्ष 1981-82 के दौरान संस्वीकृत 1.00 लाख रु. के अनुदान में से 31 मार्च 1982 को 0.45 लाख रु. का अप्रयुक्त शेष था। इसमें से अगस्त 1982 में विश्वविद्यालय ने संस्थान को 0.17 लाख रु. भेज दिये थे।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा केन्द्र, हिमाचल प्रदेश, लोक प्रशासन संस्थान मशोबरा (जिला शिमला) को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया था (अप्रैल 1982)। विभाग ने कोई परि-सम्पति-रजिस्टर नहीं रखा था। यद्यपि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने विश्वविद्यालय से इसे अपने हाथ में लेते समय 1.56 लाख रुपये की परिसम्पत्तियों की पावती दी थी फिर भी 0.34 लाख रुपये मूल्य की शेष परिसम्पत्तियों के संबंध में मामले का निपटान प्रतीक्षित था (दिसम्बर 1982)।

(vi) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 1981 में अधिसूचित अनुदान सहायता नियमों के प्रावधान के विपरीत न तो विभाग के कोई दौरों/निरीक्षणों का प्रबन्ध किया गया जिसके परिणाम-स्वरूप विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिनके लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी प्रत्यक्ष प्रगति की पड़ताल को प्राप्त नहीं किया गया न ही अनुदान-ग्राहियों द्वारा सरकारी अनुदानों में से सृजित परिसंपत्तियों के विवरणों को सम्मिलित करने वाली कोई विवरणी प्राप्त की गई। विभाग के पास उनके द्वारा परिसम्पति रजिस्टर के बनाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी।

यह मामला सरकार को अगस्त 1982 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

स्थानीय स्वशासन विभाग

6.6 शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान

1. विभाग ने 1980-81 से 1981-82 तक के वर्षों के दौरान कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये शहरी स्थानीय निकायों को 1,98.43 लाख रु. की राशि की अनुदान सहायता संस्वीकृत

की जैसा नीचे विवर्णित है :—

अनुदानों का उद्देश्य	1980-81		1981-82	
	कार्यों की संख्या	राशि	कार्यों की संख्या	राशि
		(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)
निर्माण कार्य आदि	510	94.36	425	87.80
नई स्थापित विज्ञापित क्षेत्र समितियों के सम्बन्ध में प्राथमिक व्यय	..	..	..	0.15
चुंगी शुल्क की समाप्ति के लिए प्रतिपूर्ति	..	0.06	..	0.06
नगर निगम शिमला द्वारा प्राप्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान	..	..	..	16.00
	510	94.42	425	1,04.01

2. विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच, जुलाई 1982) ने निम्नलिखित बातें दर्शायीं:—

(i) अनुदान सहायता नियमों में निर्दिष्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों, जिनको अनुदान सहायता दी गई है, द्वारा समय पर प्रयोगीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिएं अन्यथा दोषी अनुदानग्राही (यों) को आगामी अनुदान नहीं मिलेगा और जहां पहले अनुदान प्रदत्त धनराशि किन्हीं कारणों से अव्ययित पड़ी रहती है, उसे सरकारी खजाने में प्रत्यर्पित करना चाहिए।

वित्तीय नियमों में आगे प्रावधान है कि इस आशय के प्रमाण पत्र कि अनुदानें उन्हीं उद्देश्य (यों) के लिये प्रयुक्त की गई थीं जिनके लिये वे भुगताई गई थीं, विभागीय अधिकारियों द्वारा ऐसे अनुदानों के वितरणों के एक वर्ष के भीतर लेखापरीक्षा कार्यालय को, यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, भेजना अपेक्षित है। इन नियमों का पालन संस्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा संस्वीकृति प्रदान करते समय नहीं किया गया था। वर्ष 1974–75 तथा 1980–81 के दौरान संस्वीकृत 2,66.65 लाख रुपये की सहायता अनुदानों के अन्तर्गत 1,090 प्रयोगीकरण प्रमाण–पत्र

प्रतीक्षित थे, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

वर्ष	प्रतीक्षित प्रयुक्तता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि	अभ्युक्तियां
		(लाख रुपयों में)	
1974–75	7	2.13	ये अनुदान जलापूर्ति, जलोत्सारण, गलियों को पक्का करने, शौचालयों, सड़कों आदि के निर्माण से सम्बन्धित हैं।
1975–76	33	11.64	
1976–77	50	16.12	
1978–79	109	1,01.84	
1979–80	385	40.84	
1980–81	506	94.08	
जोड़	1090	2,66.65	

(ii) अन्य बातों के साथ–साथ हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता के भुगतान के नियमन करने वाले नियमों में प्रावधान है कि मूल निर्माण कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए अनुदानें निम्न प्रकार दी जानी चाहियें—

उद्देश्य	अनुदान की प्रतिशतता
(क) निर्माण कार्य—	
(i) नगरपालिका की सीमाओं में सड़कें तथा भवन	25
(ii) अन्य कार्य	50
(ख) नई स्थापित की गई समितियों का प्रारम्भिक व्यय	प्रत्येक 0.05 लाख रु०

उपरोक्त प्रतिशततायें और राशियां, जहां तक अनुदान सहायता संस्वीकृत की जाये, अधिकतम हैं परन्तु अनुदान सहायता की वास्तविक धन–राशियां प्रत्येक मामले में परिस्थिति अनुसार भिन्न हो सकती हैं।

उपरोक्त सभी कार्यों के लिये शत प्रतिशत अनुदानें दी जा सकती हैं यदि सरकार के विचार में समिति की वित्तीय स्थिति ऐसी दुर्बल है कि वह उपरोक्त कार्यों के लिये अंशदान नहीं दे सकती, योजना के अन्तर्गत विकासीय योजनाओं के लिये सरकार की इच्छा पर अनुदान सहायता

को शत प्रतिशत के आधार पर दिया जा सकता है।

विभाग के अभिलेखों के नमूना जांच (जुलाई, 1982) से प्रकट हुआ कि निर्माण कार्यों की 16.98 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्रति 1981–82 के दौरान 22 शहरी स्थानीय निकायों को कुल 15.96 लाख रुपये (अनुमानित लागत का 94 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था यद्यपि अक्तूबर 1982 के अन्त में उनके पास 34.73 लाख रुपये अव्ययित पड़े थे। विभाग ने बताया (अक्तूबर 1982) कि संबन्धित स्थानीय निकायों द्वारा अव्ययित शेष को पदार्थों जैसे सीमैन्ट, कोलतार आदि की अनुपलब्धता से कार्यों की अपूर्णता के कारण प्रत्यर्पित नहीं किया गया था।

3. अनुदान सहायता नियमों में प्रावधान है कि 0.50 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों के अनुमानों के लिये अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन अपेक्षित होगा तथा जो अनुमान एक लाख रुपये से अधिक के होंगे उन्हें मुख्य अभियन्ता का अनुमोदन अपेक्षित होगा। अधिसूचित क्षेत्र समिति सराहन (जिला सिरमौर) द्वारा स्टालों के निर्माण हेतु 1.54 लाख रुपये तथा नगर पालिका कुल्लू द्वारा भूतनाथ में पार्क के विकास हेतु स्टालों के निर्माण के लिये 0.66 लाख रुपये के अनुमान क्रमशः मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संस्वीकृत नहीं करवाए गये थे।

4. शिमला नगर में जल आपूर्ति के आवर्धन के लिये, मार्च, 1976 में 1.94 करोड़ रु० की लागत से 1.2 लाख गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त जल–आपूर्ति के लक्ष्य वाली स्कीम का सरकार ने अनुमोदन किया। मार्च 1978 में 3.6 लाख गैलन प्रतिदिन जल आपूर्ति के लक्ष्य से 3.56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्कीम का क्षेत्र विस्तृत किया गया।

उपरोक्त स्कीम के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार ने नगर निगम शिमला को 1.62 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया (1977-78 : 0.54 करोड़ रुपये, 1978–79 : 0.74 करोड़ रुपये और 1980–81 : 0.34 करोड़ रुपये)। शेष 1.94 करोड़ रुपये की राशि निगम द्वारा ऋण के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त करनी थी। निगम ने नवम्बर 1981 तक ऋण आहृत कर लिया (0.90 करोड़ रुपये फरवरी 1979 में, 0.50 करोड़ रुपये मार्च 1980 में और 0.54 करोड़ रुपये नवम्बर, 1981 में)। निर्माण कार्य अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल नं० 1 शिमला को जमा कार्य के रूप करने हेतु सौंपा गया।

निष्पादित करने वाले अधिकारी से प्राप्त सूचना द्वारा अनुपूरित संस्वीकृति अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 1982) से यह देखने में आया कि––

(i) 3.6 लाख गैलन प्रतिदिन जल आपूर्ति की 3.56 लाख रुपये की लागत वाली स्कीम का अनुमोदन मार्च 1978 में किया गया था और निर्माण कार्य 3 वर्षों में सम्पन्न करना था। दिसम्बर 1982 में जांची गई स्थिति से ज्ञात हुआ कि 3.93 करोड़ रुपये का व्यय पहले ही किया जा चुका था

और कार्य अभी तक पूर्ण रूपेण सम्पन्न नहीं हुआ था ;

(ii) राज्य सरकार द्वारा निर्मित अनुदान सहायता नियम अनुदान सहायता प्राप्त-कर्ता एकक द्वारा, सरकार की पूर्व अनुमति बगैर, अनुमान में किसी परि-वर्तन का निषेध करते हैं। वर्तमान मामले में, जैसा कि अधिशासी अभि-यन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल, नं० 1, शिमला द्वारा सलाह दी गई थी, लागत बढ़ कर 4.38 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान था। राज्य सरकार से निर्दिष्ट पूर्व संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी यद्यपि निर्माण कार्य पर व्यय पहले ही अनुमान से 0.37 करोड़ रुपये बढ़ गया था। अनु-मान के संशोधन का कार्य अभी भी हाथ में नहीं लिया गया था (दिसम्बर 1982)।

(iii) 3.6 लाख गैलन प्रतिदिन जल आपूर्ति के लक्ष्य की उपलब्धि एवं अन्तिम लागत संबंधी छवि उभरनी अभी बाकी थी।

5. आगे यह देखा गया कि—

(i) नियमों के विपरीत, विगत वर्षों के दौरान निस्तारित अनुदानों सम्बन्धी लेखा-परीक्षित विवरणियां प्राप्त किये बगैर अनुदानें संस्वीकृति की गईं। इन विवरणियों के अभाव में यह ज्ञात नहीं हुआ कि विभाग इस मामले में अपनी सन्तुष्टि कैसे करता था कि जिन जिन उद्देश्यों के लिये वे अभिप्रेत थीं/ संस्वीकृत हुई थीं उन्हीं पर उन को व्यय किया गया था ;

(ii) व्यय एवं वास्तविक उपलब्धियों के निर्दिष्ट प्रगति प्रतिवेदन अनुदान प्राप्त-कर्त्ताओं से न तो प्राप्त होते थे और न ही इन के भेजे जाने पर विभाग द्वारा जोर दिया जाता था ;

(iii) यद्यपि नियमों में इस बात का विधान था, तो भी अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं के लेखाओं की, राजकीय अनुदानों में से व्यय के उपयुक्त और न्याय संगत होने संबंधी जांच करने के लिये, कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा एजेंसी स्था-पित नहीं की गई थी ;

(iv) सभी अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अपेक्षित है कि निर्माण कार्यों के संबंध में अवमूल्यन निधि का सृजन करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर व्यापक मरम्मत कार्य करने अथवा निर्माण कार्यों के प्रतिस्थापन के समय किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। विभाग के पास अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थानों द्वारा ऐसी निधि के सृजन संबंधी कोई सूचना नहीं थी।

(v) विभाग के पास कोई सूचना नहीं थी जिस से ज्ञात हो कि क्या अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाया गया है जैसा कि नियमों में

परिकल्पित है। राजकीय अनुदानों में से सृजित परिसम्पत्तियों का विवरण दर्शानेवाली विवरणिका अनुदान प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई और न ही विभाग ने इस मामले में जोर दिया ;

(vi) वर्ष 1979–80 से आगे तक का बनाया हुआ अनुदान सहायता रजिस्टर अधूरा एवं अप्रमाणीकृत था ;

(vii) मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा अथवा उस के किसी नामांकित व्यक्ति द्वारा किसी चरण में भी निर्माण कार्यों का निरीक्षण नहीं किया गया, जैसा कि नियमों में अपेक्षित है।

मामला सरकार को अगस्त, 1982 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

6.7 ऋण तथा उपदान

खाद्य तथा आपूर्ति विभाग ने भांडागारों के निर्माण के लिये ऋण एवं खाद्यान्नों, लेवी चीनी, रेपसीड तेल, नमक आदि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर उपदान संस्वीकृत किये।

1. ऋण

1.1 वर्ष 1979–80 के बजट में गोदामों के निर्माण के लिये 40.00 लाख रुपये का प्रावधान विशिष्ट रूप से किया गया था। सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, शिमला को 20 मार्च 1983 को 40.00 लाख रु० का ऋण राज्य में छः भांडागारों के निर्माण के लिये दिया परन्तु शर्त यह थी कि ऋण संस्वीकृति के जारी होने के पन्द्रह दिनों के पश्चात् तय हो जाना चाहिये था। ऋण की धारायें एवं शर्तें जारी नहीं की गई थीं। दिसम्बर 1980 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला को राशि के अन्तरण का निर्णय लिया किन्तु हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को केवल 10.00 लाख रुपये अन्तरित किये और 30.00 लाख रु० की शेष राशि को अपने पास रखा जो नवम्बर 1982 तक अप्रयुक्त पड़ी रही। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने हिमाचल प्रदेश नागरिक निगम आपूर्ति को 30.00 लाख रु० के अव्ययित शेष को अन्तरित करने की कोई कार्रवाई नहीं की।

अगस्त 1981 में निदेशक नागरिक आपूर्ति ने सरकार को सूचित किया कि दिसम्बर 1980 में स्थापित हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया था और गोदामों का निर्माण संभव नहीं था तथा राशि को निगम की शेयर पूंजी में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया। किन्तु सरकार के कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुये। इसी समय में निगम ने मार्च 1981 में प्राप्त 10.00 लाख रु० की राशि अपने पास रखी।

यद्यपि वर्ष 1979–80 के बजट में गोदामों के निर्माण के लिये 40.00 लाख रु० विशिष्ट रूप से दिये गये थे, धन का दिशा परिवर्तन किया गया और इसे दो निगमों को स्कीम के

निष्पादन के लिये वितरित किया गया। तथापि गोदामों के निर्माण का कार्य हाथ में नहीं लिया गया था और दूसरी ओर धन इन निगमों द्वारा अपने प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किया गया था। जिस प्रयोजन के लिये विधान सभा द्वारा इसे दत्तमत किया गया था उस पर इसके प्रयोगीकरण हेतु सरकार द्वारा उस राशि को वापिस मांगने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1982) कि मामले उनके पास सक्रिय रूप से विचाराधीन पड़े थे।

1.2 राज्य में खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की अधिक क्षमता के लिये तथा लोगों में विस्तृत वितरण पद्धति की किन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभाग ने 1980–81 के बजट अनुमानों में भांडागार निगम को स्थापित करने हेतु 25.00 लाख रु० की राशि का प्रावधान किया। चूंकि निगम मार्च 1981 में गठित नहीं हुआ अतः सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पक्ष में निधियों को जारी करने का निर्णय लिया जिसकी शर्तें बाद में अन्तिम की जानी थीं। अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित शिमला को विश्व बैंक भंडारण परियोजना के प्रति प्रत्यर्पित शेयर पूंजी के रूप में 25.00 लाख रु० की राशि संस्वीकृत की (मार्च 1981)। प्रत्यर्पित शेयर पूंजी के संचालन की शर्तें केवल अगस्त 1982 में अंतिम की गई थीं और इसके अनुसार बैंक द्वारा समितियों के अतिदेयों के समायोजन के लिये शेयर पूंजी को प्रयुक्त किया जायेगा।

आगे बैंक द्वारा शेयर पूंजी प्रत्येक वर्ष 15 मई को 12 समान वार्षिक किश्तों में प्रत्यर्पित की जानी थी, पहली किश्त 15 मई 1982 को देय थी। बैंक ने 9 प्रतिशत की वार्षिक दर से आश्वासित लाभांश का भी भुगतान करना था जिसका शेयर पूंजी की किश्तों के साथ भुगतान किया जाना था। निर्धारित दर पर लाभांश के साथ 15 मई 1982 को देय पहली किश्त के पुनः भुगतान के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी (सितम्बर 1982)।

वर्ष 1980–81 के दौरान भांडागार निगम को विस्तृत जन वितरण की पद्धति की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने और अधिक भंडारण क्षमता के लिये 25.00 लाख रुपये चिह्नित किये गये थे। दिशापरिवर्तन हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता बैंक सीमित को प्रत्यर्पित शेयर पूंजी के रूप में किया गया ताकि समितियों के अतिदेयों के समायोजन के लिये प्रयुक्त किया जा सके। लाभांश के साथ 9 प्रतिशत की दर से 15 मई 1982 को देय पहली किश्त के पुनः भुगतान के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी।

सातवां अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप

अनुभाग–क–सामान्य

7.1 यह अध्याय निम्न की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है :—

(i) सांविधिक निगम ;

(ii) सरकारी कम्पनियां ; तथा

(iii) विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम ।

अनुभाग-ख-सांविधिक निगम

7.2. 31 मार्च 1982 को 3 सांविधिक निगम थे यथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, एवं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1981-82 के लेखे 13 सितम्बर 1982 को लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध करवाए गए थे। लेखाओं पर मसौदा टिप्पणी राज्य सरकार को 22 अक्तूबर 1982 को जारी की गई थी ; उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 1982) ।

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने वर्ष 1981-82 के लेखों को लेखापरीक्षा के लिए नहीं भेजा था (दिसम्बर 1982) ।

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) की शर्तों के अनुसार राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के 1981-82 के लिए प्रमाणित लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को सितम्बर 1982 में प्रेषित किया गया था ।

अन्तिम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर निगमों की कार्य प्रणाली के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली संक्षिप्त विवरणी परिशिष्ट 7.1 में दी गई है ।

7.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5(1) के अन्तर्गत 1 सितम्बर 1971 को गठित किया गया था ।

7.3.1 पूंजी

बोर्ड की पूंजी की आवश्यकताओं को सरकार जनता, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है ।

31 मार्च 1982 के अन्त तक दीर्घकालिक ऋणों का कुल जोड़ (जिसमें सरकार से प्राप्त ऋण सम्मिलित हैं) 1,58,72.04 लाख रुपए था जो पिछले वर्ष के अन्त तक 1,35,66.24 लाख

रुपये के दीर्घकालिक ऋणों पर 23,05.80 लाख रुपये अर्थात् 16.99 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथा 31 मार्च 1982 तक 2 वर्षों के संवरण पर बकाया ऋणों के विवरण निम्न प्रकार थे :—

स्रोत	31 मार्च को बकाया राशि		प्रतिशतता बढ़ोत्तरी
	1981	1982	
	(लाख रुपयों में)		
राज्य सरकार	91,44.23	1,03,93.38	13.66
अन्य स्रोत—			
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	20,63.65	25,76.86	24.87
भारतीय जीवन बीमा निगम	4,68.86	5,72.30	22.06
बंध-पत्र/ऋण पत्र	18,89.50	23,29.50	23.29
जोड़	1,35,66.24	1,58,72.04	16.99

7.3.2. प्रत्याभूतियां

सरकार ने बोर्ड द्वारा लिए गए 59,99.69 लाख रुपए तक की सीमा के ऋणों की वापसी तथा उन पर ब्याज की अदायगी की प्रत्याभूति दी थी जिसके प्रति बोर्ड ने 50,39.85 लाख रुपए प्राप्त किए थे। 31 मार्च 1982 के अन्त में प्रत्याभूत और बकाया मूलधन की राशि 49,06.36 लाख रुपए थी। प्रत्याभूत ऋणों के लिए सरकार 1/2 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क लेती है। 31 मार्च 1982 को राज्य सरकार को 6.30 लाख रुपए की राशि प्रत्याभूति शुल्क के रूप में देय थी।

7.3.3 वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम

(i) वित्तीय स्थिति

वर्ष 1981-82 तक के तीन वर्षों के संवरण पर बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्न सारणी

में दी गई है :—

	1979-80	1980-81	1981-82*
		(लाख रुपयों में)	
दायित्व—			
(क) सरकार से ऋण	78,86.34	91,44.23	1,03,93.38
(ख) अन्य दीर्घकालिक ऋण बन्ध-पत्रों सहित	35,20.38	44,22.01	54,78.66
(ग) आरक्षित निधियां—			
राज्य/केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता तथा उपदान	3,50.48	4,50.48	6,10.48**
उपभोक्ताओं द्वारा अंशदान (सेवा लाइनों के प्रति)	26.46	31.83	39.83
अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	50.44	58.51	65.03
(घ) चालू दायित्व एवं प्रावधान	28,23.49	37,69.67	45,52.21
जोड़	1,46,57.59	1,78,76.73	2,11,39.59

* अन्तिम क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध लेखे अभी तक प्रमाणित नहीं करवाए गए (नवम्बर 1982)।

** "आरक्षित" शीर्ष के अन्तर्गत प्रकट आर्थिक सहायता तथा उपदान के अधीन 1,60.00 लाख रुपए की वृद्धि में जल विद्युत परियोजनाओं की जांच एवं सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान 75 लाख रुपए तथा राज्य में हरिजन बस्तियों/मकानों के विद्युतीकरण के लिए वर्ष के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान 85 लाख रुपए सम्मिलित हैं।

परिसम्पत्तियां

(क) सकल अचल परिसम्पत्तियां	62,48.75	63,99.81	81,12.81
(ख) घटाएं-मूल्यह्रास	7,28.12	7,32.91	7,36.92
(ग) निवल अचल परिसम्पत्तियां	55,20.63	56,66.90	73,75.89
(घ) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	58,47.22	77,63.50	86,85.20
(ङ) निवेश	2,46.80	2,68.17	4,17.80
(च) चालू परिसम्पत्तियां	25,23.14	32,72.00	36,66.84
(छ) विविध व्यय	71.59	91.09	1,23.75
संचित हानियां	4,48.21	8,15.07	8,70.11*
जोड़	1,46,57.59	1,78,76.73	2,11,39.59
आयोजित पूंजी**	52,75.34	52,22.95	65,43.90

(ii) **कार्यकारी परिणाम**

वर्ष 1981-82 तक के तीन वर्षों के लिए बोर्ड के कार्यकारी परिणामों को नीचे संक्षेप

---

*हानि में हुई 55.04 लाख रुपए की वृद्धि वेतनों एवं पारिश्रमिकों पर अधिक व्यय (84.80 लाख रु०), मरम्मत एवं रखरखाव (66.80 लाख रु.), सामान्य प्रशासन (61.36 लाख रु.), ऋणों /बंध-पत्रों आदि पर व्यय (1,29.14 लाख रु.) तथा पिछले वर्षों में कार्यालय के व्यय पर पूंजी में से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति जो कि इस वर्ष कार्यालय व्यय तथा रख-रखाव पर व्यय में कमी के कारण हुई (3,24.39 लाख रुपए) को विद्युत शक्ति-विक्रय (6,28.09 लाख रु०) से हुई राजस्व में वृद्धि से आंशिक रूप में संतुलित कर दिया गया।

**लगाई गई पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगति पर कार्य-पूंजी को छोड़कर) जमा कार्यकारी पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है।

में दिया गया है :—

	1979–80	1980–81	1981–82
		(लाख रुपयों में)	
(क) राजस्व प्राप्तियां	13,74.39	12,57.58	19,25.75
(ख) राजस्व व्यय	13,74.39	13,74.14	19,25.75
(ग) सकल अधिशेष	..	..	..
(घ) सरकारी ऋणों के अतिरिक्त ऋणों एवं बंधपत्रों पर विनियोग	1,89.84	2,50.30	3,79.43*
(ङ) लगाई गई पूंजी पर कुल प्राप्ति	(—) 1,89.84	(—) 2,50.30	(—) 3,79.43
		(प्रतिशत)	
(च) लगाई गई पूंजी पर वापसी की दर	(—) 3.6	(—) 4.8	(—) 5.8

चूंकि तीन वर्षों के दौरान सरकारी ऋणों एवं मूल्यह्रास पर ब्याज सहित राजस्व व्यय को पूर्ण करने के लिए राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं थीं अतः बोर्ड के लेखाओं में उपलब्ध न किए गए तत्सम्बन्धी वर्षों के लिए सरकारी ऋणों तथा मूल्य ह्रास पर ब्याज के निम्नांकित प्रभारों को आकस्मिक दायित्वों के रूप में दर्शाया गया :—

उन प्रभारों के ब्यौरे जो प्रावधित नहीं किए गए	1979–80	1980–81	1981–82	31 मार्च 1982 तक संचय
		(लाख रुपयों में)		
वर्ष के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज	5,27.60	6,67.08	8,13.46	39,15.96
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	..	1,56.25	1,60.05	5,11.91
जोड़	5,27.60	8,23.33	9,73.51	44,27.87

*विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 67(2) के अधीन निहित है कि यदि परिचालन अनुरक्षण तथा प्रबन्ध आदि के व्ययों को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत ब्याज सहित ऋणों द्वारा पूर्ण करने में राजस्व प्राप्तियां पर्याप्त नहीं हैं तो न्यूनता को पूंजीगत प्राप्तियों से पूर्ण किया जाएगा । फिर भी 3,79.43 लाख रुपए की राशि पूर्व संस्वीकृति उपलब्ध किए बिना राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूत ऋणों एवं बंध-पत्रों पर ब्याज के लिए दी गई तथा कोई सकल अधिशेष न होने पर विनियोग के रूप में दर्शाई गई ।

यदि इन प्रभारों को लेखे में ले लिया जाए तो पूरे तीन वर्षों में लगाई गई पूंजी की कुल प्राप्ति निम्न तालिका के अनुसार होगी :

विवरण	1979–80	1980–81	1981–82
		(लाख रुपयों में)	
—जैसा ऊपर निकाला गया है (ऊपरी अनुच्छेद)	(—) 1,89.84	(—) 2,50.30	(—) 3,79.43
—प्रभार जिनके लिये प्रावधान किया गया	(—) 5,27.60	(—) 8,23.33	(—) 9,73.51
—निवल प्राप्ति, यदि सारे प्रभारों का प्रावधान कर दिया जाये	(—) 7,17,44	(—) 10,73.63	(–) 13,52.94
		(प्रतिशत)	
—लगाई गई पूंजी पर प्राप्ति वसूली की दर	(—) 13.60	(—) 20.56	(—) 20.67

7.3.4. **परिचालन कार्य निष्पादन**

(i) निम्न तालिका वर्ष 1981–82 तक तीन वर्षों के लिए बोर्ड के परिचालन-कार्य की स्थिति को इंगित करती है :—

विवरण	1979–80	1980–81	1981–82
1. प्रतिष्ठापित क्षमता—		(एम. के. डब्लयू. एच.)	
—हाइड्रो	972.54	976.91	1108.32
—डीज़ल	22.01	22.01	13.14
जोड़	994.55	998.92	1,121.46
2. सामान्य अधिकतम मांग	692.04	744.60	832.20
3. उत्पादित विद्युत शक्ति—			
—हाइड्रो	354.88	244.94	431.65
—डीज़ल	0.03	..	0.04
जोड़	354.91	244.94	431.69
घटाएं सहायक-इकाइयों पर प्रयुक्त विद्युत शक्ति	1.94	1.60	1.94
कुल (निवल)	352.97	243.34	429.75
4. अन्य स्रोतों से खरीदी गई शक्ति	232.92	267.94	258.30
5. (क) बिक्रय के लिए उपलब्ध कुल शक्ति	585.89	511.28	688.05
(ख) कम			
(i) राज्य से बाहर बिक्रीत शक्ति (निवल)	258.54	151.82	273.65

विवरण	1979-80	1980-81	1981-82
(ii) रूपान्तर में हानि	£	£	11.42
6. राज्य के भीतर बिक्रय के लिए उपलब्ध शक्ति	327.35	359.46	402.98
7. राज्य के भीतर बिक्रीत शक्ति	216.26	264.84	285.96
8. (i) राज्य के भीतर पारेषण एवं वितरण में हानि (6—7)	111.09	94.62	117.02
(ii) राज्य से बाहर	£	£	11.42
		(प्रतिशत)	
9. दबाव कारक	47.30	41.71	49.65
10. (i) राज्य के भीतर पारेषण एवं वितरण की हानियों की प्रतिशतता	33.94	26.32	29.04
(ii) राज्य से बाहर	£	£	4.01
		(कि० व० घ०)	
11. प्रतिष्ठापित क्षमता की प्रति किलोवाट में उत्पादित यूनिटों की संख्या	3,126	2,148	3,849

(ii) निम्नतालिका बोर्ड के कार्य कलाप के सम्बन्ध में वर्ष 1981–82 तक तीन वर्षों के अन्त तक की स्थिति के अन्य ब्यौरे दर्शाती है :—

विवरण	1979–80	1980–81	1981–82
1. विद्युतीकृत/गांव नगर (संख्या)	8,921	10,050	11,217
2. शक्ति प्रदत्त पम्पसैट/कुएं (संख्या में)	1,633	1,725	1,931
3. नलकूपों/शेष भार के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	135	137	131
4. उप-स्टेशनों की संख्या	3,006	3,432	3,836
5. पारेषण/वितरण लाइन (कि.मी.)			
—उच्च/मध्यम वोल्टेज	8,838.946	9,616.675	10,560.285
—निम्न वोल्टेज	15,433.143	17,542.811	19,896.257
6. सम्बन्धित भार (मैगावाट)	373.455	415.599	471.501
7. उपभोक्ताओं की संख्या	4,00,536	4,42,493	4,89,201
8. कर्मचारियों की संख्या	13,096	15,276	17,668

£ बोर्ड द्वारा निर्धारित नहीं किया गया ।

निम्न तालिका 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान बिक्रीत शक्ति और राजस्व व्ययों एवं लाभ/हानि प्रति के. डब्ल्यू. एच. के ब्यौरों को दर्शाती है :–

बिक्रीत यूनिट	1979–80	1980–81	1981–82
	(एम. के. डब्ल्यू. एच.)		
(क) कृषि	5.42	8.86	6.51
(ख) औद्योगिक	93.34	104.37	130.45
(ग) वाणिज्यिक	28.00	33.33	34.99
(घ) घरेलू	54.93	65.61	70.56
(ङ) अन्य	293.11	204.49	328.50*
जोड़	474.80	416.66	571.02
	(पैसे)		
2. राजस्व प्रति के. डब्ल्यू. एच.	28.94	30.18	33.72
3. व्यय प्रति के. डब्ल्यू. एच.	44.05	58.75	57.42
4. हानि प्रति के. डब्ल्यू. एच.	15.11	28.57	23.70

वर्ष 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान कृषि अनुभाग के अन्तर्गत बिक्रीत शक्ति के निर्धारित लक्ष्य यथा 5.5, 9.00 एवं 5.99 मैगा-किलोवाट को क्रमशः सभी तीन वर्षों में लगभग प्राप्त कर लिया गया ; 1979–80 से 1980–81 के दौरान क्रमश : 0.08 एवं 0.14 लाख मैगा-किलोवाट की कमी हुई ।

7.3.5 पारेषण लाइनें

7.3.5.1 प्रस्तावना

वर्ष 1981–82 के अन्त तक विभिन्न पारेषण लाइनों (11 किलोवोल्ट तथा अधिक) की कुल लम्बाई 4074.843 किलोमीटर (सितम्बर 1971) से बढ़ कर 10,560.285 किलो-मीटर हो गई । वर्तमान समीक्षा को 66 के. वी. तथा अधिक की परिषण लाइनों तक ही सीमित किया जाता है ।

सितम्बर 1971 से मार्च 1982 की अवधि के दौरान बोर्ड ने 60 किलोवाट एवं ऊपर की 9 पारेषण लाइनों (लम्बाई : 592 किलोमीटर) का निर्माण हाथ में लिया तथा एक अन्य लाइन (45 किलोमीटर) के निर्माण हेतु योजनाओं के लिए प्रशासकीय अनुमोदन प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1982) । हाथ में ली गई इन 9 लाइनों में से 105 किलोमीटर (अनुमानित लागत : 3,67.34 लाख रु०) की लम्बाई वाली 2 लाइनें 3,70.34 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हो गई थीं तथा शेष 7 लाइनों पर निर्माण कार्य प्रगति पर था (दिसम्बर 1982) । इन योजनाओं की लेखा परीक्षा के दौरान ध्यानगत विचार बिन्दुओं को आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है ।

*राज्य से बाहर बिक्रीत 285.07 मैगा किलोवाट शक्ति सम्मिलित है ।

7.3.5.2 (i) **132 कलोवाट लाइन बस्सी से हमीरपुर**––बस्सी से हमीरपुर 132 किलोवाट पारेषण लाइन (लम्बाई : 50 किलोमीटर) को निर्मित करने के लिए 92.98 लाख रुपए की अनुमानित लागत की एक योजना दिसम्बर 1959 में बनाई गई। निर्माण कार्य मार्च 1974 तक पूर्ण होना था किन्तु अप्रैल 1974 तक बोर्ड केवल सर्वेक्षण कार्य ही पूर्ण कर सका। बोर्ड ने 132 किलोवाट लाइन की 50 किलोमीटर लाइन तथा हमीरपुर में 132/33/11 किलोवाट 16 मेगावाट स्टेप डाऊन सब-स्टेशन के निर्माण के लिए परिशोधित परियोजना रिपोर्ट नवम्बर 1976 में 1,92.11 लाख रुपए के लिए अनुमोदित की। निर्माण कार्य जुलाई 1977 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

फरवरी 1977 में मण्डलीय अधिकारी ने बताया कि टावरों के निर्माण का कार्य सामान की अनुपलब्धता एवं अनुभवी कर्मचारियों के अभाव के कारण निश्चित तिथि (जुलाई 1977)) तक सम्पन्न कर सकना सम्भव नहीं था। आगे यह भी बताया गया कि यदि अनुभवी कर्मचारियों तथा सामान को फरवरी 1977 तक उपलब्ध करवा दिया जाता तो लाइन जनवरी 1978 तक पूर्ण की जा सकती थी। कार्य नवम्बर 1978 में सम्पन्न किया गया और लाइन मई 1979 में शक्तिकृत की गई। अप्रैल 1982 तक 2,12.38 लाख रुपए का व्यय किया गया किन्तु निर्माण कार्य के लेखों का अभी तक संवरण नहीं किया गया (नवम्बर 1982)। मुख्य अभियन्ता, उत्पादन एवं पारेषण (जून 1981) के अनुसार निर्माण कार्य की लागत लगभग 2,35.81 लाख रुपए होने की सम्भावना थी। अधिशासी अभियन्ता, पारेषण एवं निर्माण मण्डल, जैसुर ने लागत में हुई वृद्धि को मजदूरी एवं सामान की लागत में हुई वृद्धि तथा दुर्गम क्षेत्रों में सामान की अधिक ढुलाई से सम्बद्ध किया (अगस्त 1982)।

(ii) **डैहर पावर हाऊस से शिमला तक 132 किलोवाट लाइन**––शिमला नगर की बढ़ती हुई शक्ति की मांग को पूरा करने हेतु भाखड़ा प्रबन्धकर्ता बोर्ड के डैहर पावर–हाऊस से शक्ति प्राप्त करने के लिए सलापड़ से शिमला (अनुमानित लागत 98.06 लाख रुपए) तक 132 किलोवाट सिंगल सर्कट की 55 किलोमीटर लाइन के निर्माण के लिए फरवरी 1972 में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया। डैहर पावर हाऊस के चालू करने की तिथि (नवम्बर 1977) के साथ साथ ही यह निर्माण पूर्ण होना नियत था। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने डैहर पावर हाऊस (ज़िला मण्डी) से शक्ति के आबंटन के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबन्धकर्ता बोर्ड (भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड) से सम्पर्क किया (1978)। डैहर पावर हाऊस में उत्पादित शक्ति में से भाखड़ा ब्यास प्रबन्धकर्ता बोर्ड ने 36 मेगावाट शक्ति आबंटित की (जनवरी 1979)।

किन्तु अनुमान 1976 में 1,30.10 लाख रुपए, मार्च 1976 में 1,37.51 लाख रुपये, तथा तीसरी बार अन्त में नवम्बर 1981 में 1,75.23 लाख रुपये के लिये परिशोधित किया गया।

योजना पर निर्माण कार्य नवम्बर 1975 में आरम्भ हुआ तथा अप्रैल 1980 में पूर्ण हुआ किन्तु किन्तु 132/66 किलोवाट के जतोग (जिला शिमला) के सब-स्टेशन की अपूर्णता के कारण लाइन मई 1981 में शक्तिकृत की गई थी यद्यपि डैहर पावर हाऊस नवम्बर 1977 तथा जून के मध्य 1979 में चालू हो चुका था। 1.57.96 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका था (मार्च 1982) तथा निर्माण कार्य के लेखाओं का अभी तक संवरण नहीं किया गया था (दिसम्बर 1982)।

7.3.5.3 निर्माणाधीन लाइन

(i) **132 किलोवाट लाइन माजरी (हिमाचल प्रदेश) से अब्दुल्लापुर (हरियाणा)**—माजरी में सम्बद्ध अन्तस्थ उपकरण के साथ माजरी से अब्दुल्लापुर तक 132 किलोवाट सिंगल सर्कट अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन (लम्बाई 25 किलोमीटर) के निर्माण के लिए बोर्ड ने नवम्बर 1977 में 77.43 लाख रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान की। मूलत: कार्य के सम्पादन की निश्चित तिथि अक्तूबर 1978 निर्धारित की गई थी जो परिशोधित करके बाद में अक्तूबर 1981 कर दी गई । जनवरी 1979 में हाथ में लिया गया निर्माण कार्य अक्तूबर 1981 में पूर्ण कर दिया गया था तथा 53.29 लाख रुपए का व्यय किया गया था (मई 1982) । निर्माण कार्य के लेखे अभी तक संवरण किये जाने अपेक्षित थे (दिसम्बर 1982) । केरला की एक फर्म (मैसर्ज पावर सिस्टम एण्ड प्रोजैक्टस लिमिटेड पालघाट, केरला) के द्वारा शक्ति लाइन वाहक संचार उपकरण के प्रेषण में विलम्ब के कारण लाइन शक्तिकृत नहीं हो सकी (दिसम्बर 1982) । इसके लिए जुलाई 1980 में आदेश दिए गए थे तथा उपकरण वर्ष 1980–81 के मध्य में प्राप्त होना अपेक्षित था । सितम्बर 1982 में उपकरण प्राप्त हुआ बताया गया किन्तु इसका निरीक्षण करना एवं प्रतिष्ठापित करना अभी शेष था (दिसम्बर 1982) ।

(ii) **गिरी से सोलन तक 132 किलोवाट लाइन**—गिरि से सोलन तक 132 किलोवाट सिंगल सर्कट पारेषण लाइन (लम्बाई : 80 कि. मी.), सोलन में 132/66 किलोवाट का सबस्टेशन और गिरी में स्विच यार्ड विस्तार का 2,78.11 लाख रुपये की लागत का निर्माण कार्य बोर्ड ने अप्रैल 1977 में अनुमोदित एवं संस्वीकृत किया । निर्माण कार्य जुलाई 1980 तक पूर्ण होना अपेक्षित था । योजना पर निर्माण कार्य जनवरी 1978 में आरम्भ हुआ था तथा मार्च 1982 तक 1,90.09 लाख रुपए का व्यय किया गया था । जुलाई 1979 में टावर संख्या 1 से 14 तक दोषमुक्त मार्ग रेखांकन के कारण टावर स्थापन के मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया ; परिशोधित मार्ग पर टावरों के निर्माण को सितम्बर 1979 में आरम्भ किया गया । किन्तु अगस्त 1981 तक कोई प्रगति नहीं हुई थी जब अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण एवं निर्माण वृत शक्तिनगर (नाहन) ने (अगस्त 1981) मुख्य अभियन्ता (उत्पादन एवं पारेषण) को पुन: लिखा कि यदि परिशोधित मार्ग का अनुसरण करना है तो टी. 9 से टी. 14 तक वर्तमान टावरों (जिन पर 1.63 लाख रुपए का व्यय पहले से ही किया जा चुका है) को पहले से ही निष्पादित सिविल निर्माण कार्यों के साथ ही त्याग देना पड़ेगा । उपरोक्त टावरों को तोड़ने के संबंध में अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित था (नवम्बर 1982) ।

सोलन स्थित 132/66 किलोवाट सब-स्टेशन पर प्रयोग के लिए अधिशासी अभियन्ता, पारेषण एवं निर्माण मण्डल, सोलन के द्वारा वर्ष 1977-78 (9.25 लाख रुपये) एवं 1978–79 (0.39 लाख रुपये) के दौरान 9.64 लाख रुपए के मूल्य के आऊट डोर करंट ट्रांसफार्मर, 132 किलोवाट एयर ब्रेकर आइसोलेटर इत्यादि उपलब्ध किए गए । माल मण्डल में अप्रयुक्त पड़ा था (नवम्बर 1982) । अधीक्षण अभियन्ता पारेषण एवं निर्माण वृत नाहन ने बताया (फरवरी 1982) कि सब-स्टेशन के कार्यक्षेत्र को बदल दिया गया है तथा खरीदा गया माल किसी अन्य स्टेशन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा । किन्तु माल को अभी तक किसी अन्य मण्डल को दिशा-परिवर्तन नहीं किया गया था (नवम्बर 1982) ।

(iii) **जैसूर से डलहौज़ी तक 132 किलोवाट लाइन**––राज्य को बैरासूल हाईडल प्रौजैक्ट (जिला चम्बा), जिसका निर्माण राष्ट्रीय जल–विद्युत शक्ति निगम सीमित (एन. एच. इ. पी. सी.) द्वारा होना था, से 20 मैगावाट शक्ति आबंटित की गई (अगस्त 1979)। ताकि बोर्ड परियोजना से शक्ति प्राप्त करने के योग्य हो सके, 3,75.30 लाख रुपए की अनुमानित लागत की निम्नलिखित योजनाओं को तैयार किया गया तथा सितम्बर 1978 में बोर्ड के द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया :—

(क) जैसूर (जिला कांगड़ा) में 220 किलोवाट सब-स्टेशन साथ ही 66 किलोवाट विद्युत को उर्ध्व शक्तिकृत करने का प्रबन्ध ;

(ख) जैसूर से कटोरी बंगला (जिला चम्बा) तक 66 किलोवाट की 20 किलोमीटर लाइन ;

(ग) डलहौजी (जिला चम्बा) में 66/33/11 किलोवाट का 10 मैगावाट का सब–स्टेशन ;

(घ) सुरगानी (जिला चम्बा) में 66/11 किलोवाट का 63 मैगावाट का सब–स्टेशन ;

(ङ) काटोरी बंगला से सुरगानी के मध्य 66 किलोवाट पारेषण लाइन राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम सीमित से हस्तान्तरित करना।

निर्माण कार्य 1976 अर्ध–वार्षिकी में आरम्भ होना था तथा 1978 के अन्त तक पूर्ण होना था।

डलहौजी तथा सुरंगानी स्थित 66 किलोवाट सब-स्टेशनों तथा जैसूर से कटोरी बंगला तक 66 किलोवाट लाइन के निर्माण कार्यों को उपरोक्त योजना से निकाल देने के कारण इन निर्माण कार्यों पर हुआ 17.09 लाख रुपए का व्यय (मई 1981 तक) निरर्थक रहा। "जैसूर से डलहौजी एवं जैसूर से डेहरा तक 132 किलोवाट लाइन तथा जैसूर में 220/132 किलोवाट सब-स्टेशन तथा डलहौजी में 132/33 किलोवाट सब-स्टेशन." की 8,40.66 लाख रुपए की लागत की एक नई योजना को मई 1982 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारित किया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप 66 किलोवाट विद्युत को अर्ध-शक्तिकृत करने हेतु 220 किलोवाट के जैसूर सब-स्टेशन में प्रबन्ध के लिए 18.98 लाख रुपये के मूल्य का विशिष्ट रूप से उपलब्ध माल आवश्यकता से फालतू हो गया, परिणामतः इस राशि की सीमा तक निधियां रुकी नहीं।

जैसूर से डलहौजी (लम्बाई : 50 किलोमीटर) तक की 132 किलोवाट लाइन तथा बाथरी (डलहौजी) में 132/33 किलोवाट सब-स्टेशन के निर्माण कार्य को करने के लिए एक उप-मण्डल हमीरपुर से बाथरी को बदला गया (सितम्बर 1981)। 15 जून 1982 को समाप्त पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार सितम्बर 1981 से मई 1982 तक कोई प्रत्यक्ष प्रगति नहीं की गई थी क्योंकि लाईन के निर्माण के लिए माल अभी उपलब्ध करना था (जून 1982) तथा सब–स्टेशन के लिए भमि भी अभी तक नहीं ली गई थी। सितम्बर 1981 से मई 1982 के दौरान उपमण्डल बाथरी में स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 0.90 लाख रुपए का व्यय किया गया था जबकि संबंधित स्टाफ बेकार था।

(iv) **जतोग से भाबा तक 66 किलोवाट लाइन**--(क) गुम्मा, कुमारसेन तथा भाबा 66/22 किलोवाट के सबस्टेशनों सहित जिला किन्नौर में भाबा जल-विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु शक्ति की मांग को पूरा करने के लिए जतोग तथा भाबा के मध्य भाबा जल विद्युत परियोजना के वास्ते उत्सृजन योजना में 66 किलोवाट की एक लाइन (लम्बाई : 137 कि. मी.) उपलब्ध करवाई गई थी। मूल परियोजना प्रतिवेदन (नवम्बर 1979) के अनुसार योजना पर 5,26.06 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान था तथा कार्य मार्च 1980 तक पूर्ण होना अपेक्षित था। फरवरी 1981 के दौरान एक संशोधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था तथा कुल लागत का अनुमान 6,47.62 लाख रुपये लगाया गया था। कार्य को पूर्ण करने के लिए संशोधित तिथि मार्च 1983 निर्धारित की गई थी। अक्तूबर 1982 के अन्त तक योजना पर 3,09.78 लाख रुपए व्यय किए गए थे। 30 नवम्बर 1982 को प्रत्यक्ष प्रगति निम्नांकित थी :--

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्य के शुरु होने का महीना	अनुमानित मात्रा	वास्तविक निष्पादित मात्रा (नवम्बर 1982 तक)
1	विस्तृत सर्वेक्षण (कि. मी.)	जनवरी 1978	130.5 कि. मी.	110.8 कि. मी.
2	जंगल निकासी (कि. मी.)	दिसम्बर 1980	130.5 कि. मी.	56 कि. मी.
3	टावर अनुसूची (संख्या)	जून 1978	568 संख्या	286 संख्या
4	टावर खड़ा करना (संख्या)	जून 1978	568 संख्या	286 संख्या

कार्य की धीमी प्रगति को अधिशासी अभियन्ता द्वारा निम्नलिखित कारकों से सम्बद्ध (अक्तूबर 1982) किया गया था :--

(i) सामग्री की कमी तथा इस क्षेत्र में श्रमिकों की अनुपलब्धता ;

(ii) जंगलों की कटाई न होना तथा

(iii) अधिशासी अभियन्ता, पारेषण तथा निर्माण, रामपुर की विलम्बित नियुक्ति जिसने 24 दिसम्बर 1981 को कार्यभार सम्भाला तथा जिसे बाद में निरीक्षण हेतु कुमारसेन से भाबा तक के निर्माण कार्य का भाग सौंप दिया गया।

(ख) निम्नांकित तथ्य भी ध्यान में आए थे --

मार्च 1979 के दौरान फर्म "क" मैसर्ज़ जय स्टील वर्कस, नई दिल्ली से क्रय किये गये धातु चढ़े भूमि वाले तार (1.93 लाख रुपए मूल्य का 30 टन) को पूर्णतः जंग लग गया था तथा वह लाइन पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया ; 17 टन निम्न स्तर सामग्री मार्च 1979 तथा अक्तूबर 1982 के मध्य प्रयुक्त की गई थी। अधिशासी अभियन्ता, शिमला विद्युतीय मण्डल, शिमला

के अनुसार (फरवरी 1982) एक ढांचा पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया था तथा 11 ढांचों के मध्य का भूमि वाला तार (जतोग से गुम्मा तक की लाइन का भाग) 26 जनवरी 1982 को टूटा हुआ पाया गया। जनवरी 1982 में अस्थायी ठहरावों पर ढांचों को खड़ा करके मरम्मत का कार्य 0.05 लाख रुपए की लागत पर किया गया था।

(v) **परवाणु से बरोटीवाला तथा नालागढ़ तक 66 किलोवाट लाइन**—अप्रैल 1981 में बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की संस्वीकृति की प्रत्याशा में बरोटीवाला तथा नालागढ़ में 66/11 किलोवाट के उप-स्टेशनों सहित परवाणु से बरोटीवाला तथा नालागढ़ तक योजना (66 किलोवाट की लाइन) पर कार्य प्रारम्भ करने का अनुमोदन प्रदान किया। योजना की अनुमानत लागत 1,87.62 लाख रुपए थी। कार्य के निष्पादन हेतु पारेषण लाइन को परवाणु से बरोटीवाला तक (17 कि मी.) तथा बरोटीवाला से नालागढ़ तक (23 किलोमीटर) दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। दोनों हिस्सों पर नवम्बर 1980 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था तथा मार्च 1980 (बाद में संशोधित करके जुलाई 1982) तक यह पूर्ण होना नियत किया गया था।

अप्रैल 1981 में मुख्य अभियन्ता (उत्सृजन एवं पारेषण) ने अधिशासी अभियन्ता, पारेषण एवं निर्माण मण्डल परवाणु को सूचित किया कि फिलहाल नालागढ़ तक नहीं बल्कि बद्दी (बरोटीवाला) तक 66 किलोवाट वाली लाइन निर्मित की जा रही थी। उपरोक्त सन्देश की प्राप्ति पर अधीक्षण अभियन्ता, पारेषण एवं निर्माण वृत्त, पालमपुर ने मुख्य अभियन्ता से इस आशय का स्पष्टीकरण मांगा (जून 1981) कि क्या बरोटीवाला से नालागढ़ तक की लाइन के अंश पर पहले से ही निष्पादित कार्य-को गिरा दिया जाए। दिसम्बर 1981 में उसने पुन: बरोटीवाला से नालागढ़ तक की 66 किलोवाट वाली पारेषण लाइन के लिए खड़े किए गए 18 ढाँचों सहित नालागढ़ में 66 किलोवाट वाले उप-स्टेशन हेतु पहले से ही निष्पादित कार्य के गिराये जाने की स्वीकृति मांगी। इस मामले में अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित था (नवम्बर 1982)। इस प्रकार लाइन के बरोटीवाला–नालागढ़ के हिस्से पर किया गया 7.51 लाख रुपए का व्यय निष्फल हो गया।

"66/11 किलोवाट वाले बरोटीवाला उप-स्टेशन सहित परवाणु से बरोटीवाला तक 66 किलोवाट की लाइन के निर्माण" दोनों पर ही कार्य का निष्पादन भी अनुसूचित तिथि (जुलाई 1982) से काफी पीछे था क्योंकि 8 ढांचों में अभी कण्डक्टरों को दबाया जाना शेष था तथा उप-स्टेशनों पर मई 1982 तक केवल भूमि से सम्बन्धित कार्य ही किया गया था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा विलम्ब को पिछले चार ढांचों के सम्बन्ध में उच्च प्राधिकारियों द्वारा निर्णय तथा बरोटीवाला उप-स्टेशन के लिए उपकरण की अनुपलब्धता से सम्बद्ध (मई 1982) किया गया था। मार्च 1982 तक योजना के इस हिस्से पर 30.61 लाख रुपये व्यय किए गए थे।

(vi) **भाखड़ा से मेहतपुर तथा ऊना तक 66 किलोवाट की लाइन एवं भाबा से कुनिहार/शिमला तक 220 किलोवाट की लाइन**—66/33 किलोवाट के रक्कड़ उप-स्टेशन सहित भाखड़ा से मेहतपुर तथा ऊना (20 किलो मीटर) तक पारेषण लाइन एवं भाबा से कुनिहार/शिमला (135 किलो मीटर) तक लाइन का कार्य 6,55.07 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत पर क्रमश: फरवरी 1982 तथा जुलाई 1981 में आरम्भ किया गया था। ये क्रमश: मार्च 1983 तथा जुलाई

1985 तक पूर्ण होने लक्षित थे। इन कार्यों पर अक्तूबर 1982 तक 14.54 लाख रुपए का कुल व्यय किया जा चुका था। अक्तूबर 1982 तक जबकि पहले वाले कार्य से सम्बन्धित रेल ढांचे अंशतः खड़े किए गए थे फिर भी बाद वाले कार्य (अक्तूबर 1982) से सम्बन्धित सवेक्षण कार्य जिसे जुलाई 1978 में अनुमोदन के पश्चात् निष्पादनार्थ केवल जुलाई 1981 में आरम्भ किया गया था, प्रगति पर था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य को प्रारम्भ करने में हुए बिलम्ब को कर्मचारियों की नियुक्ति में बिलम्ब तथा वाहनों की अप्राप्ति से सम्बद्ध किया गया था।

7.3.5.4 अन्य रुचिकर बातें

(i) चार पारेषण एवं निर्माण मण्डलों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 1981–82 में भेजी गई रेल विभागों की रसीदों/बिलों पर माल छुड़ाने में 30 दिनों से 64 दिनों की देरी की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप 1.41 लाख रुपयों के रेलवे के चबूतरों से बिलम्ब से माल उठवाने के दण्ड एवं विलम्ब–शुल्क के रूप में परिहार्य अदायगी करनी पड़ी थी। मण्डलाधिकारियों के अनुसार मण्डलों के पास निधियों की अनुपलब्धता के कारण सामग्री नहीं उठाई जा सकी थी।

(ii) फर्म "अ" को (दिसम्बर 1978) क्रमशः 2.70 लाख रुपयों व 4.09 लाख रुपयों के 7/315 मि. मी. भूमिगत रहने वाली चमकदार तार (45 टन) तथा 7/2.50 मि. मी. (65 मि. मी.) की आपूर्तिके आदेश दिए गए थे। मार्च 1979 में प्राप्त सामग्री उप-मानक पाई गई थी। प्रेषिती द्वारा मामला फरवरी 1980 में तथा फिर केवल मई 1981 में मुख्य क्रय अधिकारी को प्रतिवेदित किया गया कि सामान में जंग लग गया था तथा वह पारेषण लाइनों में प्रयोग हेतु ठीक नहीं था। क्रय आदेश की शर्त के अनुसार यदि सामान त्रुटिपूर्ण पाया जाये या विनिदेश के अनुसार न हो तो आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके अपने खर्च पर उसे बदलना/मरम्मत करना अपेक्षित था अन्यथा आपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा दी गई आनुपातिक अदायगी पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी के लिए उत्तरदाई था। न तो सामान बदलवाया गया और न ही फर्म से क्रय आदेश के निदेश के अनुसार दंड के रूप में 0.81 लाख रुपयों का ब्याज वसूल किया गया (अगस्त 1982)। मुख्य अभियन्ता (सृजन एवं पारेषण) ने (फरवरी 1982) 110 टन तार विभिन्न जल विद्युत वृत्तों को आबंटित की जो परिचालन शाखा के सम्बन्धित मण्डलों द्वारा अभी उठानी बाकी थी।

(iii) 1,90.20 लाख रुपयों का सामान (कण्डकटर, आयल सरकट ब्रेकर) जून 1977 से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन रहा जिसका ब्यौरा निम्न है :—

मण्डल	सामान का विवरण	कीमत	प्राप्ति का माह/वर्ष	प्रयोग न करने के कारण
		(लाख रुपयों में)		
सर्वेक्षण तथा जांच मण्डल, बिलासपुर	पैन्थर कण्डकर 30/7/3.00 कि. मी. (लम्बाई 58.479 कि.मी)	1,75.23	जून 1977 से जुलाई 1978 तक	डेहर से हमीरपुर की 132 कि. वा. की लाईन हेतु, जो अभी (नवम्बर 1982) आरम्भ करनी है।

मण्डल	सामान का विवरण	कीमत	प्राप्ति का माह/वर्ष	प्रयोग न करने का कारण
		(लाख रुपयों में)		
पारेषण तथा निर्माण मंडल परवाणु	ए. सी. एस. आर. कण्डक्टर 30/7/2.59 मी. (लम्बाई: 18.312 कि.मी.)	3.36	मई 1981	परवाणु से नालागढ़ की 66 कि. वा. लाईन हेतु स्कीम परित्यक्त की गई थी (अप्रैल 1981)।
तदैव	66 कि. वा. ओ. सी. वी (5)	5.03	फरवरी 1981	नालागढ़ के 66/11 कि. वा. 2×6.3 एम. वी. ए. सब-स्टेशन हेतु। स्कीम परित्यक्त की गई थी (अप्रैल 1981)।
तदैव	तदैव	6.58	दिसम्बर 1981	गुम्मा व कुमारसेन सब-स्टेशनों के कार्य को मार्च 1983 तक पूरा करने की आशा है।
	जोड़	190.20		

मामला सितम्बर 1982 में सरकार को सन्दर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

7.3.6 कार्यशालाएं

7.3.6.1 प्रस्तावनात्मक—बोर्ड ने सितम्बर 1972 तथा जनवरी 1976 के मध्य मीटरों एवं ट्रान्सफारमरों के अनुरक्षण, जांच तथा मरम्मत हेतु तथा पावर लाइन कैरियर संचार (पी. एल. सी. सी.) के अनुरक्षण तक मरम्मत कार्यों के लिए 5 अनुरक्षण तथा जांच कार्यशालाएं स्थापित कीं। इनमें एक कार्यशाला (मशोबरा, जिला शिमला) जो फरवरी 1974 में स्थापित की गई थी वह अक्तूबर 1976 में बंद कर दी गई। इसके अतिरिक्त बोर्ड की गाड़ियों व मशीनरी की किफायती व समय पर मरम्मत/अनुरक्षण के लिए 6 मरम्मत व अनुरक्षण कार्यशालायें (जून 1972 तथा अप्रैल 1981 के मध्य स्थापित) हैं।

इसके अतिरिक्त गिरी नगर, बस्सी (जोगिन्द्रनगर) तथा नोगली (रामपुर) स्थित बिजली घरों से संलग्न 3 संरक्षण एवं मरम्मत कार्यशालाएं हैं।

7.3.6.2 अनुरक्षण तथा जांच कार्यशालाए

सोलन, कांगड़ा तथा सुन्दरनगर की अनुरक्षण तथा जांच कार्यशालाओं के अभिलेखों के नमूना परीक्षण ने निम्नलिखित तथ्य दर्शाए :—

(i) अनुरक्षण तथा जांच कार्यशालाओं के मामले में वर्ष प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1979–80 से 1981–82 तक की अवधि के दौरान ट्रान्सफार्मरों की मरम्मतों

के संबंध में लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे सारणीकृत हैं :—

कार्य-शालाएं	1979-80			1980-81			1981-82		
	लक्ष्य	उप-लब्धियां	प्रति-शतता	लक्ष्य	उप-लब्धियां	प्रति-शतता	लक्ष्य	उप-लब्धियां	प्रति-शतता
सोलन	68	75	110.3	80	54	67	80	93	116
कांगड़ा	60	54	90	60	34	56	60	64	106

उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि वर्ष 1980-81 के दौरान अनुरक्षण तथा जांच कार्यशाला सोलन में उपलब्धियां लक्ष्यों से 33 प्रतिशत कम रहीं तथा कांगड़ा की कार्यशाला के मामले में कमी वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत थी।

(ii) सोलन, सुन्दरनगर तथा कांगड़ा की अनुरक्षण तथा जांच कार्यशालाओं के अभिलेखों के नमूना परीक्षण ने दर्शाया कि कांगड़ा तथा सोलन कार्यशालाओं में एल. वी. वाइंडिंग मशीन/एल. वी. वाइंडिंग तार तथा सुन्दरनगर कार्यशाला में एल. वी. वाइंडिंग तार की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 1974-75 से 1981-82 तक इन कार्यशालाओं में प्राप्त जले हुए। क्षतिग्रस्त 65 ट्रान्सफार्मरों (छीजत मूल्य: 1.76 लाख रु०) की मरम्मत नहीं की गई थी (मई 1982)। मरम्मतों की व्यवस्था में विलम्ब की सीमा निम्नांकित थी :—

	ट्रांसफार्मरों की संख्या			
	सोलन कार्य-शाला	सुन्दरनगर कार्यशाला	कांगड़ा कार्य-शाला	योग
पांच वर्षों से अधिक	3	4	16	23
चार वर्षों से अधिक	..	2	..	2
तीन वर्षों से अधिक	..	..	..	..
दो वर्षों से अधिक	2	1	..	3
दो वर्षों तक	11	9	17	37
	16	16	33	65

इन कार्यशालाओं द्वारा अभी तक (जून 1982) इन ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु कथित मशीन/हिस्से पुर्जों के उपार्जन करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(iii) सुन्दरनगर कार्यशाला में जून 1973 से नवम्बर 1981 तक क्षतिग्रस्त /जले हुए विभिन्न क्षमता वाले 24 ट्रान्सफार्मर (छीजन मूल्य: 1.29 लाख रुपए) बिना मरम्मत के पड़े थे (जून 1982)। मण्डलीय अधिकारी ने बताया (जून 1982) कि ये ट्रान्सफार्मर किफायती मरम्मत की सीमा से बाहर थे। अनुपयोगी घोषित करने वाली समिति (अभी तक न बनाई गई) द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् इनका निपटारा अभी तक (नवम्बर 1982) प्रतीक्षित था।

टिप्पणी:—सुन्दरनगर कार्यशाला जून 1981 में स्थापित की गई थी। इसलिए इसकी कार्यक्षमता पर विचार नहीं किया गया।

(iv) सोलन, सुन्दरनगर तथा कांगड़ा की अनुरक्षण तथा जांच कार्यशालाओं के मीटरों, ट्रान्सफार्मरों तथा भण्डार-खातों के मासिक प्रतिफल के नमूना परीक्षण ने दर्शाया कि अप्रचलित तथा अनुपयोगी भण्डार के उचित एवं सामयिक निपटान हेतु समुचित प्रबन्ध विद्यमान नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1982 के अन्त तक 2.37 लाख रु० (सोलन 0.52 लाख रु०; सुन्दरनगर 0.85 लाख रु०, तथा कांगड़ा : 1.00 लाख रु०) मूल्य का अनुपयोगी भंडार निपटान की प्रतीक्षा में था।

7.3.6.3. मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यशालाएं

(i) अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्यशालाओं (वाहन तथा मशीनरी) के मामले में वार्षिक सामान्य कार्यकारी घण्टे उनके वार्षिक अनुरक्षण तथा परिचालन अनुमानों में निर्दिष्ट किये जाते हैं। छः कार्यशालाओं में से पांच के लेखाओं के नमूना परीक्षण ने दर्शाया कि दो कार्यशालाओं अर्थात् जतोग (शिमला) तथा सुंगरा (किन्नौर) के मामले में वार्षिक कार्यकारी घण्टे प्रत्येक के लिए 2400 अनुमानित थे जबकि परेल (चम्बा), उतराला (कांगड़ा) तथा भुन्तर (कुल्लु) कार्यशालाओं के मामले में अनुमानित वार्षिक कार्यकारी घण्टे क्रमशः 2,160, 2,100 तथा 1,200 थे। इस प्रकार वार्षिक रूप से अनुमानित कार्यकारी घण्टों के निर्धारण में कोई एकरूपता नहीं थी जिसके कारण एक प्रकार के कार्यों की लागत विभिन्न कार्यशालाओं में अलग अलग थी। पुनः जतोग एवं परेल की कार्यशालाएं पारी के आधार पर चलाई जाती हैं। इन पांच कार्य- शालाओं में 1979–80 से 1981–82 तक के तीन वर्षों के दौरान कार्य के वास्तविक की अनुमानित घंटों से तुलना निम्न तालिका में की गई है :—

अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्यशाला का नाम	पारियों की संख्या	1979–80			1980–81			1981–82		
		अनुमानित कार्यकारी घण्टे	वास्तव में कार्य किए गए घण्टे	प्रतिशतता	अनुमानित कार्यकारी घण्टे	वास्तव में कार्य किए गए घण्टे	प्रतिशतता	अनुमानित कार्यकारी घण्टे	वास्तव में कार्य किए गए घण्टे	प्रतिशतता
भुन्तर (कुल्लू)	1	1200	627	52	1200	793	66	1200	725	60
उतराला (बैजनाथ)	1	2100	1140	54	2100	1004	48	2100	860	41
परेल (चम्बा)	2	4320	1060	24	4320	1849	43	4320	366	8
जतोग (शिमला)	$2\frac{1}{2}$	6000	3633	60	6000	3665	61	6000	4049	67
सुंगरा (तीन कार्य-शालाएं)	1	..	..	..	7200	2346	32	7200	4600	64

उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि भुन्तर, परेल तथा जतोग की कार्यशालाओं के मामले में वर्ष 1979–80 से 1981–82 के दौरान अनुमानित कार्यकारी घण्टों में कमी की सीमा 33 प्रतिशत से 92 प्रतिशत के मध्य थी। भुन्तर कार्यशाला के सम्बन्ध में मण्डलीय अधिकारी द्वारा कमी को कम कार्य से सम्बद्ध किया गया था जबकि अन्य कार्यशालाओं में मण्डलीय अधिकारी द्वारा इसकी छानबीन नहीं की गई है (अगस्त 1982)।

(ii) (क) बिनवा निर्माण मण्डल-I द्वारा जनवरी 1978 में गिरीनगर विद्युत गृह से एक "कैटर पिल्लर डोजर नं० डी-7" (मूल्य: 2.64 लाख रु०) प्राप्त किया गया था। अनुमान के अनुसार "डोजर" को चलाने तथा अनुरक्षण की लागत को आवृत्त करने हेतु वर्ष 1977–78 से मार्च 1982 के दौरान इस का प्रयोग अग्रभाग तथा विद्युत गृहों के स्थानों की खुदाई के लिए 4,420 घण्टे तक किया जाना था। यह देखा गया था कि वर्ष 1981–82 तक के पांच वर्षों के दौरान इसने 4,420 अनुमानित घण्टों के प्रति केवल 1,176 घण्टे ही कार्य किया।

"डोजर" की कम प्रयुक्ति को मण्डलीय अधिकारी द्वारा परियोजना के कार्यों पर कम मांग से सम्बद्ध (जून 1982) किया गया। पुनः यह पाया गया कि टूट फूट के कारण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल 1981 में "डोजर" को उतराला कार्यशाला को स्थानान्तरित किया गया था जहां पर यह मरम्मत की प्रतीक्षा में था (जून 1982)। अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह बताया गया (जून 1982) कि "डोजर" में बड़ी मरम्मतों की आवश्यकता थी और मरम्मत हेतु प्रयोग किये जाने वाले हिस्से पुर्जे आपूर्तिकर्त्ताओं के पास उपलब्ध नहीं थे। तथापि फरवरी 1982 में उक्त "डोजर" को मण्डल की आवश्यकता से अधिक घोषित कर दिया गया था।

(ख) बोर्ड ने भावा निर्माण मण्डल–सुंगरा में प्रयोग हेतु कलकत्ता की एक फर्म मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स कलकत्ता से 1.50 लाख रुपये (प्रत्येक 0.75 लाख रुपये) में क्रमशः दिसम्बर 1973 तथा फरवरी 1974 में दो ट्रक उपार्जित किए। ट्रकों ने एक लाख कि० मी० के सामान्य कार्य अवधि के प्रति फरवरी 1976 तथा अक्तूबर 1976 तक क्रमशः 16721 तथा 10,214 कि० मी० तय किए तथा तत्पश्चात चलाने के अयोग्य घोषित किए गए थे। यद्यपि शीघ्र ही इन्हें मरम्मत हेतु जतोग कार्यशाला में भेज दिया गया था फिर भी कार्यशाला के अभिलेखों में उनकी प्राप्ति अक्तूबर 1979 प्रदर्शित की गई थी। इनमें से एक ट्रक जतोग कार्यशाला में मरम्मत हेतु पड़ा था (अगस्त 1982) तथा दूसरा अगस्त 1979 में 0.10 लाख रुपये की लागत पर मरम्मत हेतु शिमला की एक फर्म के पास भेज दिया गया था। विभाग द्वारा की जाने वाली मरम्मतों जैसे चिह्नांकन तथा रंग करना एवं सीटों की मरम्मत को छोड़कर अन्य मरम्मतों के पश्चात् अप्रैल 1981 में इसे फर्म से वापिस प्राप्त किया। अभी तक (अप्रैल 1982) इस ट्रक के चिह्नांकन एवं रंग करने के कार्य को नहीं किया गया है और यह ट्रक भी कार्यशाला में पड़ा है। इन ट्रकों की मरम्मत में असाधारण विलम्ब के कारण मण्डल फरवरी/अक्तूबर 1976 से इनके प्रयोग से वंचित रह गया है।

(ग) आंध्रा निर्माण मण्डल, चिरगांव के अधिशासी अभियन्ता ने मरम्मत हेतु जतोग कार्यशाला को एक "एयर कम्प्रैशर" (मूल्य लगभग 0.33 लाख रुपए) भेजा (नवम्बर 1977)। इसकी अभी तक (अप्रैल 1982) मरम्मत नहीं की गई है। कार्यशाला के पास अपेक्षित हिस्से-

पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण ही मरम्मत में विलम्ब हुआ बताया गया था । अभी तक (अगस्त 1982) आवश्यक हिस्से पुर्जों के उपार्जन हेतु कार्यशाला द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी ।

(iii) मार्च 1978 से मार्च 1982 के दौरान सुंगरा कार्यशाला (6.31 लाख रुपये) तथा चिरगांव कार्यशाला (0.53 लाख रुपये) द्वारा 6.84 लाख रुपए के मूल्य की अठारह मशीनें क्रय की गई थीं जैसा कि विवरण दिया गया है :—

वर्ष	सुंगरा कार्यशाला		चिरगांव कार्यशाला	
	क्रय की गई मशीनों की संख्या	मूल्य	क्रय की गई मशीनों की संख्या	मूल्य
		(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)
1977–78	4	0.20	..	..
1978–79	2	0.12	..	..
1979–80	7	2.07	..	..
1980–81	..	..	1	0.08
1981–82	3	3.92	1	0.45
जोड़	16	6.31	2	0.53

यह पाया गया था कि सुंगरा कार्यशाला में प्राप्त 16 मशीनों में से 8 मशीनें (मूल्य : 5.72 लाख रुपये) दिसम्बर 1981 में प्रतिष्ठापित की गई थी तथा शेष 8 (मूल्य : 0.59 लाख रुपये) अभी प्रयुक्त की जानी बाकी थी (नवम्बर 1982) । कार्यशाला परिसर के असुरक्षित घोषित होने के कारण दिसम्बर 1981 तक ये 8 मशीनें प्रतिष्ठापित नहीं की जा सकी थीं । शेष मशीनों को पुरानी तथा प्रयुक्त बताया गया था तथा इनका प्रयोग गहरी खुदाई तथा चट्टानों आदि को रोकने के लिए विद्युत गृह ऊर्ध्वा में लम्बे व्यास वाले छेदों के लिए किया जाएगा । चिरगांव कार्यशाला में 1980–81 में क्रय की गई एक मशीन (मूल्य: 0.08 लाख रुपये) पानी की अनुपलब्धता के कारण प्रतिष्ठापित नहीं की जा सकी थी तथा 1981–82 में क्रय की गई दूसरी मशीन (मूल्य :0.45 लाख रुपये) स्थान के अभाव के कारण प्रतिष्ठापन की प्रतीक्षा में थी ।

(iv) गिरिनगर तथा सुंगरा कार्यशालाओं के संयंत्र तथा मशीनरी रजिस्टर की छानबीन से प्रकट हुआ कि कार्यशाला द्वारा 1968–69 (3 मशीनें) तथा 1977–78 (2 मशीनें) के दौरान 3.02 लाख रुपये की लागत की पांच मशीनें (गिरि: 2.25 लाख रुपये, सुंगरा : 0.77 लाख रुपये) अप्रैल 1977/जुलाई 1977/मार्च 1978 से अप्रयुक्त पड़ी थीं जिनका ब्यौरा

नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	कार्यशाला का नाम	मशीनरी का विवरण	जिस वर्ष प्राप्त हुई	लागत (लाख रुपयों में)	जिस मास से बेकार पड़ी हैं
1	गिरिनगर	रशियन मोटर ग्रेड I	1969	0.82	अप्रैल 1977
2	गिरिनगर	प्लेट बेंडिंग मशीन	1968	0.43	अप्रैल 1977
3	गिरिनगर	प्राग जोन कटिंग मशीन	1968	1.00	अप्रैल 1977
4	सुंगरा	मिलिंग मशीन	1977	0.50	जुलाई 1977
5	सुंगरा	थ्रेडिंग मशीन	1977	0.27	मार्च 1978
		जोड़		3.02	

गिरि परियोजना (उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 5) से अन्तरित पाईप थ्रेडिंग मशीन पुरानी तथा प्रयुक्त की हुई बताई गई जो मरम्मत करने को अपेक्षित थी और जिसकी लागत अमितव्ययी थी। उसको निपटान करने/अन्य मशीनों, जो काफी समय से बेकार पड़ी थीं, को प्रयुक्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(v) जब हाथ में निर्माण कार्य के लिये पदार्थ की तुरन्त आवश्यकता हो तो मौके पर क्रय की अनुमति होती है। ऐसा क्रय उचित रूप से गठित भंडार क्रय समिति द्वारा किया जाता है जिसे सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा नामांकित किया जाता है। सुंगरा कार्यशाला के अभिलेखों के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि अधिशासी अभियन्ता ने 1981–82 के दौरान दिल्ली (2.86 लाख रुपये) से तथा चण्डीगढ़ (0.39 लाख रुपये) से 3.25 लाख रुपये की लागत के वाहनों के पुर्जे आदि का भंडार, क्रय समिति को गठित किये बिना, मौके पर क्रय किया। आगे यह ध्यान में आया कि ऐसे क्रय किये गये कुल पदार्थ में से (3.25 लाख रुपये) 1.83 लाख रुपये की लागत के पदार्थ (जुलाई 1981 तथा मार्च 1982 के मध्य दिल्ली तथा चंडीगढ़ से खरीदे गये) का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया था (जून 1982)।

(vi) हिस्सों तथा फयूल पम्पों के गियर बक्सों आदि के प्रतिस्थापन के प्रयोजन के लिये हिस्से पुर्जों की आवश्यकता को समय-समय पर मूल्यांकित नहीं किया गया था। इसके परिणाम-स्वरूप, हिस्से पुर्जों सहित भंडार संचित हो गये। छः इकाइयों में खरीदे गये 19.55 लाख रुपए की लागत के भंडार तीन वर्ष से बारह वर्षों की अवधि से अप्रयुक्त पड़े हुये थे (नवम्बर 1982)। भंडारों को प्रयुक्त न करने के कारण प्रतीक्षित थे (नवम्बर 1982)।

7.3.6.4 अन्य रूचिकर बातें

7.3.6.4.1. ट्रक के का ढांचे का निर्माण—बोर्ड के पास गिरिनगर (सिरमौर) तथा भुन्तर (कुल्लु) की अपनी कार्यशालाओं में ट्रक के ढांचों के निर्माण की सुविधायें हैं। भुन्तर कार्यशाला ने छः ट्रकों के ढांचों को निर्मित किया (1979–80: 1, 1980–81 : 3 तथा 1981–82 : 2) जिसकी लागत प्रति ढांचा 1979–80 में 0.15 लाख रु., 1980–81 में 0.22 लाख रुपए तथा 1981–82 में 0.23 लाख रुपए थी। गिरिनगर कार्यशाला ने 1980–81 के दौरान 0.13 लाख रुपए प्रति ढांचा की लागत से ट्रक के दो ढांचों का निर्माण किया।

यद्यपि प्रबधकों के अनुसार (सितम्बर 1980 तथा जून 1982) उनकी बेकार क्षमता को प्रयोग करने के लिए कार्यशालायें ट्रक के आकारों का निर्माण कार्य हाथ में ले सकती थीं, यह ध्यान में आया कि यह निश्चित किये बिना कि कार्यशालायें कार्य को निष्पादित करने की स्थिति में हैं या नहीं, बोर्ड के पांच मंडलों ने वर्ष 1979-80 तथा 1980–81 के दौरान 0.75 लाख रूपए की अतिरिक्त लागत से बाहर की एजेंसियों के ग्यारह ट्रक के ढांचे निर्मित करवाये।

यह मामला सरकार को सितम्बर, 1982 में संदर्भित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

7.3.6.4.2 अनियमित भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एच. पी. एस. ई. बी) तथा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) में हुये अनुबन्ध के अनुसार (सितम्बर 1975) पहले वाले ने बाद वाले को बारह पैसे प्रति यूनिट की दर से पहली अक्तूबर 1975 से तीन वर्षों के लिये बस्सी विद्युत गृह से उपलब्ध अधिशेष शक्ति की आपूर्ति के लिये अनुबन्ध किया। यह निर्दिष्ट था कि प्रत्येक वर्ष की दिसम्बर से फरवरी मास के दौरान प्रत्येक मास के उत्पादित विद्युत का 50 प्रतिशत से कम आपूरित नहीं होगा। अक्तूबर 1978 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 1 अक्तूबर 1978 से अन्य तीन वर्षों के लिये उपलब्ध अधिशेष विद्युत की आपूर्ति पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट जमा समय–समय पर लागू केन्द्रीय आबकारी शुल्क की दर से अनुबन्ध किया। आगे तीस पैसे प्रति यूनिट की दर से पहली अक्तूबर से अन्य पांच वर्षों के लिये अनुबन्ध बढ़ाया गया।

कमी वाले महीनों के दौरान (दिसम्बर से फरवरी) विद्युत की कम आपूर्ति के मामले में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से उपरोक्त अनुबन्ध में मुआवज़े के भुगतान के लिये कोई धारा निर्दिष्ट नहीं थी। किन्तु दिसम्बर 1975 से फरवरी 1980 (दिसम्बर 1975 से फरवरी 1976 तथा दिसम्बर 1977 से फरवरी 1978 के लिये 2.48 लाख रुपए के दावों को छोड़कर जोकि समायोजन के अन्तर्गत था) की अवधि के दौरान बस्सी पावर हाऊस से पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को समय–समय पर 331 लाख यूनिटों की कम आपूर्ति के कारण पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को देय राशि में से 22.34 लाख रुपए की कटौती कर ली जो उन्होंने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से ताप बिजली की खरीद की दरों और बस्सी पावर हाऊस से प्राप्त बिजली की दरों के अन्तर के आधार पर मुआवज़े के रूप में ली थी। वर्ष 1980–81 के लिये इन्हीं दावों के विवरण प्रतीक्षित थे (मार्च 1982)।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिद्युत बोर्ड द्वारा यह बताया गया (मार्च 1982) कि कमी वाले

महीनों के दौरान पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत की कम आपूर्ति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अधिक आहरण के कारण थी अतः उसकी कटौती स्वीकार्य थी। किन्तु इस सम्बन्ध में बोर्ड का कोई विशिष्ट निर्णय उपलब्ध नहीं था।

यह मामला सरकार को मई 1982 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

7.3.6.4.3. **मशीनरी का अनुपयोग**—मुख्य अभियन्ता (परियोजनाएं) ने संजय विद्युत परियोजना, भाबा के दबाव डालने वाले झुके हुये धुरे के निर्माण हेतु सहायक वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुर्जों सहित "आलिमक रेज़ कलाइम्बर" (प्रथप्रदर्शित रेलों पर चलने वाला एक छेदक प्लेटफार्म) की आपूर्ति के लिए एक विदेशी फर्म को एक आदेश प्रस्तुत किया (जून 1979)। 1,48.64 लाख रुपए मूल्य की मशीनरी मार्च 1980 में प्राप्त हुई थी। मशीनरी को यद्यपि अभी तक जोड़ा/स्थापित नहीं किया गया था (सितम्बर 1982)। मशीनरी के अनुपयोग (अप्रैल 1980 से सितम्बर 1982) के परिणामस्वरूप निधियों के अवरोध के अतिरिक्त ब्याज के रूप में 33.44 लाख रुपए की हानि हुई।

मुख्य अभियन्ता, संजय विद्युत परियोजना, सुन्गरा ने बताया (नवम्बर 1982) के आलिमक रेज़ क्लाइम्बर अक्तूबर 1982 के दौरान चालू हो गया था।

मामला सरकार को जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

7.3.7 सारांश

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने इसके अस्तित्व में आने से अब तक 66 किलोवोल्ट तथा इससे अधिक की नौ पारेषण लाइनों के निष्पादन का कार्य हाथ में लिया। इनमें से सात लाइनें मार्च 1982 तक पूर्ण की जानी थी। बोर्ड मई 1979 तथा मई 1981 में केवल दो लाइनों को उनकी निर्धारित तिथियों के क्रमशः दो वर्षों तथा तीन वर्षों तक विलम्बित करके पूर्ण कर सका। शेष लाइनें अभी तक प्रगति में थी (नवम्बर 1982)।

(i) मार्च 1974 में पूर्ण करने के लिए अधिसूचित बस्सी से हमीरपुर तक पारेषण लाइन के निर्माण के लिए 92.98 लाख रुपए की अनुमानित लागत की एक योजना बनाई गई थी (दिसम्बर 1959)। अप्रैल 1974 तक बोर्ड केवल पूर्ण सर्वेक्षण कार्य ही पूरा कर सका। लाइन को 2,35.81 लाख रुपए की लागत पर पूर्ण किया गया था (नवम्बर 1978) तथा इसको मई 1979 में शक्तिकृत किया गया था। लाइन की विलम्बित पूर्णता के परिणामस्वरूप मजदूरी तथा माल की लागत में वृद्धि के कारण अधिक लागत आई।

(ii) नवम्बर 1979 में पूर्ण करने के लिए निर्दिष्ट डेहर से शिमला तक (अनुमानित लागत 98.06 लाख रुपए) 132 किलोवोल्ट की 55 किलोमीटर सिंगल सरकट लाइन के निर्माण के लिए एक योजना को भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड द्वारा डेहर विद्युत गृह से आबंटित विद्युत की प्रयुक्तता की दृष्टि से नवम्बर 1975 में हाथ में लिया गया था। योजना का अनुमान 1972 में तैयार किया गया

था तथा अप्रैल 1980 में इसकी पूर्णता तक इसे तीन बार ऊपर की ओर संशोधित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप योजना के मूल्य में 1,05.38 लाख रुपए मूल्य की वृद्धि हुई। लाइन को भी अपेक्षित उप–केन्द्रों के निर्माण न करने के कारण विलम्ब से मई 1981 में विद्युत दी गई थी।

(iii) माजरी से अब्दुल्लापुर तक (अनुमानित लागत 77.43 लाख रुपए) 132 किलोवोल्ट सिंगल सरकट अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन के निर्माण के लिए संस्वीकृति नवम्बर 1977 में प्रदान की गई थी। इसकी पूर्णता की तिथि जो कि अक्तूबर 1978 थी को तदन्तर अक्तूबर 1981 तक संशोधित किया गया था। कार्य, जिसे निष्पादन हेतु जनवरी 1979 में हाथ में लिया गया था, अक्तूबर 1981 में पूर्ण किया गया था परन्तु लाइन को केरला स्थित एक फर्म से पावर लाइन केरियर संचार उपकरण के प्राप्त न होने के कारण शक्तिकृत नहीं किया जा सका (नवम्बर 1982)।

(iv) बैरा स्यूल विद्युत परियोजना से आबंटित 20 मैगावाट विद्युत के उपयोगीकरण की दृष्टि से बोर्ड ने 3,75.20 लाख रुपए की अनुमानित लागत की पांच योजनाएं तैयार कीं (सितम्बर 1976)। जून 1981 में तीन योजनाओं पर कार्य को 17.09 लाख रुपए का व्यय करने के पश्चात् बंद कर दिया तथा उनके स्थान पर नई योजनाएं प्रस्तावित की गई, इस प्रकार 17.09 लाख रुपए का व्यय करना व्यर्थ हुआ।

(v) जसूर से बाथरी तक 132 किलोवोल्ट लाइन के निर्माण के लिए एक उप–मण्डल हमीरपुर से बाथरी को अन्तरित किया गया था (सितम्बर 1981)। सितम्बर 1981 से मई 1982 तक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर 0.90 लाख रुपए का व्यय किया गया था जबकि निर्माण कार्य को हाथ में नहीं लिया गया था।

(vi) बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की संस्वीकृति की प्रत्याशा में परवाणु से बरोटीवाला तक 66 कि. वोल्ट लाइन के निर्माण कार्य को अनुमोदित किया (अप्रैल 1981)। कार्य नवम्बर 1980 में आरम्भ किया गया था तथा यह जुलाई 1982 में समाप्त किया जाना अनुसूचित था। अप्रैल 1981 में योजना पर 7.51 लाख रुपए का व्यय करने के पश्चात् इसे परित्यक्त कर दिया गया था। इस प्रकार यह व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

(vii) बोर्ड के चार पारेषण तथा निर्माण मण्डलों द्वारा 30 से 64 दिनों की सीमा तक की अवधि के लिए आपूर्ति दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण रेलवे के चबूतरों से विलम्ब से माल उठवाने के दण्ड एवं विलम्ब शुल्क के रूप में 1.41 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

(viii) 7/315 मि. मी. (45 टन) तथा 7/2.30 मि. मी. (65 टन) गेलवेनाइज्ड स्ट्रे स्ट्रैंडिड तारों के लिए क्रमश: 2.70 लाख रुपए तथा 4.09 लाख रुपये मूल्य के आपूर्ति आदेश (दिसम्बर 1978) के प्रति प्राप्त माल जंग वाला तथा मानक से नीचे और ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रयुक्तता के लिए अनुचित पाया गया। इसके बदले न तो प्रतिस्थापन प्राप्त किया गया था और न ही दण्ड के रूप में फर्म से (अगस्त 1982) 0.81 लाख रुपये ब्याज वसूल किया गया था जैसा कि क्रय आदेश में निर्दिष्ट था।

(ix) 1,90.20 लाख रुपए मूल्य का माल (कण्डकटर तथा सर्कट ब्रैक्ट) जून 1977 से अप्रयुक्त पड़ा था (सितम्बर 1982)। परिणामत: निधियां अवरुद्ध रहीं।

(x) ट्रांस्फार्मरों तथा मीटरों की मरम्मत करने के लिए सोलन तथा कांगड़ा में स्थापित मरम्मत तथा टैस्ट करने वाली कार्यशालाओं ने 1981-1982 तक के तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अधिकतर प्राप्त कर लिया था (90 से 116 प्रतिशत् तक) सिवाये वर्ष 1980-81 के जबकि ट्रांस्फार्मरों के सम्बन्ध में उपलब्धि क्रमश: 67 तथा 56 प्रतिशत थी।

7.4 हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

7.4.1 राज्य वित्तीय अधिनियम 1951 के अंतर्गत पहली अप्रैल 1967 को हिमाचल वित्तीय निगम की स्थापना की गई (इसके पश्चात् इसे अधिनियम संदर्भित किया गया)। प्राधिकृत पूंजी 50.00 लाख रुपए 1971–72 के दौरान 1 करोड़ रुपए,, 1977–78 के दौरान 2 करोड़ रुपए तथा 1980–81 के दौरान 10 करोड़ रुपए कर दी गई। 31 मार्च 1982 को निगम की प्रदत्त पूंजी निम्न प्रकार से थी :—

अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत	राशि
	(लाख रुपयों में)
(क) राज्य सरकार	1,02.26
(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	82.25
(ग) अनुसूचित बैंक, जीवन बीमा कम्पनियां, सहकारी बैंक, निवेश ट्रस्ट तथा अन्य वित्तीय संस्थायें	4.05
(घ) अन्य	0.39
जोड़	1,88.95
अधिनियम की धारा 4 (क) के अन्तर्गत	
(क) राज्य सरकार	17.00
(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	17.00
जोड़	34.00
सकल जोड़	2,22.95

ऊपरलिखित अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत जारी शेयरों के मूलधन का पुनर्भुगतान (1,88.95 लाख रुपए) जिनमें राज्य सरकार से प्राप्त 20 लाख रुपए 31 मार्च 1982 को बकाया शेयरों के आबंटन तक सम्मिलित हैं और उस पर वार्षिक लाभांश का भुगतान तथा निगम द्वारा जारी

किए गए बंध-पत्रों और ऋण-पत्रों (4,39.50 लाख रुपए और उन पर ब्याज) का पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित है। प्रत्याभूतित और बकाया राशि 31 मार्च 1982 को (बन्ध-पत्रों और ऋण-पत्रों पर ब्याज के अतिरिक्त) 6,08.45 लाख रुपए थी।

वर्ष 1981–82 के दौरान निगम ने 43.20 लाख रुपए का निवल लाभ अर्जित किया जो इसकी प्रदत्त पूंजी का 19.38 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा अंशदत्त पूंजी (54.25 लाख रुपए 3 प्रतिशत दर से; 28.00 लाख रु. $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत दर से) पर 2.61 लाख रुपए का लाभांश विशेष आरक्षित निधि को अन्तरित किया गया जिसकी स्थापना उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी।

नीचे दी गई तालिका 1981–82 तक के तीन वर्षों के लिए निगम के कार्यकारी परिणामों को दर्शाती है :—

	1979–80	1980–81	1981–82
		(लाख रुपयों में)	
(क) आय	76.49	91.89	1,49.98
(ख) व्यय	55.31	67.85	1,06.78
(ग) कर से पहले लाभ	21.18	24.04	43.20
(घ)(i) कर के लिये प्रावधान	9.04	10.24	17.50
(ii) कर के पश्चात् लाभ	12.14	13.80	25.70
(ङ) अन्य विनियोग	9.09	10.68	21.18
(च) लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	3.05	3.12	4.52
(छ) भुगताया गया लाभांश	3.05	3.12	4.52
(ज) नियोजित पूंजी*	9,29.78	10,93.81	15,38.82
(झ) नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल**	62.84	74.24	1,22.37
		(प्रतिशत)	
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	6.76	6.79	7.95

(*) लागाई गई पूंजी प्रदत्त एवं बन्ध-पत्र आरक्षित निधियों और ऋणों के आदि शेषों, अन्त शेषों के जोड़ की औसत का प्रतिनिधित्व करती है।

(**) लाभ जमा "लाभ एवं हानि लेखा" में प्रभारित ब्याज।

7.4.2. ऋण की अनियमित स्वीकृति

निगम ने एक प्रार्थी को दो ऋण जुलाई 1976 में (0.91 लाख रुपए) तथा अप्रैल 1977 में (0.90 लाख रुपए) दो ट्रकों जोकि लोक वाहन के रूप में प्रयोग मे लाये जाने थे, की खरीद के लिये संस्वीकृत किये थे। ऋणों की वसूली 16 किश्तों में की जानी थी। दोनों मामलों में क्रेडिट जांचकर्ता ने अपनी निरीक्षण पूर्व रिपोर्टों में बताया था कि ऋण प्राप्तकर्ता एक हठी चूककर्त्ता है, जिसने कार के क्रय के ऋणों, जो फरवरी 1973 में दिए गए थे, की 0.18 लाख रु. की किश्तों का भुगतान भी नहीं किया गया था। अप्रैल 1977 में दूसरे ऋण की संस्वीकृति से पहले भी पार्टी ने उन किश्तों की अक्तूबर 1976 तथा जनवरी 1977 में देय थी की अदायगी नहीं की थी। ऋणी द्वारा एक किश्त का पुनर्भुगतान भी ठीक समय पर नहीं किया गया था। अन्ततः विलेख और अटल मुख्तारनामा की शर्तों के अनुसार दोनों वाहनों का अभिग्रहण कर लिया गया तथा निगम द्वारा जनवरी 1980 तथा फरवरी 1980 में 1.34 लाख रुपए में बेच दिया गया तथा शेष 0.77 लाख रुपए रहा। वसूली योग्य शेष राशि की वसूली के लिये क्रमशः सितम्बर 1980 तथा अगस्त 1980 में वरिष्ठ उप–जज, शिमला की अदालत में दीवानी मुकद्दमें दाखिल किये गये।

अदालत ने पार्टी तथा गारन्टीकर्त्ता के विरुद्ध अक्तूबर 1981 तथा दिसम्बर 1981 में 0.36 लाख रुपये की, भविष्य के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज की दर से तथा 0.41 लाख रुपए की भविष्य के $14\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज की दर से, डिगरी के आदेश दिये। डिगरियों का निष्पादन जोकि क्रमशः जनवरी 1982 तथा मई 1982 में मांगा गया था, अनिर्णीत था (जून 1982)। आज दिन तक ऋणों का वसूली योग्य शेष 1.03 लाख रुपए था (जून 1982)।

निगम द्वारा नवम्बर 1981 तथा अगस्त 1982 में बताया गया कि प्रथम ऋण जुलाई 1976 में तब स्वीकृत किया गया था जब ऋणी द्वारा यह लिख कर दिया गया कि आगे के लिये वह कोई चूक नहीं करेगा तथा दूसरा ऋण अप्रैल 1977 में तब स्वीकृत किया गया जब पार्टी ने प्रथम ऋण की गलती का निपटारा कर दिया था।

मामला सरकार को जुलाई 1982 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

7.5. हिमाचल पथ परिवहन निगम

7.5.1. पूर्वकालिक मंडी, कुल्लू पथ परिवहन निगम को जो राज्य पथ परिवहन अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था, 24 सितम्बर 1974 को दोबारा हिमाचल पथ परिवहन निगम का नाम दिया गया। 2 अक्तूबर 1974 को पूर्वकालिक हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन (विभागीय प्रबंधित राजकीय उपक्रम) का कार्य भी इसने ग्रहण कर लिया।

(i) **पूंजी**—हिमाचल पथ परिवहन निगम की पूंजी 31 मार्च 1980 को 12,25.30 लाख रुपए (राज्य सरकार 9,15.23 लाख रुपए ; केन्द्रीय सरकार उत्तरी रेलवे 3,10.07 लाख रुपए) के प्रति 31 मार्च 1981 को 14,44.80 लाख रुपए (राज्य सरकार; 10,75.23 लाख रुपए केन्द्रीय सरकार–उत्तरी रेलवे ; 3,69.57 लाख रुपए) थी। पूंजी पर ब्याज 6.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से देय है।

(ii) **वित्तीय स्थिति** ––वर्ष 1980–81 के अन्त तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दर्शायी गई है :––

	1979–80	1980–81	1981–82
देयताएं		(लाख रुपयों में)	
(क) पूंजी	10,86.45	12,25.30	14,44.80
(ख) आरक्षित तथा आरक्षित	1,45.53	1,53.56	1,61.46
(ग) उधार	1.11	8.11	47.45
(घ) व्यापार देय तथा अन्य देयताएं	3,04.16	3,99.19	4,57.23
जोड़	15,37.25	17,86.16	21,10.94
परिसम्पत्तियां			
(क) सकल खण्ड	10,10.97	12,23.16	15,09.41
(ख) कम–मूल्यह्रास	4,78.84	5,38.63	5,62.54
(ग) निवल आवधिक परिसम्पत्तिया	5,32.13	6,84.53	9,46.87
(घ) निवेश	1,08.89	1,35.20	1,30.96
(ङ) चालू परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम	4,86.25	6,01.67	5,56.52
संचित हानियां	4,09.98	3,64.76	4,76.59
जोड़	15,37.25	17,86.16	21,10.94
नियोजित पूंजी*	7,14.23	8,87.02	10,46.16

(III) **कार्यकारी परिणाम**––निम्न तालिका वर्ष 1980-81 तक तीन वर्षों के लिये निगम के कार्यकारी परिणामों के ब्यौरे दर्शाती है :––

	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपयों में)	
1. (क) परिचालन राजस्व	10,33.57	12,60.10	14,77.30
व्यय	10,38.78	13,12.08	16,87.68
अधिशेष (+)/घाटा (––)	(––) 5.21	(–) 51.98	(–) 2,10.38
(ख) अप्रचालन			
राजस्व	92.71	1,71.25	1,86.51
व्यय	62.59	74.05	87.97
अधिशेष (+)/घाटा (––)	(+) 30.12	(+) 97.20	(+) 98.54
(ग) जोड़			
राजस्व	11,26.28	14,31.35	16,63.81
व्यय	11,01.36	13,86.13	17,75.65
लाभ (+)/हानि (––)	(+) 24.91	(+) 45.22	(–) 1,11.84
2. पूंजीगत अंशदान और ऋणों पर ब्याज	57.75	69.21	82.77
3. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	87.50	1,19.27	(–) 23.87
4. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रति		(प्रतिशत)	
शत्ता	12.24	13.45	(––) 2.28

*लगाई गई पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियों जमा कार्यरत पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है।

(iv) **परिचालन निष्पादन**––निम्न तालिका 1981–82 तक के तीन वर्षों के लिये निगम के परिचालन के निष्पादन को दर्शाती है :––

	1979–80	1980–81	1981–82*
1. रखी गई गाड़ियों की औसत संख्या	889	912	997
2. सड़क पर गाड़ियों की औसत संख्या	836	865	944
3. उपयोग की प्रतिशतता	94	95	95
4. आवृत किलोमीटर (लाखों में)			
(क) सकल	519.03	560.27	622.81
(ख) प्रभावी	511.96	552.21	613.39
(ग) निष्क्रिय	7.07	8.06	9.42
5. सकल किलोमीटरों से निष्क्रिय किलोमीटर की प्रतिशतता (प्रतिशत)	1.4	1.4	1.5
6. प्रतिदिन प्रत्येक बस द्वारा आवृत औसत किलोमीटर	178	185	181
7. औसत राजस्व (रुपये) प्रति किलोमीटर	2.64	2.79	2.87
8. औसत व्यय (रुपये) प्रति किलोमीटर	2.58	2.99	3.58
9. प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि (––) (रुपये)	+0.06	(—) 0.20	(—) 0.71
10. मार्ग किलोमीटर	68,926	73,141	81,958
11. प्रचलन डिपुओं की संख्या	16	16	19
12. दुर्घटना की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर	0.33	0.25	0.27
13. औसत ब्रेकडाऊन प्रति लाख किलोमीटर	0.07	0.053	0.051
14. अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	**78.5	78.0	79.0

*वर्ष 1981–82 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

**अधिभोग अनुपात वास्तविक यात्री राजस्व प्रति किलोमीटर की पूरे यात्री बैठाने की व्यवस्था होने पर अनुमानित राजस्व प्रति किलोमीटर पर प्रतिशतता बताता है।

7.6 अनुभाग–ग–सरकारी कम्पनियां

7.6.1 प्रस्तावना

31 मार्च 1982 को राज्य में चार सहायक कम्पनियों को सम्मिलित करके 12 राजकीय कम्पनियां थीं ।

7.6.2 लेखाओं का संकलन

वर्ष 1981–82 के लिए एक कम्पनी ने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दे दिया था । इस के अतिरिक्त 8 कम्पनियों ने (2 सहायक कम्पनियों सहित) अपने पूर्ववर्ती वर्षों के लेखे अन्तिम किये थे । नवीनतम लेखाओं के आधार पर 9 कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला सार परिशिष्ट 7.2 में दिया गया है । निम्नलिखित 11 कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) के लेखे प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिये प्राप्त नहीं हुए थे :—

कम्पनी का नाम	बकायों का विवरण
(i) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित	1979–80 से 1981–82
(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प हथ करघा निगम सीमित	1979–80 से 1981–82
(iii) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	1980 तथा 1981
(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम सीमित	1980–81 से 1981–82
(v) हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम सीमित	1980–81 और 1981–82
(vi) नाहन फाउंडरी सीमित	1980–81 और 1981–82
(vii) हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	1981–82
सहायक कम्पनियां	
(i) **हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम सीमित	1979–80 से 1981–82
(ii) *हिमाचल प्रदेश वर्स्टेड मिल्ज़ सीमित	1980–81 तथा 1981–82
(iii) **हिमाचल प्रदेश ऊन परिवर्तक सीमित	1980–81 से 1981–82
(iv) **हिमालय उर्वरक सीमित	1981–82

*हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित की सहायक ।

**हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम सीमित की सहायक ।

लेखाओं को अन्तिम करने में बकायों की स्थिति नवम्बर 1982 में अन्तिम बार सरकार के ध्यान में लाई गई ।

7.6.3 प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 1981 को 12 सरकारी कम्पनियों में 24,26.15 लाख रुपए की कुल प्रदत्त पूंजी के प्रति 31 मार्च 1982 को इन सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी बढ़ कर कुल 29,15.85 लाख रुपए हो गयी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

विवरण	कम्पनियों की संख्या	द्वारा निवेशित		अन्य	
		राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार		जोड़
		(लाख रुपयों में)			
(i) राज्य सरकार द्वारा	7	17,98.40	..	..	17,98.40
पूर्णरूप से स्वाधिकृत कम्पनियां	(7)	(15,16.70)	..	..	(15,16.70)
(ii) केन्द्रीय सरकार के साथ संयुक्त रूप में	1	4,18.00	1,71.50	..	5,89.50
स्वाधिकृत कम्पनियां	(1)	(2,84.00)	(1,71.50)	..	(4,55.50)
(iii) सहायक	4	..	..	527.95	527.95
कम्पनियां	(4)	..	..	(453.95)	(453.95)
	12	22,16.60	1,71.50	527.95	29,15.85
	(12)	(18,00.70)	(1,71.50)	(453.95)	(24,26.15)

टिप्पणी:—कोष्ठकों में आंकड़े वर्ष 1980–81 के अन्त की स्थिति में को दर्शाते हैं ।

7.6.4. ऋण

31 मार्च 1982 को दीर्घ अवधि ऋणों के 8 कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) से सम्बन्धित शेष 8,46.62 लाख रुपए (राज्य सरकार 2,66.00 लाख रु.; अन्य 5,80.62 लाख रुपए) थे जबकि 31 मार्च 1981 को (8 कम्पनियों में) ऋण–शेष 5,76.63 लाख रुपये (राज्य सरकार 2,61.80 लाख रुपए ; अन्य 3,14.83 लाख रुपए) थे ।

7.6.5. प्रत्याभूतियां

राज्य सरकार ने 7 कम्पनियों द्वारा जारी किये गए ऋणों के पुन: भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान को प्रत्याभूत किया था । 31 मार्च 1982 को प्रत्याभूत राशि तथा उसके प्रति

बकाया राशि क्रमशः 6,50.64 लाख रुपए तथा 6,16.96 लाख रुपए थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	कम्पनी का नाम	प्रत्याभूत राशि	31 मार्च 1982 को बकाया राशि
		(लाख रुपयों में)	
(क)	नाहन फांउडरी सीमित (नकदी जमा अवधि ऋण)	55.00	55.00
(ख)	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम समिति	4,74.14	5,16.96*
(ग)	हिमालय उर्वरक निगम	30.00	30.00
(घ)	हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	60.00	..
(ङ)	हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम समिति	13.00	11.00
(च)	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम समिति	10.00	..
(छ)	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	8.50	4.00
		6,50.64	6,16.96

7.6.6 कम्पनियों द्वारा कार्य निष्पादन

1.12 कम्पनियों में से(4 सहायक कम्पनियों को सम्मिलित करके) केवल एक कम्पनी अर्थात् हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित ने 31 मार्च 1982 को समाप्त हुये वर्ष के लिये अपने लेखे अन्तिम किये थे और 7.53 लाख रुपये का लाभ (कराधान के बाद अर्जित किया था जबकि वर्ष 1980–81 में यह राशि 29.74 लाख रुपये थी।

2. 8 कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों सहित) के वार्षिक लेखाओं के अनुसार 6 कम्पनियों में वर्ष 1979–80 में कुल 1,22.52 लाख रुपए की निवल हानि हुई जबकि उतनी ही कम्पनियों में पिछले वर्ष के दौरान कुल 88.70 लाख रुपए की निवल हानि हुई। वर्ष 1979–80 के दौरान 2 कम्पनियां (हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश लघु औद्योगिक तथा निर्यात निगम सीमित) ने निवल लाभ 9.25 लाख रुपए (क्रमशः 8.67 लाख रु. तथा 0.58 लाख रुपए कमाया जबकि वर्ष 1978–79 के दौरान 3 कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ 12.62 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित 8.62 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश राज्य लघु औद्योगिक तथा निर्यात निगम सीमित 3.49 लाख रुपए तथा हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम सीमित 0.51 लाख रुपए) था।

*प्रत्याभूति की सीमा को उपयुक्त रूप में बढ़ाने सम्बन्धी एक सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं (सितम्बर 1982)।

3. इन 8 कम्पनियां (3 सहायक कम्पनियों को सम्मिलित करके) जिनके वर्ष 1979–80 के लेखापरीक्षित लेखे प्राप्त हुए थे, के कार्यकारी परिणाम नीचे दी गई सारणी में विश्लेषित किये गये हैं :—

कम्पनी के विवरण	प्रदत्त पूंजी 1979–80	लाभ (+)/ (हानि) (—) 1979–80	प्रदत्त पूंजी पर लाभ की प्रति-शतता
(1)(क) जिन्होंने (कराधान के बाद) लाभ अर्जित किया			
(i) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	436.07	(+) 8.67	1.99
(ii) हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग तथा निर्यात निगम सीमित	78.67	(+)0.58	0.74
	514.74	9.25	1.80
(ख) जिनमें घाटा हुआ			
(i) हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम	314.20	(—) 10.43	(—) 3.32
(ii) नाहन फाउन्डरी सीमित	155.00	(—) 31.33	(—) 20.21
(iii) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	355.49	(—) 20.52	(—) 5.77–
	824.69	(—) 62.28	(—) 7.55
सहायक कम्पनियां			
(i) हिमाचल उर्वरक सीमित	27.43	(—) 4.81	(—) 17.54
(ii) हिमाचल ऊन परिवर्तक सीमित	94.50	(—) 38.37	(—) 40.60
(iii) हिमाचल प्रदेश औद्योगिक उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम सीमित	220.00	(—) 17.06	(—) 7.75
	341.93	(—) 60.24	(—) 17.62

4. कम्पनी अधिनियम 1956 में नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक को यह अधिकार है कि वह सरकारी कम्पनियों के व्यवसायिक लेखापरीक्षकों को उनके कार्य निष्पादन के संबंध में निदेश जारी करें। इस प्रकार के जारी किये ये निदेशों के अनुसरण में कम्पनी के लेखापरीक्षकों की दो मामलों

अर्थात् हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित सम्बन्धी विशेष रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं ।

इन प्रतिवेदनों में ध्यान में आई महत्वपूर्ण बातें नीचे सारांशित हैं :—

(क) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (1979)

1. लेखाओं की पद्धति तथा क्रियाविधि और आंतरिक नियन्त्रण का त्रुटिपूर्ण होना ।

2. कई छोटे खातों, मुख्य–खातों, सहायक लेखाओं तथा बैंक लेखाओं का मिलान न करना ;

3. सम्पत्ति /संयंत्रों/अचल परिसम्पतियों के रजिस्टरों,, भंडार की प्राप्ति तथा निकासी के लिये अभिलेखों, मूल्य भंडार खातों का न बनाया जाना तथा क्षयों पर अनुपयुक्त नियंत्रण होना ।

4. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय में अनुपयुक्त आबंटन ।

5. अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा ।

6. अग्रिमों का असमायोजन ।

7. सही क्रय प्रक्रिया का अप्रयोग ।

8. विविध देनदारों के अन्तर्गत शेषों की पुष्टि प्राप्त करने और भंडार तथा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करने में असफलता ।

9. भंडार तथा कलपुर्जों की अधिकतम/न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण न करना ।

(ख) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (1981-82)

1. आंतरिक लेखापरीक्षा के लिये कार्य क्षेत्र तथा प्रोग्राम दर्शाने वाली नियम पुस्तक का अभाव ।

2. वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त नहीं है । यहां तक कि वास्तविक आंकड़ों का मिलान भी बजट आंकड़ों से नहीं किया जाता है ।

3. विविध देनदारों के अन्तर्गत शेषों की पुष्टि प्राप्त करने में असफलता ।

4. भंडारों तथा कलपुर्जों की अधिकतम /न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण न करना ।

5. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को कम्पनी के लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर टिप्पणी करने अथवा उन्हें सम्पूर्ण करने का अधिकार है । इस प्रावधान के अंतर्गत चुने हुए मामलों में सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा की जाती है । वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान ध्यान में आई कुछ त्रुटियां/भूलें नीचे दर्शाई गई हैं :—

(i) संदिग्ध ऋणों का प्रावधान न करना / कम करना (5.09 लाख रुपए); चार कम्पनियां

(ii) मूल्यह्रास का कम/ज्यादा प्रावधान (2.04 लाख रु.) दो कम्पनियां;

(iii). दायित्वों का कम /ज्यादा प्रावधान (3.26 लाख रु.) दो कम्पनियां ;

(iv) देनदारों /लेनदारों के शेष राशि का पुष्टिकरण न होना (0.93 लाख रुपए) दो कम्पनियां ;

(v) परिसम्पत्तियों का अधिक/कम बयान (13.22 लाख रु.) तीन कम्पनियां ;
(vi) लाभ का अधिक/कम ब्यान (0.39 लाख रु.) ;

(vii) दायित्वों का अधिक/कम ब्यान (4.57 लाख रु.) एक कम्पनी ।

7.7 हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित शिमला

7.7.1 **प्रस्तावनात्मक**—पूंजी, क्रेडिट, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता को उपलब्ध करके राज्य में लघु स्तर के उद्योगों की सहायता तथा प्रोन्नति के लक्ष्य से 20 अक्तूबर 1966 को हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित का निगमन किया गया था ।

7.7.2 **क्रिया-कलाप**—अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कम्पनी ने विभिन्न क्रिया-कलापों को आरम्भ किया है जैसे (i) औद्योगिक शालाओं का निर्माण, (ii) लघु स्तर के उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था करना (iii) मशीनरी का भाड़ा क्रय करना तथा (iv) उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना । इसके अतिरिक्त कम्पनी की अपनी उत्पादन इकाइयां हैं जैसे (i) नाहन हौजरी, नाहन (ii) चम्बा हौजरी चम्बा, (iii) पूर्व-दाबी कंकरीट स्तम्भ इकाई परवाणु (iv) कागज़ रूपान्तरण इकाई परवाणु, (v) टेलीविजन ट्यूनर इकाई (हिमट्रोन) सोलन तथा (vi) चम्बा चर्म अर्जन कारखाना चम्बा (निष्प्रभाव) ।

7.7.3 **पूंजीगत ढांचा**—31 मार्च 1982 को कम्पनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी क्रमशः 100 रु० प्रत्येक के एक लाख सम अंशों में बंटी हुई राशि 1.00 करोड़ रुपये तथा 83.67 लाख रुपये थी । प्रदत्त पूंजी पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा अभिदत्त की गई है । 31 मार्च 1982 को कम्पनी ने स्टॉक के खुले प्रतिगहन द्वारा 28.89 लाख रुपये के (ब्याज सहित सीमा 20 लाख रु०) नकद/क्रेडिट का उपयोग किया ।

7.7.4 **कार्यकारी परिणाम**—कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखे केवल वर्ष 1979-80 तक ही प्राप्त हुए थे जिसके अन्त में कम्पनी के पास 78.67 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी के प्रति 5.63 लाख रुपये का संचित लाभ था ।

7.7.5 **औद्योगिक शालाएं**—योजना के अधीन बेरोजगार शिक्षितों की सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1973 में सभी राज्य सरकारों को मार्ग दर्शन रेखाएं जारी की गई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी परिकल्पित था कि राज्य लघु उद्योग विकास निगम को औद्योगिक सम्पदाओं अथवा वाणिज्यिक सम्पदाओं की स्थापना हेतु अधिकतम संस्था सम्बन्धी वित्त के आहरण के लिये औपांतिक धन के माध्यम से निधियों को उपलब्ध करवाया जाये । वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के वार्षिक कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार द्वारा (मार्च 1974 में 8 लाख रुपये तथा मार्च 1975 में 3 लाख रुपये) कम्पनी को पांवटा साहिब, बिलासपुर, नगरोटा बगवां तथा शिमला में 60 औद्योगिक शालाओं के निर्माण हेतु अनुमानित परिव्यय के 20 प्रतिशत औपांतिक धन के रूप में 11.00 लाख रु० (50 प्रतिशत ऋण $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत पर तथा 50 प्रतिशत अनुदान) दिये गए ।

कम्पनी ने राज्य सरकार के एक अन्य उपक्रम हि० प्र० खनिज एवं उद्योग विकास निगम सीमित द्वारा केवल 10 औद्योगिक शालाएं औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में निर्मित (वर्ष 1974–75 से वर्ष 1976–77 तक) करवाई। ये शालाएं बाद में कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करके 17 शालाओं में परिवर्तित कर दी गईं जिन पर कुल व्यय 12.41 लाख रुपये हुआ।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए :—

(i) पांवटा साहिब, बिलासपुर, नगरोटा बगवां तथा शिमला में निर्मित की जाने वाली 60 शालाओं के प्रति केवल 10 शालायें पांवटा साहिब में निर्मित की गई। जहां तक बिलासपुर, नगरोटा बगवां तथा शिमला में शालाओं के निर्माण का सम्बन्ध है, निदेशकों ने वर्ष 1974–75 के लिये 9वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं से संलग्न वार्षिक प्रतिवेदन में बताया कि औद्योगिक विस्तार की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा रहा था एवं इन आवश्यकताओं के अनुसार ही योजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी। तथापि निर्धारण अभी तक नहीं किया गया था (नवम्बर 1982)।

(ii) शालाओं का निर्माण जनवरी तथा अप्रैल 1977 में पूर्ण हो गया था परन्तु हि० प्र० खनिज एवं उद्योग विकास निगम द्वारा सूचित (जनवरी 1982) निर्माण की कुल लागत 12.41 लाख रु० का कम्पनी की पुस्तकों में न तो समाधान हुआ और न उन्हें लेखाबद्ध किया गया था (नवम्बर 1982);

(iii) मई 1974 में जारी की गई भारत सरकार की मार्गदर्शक रेखाओं के अनुसार शालायें शिक्षित बेरोज़गारों को आबंटित की जानी थीं। तथापि, उनमें से केवल 5ही शिक्षित बेरोजगारों को आबंटित की गई थीं तथा शेष 12 को अन्य उद्यमियों को आबंटित किया गया।

(iv) शालायें जनवरी 1977 तथा अप्रैल 1977 के मध्य आबंटित की गई थीं और कम्पनी एवं उद्यमियों के मध्य हुये समझौते की शर्तों के अनुसार शालाओं की कीमत 20 किश्तों में वसूल की जानी थी जिनकी पहली किश्त जनवरी, 1978 तथा अप्रैल, 1978 में प्राप्तव्य थी। तथापि, किसी भी उद्यमी द्वारा कोई किश्त अदा नहीं की गई है (नवम्बर, 1982)। कम्पनी ने फरवरी, 1979 तथा अप्रैल, 1980 के मध्य सभी उद्यमियों को नोटिस जारी किये परन्तु आबंटन प्राप्तकर्ताओं द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला था। अभी तक (नवम्बर, 1982) धनराशि को वसूल करने हेतु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

(v) 31 मार्च, 1980 तक तैयार किये गये कम्पनी के लेखाओं में मूल तथा ब्याज की किश्तों की देय धनराशियों को निर्धारित/लेखाबद्ध नहीं किया गया है तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा यह राशि 31 मार्च 1982 को 9.08 लाख रु०

(मूल 3.25 लाख रु० तथा ब्याज 5.83 लाख रुपये) निकाली गई।

(vi) भारत सरकार, औद्योगिक विकास मन्त्रालय द्वारा जारी की गई मार्गदर्शन रेखाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा शालाओं की कुल लागत की 80 प्रतिशत की सीमा तक निधियां वित्तीय संस्थाओं से सृजित/उत्थित की जानी थीं तथापि कम्पनी ने कोई भी निधि सृजित/उत्थित नहीं की और इसकी बजाय पांवटा साहिब में 60 शालाओं को निर्मित करने की बजाय केवल 10 शालाओं के निर्माण हेतु 11 लाख रु० औपांतिक धन को प्रयुक्त किया गया।

कम्पनी ने 1973-74 में राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में औद्योगिक शालाएं निर्मित किये जाने वाले स्थानों पर चार सामान्य सुविधा केन्द्रों के निर्माण हेतु 8 लाख रुपये भी प्राप्त किए। कम्पनी ने ऐसे स्थानों पर भी साधारण सुविधा केन्द्र नहीं बनाये जहां शालाओं का निर्माण किया गया गया परन्तु राशि को कार्यकारी पूंजी की ओर परिवर्तित कर दिया गया था।

7.7.6 लाइनर एल्किल बेन्ज़ीन (एल.ए.बी.) का निपटारा न किया जाना,

पूर्वोक्त कार्यक्रम के अधीन हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित (एच०पी०एम०आई०डी०सी०) ने पांवटा साहिब (सिरमौर ज़िले) में डिटरजैन्ट के लिये मूलभूत कच्चे माल अर्थात् अम्लीय स्लरी का उत्पादन करने वाली बारह पोषक इकाइयों (निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली) सहित एक डिटरजैन्ट परियोजना को स्थापित करने का निर्णय लिया। एच०पी०एम०आई० डी० सी० ने स्लरी से डिटरजैन्ट का उत्पादन करने की भूमिका निभानी थी और स्लरी पोषक इकाइयों द्वारा आपूरति की जानी थी। कम्पनी तथा एच०पी०एम० सी०आई०डी० के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (एच.पी.एफ.सी.) को भी सम्पूर्ण परियोजना में भाग लेना था। कम्पनी को 12 में से 5 इकाइयों को भाड़ा क्रयन के आधार पर मशीनरी उपलब्ध करवाने, निर्मित आवास प्रदान करने तथा कच्चे माल की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया था। शेष 7 इकाइयां एच०पी०एफ०सी० द्वारा वित्तपोषित की जानी थीं।

तदनुसार कम्पनी ने डिटरजैंट परियोजना की पोषक इकाइयों को वितरण हेतु एच०पी० एम०आई०डी०सी० के रासायनिक सलाहकार की सिफारिश पर 5.07 लाख रुपये की लागत पर 44.030 टन एल० ए०बी० का उपार्जन (मार्च 1979) किया। कम्पनी के अनुसार एच०पी० एम० आई०डी० सी० को अम्लीय स्लरी के उत्पादन में लगी 12 पोषक इकाइयों सहित एक मूल इकाई स्थापित करनी थीं। तथापि प्रस्तावित इकाई स्थापित नहीं की गई थी जिसका परिणाम इस परि-योजना के असंतोषजनक क्रियाकलाप के रूप में निकला। अतः पोषक इकाइयां भी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर सकीं। पोषक इकाइयों ने जून 1980 से मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान केवल 9.941 टन (कीमत 1.15 लाख रुपए) माल उठाया। पोषक इकाइयों द्वारा सामग्री के कम उठाने को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धकारिणी ने एल०ए०बी० के 34.089 टन (कीमत: 3.92

लाख रुपये) के शेष को निपटाने का निर्णय लिया (जून, 1981) किन्तु कम्पनी 0.67 लाख रुपये की कीमत के एल०ए०बी० 5 टन को बेच सकती थी (नवम्बर 1982 में)। एल०ए०बी० की 29.089 टन की शेष मात्रा अभी भी भंडार में रोक रखी गई थी (नवम्बर, 1982)।

7.7.7 उत्पादन में लगी इकाइयां

कम्पनी की उत्पादनशील इकाइयों की उत्पादकता गतिविधियों को पूर्व–दाबी सीमेंट कंकरीट स्तम्भों, टेलिमियन ट्यूनरों, हौज़री उत्पाद, आदि के उत्पादन तक ही सीमित रखा गया। कुछ इकाइयों की कार्य प्रणाली में पाये गये तथ्यों को अनुगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

7.7.7.1 पूर्व-दाबी सीमेंट कंकरीट (पी०सी०सी०) स्तम्भ इकाई परवाणू

कम्पनी ने परवाणु में एक पी०सी०सी० स्तम्भों के उत्पादन वाली इकाई स्थापित की (1976)। इकाई ने अगस्त 1976 में उत्पादन शुरू कर दिया। इकाई की उत्पादकता मुख्यत: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की पी०सी०सी० स्तम्भों की आवश्यकता पर निर्भर करती है जो इस समय (अक्तूबर 1982) उत्पादन किये जाने वाले स्तम्भों का एक मात्र क्रेता है। वर्ष 1981-82 तक के तीन वर्षों के लिये इकाई के उत्पादन, विक्रय तथा कार्यकारी परिणामों को नीचे सारांशित किया गया है—

	1979–80	1980–81*	1981–82*
		(लाख रुपयों में)	
बिक्री	34.09	28.32	35.19
बिक्री की लागत (—)	23.50	18.55	23.34
सकल लाभ	10.59	9.77	11.85
विविध आय (+)	0.35	0.68	0.51
योग	10.94	10.45	12.36
व्यय (—)	7.63	6.36	5.72
शुद्ध लाभ	3.31	4.09	6.64
उत्पादन के लक्ष्य (संख्या)	21,350	21,420	21,420
वास्तविक उत्पादन (संख्या	16,024	11,804	13,658
कमी (संख्या)	5,326	9,616	7,762
कमी की प्रतिशतता	25	45	36

लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उत्पादन में कमी को मुख्यत: बिजली के अभाव के कारण गंवाए गये कार्य दिवसों, ठेकेदारों के श्रमिकों के अनुपस्थित रहने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से क्रय आदेशों की अप्राप्ति से सम्बद्ध किया गया था।

पी०सी०सी० स्तम्भ इकाई की कार्यप्रणाली में निम्नांकित तथ्य सामने आये थे।

---

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(i) केन्द्रीय आबकारी शुल्क की गैर-वसूली

परवाणू में पी०सी०सी० खम्बे बनाने वाली इकाई को इस के द्वारा 1978–79 तक निर्मित तथा आपूरित खम्बों पर केन्द्रीय आबकारी शुल्क का भुगतान नहीं करना था क्योंकि इस का वार्षिक उत्पादन केन्द्रीय आबकारी तथा नमक अधिनियम, 1944 की धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित छूट की सीमा के अन्तर्गत था। 15 लाख रुपये मूल्य से अधिक के खम्बों के सम्बन्ध में इकाई 1979–80 से शुल्क के भुगतान करने के योग्य हुई।

वर्ष 1979–80 के दौरान इकाई ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 34 लाख रुपये (1978-79 के दौरान आपूरित के लिये देय अगस्त 1978 में आदेशित 16.51 लाख रुपये मूल्य के खम्बों सहित) मूल्य के पोल आपूरित किये तथा केन्द्रीय आबकारी शुल्क और उन पर अन्य करों के प्रति 1.04 लाख रुपये का भुगतान किया।

वर्ष 1978-79 के दौरान आपूरित किये जाने के लिये अपेक्षित खम्बों की आपूर्ति में विलम्ब के अतिरिक्त आबकारी शुल्क की वसूली के लिये निविदाओं में उचित शर्त के शामिल न करने के परिणामस्वरूप 1.04 लाख रुपये का भुगतान किया गया जो वसूल करने को रह गया। आबकारी शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में मामला मार्च 1981 में बोर्ड के साथ उठाया गया तथा आगामी प्रगति अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 1982)।

यह मामला प्रबन्धकारिणी/सरकार को सितम्बर 1982 को प्रतिवेदित किया गया था और उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 1983)।

(ii) टूटे हुए खम्बों का निपटान न होना

(क) पोलों के उत्पादन के दौरान मान्य टूट–फूट के लिये कम्पनी द्वारा सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया गया था।

वर्ष 1976-77 से 1981–82 के दौरान उत्पादित 57,182 खम्बों में से 1976-77 तथा 1981–82 के मध्य 769 खम्बे टूट गये जिनमें से कम्पनी ने मार्च 1981 तथा जुलाई, 1981 के दौरान 8 मीटर लम्बाई के 173 खम्बों का निपटान 0.14 लाख रुपये की कुल राशि के लिये किया। शेष 596 खम्बों को निपटाने के लिये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जून 1982)।

(iii) पी०सी०सी० इकाई परवाणू, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को गन्तव्य स्थान तक मुफ्त के आधार पर खम्बे इस निर्धारण पर आपूरित कर रहा है कि परिवहन, चढ़ाने उतारने के समय कोई टूट–फूट आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी पर होगी। यह ध्यान में आया कि 1977-78 से 1981-82 के वर्षों के दौरान परिवहन में 2.56 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न आकारों वाले 1,135 खम्बे क्षतिग्रस्त हुये जो कि बोर्ड द्वारा अस्वीकार किये गये। ये खम्बे बोर्ड की विभिन्न इकाइयों में पड़े रहे।

7.7.7.2 हिमट्रोन इकाई सोलन

7.7.7.2.1 टेलीवीज़न ट्यूनरों का उत्पादन

कम्पनी ने 1979–80 के दौरान टेलीविज़न ट्यूनरों के निर्माण के लिये सोलन में एक इकाई स्थापित की।

वर्ष 1981-82 को समाप्त तीन वर्षों के लिये इकाई के कार्यकारी परिणाम नीचे सार में दिये गये हैं:—

	1979–80	1980–81	1981–82
		(संख्या में)	
स्थापित क्षमता	24,000	24,000	24,000
लाइसैन्स कृत क्षमता	10,000	10,000	10,000
वास्तविक उत्पादन	20	3,266	5,647
क्षमता प्रयुक्ता प्रतिशत	0.08	13.61	23.53
		लाख रुपयों में	
उत्पादन का मूल्य	0.62	3.78*	5.85*
1980–81 के अन्त में अन्तिम स्टाक	शून्य	0.11	1.18
स्टाक में बढ़ोतरी/कमी	(+) 0.11	(+) 1.07	(—) 0.81
1981-82 के अन्त में अन्तिम शेष	0.11	1.18	0.37
बिक्रय	..	1.17	4.73
हानियां	0.51	1.43	0.75

वर्ष 1981–82 के अन्त में इकाई की संचित हानि 2.69 लाख रुपये थी। इकाई को ट्यूनरों के लिये यान्त्रिक किटों के निर्माण को अभी आरम्भ करना है (अक्तूबर 1982) तथा कारखानें में ट्यूनरों का केवल एकत्रीकरण तथा टेस्टिंग कार्य ही हो रहा है।

7.7.7.2.2 दोषयुक्त टी. वी. ट्यूनरों का निर्माण

निम्न तालिका मार्च, 1982 को समाप्त दो वर्षों के दौरान हिमट्रोन इकाई द्वारा माडल 101 टी०वी० ट्यूनरो के उत्पादन तथा बिक्री की स्थिति को इंगित करती है :—

वर्ष	आदि शेष	उत्पादन	बिक्री	माडल 107 में बदले गये	अन्त शेष	अभ्युक्तियां
			(संख्या में)			
1980–81	..	2,286	572	52	1,662	4 नग प्रदर्शन बोर्ड पर हैं।
1981–82	1,662	4	203	..	1,463	

*वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 के लिये आंकड़े अन्तिम हैं।

यह ध्यान में आया कि 1980-81 (में 3,266 में से) उत्पादित ट्यूनरों के 1,662 नग इस इकाई के प्रबन्धक द्वारा उचित स्तर के नहीं पाये गये थे। इन भागों को 1981-82 के दौरान पुनः साइकल करवाने के पश्चात् (व्यय : 0.03 लाख रु०) इकाई 1,494 बेचने योग्य नग प्राप्त कर सकी तथा 0.15 लाख रु० मूल्य के शेष 168 नग मरम्मत करने के अयोग्य पाये गये। 1,494 पुनः साइकल किये गये तथा बेचने योग्य नगों में से इकाई 1981-82 के दौरान 199 नग बेच सकी तथा शेष 1,295 नग अभी तक (अक्तूबर 1982) स्टाक में पड़े थे, परिणाम-स्वरूप 1.14 लाख रुपये की सीमा तक निधियां अवरुद्ध रहीं।

7.7.7.3 **चम्बा चर्म कार्य शाला**—चम्बा चर्म कार्यशाला (एक सरकारी विभागीय उपक्रम) राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1970 में कम्पनी को अन्तरित की गई थी। वाणिज्यिक लाइनों पर इसके कार्यकलाप को मुखरित करने के लिये कम्पनी ने केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, जालन्धर की सलाह प्राप्त की (अक्तूबर 1971)। संस्थान इस निर्णय पर पहुंचा (अप्रैल 1972) कि चम्बा में चर्म कायशाला लाभ पर नहीं चल सकती।

कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया (मई 1975) कि चर्म कार्यशाला को शीघ्र ही बन्द किया जाये तथा इसके किसी इच्छुक पार्टी को बेचने के प्रयत्न किये जायें। तदनन्तर प्रबन्धकों ने चर्म कार्यशाला को अपने हाथ में लेने के लिये हिमाचल प्रदेश खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड (के०वी०आई०बी०) से सम्पर्क किया (अगस्त 1975)। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, सुन्दरनगर (जिला मण्डी) में अपनी इकाई में इस्तेमाल के लिये इस इकाई की परिसम्पत्तियों को ग्रहण करने के लिये सहमत हो गया (अगस्त 1976) परन्तु चम्बा से इकाई के अन्तरण के लिये उद्योग विभाग सहमत नहीं था (नवम्बर 1977)। कम्पनी ने इकाई के सुन्दरनगर को अन्तरण की तथा तदनन्तर इसके, बोर्ड को अन्तरण की अनुमति हेतु मामले को उद्योग विभाग के साथ उठाया (जनवरी 1978)। उद्योग विभाग ने मामला हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके अनुमोदन के लिये सन्दर्भित किया (जुलाई 1981) जोकि अभी तक प्रतीक्षित था (जून 1982)।

यह ध्यान में आया कि इकाई ने 1973–74 के अन्त तक 0.62 लाख रुपये मूल्य के चर्म के तले उत्पादित किये जिसके पश्चात् कोई उत्पादन नहीं हुआ था। वर्ष 1976-77 तक इकाई द्वारा की गई कुल बिक्रियां 0.33 लाख रुपये निकलीं जिसके पश्चात् कोई बिक्री नहीं हुई। इकाई वर्ष प्रति वर्ष हानियां उठा रही थी। वर्ष 1981-82 तक 1.79 लाख रुपये की सीमा तक की संचित हानियां हुई। इस इकाई के नियंत्रण को खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को अन्तरित करने के प्रस्ताव को अंतिम करने में असाधारण विलम्ब के कारण कम्पनी अभी भी देखभाल करने वाले स्टाफ पर प्रति वर्ष 0.17 लाख रुपये का आवर्ती व्यय कर रही है जबकि इकाई में उत्पादन 1973-74 में बन्द हो गया था।

7.7.7.4 **कुल्लू हौज़री**—कम्पनी ने कुल्लू में स्वैटर/जुराबें, बन्द गले के स्वाटर तथा अन्य हौज़री की वस्तुएं बनाने के लिये 1976-77 के दौरान एक हौज़री इकाई स्थापित की। इकाई का वाणिज्यिक जीव्य कार्य को हाथ में लेने से पहले नहीं निकाला गया था, प्रबन्धकों द्वारा निकाले गये परिणामों के अनुसार (अक्तूबर 1978) इकाई कुल्लू में इसके उत्पादों के विपणन में

कमी के कारण जीवित न रह सकी। जैसा कि निदेशकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया (सितम्बर 1979) इकाई को जनवरी 1980 में नाहन में कम्पनी की एक अन्य हौजरी इकाई में शामिल कर दिया गया।

7.7.7.5 **महतपुर में ट्रांसफार्मर इकाई**—अप्रैल 1976 में कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड ने महतपुर (जिला ऊना) में एक ट्रांस्फार्मर बनाने की इकाई की स्थापना को अनुमोदित किया। तदनुसार परियोजना के लिये 0.21 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी खरीदी गई (जून/जुलाई 1976)। सितम्बर 1976 में कम्पनी को नाहन फाऊण्डरी सीमित, नाहन ने सूचित किया कि यह प्रस्तावित किया गया था कि उपरोक्त परियोजना को हाथ में लिया जाये और सारी मशीनरी जोकि कम्पनी द्वारा पहले ही खरीदी गई थी इसके द्वारा ले ली जायेगी। कम्पनी द्वारा खरीदी गई मशीनरी में से (मूल्य : 0.21 लाख रुपये) 0.16 लाख रुपये मूल्य की मशीनें जून 1978 में नाहन फाऊण्डरी सीमित को अन्तरित की गई थीं परन्तु बार-बार मांगें करने पर कम्पनी अभी तक भी (जून 1982) इसके भुगतान को उगाहने के योग्य नहीं हुई थी। 0.05 लाख रुपये मूल्य की एक मशीन (ट्रेडल चालित गिलोटीन) 1976 से बेकार पड़ी थी।

क्योंकि नाहन फाऊण्डरी सीमित ने उपरोक्त परियोजना की स्थापना में आगे कदम न बढ़ाने का निर्णय लिया था (सितम्बर 1980) कम्पनी एक बार फिर इस इकाई को खोलने की योजना बना रही थी (नवम्बर 1982) तथा इस परियोजना के लिये ब्योरेवार सक्षमता प्रतिवेदन को तैयार करने का कार्य इसके द्वारा (नवम्बर 1981) 0.05 लाख रु० के शुल्क पर हिमाचल सलाहकारी संगठन सीमित (हिमकोन) को सौंपा गया था। प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित था (जून 1982)।

7.7.8 वस्तु सूची तथा उत्पादन

न्यूनतम तथा अधिकतम स्टाक स्तरों को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था (जून 1982)। निम्न तालिका 1980–81 तक के तीन वर्षों की समाप्ति पर वस्तु सूची की तुलनात्मक स्थिति को इंगित करती है:—

	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81
		(लाख रुपयों में)		
कच्चा माल तथा भंडार	8.72	7.65	8.43	11.04
प्रगति में काय	0.19	0.29	0.28	0.19
परिष्कृत वस्तुएं	27.26	30.66	31.23	32.42
	36.17	38.60	39.94	43.65
बिक्रियां	68.38	123.43	193.58	282.99
बिक्रियों पर तैयार माल की प्रतिशतता	39.87	24.83	16.13	11.46

कच्चे माल तथा भण्डारों का स्टाक 1977–78 में खपत के 12.8 महीनों के, 1978-79

में खपत के 5.4 महीनों के, 1979-80 में खपत के 3.8 महीनों के और 1980-81 में खपत के 5.0 महीनों के बराबर था।

7.7.9 **विविध देनदार**—निम्न तालिका 1980-81 तक चार वर्षों के अन्त में पुस्तकांकित ऋणों की मात्रा तथा इन में हुई बिक्रियों को इंगित करती हैं :—

31 मार्च को	ऋण	वर्ष के दौरान बिक्री	बिक्री के लिये ऋणों की प्रतिशत्ता
	(लाख रुपयों में)		
1978	57.02	68.38	83.37
1979	57.05	1,23.49	46.19
1980	69.48	1,93.58	35.89
1981	79.58	2,82.99	28.12

7.7.10 **बजट नियन्त्रण**—कम्पनी के प्रत्येक कार्यकलाप के सम्बन्ध में लक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिये बजट तैयार किये जाते हैं परन्तु कम्पनी की विभिन्न इकाइयों द्वारा कार्य निष्पादन पर कोई भी तदनुरूपी नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

7.7.11 **गणना नियमावली** —कम्पनी ने कोई गणना नियमावली तैयार नहीं की थी जो यह निर्धारित करें कि कौन सी गणन प्रणाली अपनाई जानी है और कौन से अभिलेख तैयार किये जाने हैं।

7.7.12 **सारांश**

(i) कम्पनी का निगमन अक्तूबर 1966 में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी, वित्तीय तथा प्रबन्धकीय सहायता द्वारा लघु उद्योगों के हित को सहायत तथा प्रोत्साहन देने के लक्ष्यों सहित किया गया था। कम्पनी ने अभी तक दुर्लभ कच्चे माल का वितरण करना तथा लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सुविधाएं देना, इकाइयों को भाड़ा क्रयन के आधार पर मशीनरी की आपूर्ति करना और औद्योगिक परिसम्पत्तियों को स्थापित करना तथा विभागीय औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना हाथ में लिया था। योजनाओं के निष्पादन में निम्नलिखित बातें ध्यान में आई :—

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान कम्पनी ने एक क्षेत्र में 12.41 लाख रुपए की कुल पूंजी लागत पर 10 औद्योगिक शेडों (जोकि बाद में 1975-76 के दौरान 17 शेडों में परिवर्तित हो गये) का निर्माण किया था। कम्पनी नें इसके पश्चात् किसी भी स्थान पर और शैड बनाने की न योजना बनाई न निर्माण कार्य किया। यह भाड़ा क्रयन के आधार पर 17 उद्यमियों को आबंटित किये गये थे (जनवरी तथा अप्रैल 1977 के मध्य)। उनमें से अभी तक

(जून 1982) किसी ने भी किसी किश्त (कुल 3.25 लाख रुपए) तथा मार्च 1982 तक देय ब्याज (5.83 लाख रुपए) का भुगतान नहीं किया था। कम्पनी ने 1973-74 के दौरान उन स्थानों जहां औद्योगिक शैड बनाए जाने थे, पर साधारण सुविधा केन्द्रों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता के रूप में 8.00 लाख रुपए आहूत किये थे। उस अकेले क्षेत्र में भी जहां 17 औद्योगिक शैड बनाए गए थे, इस प्रकार के केन्द्र का निर्माण नही किया गया था। कम्पनी द्वारा निधियों को इसकी कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर बदल दिया गया था।

(ख) परवाणु में (लाभ पर चल रही) कम्पनी के पूर्वदाबी कन्क्रीट खम्बों का उत्पादन 1978-79 से 1981-82 के दौरान लक्ष्यों से कम हो गया; कमी 22 तथा 45 प्रतिशत की सीमा के भीतर रही।

(ग) हिमट्रोन इकाई सोलन 1979-80 से 1981-82 के दौरान हानियों पर चलती रही है, इन वर्षों के दौरान कार्य क्षमता का उपयोगीकरण 0.08, 13.61 तथा 23.53 प्रतिशत था। 31 मार्च 1982 को संचित हानि 2.69 लाख रुपए थी।

(घ) 4.39 लाख रुपए की राशि की निधियां टी. वी. ट्यूनरों (1.14 लाख रुपए) तथा लाइनर एलकिल बेनजेन (3.25 लाख रुपए) में अवरुद्ध थीं जिन्हें मांग की कमी के कारण निपटाया नहीं जा सका।

(ङ) सरकार से 1970 में ली गई चम्बा चर्म कार्यशाला घाटे पर चल रही थी (1981-82 तक संचित हानि 1.79 लाख रुपए थी)। इकाई प्रति वर्ष 0.17 लाख रुपए का व्यय कर रही थी जबकि उत्पादन 1973-74 में बन्द कर दिया गया था।

यह मामला सरकार को सितम्बर 1982 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

7.8 हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित

7.8.1 प्रस्तावना––राज्य में कृषि उद्योग के विकास एवं कृषि तथा उद्यान सम्बन्धी उत्पादन को प्रोन्नत करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित 24 सितम्बर 1970 को निगमित की गई थी।

7.8.2 उद्देश्य––कम्पनी के मुख्य उद्देश्य राज्य में ऐसी परियोजनाओं, योजनाओं, उद्योगों, व्यापारों तथा कार्यकलापों को स्थापित, विकसित, प्रोन्नत, निष्पादित एवं संचालित करना था जो कृषि उत्पादन को प्रगति एवं बढ़ावा प्रदान करें, सहायक वस्तुओं के तथा पूरक भोजन के उत्पादन के रूप में सहायक हों, खाद्य आपूर्ति की उपलब्धता को बढ़ायें तथा कृषि उद्योग के विकास में सहयोग दें।

7.8.3 कार्यकलाप—कम्पनी के कार्यकलाप ट्रैक्टरों, ट्रैक्टर उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जों के उपार्जन तथा बिक्री; कृषि सेवा तथा उत्पाद किराया केन्द्रों को चलाने; लोहे, इस्पात, इस्पात के सामान तथा सीमेंन्ट का उपार्जन; पशु तथा कुक्कुट आहारों का उपार्जन, उत्पादन एवं बिक्री; कृषि कर्मशालाओं को चलाने; खाण्डसारी कारखानों की स्थापना; किसानों को डीज़ल इन्जनों, पम्प सैटों तथा थ्रैशरों की बिक्री तक ही सीमित रहे हैं। उद्यान सम्बन्धी उत्पादन को पूरा करने के लिए कार्यकलाप एक सहायक कम्पनी (हिमचाल प्रदेश उद्यानिक उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम सीमित) को सौंपा गया था जोकि जून 1974 में स्थापिद की गई थी।

31 मार्च 1982 को कम्पनी नौ बिक्री केन्द्र, पांच उत्पाद किराया केन्द्र तथा चार निर्माण केन्द्र स्थापित कर चुकी थी।

7.8.4 संगठनात्मक ढांचा—कम्पनी अपने कार्यों का अध्यक्ष के नेतृत्व में बोर्ड निदेशकों के माध्यम से प्रबन्ध करती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त सरकार द्वारा मनोनीत 13 निदेशक हैं (2 गैर-सरकारी निदेशकों सहित) जिनमें प्रबन्ध निदेशक सम्मिलित हैं जोकि मुख्य कार्यकर्ता है।

7.8.5 पूंजी ढांचा—प्राधिकृत पूंजी जोकि आरम्भ में 1.00 करोड़ रुपए थी, समय-समय पर बढ़ाई गई तथा 31 मार्च 1982 को 6.00 करोड़ रुपए पर ठहरी। इसके प्रति प्रदत्त पूंजी 5,89.50 लाख रुपए थी जोकि राज्य सरकार (4,18.00 लाख रुपए) तथा केन्द्रीय सरकार (1,71.50 लाख रुपए) द्वारा अंशदत्त थी। इसमें कम्पनी द्वारा 1981-82 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त 14.00 लाख रुपए की राशि शामिल है जिसके प्रति शेयर अभी तक आबंटित नहीं किये गये हैं (नवम्बर 1982)।

7.8.6 राज्य सरकार से ऋण

राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों की तथा बकाया की स्थिति 31 मार्च 1982 को को निम्न प्रकार से है :—

प्राप्ति का वर्ष	ऋण की राशि	प्रतिवर्ष ब्याज की दर	ऋण की शर्तें	ऋण का उद्देश्य
1	2	3	4	5
	(लाख रुपयों में)			
1979-80	30.00	ब्याज मुक्त	(*)	हिमाचल प्रदेश में भाण्डागारों के निर्माण के लिए मार्च 1979 में राज्य सरकार से 40.00 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई थी। 10.00 लाख रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश सिविल

*ऋण की धाराएं एवं शर्तें निर्णीत नहीं की गई (नवम्बर 1982)।

प्राप्ति का वर्ष	ऋण की राशि	प्रति वर्ष ब्याउ की दर	ऋण की शर्तें	ऋण का उद्देश्य
1	2	3	4	5
				आपूर्ति निगम सीमित को 3 मार्च 1981 को अन्तरित की गई थी जैसा कि राज्य सरकार ने फरवरी 1981 में इच्छा प्रकट की थी क्योंकि योजना को राज्य सरकार द्वारा बाद वाले निगम को अन्तरित करने का प्रस्ताव था ।
1979-80	120.00	3 प्रतिशत	15 वर्षों में पुनः भुगतान योग्य-मूलधन की पहली क़िश्त उस पर ब्याज सहित 30 मार्च 1984 को देय	ऋण कृषि उपकरणकार खाने, शीत भंडारण, मद्राल तथा तार खैंचने का संयंत्र, कन्दरोड़ी के निर्माण के लिए संस्वीकृत किये गये थे ।
1979-80	20.50	3 प्रतिशत	——तदैव——	
1981-82	6.00	3 प्रतिशत	15 वर्षों में पुनः भुगताने योग्य-मूलधन की पहली किश्त उस पर ब्याज सहित 30 अगस्त 1984 को देय	
1980-81	20.00	3 प्रतिशत	15 वर्षों में पुनः भुगतान योग्य-मूलधन की पहली किश्त उस पर ब्याज सहित 30 मार्च 1985 को देय	ऋण हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए आधुनिक पैकिंग बक्से बनाने के लिए आरम्भिक व्यय करने के लिए संस्वीकृत किया गया था । परियोजना (जुलाई 1982) का सम्भाव्य प्रतिवेदन

प्राप्ति का वर्ष	ऋण की राशि	प्रति वर्ष ब्याज की दर	ऋण की शर्तें	ऋण का उद्देश्य
1	2	3	4	5
				हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा गया था (अगस्त 1982) जो कि प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1982)।
1981-82	4.00	5.25 प्रतिशत	5 वर्षों में पुनर्भुगतान योग्य-मूलधन की पहली किश्त उस पर ब्याज सहित 18 दिसम्बर 1982 को देय है।	धातु बिनों के निर्माण के लिए ऋण संस्वीकृत किया गया था।

7.8.7 **कार्यकारी परिणाम**––वर्ष 1981-82 तक के तीन वर्षों के दौरान कम्पनी की कार्य प्रक्रिया के परिणामस्वरूप क्रमश: 8.89 लाख रुपये, 12.73 लाख रुपए तथा 7.53 लाख रुपए का लाभ हुआ।

सार्वजनिक उपक्रम समिति ने अप्रैल 1981 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत अपने नवें प्रतिवेदन में सिफारिश की कि कम्पनी को समय-समय पर अपने द्वारा किये जा रहे कार्य-कलापों सम्बन्धी जांच हेतु लाभकारी जानकारी तैयार करनी चाहिये। उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में कम्पनी के लाभ की त्रैमाहिक समीक्षा 1981-82 से प्रबन्धकों द्वारा की जा रही है। इस प्रकार की समीक्षा के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया गया था कि निगम को वर्ष 1981-82 के अन्त तक 22.00 लाख रुपए का लाभ होगा। वर्ष के दौरान वास्तविक लाभ, यद्यपि केवल 7.53 लाख रुपए रहा।

प्रबन्धकों ने प्रत्याशित लाभ में न्यूनता को खाण्डसारी इकाई (12.43 लाख रुपए) द्वारा उठाई गई हानि से सम्बद्ध किया (अगस्त 1982)।

7.8.8 **व्यापारिक कार्यकलाप**

वर्ष 1981-82 तक के तीन वर्षों के लिए बिक्रियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

....की बिक्रियां	1979-80	1980-81	1981-82
	(लाख रुपयों में)		
लोह तथा इस्पात माल	1,62.21	2,25.20	1,68.69
पशु आहार, दाना तथा दवाइयां	66.71	1,19.83	1,10.26
अतिरिक्त पुर्जे, टायर तथा ट्यूबें, बैटरियां आदि	39.84	50.02	74.79
ट्रैक्टर	17.11	18.78	63.28
सीमेंट	64.75	33.60	37.48
उपकरण तथा इस्पात से निर्मित वस्तुयें	5.16	13.80	31.85
कृषि उपकरण	15.40	13.97	26.77
उर्वरक (1981-82 के दौरान लिये गये)	..	..	18.88
कृमिनाशक तथा कीट नाशक	4.06	0.08	1.75
अन्य (पुरानी बैट्रियां, अमल तथा विद्युतीय उपकरण)	1.90	3.57	12.11
जोड़	3,77.14	4,78.85	5,45.86

लौह और इस्पात सामग्री तथा पशु खाद्य की बिक्री में वर्ष 1981-82 के दौरान गिरावट को प्रबन्धकारिणी द्वारा उपभोक्ताओं की कम मांग से सम्बद्ध किया गया था (अगस्त 1982)।

7.8.8.1 संशोधन पूर्व दरों पर लौह एवं इस्पात सामग्री की बिक्री—भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी 1981 से संयुक्त क्रय समिति के लौह एवं इस्पात सामग्री के मूल्यों को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी/इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने भी उक्त तिथि से विक्रय दरों में वृद्धि कर दी थी। बदले में कम्पनी ने विद्यमान स्टाक की दरों को अपरिवर्तित रखते हुए 9 फरवरी 1981 को या इसके पश्चात प्राप्त प्रेषणों के सम्बन्ध में भी 9 फरवरी 1981 से दरों की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए (24 फरवरी 1981)। कम्पनी की विभिन्न इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (मई-जूलाई 1982) यह ध्यान में आया कि 9 फरवरी 1981 से 24 मार्च 1981 के दौरान कम्पनी की छः इकाईयों में 150,317 टन लौह एवं इस्पात सामग्री पुरानी दरों पर बेची गई थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को 1.65 लाख रुपए तक की सीमा के अति रिक्त राजस्व से वंचित रहना पड़ा था। प्रबन्धकारिणी ने बताया (नवम्बर 1982)

कि विद्यमान स्टाक के सम्बन्ध में दरों को संशोधित नहीं किया गया था क्योंकि पुरानी दरों में पहले से ही 10 से 12 प्रतिशत तक की गुंजाइश थी। तथापि टायरों एवं ट्यूबों की बिक्री (अनुच्छेद 7.8.8.2) के इसी तरह के मामले में यह पाया गया कि प्रबन्ध-कारणी ने विद्यमान स्टाक की दरें भी संशोधित कर ली थी। इस मामले में वही पद्धति न अपनाने के कारण एक ही वस्तु की एक ही समय में दो दरें प्रचलित रहीं।

7.8.8.2 पुरानी दरों पर टायरों एवं ट्यूबों की बिक्री—तीन उत्पादक प्रतिष्ठानों के प्राधिकृत व्यापारी के रूप में निगम टायरों एवं ट्यूबों की बिक्री करता है। उत्पादकों द्वारा समय-समय पर उत्पादों की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में समय पर सूचना प्राप्त करने तथा इसे शीघ्राति-शीघ्र सम्बद्ध इकाइयों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह पाया गया कि दरों में संशोधन के सबन्ध में उत्पादकों से सूचना प्राप्त करनें में 4 से 51 दिन तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को सूचित करने में 3 से 49 दिन तक की विलम्ब हो जाती थी।

संशोधित दरों के सूचित किए जाने में विलम्ब के कारण 1981-82 के दौरान निगम की सात इकाइयों द्वारा टायर एवं ट्यूब पुरानी दरों पर बेचे गए थे और इससे 0.46 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।

7.8.8.3 बांस के डन्डों (लट्ठों) का क्रय—जिला उद्यान अधिकारी, लाहौल तथा स्पिति कैलोंग ने अप्रैल 1981 में 8000 बांस के लट्ठों (ऊंचाई 20′ तथा गौलाई 9″–12″) की आपूर्ति हेतु कम्पनी के भंगरोटू (जिला मण्डी) मण्डलीय कार्यालय को मांग-पत्र पेश किया तथा मण्डलीय प्रबन्धक को 1.50 लाख रुपए का अग्रिमप्रदान किया (अप्रैल 1981)। इसके बदले में मण्डलीय प्रबन्धक ने 10 रुपए प्रति बांस (ऊंचाई 18′ तथा गोलाई 3″–4″) की दर से 3000 ऐसे लट्ठों की आपूर्ति हेतु अम्बाला की एक फर्म को आदेश (स्थान पर जाकर ही दिया (मई 1981) जो वांछित स्तर या विशिष्टता के नहीं थे। आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार फर्म मई तथा सितम्बर 1981 के मध्य अम्बाला में 2796 लट्ठे सौंप दिए। इन्हें कम्पनी के खर्चे पर ही भंगरोटू पहुंचाया गया (मई-सितम्बर 1981)। इसके प्रति विभाग द्वारा 1250 लट्ठे उठा लिए गए थे (सितम्बर 1981) तथा कम्पनी द्वारा इसकी लागत (0.25 लाख रुपए) को 1.50 लाख रुपए के अग्रिम के प्रति समायोजित किया गया था। 60 लट्ठे स्थानीय उपभोक्ताओं को बेचे गए थे तथा 7 लट्ठे सितम्बर तथा अक्तूबर 1981 के दौरान कम्पनी के अपने ही कार्यों पर प्रयुक्त किए गए थे। यद्यपि जिला उद्यान अधिकारी को शेष सामग्री (1479 लट्ठे) को उठाने के लिए कहा गया था (फरवरी 1982) फिर भी उसने सूचित किया (फरवरी 1982) कि आपूर्ति किए गए लट्ठे उचित स्तर के नहीं थे तथा इस प्रकार शेष सामग्री उठाई नहीं गई और अप्रयुक्त पड़ी थी (नवम्बर 1982) अग्रिम राशि का शेष अर्थात 1.25 लाख रु. वापिस नहीं किए गए थे।

7.8.9 ट्रैक्टरों की कस्टम हायरिंग—कम्पनी द्वारा स्थापित (31 मार्च 1982 को पांच) कृषि सेवा तथा कस्टम हायरिंग केन्द्र किसानों को ट्रैक्टर सहित इससे मिलते जुलते औज़ार जैसे हल, पाटा, फावड़ा तथा गेहूं की मंडाई करने वाले यन्त्र आदि किराए पर देते हैं। आर्थिक दरों की गणना किए बिना ही समय-समय पर तदर्थ आधार पर भाड़ा प्रभार निर्धारित किए गए थे। लेखा-परीक्षा में यह ध्यान में आया (अगस्त 1982) कि ट्रैक्टरों की वास्तविक प्रयुक्ति वर्ष 1979-80

से 1981-82 के दौरान (विभिन्न वर्षों के दौरान किराए पर लिए गए 3/7 ट्रैक्टर) उपलब्ध घण्टों के 34 तथा 43 **प्रतिशत** के मध्य थी। परिणामतः केन्द्र ऐसी सेवाओं को उपलब्ध करने की लागत को वसूल करने की स्थिति में नहीं थे तथा वर्षानुवर्ष नुकसान उठा रहे थे। 31 मार्च 1982 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान पांच केन्द्रों (नालागढ़, पांवटा, कुनिहार, जाछ तथा अम्ब) के सम्बन्ध में ऐसी हानियां कुल 0.71 लाख रुपए की थीं।

7.8.10 कार्यशाला सुविधाएं——कम्पनी के प्रत्येक कृषि सेवा केन्द्र के पास एक-एक सेवा कार्यशाला है जिन में कम्पनी के अपने मरम्मत वाले कार्यों के अतिरिक्त बाहर से भी मरम्मत हेतु आए कार्य को किया जाता है। मार्च 1982 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान पांच में से चार केन्द्रों में आय पर व्यय का आधिक्य 3.35 लाख रुपए था। प्रबन्धकारिणी ने इन हानियों को कार्य की मात्रा के अभाव से सम्बद्ध किया।

7.8.11 कृषि सम्बन्धी उपकरणों का निर्माण

7.8.11.1 कृषि कार्यशाला भंगरोटू——राज्य सरकार के निर्णय (जुलाई 1977) के पालन में कम्पनी ने कृषि विभाग से सुधरे औजारों तथा वाहनों की मरम्मतों वाली दो अलग अलग इकाइयों सहित भंगरोटू की कृषि कार्यशाला को अपने प्रबन्ध (जनवरी 1978) में ले लिया। कम्पनी ने हस्तान्तरित परिसम्पतियों के मूल्य को 1.72 लाख रुपए निर्धारित (मार्च 1978) किया। इकाइयों के हस्तान्तरण की शर्तों के अनुसार परिसम्पभियों एवं दायित्वों के अन्तिम मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति का गठन ही नहीं किया गया है (नवम्बर 1982)।

7.8.11.2 कार्यकारी परिणाम

कृषि कार्यशाला ने वर्ष 1979-80 तथा 1981-82 के दौरान 0.71 लाख रुपए तथा 0.58 लाख रुपए का नुकसान उठाया तथा वर्ष 1980-81 के दौरान 0.12 लाख रुपए का लाभ कमाया। प्रबन्धकारिणी ने 1979-80 तथा 1981-82 में हुई हानियों को (जून, 1982) राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित पुरानी एवं अस्वचालित मशीनों के कारण उच्च श्रम लागत तथा कृषि औज़ारों की स्थानीय उत्पादकों से तीव्र स्पर्धा से सम्बद्ध किया था।

7.8.11.3 सूची

(क) **परिकृत वस्तुएं**——31 मार्च 1982 को (मूल्य : 3.35 लाख रुपए) कार्यशाला की सूचि में कृषि विभाग द्वारा हस्तान्तरित 0.73 लाख रुपए के औज़ार, मशीनरी, उपकरण तथा हिस्से पुर्जे शामिल थे तथा आकृतियों में परिवर्तन के कारण जनवरी 1978 से बिना बिक्री के पड़े थे। निपटान हेतु अभी तक (अगस्त 1982) कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ख) **आंतरक्ष एवं अप्रचालित भंडार एवं हिस्से पुर्जे**——31 मार्च 1982 को कार्यशाला की सूचि में 0.69 लाख रुपए के मूल्य की अतिरिक्त/अप्रचालित भंडार मदें, जैसे विभिन्न प्रकार के वाहनों के हिस्से पुर्जे, भी शामिल थे।

इसके अतिरिक्त सूचि में कृषि विभाग द्वारा जर्मन लोक-तांत्रिक गणतंत्र सरकार से उपहार स्वरूप प्राप्त तथा जुलाई 1978 में निगम द्वारा ग्रहण किए गए 30,000 मदों वाले हिस्से पुर्जे (मूल्य : ज्ञात नहीं) भी शामिल थे। इनके निपटान हेतु अभी तक (जून 1982) कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

8.11.4 आटो (स्वचालित) कार्यशालाएं

जनवरी 1978 में ग्रहण की गई आटो-कार्यशालाएं वाहनों (कम्पनी तथा किसानों की मरम्मत करती हैं।

वर्ष 1981-82 के अन्त तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिये स्वचालित-कर्मशाला के परिकलापों के परिणामस्वरूप 7.64 लाख रुपए की हानि हुई जैसा कि नीचे इंगित किया गया है :—

वर्ष	हाथ में लिये गये कार्यों की संख्या	आय	व्यय	हानि
		(लाख रुपयों में)		
1979-80	210	0.49	2.40	1.91
1980-81	47	0.36	2.76	2.40
1981-82	9	0.16	3.49	3.33
		जोड़		7.64

प्रबन्धकों द्वारा (जून 1982) हानियां स्टाफ को अधिक वेतन, इंडो-जर्मन कृषि परियोजना, मण्डी द्वारा सामानान्तर कर्मशाला (फरवरी 1982 में स्थापित) का चलाया जाना तथा कर्मशाला के कृषि विभाग से कम्पनी को अन्तरण के समय फालतू स्टाफ को पर्याप्त कार्य के बिना रखने से सम्बद्ध किया गया।

8.12 गाय तथा कुक्कुट आहार संयंत्र, परवाणू तथा जाछ

8.12.1 उत्पादन निष्पादन

वर्ष 1981-82 तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान गाय तथा कुक्कुट आहार निर्माण हेतु संयंत्रों के निष्पादन नीचे सारणीबद्ध हैं :—

वर्ष	प्रतिष्ठापित क्षमता		उत्पादन	
	जाछ	परवाणू	जाछ	परवाणू
	(क्विंटल)			
1979-80	30,000	32,000	17,897	31,897
1980-81	30,000	59,000	27,515	49,963
1981-82	30,000	59,000	27,615	39,131

वर्ष 1981-82 के दौरान परवाणू की इकाई में उत्पादन में कमी (जून 1982) मांग की कमी के कारण हुई बताई गई।

7.8.12.2. निम्न तालिका 1981-82 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में परवाणु तथा जाछ उपकेन्द्रों पर विधायित कच्चे माल की मात्रा, उत्पादित आहार की मात्रा, आहार के प्रति सौ

किलोग्राम के लिये औसत खर्चे को इंगित करती है :—

	1979-80		1980-81		1981-82	
	परवाणु	जाछ	परवाणु	जाछ	परवाणु	जाछ
(1) मुख्य कार्यालय के ऊपरी खर्चे को छोड़ कर संचालन व्यय (लाख रुपयों में)	6.19	3.18	9.25	5.88	9.14	6.60
(2) उत्पादित आहार की मात्रा (क्विंटलों में)	31,897	17,897	49,963	27,515	39,131	27,165
(3) प्रति क्विंटल आहार का औसत ऊपरी खर्च (रुपये)	19.41	17.77	18.51	21.37	23.36	24.30

उत्पाद आहार के औसतन ऊपरी खर्च 23.36 रुपए तथा 24.30 रुपए प्रति क्विंटल (1981-82) के प्रति, कम्पनी द्वारा (मार्च 1978) परवाणु केन्द्र में उत्पादित आहार के लिये ऊपरी खर्च 14.00 रुपये निर्धारित किया गया था। दोनों केन्द्रों के लिये ऊपरी खर्च की दरें परिशोधित कर के (अप्रैल 1979) तदर्थ आधार पर 20.00 रुपए कर दी गईं। अप्रैल 1979 के बाद दरों को परिशोधित नहीं किया गया था। वर्ष 1981-82 के दौरान बिक्रियों (66,491.19 क्विंटल) से सम्बन्धित ऊपरी खर्च की न्यून वसूली 2.49 लाख रुपए बनती थी।

7.8.12.3. मार्च 1978 में कम्पनी ने आहार के उत्पादन में दो प्रतिशत की दर से प्रक्रिया हानि का सिद्धान्त निर्धारित किया। यह देखनें में आया कि परवाणु केन्द्र में प्रक्रिया में वास्तविक हानि सिद्धान्त से अत्यधिक पाई गई तथा ऐसी हानि 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान क्रमशः 3.4, 3.3, 3.1 तथा 2.7 प्रतिशत थी। प्रक्रिया में हानि 2 प्रतिशत के सिद्धान्त से 1.67 लाख रुपये (1978-79 में 0.32 लाख रु., 1979-80 में 0.40 लाख रुपये, 1980-81 में 0.63 लाख रु. तथा 1981-82 में 0.32 लाख रुपये) अधिक बनी।

प्रबन्धकों ने अधिक हानियों के कारण सूचित नहीं किये हैं (अगस्त 1982)।

7.8.13 खाण्डसारी कारखाना, पांवटा (ज़िला सिरमौर)

7.8.13.1 राज्य सरकार ने निर्णय लिया (अप्रैल 1981) कि कम्पनी को गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य देकर गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पांवटा में प्रतिदिन 100 टन गन्ना पीड़ने की क्षमता वाला एक खाण्डसारी संयंत्र स्थापित करना चाहिये परन्तु साथ ही इस बात की समझ रखनी चाहिये कि कारखाने की प्रक्रिया के पहले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा उठाई गई हानियों को पूरा करने हेतु सरकार उपदान देगी। कम्पनी ने 0.05 लाख रुपये के शुल्क पर हिमाचल सलाहकर संगठन सीमित (हिमकोन) शिमला (एक सलाहकर संगठन) को सम्भाव्य प्रतिवेदन तैयार करने, मशीनरी/स्थान की चयन करने तथा भवन अनुमानों को तैयार करने का कार्य सौंपा (जून 1981)। सलाहकारों ने सितम्बर 1981 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत

उसी समय मशीनरी की आपूर्ति के लिये सलाहकारों द्वारा सिफारिश की गई फर्मों से क्षमता को इंगित किये बिना सीमित निविदायें आमन्त्रित की गईं (जुलाई 1981)। इन ारा दी गई दरें (आबकारी शुल्क तथा बिक्री कर के अतिरिक्त) नीचे सारणीबद्ध हैं—

या	फर्म का नाम	प्रतिदिन गन्ना पीड़ने की निर्दिष्टत क्षमता	कोटेशन की तिथि	दर्शाई गई राशि
		(टन)		(लाख रुपयों में)
	क	200	5 जुलाई, 1981	16.90
	ख	150	17 जून, 1981	12.04
	ग	100	3 अगस्त, 1981	11.75 (1.80 लाख रु० मूल्य के सहायक यंत्रों सहित)

फर्म "ग" को छोड़कर, जिसके कारण अभिलेख में नहीं थे, फर्म "क" तथा (ख) के धिओं को 3 अगस्त 1981 को ब्यौरेवार बातचीत के लिये बुलाया गया था। जैसा कि 7 1981 को हिमकोन के साथ बातचीत करके निर्णय लिया गया, आपूर्ति कार्य, 100 टनों ता वाले संयंत्र को प्रतिष्ठापित करने तथा चालू करने का कार्य फर्म "क" को इस आधार ा गया कि फर्म सारी ऋतु (नवम्बर से मई) के दौरान कारखाने को सफलतापूर्वक चलाने अपने ऊपर पूर्ण जिम्मेदारी लेगी। प्रबन्धकों के अनुसार (नवम्बर 1982) फर्म "ख" न्ध में इस लिये विचार नहीं किया गया क्योंकि यह "टर्न की" के आधार पर उपकरण ष्ठापित करने तथा चालू करने को राजी नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप फर्म "ख" के की तुलना में 1.46 लाख रुपये (आबकारी तथा बिक्री कर के अतिरिक्त) का अतिरिक्त ा। 14.50 लाख रुपये (जमा आबकारी तथा बिक्री कर) मूल्य पर एक दिन में 150 गन्ना पीड़ने की क्षमता वाले संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करने का एक अनुबन्ध " के साथ किया गया था (अगस्त 1981)।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता को अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के समय 1.00 ये, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर की तिथि से 10 दिन के अन्दर 1.70 लाख रुपये, मशीनरी ल पर उनके मूल्य का 60 प्रतिशत, कम्पनी की सन्तुष्टि के लिये सफलता पूर्वक अभ्यास चालन त् 1.45 लाख रुपये तथा शेष अनुबन्धित मूल्य संयंत्र के कम्पनी को सौंपा जाने के पश्चात् किया जाना था। 14.50 लाख रुपये के अनुबन्धित मूल्य के प्रति आपूर्तिकर्त्ता को अभी .10 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था (अगस्त 1982)।

मशीनरी सितम्बर तथा अक्तूबर 1981 के दौरान आपूर्ति की गई थी और नवम्बर में स्थापित की गई थी। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्त्ता द्वारा कोई अभ्यास था वाणिज्यिक प्रयोग नहीं किये गये थे। जनवरी 1982 में मण्डलीय प्रबन्धक, पांवटा

ने आपूर्तिकर्ता को शिकायत की कि कारखाने में स्थापित की गई मशीनरी ठीक ढंग से कार्य कर रही थी विशेष कर गन्ना पीड़ने का यन्त्र फिल्टर प्रैस, दाना बनाने का यन्त्र, केन्द्रापसारी शोषक तथा प्लेटफर्म तराजू मशीन के हिस्सों के निम्न स्तर के होने के कारण कार्य नहीं कर थे। यद्यपि आपूर्तिकर्ता द्वारा दोषपूर्ण हिस्सों को संयंत्र के सौंपने की तिथि से 12 मशीनों अन्दर बदलना था, उन्हें अभी तक नहीं बदला गया था (नवम्बर 1982)।

आपूर्तिकर्ता ने 6.06 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान न करने के लिये के विरुद्ध मामला दर्ज किया (जून 1982)। कम्पनी ने 5.05 लाख रुपये राशि की कुल क्षति दावों के लिये प्रतिदावा दायर किया (अगस्त 1982)।

7.8.13.2 कार्यकारी परिणाम

31 मार्च 1982 को कारखाने के काम करने के चार महीनों में 12.43 लाख की हानि हुई थी। प्रबन्धकों ने हानि को निम्नलिखित कारणों से सम्बद्ध किया (अप्रैल 1982)

(क) उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के साथ के क्षेत्रों में 12.00 रु० से 16 प्रति क्विंटल के प्रति राज्य में सरकार द्वारा निर्धारित 21.50 प्रति क्विंटल की दर से की गई;

(ख) घटिया किस्म के गन्ने की खरीद की गई जिस के परिणाम स्वरूप जूस कम उत्पादन हुआ;

(ग) उत्पादकों द्वारा तथा कारखाने में भी गन्ने के भण्डार को एक लम्बी अवधि तक स्टाक करने के परिणामस्वरूप चीनी की कम वसूली हुई;

(घ) कुल 3,820 कार्य घण्टों में से खराब मौसम (1,372 घण्टे), मशीन की रुकावट (531 घण्टे), विद्युत अभाव (99 घण्टे) तथा मजदूरों अनुपलब्धता (99 घण्टे) और मशीनों की सामान्य सफाई (381 घण्टे में 2,482 घण्टे के लिये कारखाने को बन्द रहना पड़ा।

संयंत्र के डिजाइन के अनुसार, रस/जूस की निकासी पीड़े किये गये गन्ने के भार 70 प्रतिशत होनी चाहिये और चीनी सल्फर की वसूली निर्धारित प्रतिशतता (क–श्रेणी : 4 प्रतिशत, ख–श्रेणी : 2 प्रतिशत तथा ग–श्रेणी : 0.5 प्रतिशत) से कम नहीं होनी चाहिये। निम्न तालिका दिसम्बर 1981 से मई 1982 के दौरान पीड़े गये 57,363.93 क्विंटल गन्ने से रस तथा चीनी की निकासी में कमी को इंगित करती है :—

	मात्रा		पीड़े गये गन्ने से वास्तविक निकासी की प्रतिशतता	अपेक्षित प्रतिशतता
	अपेक्षित	वास्तविक		
	(क्विंटलों में)			
जूस	40,154.75	31,550.18	55	
चीनी (क श्रेणी)	2,294.56	1,302.70	2.27	
चीनी ("ख" श्रेणी)	1,147.27	162.36	0.28	
चीनी ("ग" श्रेणी)	286.82	अविधायित		

(अगस्त 1982)

दिसम्बर 1981 तथा मई 1982 के दौरान तैयार की गई 6.37 लाख रुपये मूल्य की चीनी (1465.06 क्विंटल) निपटान के अधीन थीं (अगस्त 1982)। प्रबन्धकों ने बताया (अगस्त 1982) कि चीनी को नहीं बेचा जा सका क्योंकि मशीनरी आपूर्तिकर्त्ता ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश (जिसे अगस्त 1982 में खाली करवा दिया गया था) ले लिया था (मई 1982)। उत्पाद में कमी को प्रबन्धकों द्वारा गन्ने की घटिया किस्म से सम्बद्ध किया गया। कम्पनी ने हानि की प्रतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार (अगस्त 1982) को निवेदन किया, परन्तु इस दावे को सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया (अगस्त 1982) कि कम्पनी द्वारा पूरे कार्यकलापों में कुल मिलाकर लाभ अर्जित किया था।

7.8.14. परवाणु में भाण्डागारों के किराये की कम वसूली

कम्पनी ने आवश्यक अनुबन्ध किये बिना भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई;) को प्रतिमाह 50 पैसे व प्रति वर्ग फुट की दर से परवाणु में इसके भाण्डागारों के 5 ढांचे किराये पर दिये (मई 1976)। गलत पैमाइश के कारण आवृत्त क्षेत्र 692.40 वर्गफुट कम निर्धारित किया गया था तथा 3716 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले बरामदे को भी लेखे में नहीं लिया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने 1 मई 1976 से 30 जून 1978 तक 3716 वर्ग फुट बरामदे सहित 35,219.15 वर्गफुट तथा 37,354.15 वर्ग फुट क्षेत्र (1 जुलाई 1978 से 30 जून 1982) रखा हुआ था। कम्पनी ने उपरोक्त रखे गये क्षेत्र के प्रति 1 मई 1976 से 30 जून, 1978 तक 30,810.75 वर्ग फुट और 1 जुलाई 1978 से 30 जून 1982 तक 32,945.75 वर्गफुट के लिये भारतीय खाद्य निगम को बिल दिया। क्षेत्र पर अधो-बिल की राशि जो लेखे में नहीं ली गई को 1 मई 1976 से 30 जून 1982 की अवधि के लिये (346.20 रुपये प्रति महीने की दर से 74 महीनों) के लिये 0.26 लाख रुपये निकाली गई। बरामदे पर किराये की कम उगाही, को किराये के उद्देश्य से विचाराधीन नहीं रखा गया था। 1 मई, 1976 से 30 जून 1982 तक की अवधि के लिये 50 पैसे प्रति वर्गफुट के हिसाब से 1.37 लाख रुपये बनती थी। भारतीय खाद्य निगम को यह मामला दिसम्बर 1979 तथा मार्च 1980 में सन्दर्भित किया गया था परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसे अधिकार में लेने के समय बरामदे को किराये के उद्देश्य से शामिल नहीं किया गया था। प्रबन्धकों ने बताया (जून 1982) कि भारतीय खाद्य निगम से गोदाम खाली करवाने के लिये कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जा रही थी।

7.8.15. तारमेखे/तार खेंचने की इकाई नालागढ़

(i) कम्पनी ने सेब की पैकिंग पेटियों में प्रयुक्त होने वाली मेखों के निर्माण की एक इकाई को नालागढ़ में स्थापित किया (अक्तूबर 1976)। मई-अक्तूबर 1977 में दो पिन बनाने वाली मशीनों (मशीन की लागत : 0.11 लाख रु० तथा उपवस्तुयें : 0.10 लाख रु०) को मेखों के निर्माण के लिये स्थापित किया। नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान संयंत्र की स्थापित क्षमता, मेखों की निर्मित मात्रा तथा स्थापित क्षमता के

उपयोगीकरण की प्रतिशतता को दर्शाती है:—

वर्ष	स्थापित क्षमता	निर्मित मेखें	स्थापित क्षमता पर निर्मित मेखों की प्रतिशतता
	(क्विंटलों में)		
1977–78	108	12.55	11.62
1978–79	108	5.95	5.50
1979–80	108	शून्य	शून्य
1980–81	108	शून्य	शून्य
1981–82	108	2.30	2.12

प्रबन्धकों द्वारा क्षमता की अधोप्रयुक्तता (अगस्त 1982) संयंत्र को जलाने के लिये उचित तकनीकी व्यक्ति की अनुपलब्धता तथा उत्पाद की बिक्री करने के प्रबन्ध की कमी के कारण हुई बताई गई। एक चालक को अगस्त, 1982 में भर्ती किया गया था।

(ii) 2" से 6" की लम्बाई की मेखों को निर्मित करने तथा 8 से 17 गेज तार खेंचने हेतु क्रमशः मेखें बनाने वाली मशीन (वार्षिक क्षमता 13.50 टन) तथा तार खेंचने की मशीन (वार्षिक क्षमता : 2.70 टन) कम्पनी द्वारा मार्च 1978 तथा अक्तूबर 1978 में 0.26 लाख रुपये तथा 0.18 लाख रुपये की लागत से खरीदी गई। मेखें बनाने वाली मशीन अभी तक प्रतिष्ठापित नहीं की गई थी (जुलाई, 1982)। तार खेंचने वाली मशीन को चलाने के लिये अपेक्षित बिजली की मोटर (20 एच०पी०) को फरवरी 1982 में खरीदा गया (लागत 0.11 लाख रु०)। तार खेंचने वाली मशीन को फरवरी 1982 में स्थापित किया गया जबकि बिजली की मोटर को अगस्त 1982 में स्थापित किया गया परन्तु तार खेंचने वाली मशीन का प्रयोग नोकदार बनाने वाली मशीन के अभाव में, जिसे अगस्त 1982 में 0.09 लाख रुपये की लागत से खरीदा गया था, नहीं किया जा सका। वर्ष 1978 में खरीदी गई मशीनें अभी तक बेकार नहीं पड़ी थीं।

7.8.16. सूची नियन्त्रण

कम्पनी ने फालतू पुर्जों तथा भंडारों के किसी मद के लिये अधिकतम, न्यूनतम तथा पुनः आदेश देने के लिए स्तर निश्चित नहीं किये थे। भंडारों की सामग्री की आवश्यकताओं को जांचने, फालतू भंडार की शिनाखत करने और उसे निपटाने तथा कम प्रयुक्त होने वाली एवं न प्रयुक्त होने वाली मदों को ढूंढने के लिये कोई पद्धति निर्धारित नहीं की थी (अगस्त 1982)।

7.8.17. **निर्माणाधीन परियोजनायें**

कम्पनी ने 2,96.14 लाख रुपये की सकल लागत की छः परियोजनायें हाथ में लीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	उपकरण फैक्टरी जाछ	27.00
2.	शीत भंडारण मद्रास	85.64
3.	शीत भंडारण कलकत्ता	92.00
4.	तार खेंचने की इकाई कन्दरोड़ी	49.00
5.	सेब के लिये पैकिंग विकल्प	12.50
6.	भांडागारों का निर्माण	30.00

क्रम संख्या 1, 2 तथा 4 पर परियोजनायें निष्पादनाधीन थीं (दिसम्बर 1982)। इन 3 परियोजनाओं पर मार्च 1982 तक 90.47 लाख रुपये का सकल व्यय किया जा चुका था। अन्य तीन परियोजनायें निष्पादन के प्रारम्भिक चरणों में थी। तीन परियोजनाओं (क्रम संख्या 1, 2 तथा 4) के सम्बन्ध में ध्यान में आई कुछ बातें नीचे उल्लिखित की गई हैं।

(i) **उपकरण फैक्ट्री जाछ**—किसानों को बेचने के लिये सस्ते उपकरण तथा औज़ार निर्माण करने के लिये जाछ में उपकरण फैक्ट्री स्थापित करने की योजना थी। 27 लाख रुपये की अनुमानित लागत की फैक्ट्री सितम्बर 1980 में पूर्ण होनी अनुसूचित थी (फरवरी 1980)। फैक्ट्री में वास्तव में कार्य अप्रैल 1981 में आरम्भ हुआ और कार्य अक्तूबर, 1982 में पूर्ण हुआ। मार्च 1982 तक 34.83 लाख रुपये की राशि का व्यय हो चुका था। मार्च-अप्रैल 1982 में फैक्ट्री का परीक्षण प्रचालन किया गया (निर्मित 100 फावड़े) उसके बाद कोई उत्पादन नहीं किया गया, क्योंकि बिजली की तार अन्दर लगाने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था (अगस्त 1982)। परियोजना लागत पर वृद्धि अनुमानित लागात से 7.83 लाख रुपये मुख्यतः निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण हुई जिसे कृषि विभाग से दिसम्बर 1980 में देरी से ज़मीन का कब्ज़ा लेने से सम्बद्ध किया गया।

(ii) **शीत भंडारण मद्रास**.—दक्षिणी क्षेत्र के बाज़ारों में बिक्री से पूर्व मद्रास में सेब के भंडारण के लिये कम्पनी ने शीत भंडार (2,000 टन क्षमता) के निर्माण का निर्णय लिया (जनवरी 1974) जिसके लिये 3.63 लाख रुपये की लागत की 3.31 एकड़ भूमि जनवरी 1974 में खरीदी गई। जनवरी 1975 में तैयार किये गये अनुमान के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 27.50 लाख रुपये आंकी गई परन्तु इसके पूर्ण होने की तिथि निश्चित नहीं की गई। सिविल निर्माण कार्य केवल फरवरी 1982 में एक ठेकेदार को दिये गये जिसमें फरवरी 1983 में कार्य को पूर्ण करना निर्दिष्ट था। इसी समय अनुमान को फरवरी 1981 में 37.70 लाख रुपये तथा आगे जनवरी तथा

अगस्त 1982 के मध्य जारी किये गये कार्य के अनुसार 85.64 लाख रुपये के लिये परिशोधित किया गया ।

निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि कार्य को देरी से हाथ में लेने के कारण हुई क्योंकि स्कीम को एक सहायक कम्पनी (हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम) को अन्तरित करने के प्रस्ताव को अन्तिम नहीं किया गया था, जिसका अन्तिम निर्णय केवल मार्च 1980 में हुआ और डिज़ाइन को अन्तिम करने एवं सिविल कार्यों को प्रदान करने (जिन्हें फरवरी 1982 में अन्तिम किया गया) में हुई देरी के कारण हुई। परियोजना पर (मार्च 1982) 7 लाख रुपये का व्यय किया गया था ।

शीत भंडारण के सिविल-निर्माण कार्यों की निविदायें 25 दिसम्बर 1981 को खोली गई। शिमला फर्मद्वारा बाह्य सेवाओं की लागत को छोड़कर 48.41 लाख रुपए की निविदाकृत राशि के प्रति मद्रास की फर्म ने कार्य को पूर्ण करने के लिये 56.24 लाख रुपये निविदाकृत किये। 25 दिसम्बर, 1981 को निविदायें खोलने के पश्चात शिमला फर्म को बाह्य सेवाओं के लिये दरें निविदाकृत करने को कहा गया (30 दिसम्बर 1981)। मद्रास फर्म द्वारा प्रस्तावित 56.24 लाख लाख रुपये के प्रति शिमला फर्म ने बाह्य सेवाओं आदि को सम्मिलित करके 56.47लाख रुपये निविदाकृत किये । बातचीत के पश्चात (केवल शिमला फर्म के साथ) 55.90लाख रुपये की लागत से कार्य इसी को सौंपा गया (जनवरी 1982)। अन्तिम बातचीत के लिये अपूर्ण निविदा तथा न्यून राशि के निविदा की अनदेखी के कारण अभिलिखित नहीं थे ।

तमिलनाडू की नागरिक भूमि पर अधिनियम के अन्तर्गत खाली भूमि पर सरकार के सभी उपक्रमों को भूमि कर के भुगतान से छूट थी। वर्ष 1974 से 1979 की अवधि के लिये भूमि कर के रूप में 0.18 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इस राशि को लौटाये जाने के सम्बन्ध में यह मामला तमिलनाडू सरकार को नवम्बर, 1980 में सन्दर्भित किया गया। किन्तु अभी तक कोई राशि नहीं लौटाई गई है और मामला पत्राचाराधीन है (नवम्बर 1982)।

(iii) **तार खेंचने की इकाई कन्दरोड़ी** ——कम्पनी ने किसानों के लिये अपेक्षित गेल्वेनाइजड लोहे की तार के निर्माण के उद्देश्य से कन्दरोड़ी में तार खेंचने के संयंत्र को स्थापित करने की योजना (फरवरी 1974)' तैयार की। परियोजना प्रचालन अनुसूची के अनुसार (सितम्बर 1979) संयंत्र 49 लाख रुपये की लागत से निर्मित किया जाना था और वाणिज्यिक उत्पादन मार्च 1981 से आरम्भ हो जाना था। निर्माण कार्य केवल जून 1981 में हाथ में लिया गया और परियोजना पर मार्च 1982 तक 48.64 लाख रुपये किये जा चुके थे। निर्माण कार्य अभी भी प्रगति में हैं (नवम्बर 1982)। निर्माण कार्य को हाथ में लेने में विलम्ब मुख्यतः भूमि को कब्जे में लेने में विलम्ब के कारण (मार्च 1981) तथा सलाहकारों को कार्य देरी से सौंपने के कारण हुआ ।

7.8.18 आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा लागतन पद्धति

(क) चार्टर्ड लेखाकारों की एक फर्म को वार्षिक ठेका आधार पर आन्तरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया (1976–77) । कम्पनी ने फर्म को शुल्क का 0.26 लाख रुपये

(1979–80), 0.31 लाख रुपये (1980–81) तथा 0.46 लाख रुपये (1981–82) का भुगतान किया। मद्रास इकाई तथा तार खैंचने की इकाई कन्दरौड़ी की आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिये 0.46 लाख रुपये के शुल्क में 0.10 लाख रुपये सम्मिलित थे जिस पर कार्य अभी प्रगति में है। (अगस्त 1982)। खांडसारी इकाई पांवटा में 0.05 लाख रुपये के शुल्क से एक अन्य चार्टर्ड फर्म की नियुक्ति की गई (नवम्बर 1981)।

बोर्ड के निदेशकों को आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों के आवधिक प्रस्तुतीकरण के लिये कोई पद्धति नहीं थी ।

(ख) यद्यपि कम्पनी ने निर्माण प्रक्रिया, कार्य निष्पादन, मशीन को किराये पर लेने आदि अपनी विभिन्न इकाइयों में लागतन पद्धति लागू की हुई थी ; फिर भी वर्तमान पद्धति में निम्नलिखित कमियां थीं :—

(i) विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं के लिये अपेक्षित घाटों को नहीं आंका गया था। वास्तविक लागत को ध्यान में रखते हुए मानक लागत अनुमानों की न तो आवधिक समीक्षा की जाती है न उनका परिशोधन किया जाता है क्योंकि बहुत से मामलों में प्रत्यक्ष मजदूरी पर व्यय तथा ऊपरी व्यय में लागत असम्मिलित रही ।

(ii) कम्पनी आरम्भ होने से लेकर मशीनरी की लॉग पुस्तकें तैयार नहीं की गई थीं।

(iii) कृषि उपकरण कर्मशाला भंगरोटू में 1980-81 तक कार्य लागतन नहीं की गई थी ।

उपरोक्त मदें सरकार को सितम्बर 1982 में सन्दर्भित की गई थीं, उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983) ।

7.8.19. **उप-संहार**

कम्पनी की स्थापना कृषि उद्योगों को, कृषि उत्पाद में तीव्रता लाने हेतु ऐसी गतिविधियों की स्थापना, विकास एवं क्रियाकलापों को चलाना जो राज्य में कृषि उत्पाद को बढ़ाने में सहायक हो, विकसित करने के लिये की गई कम्पनी ने अभी तक भिन्न भिन्न गतिविधियों को अपनाया है जैसा कि किसानों को ट्रैक्टरों के उपकरणों एवं हिस्से पुर्जों तथा डीज़ल पम्प सैटों तथा थ्रेशरों की बिक्री करना तथा दुर्लभ पदार्थों जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि का उपलब्ध करना एवं उनकी परख करना, कृषि सेवा एवं कस्टम हायरिंग केन्द्रों को चलाना तथा कृषि कर्मशाला और खांडसारी फैक्ट्री को स्थापित करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों के निष्पादन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में आईं :—

(i) राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में (जुलाई 1977) कम्पनी ने कृषि विभाग से परिसम्मतियां, देयतायें, और स्टाफ कृषि वर्कशाप भंगरोटू से लेलिया।

अन्तरण की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार ने परिसम्पत्तियों के अन्तिम मूल्यांकन हेतु जिस समिति को स्थापित करना था, उसका अभी तक गठन नहीं किया गया था (नवम्बर 1982) ।

31 मार्च 1982 को आरम्भ होने वाले तीन वर्षों के दौरान, कृषिकार्यशाला तथा वाहक कार्यशाला को क्रमश : 1.17 लाख रुपये तथा 7.64 लाख रुपये की संचयी हानि हुई । कृषि सेवा केन्द्रों के साथ जोड़ी गई पांच कार्यशालाओं को भी 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान 3.35 लाख रुपये की कुल हानि हुई ।

(ii) वर्ष 1980–81 के दौरान 4,78.85 लाख रुपये के लोहा, इस्पात,सीमेंट आदि सामग्री के वितरण के प्रति 1981–82 में कुल वितरण5.45.86 लाख रुपये का हुआ ।

(iii) कम्पनी के पांच कृषि सेवा एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र कृषकों को यान्त्रिक उपकरण किराये पर देते थे, वर्ष 1981–82 तक तीन वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों का उपयोगीकरण उपलब्ध घंटों के 34 एवं 43 प्रतिशत के बीच रहा ।

(iv) 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के दौरान परवाणु केन्द्र में पशु कुक्कुट आहार बनाने की प्रक्रिया में 2 प्रतिशत के सिद्धांत से अधिक हानि 1.67 लाख रुपये की हुई ।

(v) कम्पनी ने अपने भांण्डागार के 5 कमरे भारतीय खाद्य निगम को परवाणु में (मई 1976) किराए पर दिये और आवृत्त क्षेत्र की गलत पैमाइश तथा बरामदें के क्षेत्र के असमावेश के कारण, यद्यपि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बरामदा गोदाम के रुप में प्रयोग किया जाता रहा, 1 मई 1976 से 30 जून 1982 तक के समय के लिये 1.37 लाख रुपये किराये की कम वसूली हुई ।

(vi) कम्पनी द्वारा नवम्बर 1982 में स्थापित की गई खांडसारी इकाई ने 31 मार्च 1982 को अपनी क्रियाप्रणाली के चार महीनों में (क) निम्नस्तर के गन्ने की खरीद के परिणामत: रस की कम प्राप्ति; (ख) उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा जैसे सीमावर्ती राज्यों में खांडसारी इकाइयों के लिए प्रचलित 12 रुपये से 16 रुपये प्रति क्विंटल के प्रति 21.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गन्ने के क्रय ; (ग) उत्पादकों द्वारा लम्बी अवधि के लिए गन्ने के भंडारण तथा (घ) फसल के मौसम के दौरान कार्य हेतु उपलब्ध 3,820 घण्टे में से 2,482 घण्टों के लिए फैक्टरी को बन्द किए जाने के कारण 12.43 लाख रुपये का नुकसान उठाया था । इसके अतिरिक्त अपने निम्नस्तर के कारण फैक्टरी में प्रतिष्ठापित मशीनरी (1.46 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर खरीदी गई) ठीक ढंग से कार्य नहीं कर

रही थी ।

(vii) कीलों के निर्माण हेतु मई-अक्तूबर 1977 में नालागढ़ में स्थापित तार की कीलों/तार खैंचने की इकाई की या तो कम प्रयुक्ति की गई थी (प्रयुक्ति की सीमा : 1977–78, 1978–79 तथा 1981–82 के दौरान क्षमता का 2 से 12 प्रतिशत) अथवा इसने कार्य ही नहीं किया था (1979–80 तथा 1980–81 के दौरान) ।

(viii) कृषि औजार फैक्टरी के लिए परियोजना प्रतिवेदन (फरवरी 1980) के अनुसार परियोजना को 27.00 लाख रुपये की लागत पर सितम्बर, 1980 तक पूर्ण किया जाना था । (i) स्थान के चयन (ii) सिविल तथा विद्युतीय कार्यों के पूर्ण करने तथा (iii) मशीनरी आदि के लिए आपूर्ति आदेश देने के कारण परियोजना की लागत 7.83 लाख रुपये हो गई ।

(ix) 27.50 लाख रुपये की लागत पर (जनवरी 1975) मद्रास में शीत भंडार निर्मित किया जाना था। इस कार्य को फरवरी 1982 में आरम्भ किया गया था तथा विलम्ब के कारण परियोजना की लागत बढ़कर 85.64 लाख रुपये हो गई थी ।

7.9 हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हाथकरघा निगम सीमित

7.9.1 नाहन में हिमाचल एम्पोरियम किराये पर लेना

नाहन में कम्पनी का व्यवसाय केन्द्र हिमाचल प्रदेश राज्य लघु औद्योगिक तथा निर्यात निगम सीमित के भवन में जुलाई 1978 से स्थित था। कम्पनी के प्रबन्धक-मंडल ने (नवम्बर, 1978) व्यवसाय केन्द्र को एक अच्छी जगह को बदलने का विचार किया ।

जुलाई 1980 में पार्टी "बी" से बातचीत करने के पश्चात एक भवन जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग फुट था, 1620 रुपये मासिक किराया तय कर के एक अनुबन्ध किया था। किराये की 0.58 लाख रुपये की अग्रिम राशि जिसका किराये में समायोजन होना था, जुलाई 1980 में 100 रुपये प्रतिमास किराये में न्यूनता को ध्यान में रख कर दी गई, जबकि बाद में पार्टी द्वारा जुलाई 1981 में 50 रुपये कर दी क्योंकि कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की धाराओं का उल्लघन करके भवन में आवर्धन/परिवर्तन किया ।

केवल (जनवरी 1981) में 1.30 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक एम्पोरियम के रूप में प्रयुक्त करने के लिए भवन की आन्तरिक सजावट का कार्य 40 दिनों में पूर्ण करने के लिए निर्दिष्टित एक फर्म को दिया गया था। कार्य वास्तव में अप्रैल 1982 में पूर्ण किया गया जब एम्पोरियम को नये परिसर को बदला गया था । उसी समय के दौरान फर्म (अक्तूबर 1981 तक) को उसके चालू बिलों के प्रति 0.93 लाख रुपये का भुगतान किया गया था । अनुबन्ध-पत्र के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य के पूर्ण करने के 40 दिनों

के बाद विलम्ब किये जाने पर प्रतिदिन 110 रुपये की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना था । विलम्ब में प्रबन्धक मण्डल ने बताया (सितम्बर 1982) कि दण्ड लगाने का मामला विचाराधीन था । किराये के रूप में जुलाई 1980 से मार्च 1982 तक का खर्चा (0.32 लाख रुपये) निरर्थक हुआ । सरकार ने बताया (अक्तूबर 1982) कि कम्पनी के निर्देशानुसार कुछ तबदीलियों तथा अतिरिक्त मद हाथ में लेने के कारण ठेकेदार द्वारा भीतरी भाग के अलंकरण का कार्य पूरा न हो सका तथा ठेकेदार द्वारा कार्य को देरी से समाप्त करने के लिये दायित्व का अध्ययन करने के बाद ही अन्तिम भुगतान निस्तारित किया जाएगा ।

7.10 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित

7.10.1 व्यर्थ व्यय

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने जनवरी 1978 में निर्णय लिया कि सचिव (पर्यटन) को सूचना केन्द्र खोलने की सम्भावना का पता लगाने के लिए बम्बई जाना चाहिए । बम्बई जाने के पश्चात सचिव (पर्यटन) ने फरवरी 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा एक सूचना केन्द्र को खोलने की सिफारिश की । तदनुसार वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बम्बई से अप्रैल 1978 में कम्पनी के नाम पर एक दुकान आंवटित कराई गई थी । अप्रैल 1978 से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान किराया (0.06 लाख रुपये) तथा वातानुकूलन एवं इसके परिचालन हेतु प्रभारों (0.52 लाख रुपये) पर 0.58 लाख रुपये व्यय किए गए थे । सूचना केन्द्र अभी तक खुला नहीं था और इस प्रकार किराया एवं प्रांसगिक प्रभारों पर व्यर्थ व्यय हुआ था ।

मामला अगस्त 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983) ।

7.10.2. निष्क्रिय ट्रेकिंग/कैम्पिंग उपकरण

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से कम्पनी ने 0.64 लाख रुपये के ट्रेकिंग तथा कैम्पिंग उपकरण खरीदे (अक्तूबर 1979) तथा उन्हें शिमला, मनाली और डलहौजी की इकाइयों में रखा । कम्पनी ने 1979, 1980 तथा 1981 के वर्षों के दौरान कोई भी ट्रेकिंग कार्यक्रम आयोजित नहीं किया । ट्रेकिंग कार्यक्रम भारत के युवा छात्रावास संघ द्वारा मई-जून 1981 में आयोजित किया गया था लेकिन उनके द्वारा भी उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि पार्टी अपने ही उपकरण साथ लाई थी । इस प्रकार 0.64 लाख रुपये के उपकरण उनके क्रय किए जाने की तिथि से ही बेकार पड़े थे ।

यह मामला जून 1982 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983) ।

7.11. प्रवर्ग घ–विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक एवं अर्ध वाणिज्यिक उपक्रम

31 मार्च 1982 को विभागीय रूप से प्रबन्धित 3 वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक

योजनाएं/उपक्रम थे जैसे कि नीचे विवरण दिया गया है :–

उर्वरक वितरण योजना,
बीज वितरण योजना,
खाद्यान्नों में सरकारी व्यापार,
आयुर्वैदिक फार्मेसी, माजरा तथा
आयुर्वैदिक फार्मेसी, जोगिन्द्रनगर ।

उर्वरक वितरण, बीज वितरण तथा खाद्यान्नों में सरकारी वयापार की योजनाएं व्यापारिक क्रियाकलापों से सम्बद्ध थीं ।

सभी विभागीय योजनाओं/उपक्रमों के निदर्श लेखे (विभागीय तौर पर गंदा विरोजा निकालने तथा लकड़ी का विभागीय निस्सारण सहित जो कि क्रमश : 1 अप्रैल, 1975, 8 जून 1978 तथा मार्च 1977 से विभागीय उपक्रम नहीं रह गए थे) बकायों में पड़े थे (अक्तूबर 1982) जैसा कि नीचे इंगित है :—

नाम	बकायों की सीमा
(i) गन्दे बिरोज़े की विभागीय निकासी*	1969–70 से 1974–75
(ii) इमारती लकड़ी का विभागीय निस्सारण	1969–70 से 1977–78
(iii) उर्वरक वितरण योजना**	1971–72 से 1975–76
(iv) बीज वितरण योजना**	1971–72 से 1975–76
(v) खाद्यान्नों में सरकारी व्यापार	1973–74 से 1981–82
(vi) आयुर्वैदिक औषध निर्माणशाला, माजरा	1976–77 से 1981–82
(vii) आयुर्वैदिक औषध निर्माणशाला जोगिन्द्रनगर	1977–78 से 1981–82

7.12 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

7.12.1 माल की कमियां

विभाग ने राजकीय मुद्रणालय, शिमला के प्रकाशन और लेखन सामग्री के स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया (जुलाई 1979, अप्रैल 1980 तथा मार्च 1981) और 0.41 लाख रुपये के माल की कमियां पाई गई । माल की कमी के कारणों की न तो छान-बीन ही की गई और न ही उसकी कीमत सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल की गई परन्तु माल की कमियों की मात्रा को स्टोर लेजर में

*गन्दे बिरोजे की निकासी तथा इमारती लकड़ी के निस्सारण के कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित को क्रमश: मई, 1975 तथा जून 1978 में अन्तरित किये गये थे ।

**मार्च 1977 में राज्य सरकार द्वारा योजनाएं वाणिज्यिक घोषित की गई थीं ।

समायोजित कर दिया गया (मई 1982)।

उपरोक्त के अतिरिक्त मई 1981 में किये गये प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि 0.06 लाख रुपये का माल क्षतिग्रस्त/नाकारा स्थिति में था। जिन परिस्थितियों में माल क्षतिग्रस्त हुआ उनकी कोई भी छानबीन नहीं की गई और न ही उसके निपटारे हेतु कोई कदम उठाया गया (मई 1982)।

मामला सरकार को जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

7.13 **खाद्य एवं आपूर्ति विभाग**

7.13.1 **बराड़ा में गोदाम**

विभाग ने (अक्तूबर 1974) में नाहन के निकटतम बराड़ा रेलवे स्टेशन पर 500 टन अनाज की क्षमता का एक गोदाम 1.65 लाख रुपये में खरीदा। अक्तूबर 1975 तक 500 टन अनाज इस गोदाम में रखा गया और उसके बाद गोदाम का उपयोग नहीं हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अनाज की वसूली का कार्य (1975–76) भारतीय खाद्य निगम ने अपने हाथ में ले लिया था। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने (मई 1981) गोदाम को हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को देने का फैसला किया, जिन्होंने गोदाम लेने से पहले कुछ मरम्मतें करवाने की इच्छा व्यक्त की (मई 1981) जिस कार्य को करने के लिये अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नाहन को जून 1981 में निवेदन किया गया। गोदाम हिमफेड को जून 1982 में हस्तान्तरित कर दिया गया परन्तु गोदाम के मासिक किराये का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया था (सितम्बर 1982)।

यह मामला सरकार को जून 1982 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1983)।

आर. कुमार

शिमला
दिनांक : 7 मार्च, 1983

(रा. कुमार)
महालेखाकार
हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

नई दिल्ली
दिनांक : 11 मार्च 1983.

(ज्ञान प्रकाश)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I.I

(संदर्भ : अनुच्छेद 1.4 पृष्ठ 6)

विस्तृत खंडों के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विभिन्नतायें

खंड/व्यय का उपखंड	वास्तविक आंकड़े		विभिन्नता	अभ्युक्तियां/कारण
	1980–81	1981–82	वृद्धि	
	(करोड़ रुपयों में)			
आयोजनेतर				
क—सामान्य सेवायें	41.49	49.24	7.75	वृद्धि मुख्यत: इनके अन्तर्गत थी (i) "ब्याज अदायगियां" (2.39 करोड़ रु०) मुख्यत: आयोजनेतर योजनाओं के लिये केन्द्रीय ऋणों पर अधिक ब्याज के भुगतान के कारण (ii) लोक निर्माण पर उचंत कार्यों के अन्तर्गत (1.89 करोड़ रु०)। (iii) मुख्यत: गृह सुरक्षा पर अधिक व्यय के कारण अन्य सामान्य प्रशासनिक सेवाओं पर (0.87 करोड़ रुपये) (i) लाटरियों पर मुख्यत: अधिक व्यय के कारण विविध सामान्य सेवाओं पर (0.76 करोड़ रु०) तथा ग्रेच्युटी/पेंशन के अधिक मामलों के निपटान से पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के

खंड/व्यय का उपखंड	वास्तविक आंकड़े		विभिन्नता	अभ्युक्तियां/कारण
	1980–81	1981–82	वृद्धि	
	(करोड़ रुपयों में)			
	आयोजनेतर			
				कारण (0.70 करोड़ रु०) हुई।
ख—सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	60.21	66.70	6.49	वृद्धि मुख्यत: "शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा" पर अधिक व्यय के कारण (2.08 करोड़ रु०)। (ii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अन्तर्गत मुख्यत: निःशुल्क राहत पर (1.33 करोड़ रुपये)। (iii) "जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति के अन्तर्गत (1.22 करोड़ रु०) ग्रामीण जल आपूर्ति की शीघ्र प्रगति के कारण तथा (iv) चिकित्सा के अन्तर्गत (1.06 करोड़ रु०) मुख्यत: ऐलोपैथी पर हुई।
ग—आर्थिक सेवायें—कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	21.70	25.35	3.65	वृद्धि मुख्यत: निम्नलिखित के अन्तर्गत हुई (i) "खाद्य" (1.32 करोड़ रु०) मुख्यत: खाद्य उपदान के अधिक मामलों में भुगतान के कारण (ii) "कृषि" (1 करोड़ रु०) मुख्यत: उद्यान कार्य-

खंड/व्यय का उपखंड	वास्तविक आंकड़े		विभिन्नता	अभ्युक्तियां/कारण
	1980–81	1081–82	वृद्धि	
	(करोड़ रुपयों में)			
	आयोजनेतर			
				क्रम पर अधिक व्यय के कारण (iii) "सामुदायिक विकास" (0.44 करोड़ रु०) सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर अधिक व्यय के कारण (iv) "वन" (0.34 करोड़ रु०) तथा (v) "लघु सिंचाई" (0.33 करोड़ रु०)।
	योजनागत			
ग—आर्थिक सेवायें—				
(i) कृषि तथा सम्बद्ध सेवायें	22.61	27.49	4.88	वृद्धि मुख्यत: निम्नलिखित के अन्तर्गत हुई (i) "कृषि" (2.23 करोड़ रु०) मुख्यत: खाद्य तथा उर्वरकों और उद्यान कार्यक्रम पर अधिक व्यय के कारण (ii) "सामुदायिक विकास" (0.98 करोड़ रु०) "ग्रामीण निर्माण कार्य" के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण (iii) "लघु सिंचाई" (0.63 करोड़ रु०) तथा "वन" (0.52 करोड़ रु०)।
(i) उद्योग तथा खनिज	3.48	4.29	0.81	वृद्धि मुख्यत: "उद्योगों" के अन्तर्गत (0.53 करोड़ रु०) औद्योगिक उत्पादकता पर अधिक व्यय के कारण हुई थी।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ : अनुच्छेद 1.5 पृष्ठ 7)

विस्तृत खंडों के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान गत वर्षों की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में महत्वपूर्ण विभिन्नतायें

खंड/व्यय का उप-खंड	वास्तविक आंकड़े		विभिन्नता	अभ्युक्तियां/कारण
	1980-81	1981-82	वृद्धि	
	(करोड़ रुपयों में)			
	योजनागत			
(i) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	14.65	20.28	5.63	निम्नलिखित के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः (i) "जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता" पर ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की शीघ्र प्रगति के कारण (2.97 करोड़ रु०) तथा (ii) "चिकित्सा" (2.16 करोड़ रु०) मुख्यतः "चिकित्सा शिक्षा" पर (1.59 करोड़ रु० तथा "चिकित्सा राहत" पर (0.60 करोड़ रु०) अधिक व्यय के कारण हुई।
(ii) आर्थिक सेवायें— कृषि तथा सम्बंद्ध सेवायें	5.32	7.99	2.67	वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित के अन्तर्गत हुई:— (i) कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश (1.15 करोड़ रु०) मुख्यतः सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर तथा (ii) "लघु सिंचाई" पर (1.09 करोड़ रु०)।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ : अनुच्छेद 2.4 पृष्ठ 25)

मामले जिन में बचत (प्रत्येक मामले में 20 लाख रु० से अधिक) कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक हुई

क्रम संख्या	अनुदान का नाम और संख्या	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	प्रतिशतता
		(लाख रुपयों में)			
I.	**मामले जिनमें बचतें कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत से अधिक थी**				
	राजस्व अनुभाग				
1	1–विधान सभा तथा निर्वाचन	99.59	69.22	30.37	30
2	6–आबकारी तथा कराधान	1,44.25	69.03	75.22	52
3	13–भू तथा जल संरक्षण	6,27.00	3,98.26	2,28.74	36
4	26–लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1,53.25	1,21.57	31.68	21
5	31–नागरिक विकास	79.44	55.65	23.79	30
	पूंजी अनुभाग				
6	14–पशुपालन तथा डेरी विकास	1,65.10	1,29.73	35.37	21
7	22–सहकारिता	2,19.25	1,54.08	65.17	30
II.	**ऐसे मामले जिनमें बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत् से अधिक लेकिन 20 प्रतिशत तक थी**				
	राजस्व अनुभाग				
8	21–सामुदायिक विकास	10,65.67	9,42.79	1,22.89	12
9	35–जन जातीय विकास	16,16.03	13,48.11	2,67.92	17
	पूंजी अनुभाग				
10	24–जल तथा विद्युत विकास	14,63.00	12,49.15	2,13.85	15

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ : अनुच्छेद 2.7 पृष्ठ 28)

आवश्यकताओं से पहले निधियों का आहरण

विभाग/कार्यालय	आहृत राशि	कब आहृत की गई	किस प्रयोजन के लिये आहृत की गई	अभ्युक्तियां
	(लाख रुपयों में)			
शिक्षा				
ज़िला शिक्षा अधिकारी, सोलन (ज़िला सोलन)	0.56	मार्च 1980	भुने हुये चनों की खरीद	0.56 लाख रु० फरवरी 1982 में खजाने में लौटाये गये। सरकार ने बताया (अगस्त 1982) की राशि को अ पूर्ति–कर्त्ता के भुगतान के लिये बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखा गया परन्तु भुने हुये चनों की अनापूर्ति के कारण इसे फर्म को जारी नहीं किया गया था।
जिला कृषि अधिकारी, रिकांग पिओ (ज़िला किन्नौर)	0.24	मार्च 1980	..	प्रोफार्मा बिलों के आधार पर आहृत राशि को फर्म के पक्ष में खज़ाना प्रेषण रसीदों में बदला गया आर. टी. आर. विभाग के पास पड़े थे (सितम्बर 1981) क्योंकि फर्म ने आपूर्ति आदेशों को निष्पादित नहीं किया था।
कृषि				
कृषि उप-निदेशक, बिलासपुर	0.22	मार्च 1981	घासपात-नाशी खरीद	फर्मों के पक्ष में राशि को बैंक ड्राफ्ट में परिवर्तित किया गया। बैंक ड्राफ्ट विभाग के पास पड़ा था

विभाग/कार्यालय	आहृत राशि	कब आहृत की गई	किस प्रयोजन के लिये आहृत की गई	अभ्युक्तियां
	(लाख रुपयों में)			
				(मार्च 1982)। सरकार ने बताया (नवम्बर 1982) कि 0.14 लाख रुपये वितरित किये जा चुके थे और शेष 0.08 लाख रुपये की राशि मार्च 1982 में लौटाई गई थी।
ग्रामीण एकीकृत विकास				
खंड विकास अधिकारी, तीसा (जिला चम्बा)	0.19	फरवरी 1974 तथा मार्च 1976 के मध्य	सामुदायिक निर्माण कार्यों (3) के निष्पादन के लिये	(क) लोक निर्माण विभाग द्वारा हाथ में ली गई अन्य योजना में ग्राम को सम्मिलित करने, (ख) लाभप्राप्त कर्त्ताओं की असहमति (ग) ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को हाथ में लेने में असफलता के कारण योजनायें 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान परित्यक्त की गईं। सरकार ने बताया (सितम्बर 1982) कि दो योजनाओं से संबंधित 0.11 लाख रु० वापिस कर दिये हैं (मार्च 1981) और तीसरी योजना को पंचायत के अनुरोध पर परित्यक्त कर दिया गया था। 0.08 लाख रु० की राशि जी० आई० पाइप लेखा के समायोजन के पश्चात् लौटाई जायेगी।

विभाग/कार्यालय	आहृत राशि	कब आहृत की गई	किस प्रयोजन के लिये आहृत की गई	अभ्युक्तियां
	(लाख रुपयों में)			
खंड विकास अधिकारी, पछाड़ (जिला सिर-मौर)	0.40	मार्च 1981	महिलघाट-सरसू सड़क को चौड़ा करने के लिये	सरकार ने बताया (नवम्बर 1982) कि कार्य को हाथ में नहीं लिया गया था क्योंकि आहृत राशि ऊपरी तह को कठोर बनाने, पारगमन नाली आदि के लिये पर्याप्त नहीं थी। आगे यह बताया गया कि खंड विकास अधिकारी को पर्याप्त निधियों का प्रावधान होने तक सड़क का निर्माण कार्य हाथ में न लेने को कहा गया और आहृत राशि को दो स्कूल भवनों के निर्माण में प्रयुक्त किया जा रहा था। तथापि आवश्यकताओं से पहले राशि के आहरण के लिये कोई कारण नहीं दिये गये थे।
खंड विकास अधिकारी कुल्लू (जिला कुल्लू)	0.41	..	मकानों के स्थानों के विकास के लिये उपदान (0.19 लाख रु०) निर्माण कार्यों का निष्पादन तथा विवेक अनुदानें (0.22 लाख रु०)	राशि को मार्च 1975 तथा अप्रैल 1977 के मध्य पंचायती समिति के नाम डाकखाने में जमा किया गया खंड विकास अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1982) कि 0.29 लाख रु० अप्रयुक्त पड़े थे।

विभाग/कार्यालय	आहृत राशि	कब आहृत की गई	किस प्रयोजन के लिये आहृत की गई	अभ्युक्तियां
		(लाख रुपयों में)		
खंड विकास अधिकारी इन्दौरा (ज़िला कांगड़ा)	1.84	1979–80 तथा 1980–81 के मध्य	काम के बदले अनाज कार्यक्रम	सरकार ने बताया (अक्तूबर 1982) कि 1.41 लाख रु० प्रयुक्त किये गये थे तथा 0.43 लाख रु० की शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी (अक्तूबर 1982)। तथापि आवश्यकताओं से पूर्व राशि के आहरण के लिये कोई कारण नहीं दिये गये थे।
खंड विकास अधिकारी, कल्पा (ज़िला किन्नौर)	1.40	मार्च 1980 तथा मार्च 1981 के मध्य	प्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम, ट्राइसम तथा अन्य योजनायें	सरकार ने बताया (जनवरी 1983) कि 1.38 लाख रुपये प्रयुक्त किये जा चुके थे और 0.02 लाख रुपये की शेष राशि शीघ्र ही वितरित की जायेगी।
खंड विकास अधिकारी, धर्मपुर (जिला सोलन)	0.36	मार्च 1979	कूहलों, कूओं, खच्चर मार्गों का निर्माण	0.04 लाख रुपये प्रयुक्त हो चुके थे और 0.32 लाख रुपये की शेष राशि एक सरकारी बैंक में अप्रयुक्त पड़ी थी (सितम्बर 1982)
मत्स्य				
सहायक निदेशक, मत्स्य जसूर (ज़िला कांगड़ा)	0.70	मार्च 1981	अनुसूचित जाति "विशेष अवयव योजना" के अंतर्गत मत्स्य उपस्कर को खरीदने के लिये	राशि को बैंक में जमा किया गया। सहायक निदेशक, मत्स्य ने बताया (जून 1982) कि राशि को अक्तूबर 1981 में वितरित किया गया था।

विभाग/कार्यालय	आहृत राशि	कब आहृत की गई	किस प्रयोजन के लिये आहृत की गई	अभ्युक्तियां
	(लाख रुपयों में)			
			अनुसूचित जातियों को 50 प्रतिशत उपदान देना	
उद्यान				
जिला उद्यान अधिकारी, नाहन (जिला सिरमौर)	0.57	मार्च 1981	प्रतिलिपि यन्त्र, कांट-छांट करने वाला आरा, पाइपें आदि की आपूर्ति के लिये	प्रोफार्मा बिलों के आधार पर आहृत की गई राशि फर्मों के नाम से बैंक ड्राफ्टों के रूप में परिवर्तित की गई। ड्राफ्ट विभाग के पास पड़े थे। (जनवरी 1982) क्योंकि फर्मों ने आपूर्ति आदेशों को निष्पादित नहीं किया था। सरकार ने बताया (अक्तूबर 1982) कि 0.55 लाख रु० वितरित किये जा चुके थे और 0.02 लाख रु० अक्तूबर 1982 में लौटाये गये थे।
गृह				
पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी० (शिमला)	2.89	मार्च 1981	वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण उपस्करों के क्रय के लिये	सरकार ने बताया (सितम्बर 1982) कि उपस्कर को खरीदने की संस्वीकृति वित्तीय वर्ष के समापन से चार दिन पूर्व दी गई थी। निधियों को व्यपगमन से रोकने के लिये राशि को आहृत किया गया और फर्मों के पक्ष में बैंक ड्राफ्टों के रूप में परिवर्तित

विभाग/कार्यालय	आहृत राशि	कब आहृत की गई	किस प्रयोजन के लिये आहृत की गई	अभ्युक्तियां
	(लाख रुपयों में)			
				किया गया । पूर्ण प्रेषण की प्राप्ति पर फर्मों को भुगतान किया गया (अक्तूबर 1981) ।
सहकारिता				
जिला सहकारी तथा आपूर्ति अधिकारी, ऊना (जिला ऊना)	3.49	मार्च 1979 तथा मार्च 1980	सहकारी समितियों को उपदान के रूप में वितरण के लिये (प्रबंध: 0.23 लाख रु०) गोदामों का निर्माण 3.26 लाख रु०)	जिला सहकारी तथा आपूर्ति अधिकारी, ऊना ने सूचित किया (सितम्बर 1982) कि सम्पूर्ण राशि को अप्रैल 1981 तथा सितम्बर 1982 के मध्य वितरित किया गया था । समितियों द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् सरकार द्वारा राशियां जारी की गई थीं ।
जोड़	13.27			

परिशिष्ट 3.1

परिशिष्ट

(संदर्भ: अनुच्छेद

31 मार्च 1982 को प्रतिवेदित तथा 30 सितम्बर

क्रम संख्या	विभाग	1978-79 तक		1979-80 के दौरान	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
					(लाख
1	लोक निर्माण	66	30.59	3	0.15
2	वन	9	16.17	..	..
3	कृषि	1	1.64	..	..
4	पुलिस	1	0.68	..	..
5	खाद्य एवं आपूर्ति	1	0.52	1	0.39
6	वित्त (खजाना तथा लेखे संगठन)	3	0.51	..	..
7	शिक्षा	5	0.47	..	..
8	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1	0.10	..	..
9	राज्यपाल सचिवालय	1	0.26	..	..
10	कल्याण	5	0.25	..	..
11	ग्रामीण एकीकृत विकास	1	0.18	1	0.32
12	आवास	1	0.11	..	..
13	गृह सुरक्षा	1	0.09	..	..
14	राजस्व	2	0.08	..	..
15	पशु पालन	1	0.04	..	..
16	सामान्य प्रशासन	1	***	..	..
17	उद्यान विभाग	1	0.23	..	..
18	भू-संरक्षण	1	0.18	..	..
	जोड़	102	52.10	5	0.86

3.1

3.10 पृष्ठ 72)

1982 को बकाया दुर्विनियोजन तथा गबन

1980-81 के दौरान		1981-82 के दौरान		जोड़	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
7	8	9	10	11	12
रुपयों में)					
12	6.08	17	13.90	98	50.81
..	..	..	..	9	16.17
..	..	..	..	1	1.64
..	..	..	..	1	0.68
..	..	1	0.17	3	1.08
..	..	..	..	3	0.51
..	..	1	0.33	6	0.80*
1	1.02	..	..	2	1.12
..	..	..	..	1	0.26
..	..	..	..	5	0.25**
..	..	1	0.54	3	1.04
..	..	..	..	1	0.11
..	..	..	..	1	0.09
..	..	..	..	2	0.08
1	0.89	..	..	2	0.93
..	..	..	..	1	***
..	..	..	..	1	0.23****
..	..	..	..	1	0.18*****
14	7.99	20	15.03	141	75.98

पाद टिप्पणी

*इस में 506 रुपये की एक मद सम्मिलित है।
**इस में 40 रुपये की एक मद सम्मिलित है।
***इस में 50 रुपये की एक मद सम्मिलित है।
****गत वर्ष यह भूल से रह गई थी अब इसे सम्मिलित कर लिया गया है।
*****1-1-1982 को इस विभाग के सृजन के कारण यह राशि वन विभाग से अन्तरित हुई है।

परिशिष्ट

(संदर्भ : अनुच्छेद

दुर्विनियोजन, ग़बनतों आदि के बकाया मामले

क्रम संख्या	विभाग	आपराधिक जांच की पूर्णता की प्रतीक्षा में		विभागीय जांच की पूर्णता की प्रतीक्षा में	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(राशि लाख
1	लोक निर्माण कार्य	11	1.03	54	14.85
2	वन	1	14.26	..	..
3	कृषि	..	..	..	..
4	पुलिस	..	..	..	..
5	खाद्य एवं आपूर्ति	3	1.08	..	..
6	वित्त (खजाने तथा लेखे संगठन)	..	..	1	0.26
7	शिक्षा	1	0.34	..	..
8	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	..	..	1	1.02
9	राज्यपाल सचिवालय	..	..	..	..
10	कल्याण	..	..	1	0.13
11	ग्रामीण एकीकृत विकास	..	..	1	0.32
12	आवास	..	..	..	..
13	गृह सुरक्षा	..	..	..	..
14	पशुपालन	..	..	1	0.89
15	राजस्व	..	..	..	..
16	सामान्य प्रशासन	..	..	..	..
17	उद्यान विभाग	..	..	..	..
18	भू-संरक्षण	..	..	1	0.18
	जोड़	16	16.71	60	17.65

*केवल 506 रुपये।
**केवल 40 रुपये।
***केवल 50 रुपये।

3.2

3.10 पृष्ठ 72)

(30 सितम्बर, 1982) और जिस स्थिति में वे अनिर्णीत पड़े हैं

न्यायालय में अनिर्णीत		जांच पूर्ण हो गई हो परन्तु बट्टे खाते/वसूली के अनिर्णीत आदेश		अन्य कारण		वसूली के आदेश जारी परन्तु वसूली अनिर्णीत		जोड़	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
रुपयों में)									
4	12.14	29	22.79	..	..	..	..	98	50.81
..	..	5	1.02	2	0.76	1	0.13	9	16.17
..	..	1	1.64	..	..	..	..	1	1.64
..	..	..	..	1	0.68	..	..	1	0.68
..	..	..	..	..	..	..	..	3	1.08
2	0.25	..	..	..	..	..	..	3	0.51
1	0.24	3	0.22	1	*	..	..	6	0.80
..	..	..	..	1	0.10	..	..	2	1.12
..	..	1	0.26	..	..	..	..	1	0.26
3	0.12	1	**	..	..	..	..	5	0.25
1	0.18	1	0.54	..	..	..	..	3	1.04
..	..	1	0.11	..	..	..	..	1	0.11
..	..	..	..	1	0.09	..	..	1	0.09
..	..	1	0.04	..	..	..	..	2	0.93
1	0.02	1	0.06	..	..	..	..	2	0.08
..	..	1	***	..	..	..	..	1	***
..	..	1	0.23	..	..	..	..	1	**** 0.23
..	..	..	..	..	..	..	..	1	***** 0.18
12	12.95	46	26.91	6	1.63	1	0.13	141	75.98

****गत वर्ष यह भूल से रह गई थी। अब इसे सम्मिलित कर लिया गया है।

*****1-1-82 को इस विभाग के सृजन के कारण यह राशि वन विभाग से अन्तरित हुई है।

परिशिष्ट 4.1

(**संदर्भ : अनुच्छेद** 4.2 **पृष्ठ** 89.....)

बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्यों के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मंडल	बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	कार्य को आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट तिथि (महीनों में)	व्यय (मार्च 1982) तक (लाख रुपयों में)	अभी भी सुरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टेयरों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य पांवटा	सूरजपुर ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	3.56	सितम्बर 1981	18	1.10	20	
2	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, पांवटा	सलानी ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	1.51	मई 1977	12	1.14	30	
3	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, सोलन	सरसा नदी के गिर्द बाढ़ नियन्त्रण	8.87	मार्च 1979	12	5.01	..	19 ग्राम सुरक्षित किये जाने थे।
4	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, सोलन	दबोटा ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	2.30	मार्च 1979	12	5.03	161.94	
5	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, सोलन	बरसाने तथा मन्सा टिब्बा ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	4.60	मार्च 1979	12	5.21	..	एक ग्राम का संरक्षण

6	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, मंडी	ब्यास नदी पर नगवेई ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	2.33	सितम्बर 1980	कोई समय सीमा निश्चित नहीं	2.58	..	आंशिक रूप से सुरक्षित
7	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, मंडी	सुकेती खड़ के निकट चक्कर ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.69	मार्च 1981	कोई समय सीमा निश्चित नहीं	2.17	..	आंशिक रूप से सुरक्षित
8	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, कुल्लू	सर्वरी सहायक नदी पर बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्य	1.95	जुलाई 1978	24	2.92	0.018	
9	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, कुल्लू	भांग ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	1.27	मार्च 1982	12	1.26	..	सामग्री का प्रबन्ध कर लिया गया है।
10	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, कुल्लू	सालंग ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.18	मार्च 1982	12	0.10	..	उक्त
11	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, कुल्लू	टापू में बाढ़ नियन्त्रण	4.25	फरवरी 1978	12	5.16	..	आंशिक रुप से टापू की सुरक्षा हुई है।
12	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, कुल्लू	मनीकरण में बाढ़ नियन्त्रण	2.09	दिसम्बर 1979	24	2.97	1.00	
13	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, डलहौजी	चुहान ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.84	फरवरी 1979	12	1.01	..	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है।
14	सिचाई एवं जन-स्वास्थ्य, डलहौजी	संधारा ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.74	फरवरी 1980	6	0.86	..	व्यय संधारा लिफ्ट सिचाई योजना पर किया गया।

क्रम संख्या	मंडल	बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	कार्य को आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट तिथि (महीनों में)	व्यय (मार्च 1982) तक (लाख रुपयों में)	अभी भी सुरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टेयरों में)	अभ्युक्तियां
15	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य डलहौजी	ककीरा ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	अनुमान तैयार नहीं किया गया	मार्च 1979	..	1.63	..	व्यय जलापूर्ति योजनाओं की विशेष मरम्मत पर किया गया।
16	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, डलहौजी	चौवाड़ी ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	उक्त	जनवरी 1980	..	1.05	..	
17	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, डलहौजी	सुलतानपुर ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	सितम्बर 1981 में अधीक्षण अभियन्ता को अनुमान प्रस्तुत किये गये	जनवरी 1979	18	0.87	15.38	संस्वीकृति के अभाव के कारण मार्च, 1981 में कार्य को रोक दिया गया।
18	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नैणी	खड का बाढ़ नियन्त्रण	1.52	जुलाई 1978	12	1.48	..	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है।
19	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, डलहौजी	ककीरा तथा बंजार ग्राम का बाढ़नियंत्रण	0.57	मार्च 1980	12	0.22	7.69	

20	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, डलहौजी	मंगला ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	1.50	सितम्बर 1978	36	1.40	40.48	
21	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–I	संवां नदी ऊना का जलमार्ग आर/डी 5700 से 5100 तक संतोखगढ़ की तरफ करना	अनुमान प्रक्रिया के अन्तर्गत है (दिसम्बर 1982)	जुलाई 1981	12	6.74	182.18	
22	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–I	आर./डी. 0/0 से 990 रामपुर पेखुबेला मे बाढ़ नियन्त्रण	उक्त	मार्च 1978	कोई समय सीमा निश्चित नहीं	27.95	..	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है ।
23	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–I	ग्राम कंगार धर्मपुर का बाढ़ नियन्त्रण	उक्त	मार्च 1978	उक्त	7.66	5.97	
24	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–I	ग्राम हरोली का बाढ़ नियन्त्रण	अनुमान प्रक्रिया के अन्तर्गत (दिसम्बर 1982)	अगस्त 1981	12	1.05	141.70	
25	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–I	गड़पाला ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	उक्त	अगस्त 1979	6	1.90	..	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है

क्रम संख्या	मण्डल	बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	कार्य को आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट तिथि (महीनों में)	व्यय (मार्च 1982) (लाख रुपयों में)	अभी भी सुरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टरों में)	अभ्युक्तियां
26	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–I	धुंगथ ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.44	अगस्त 1979	3	0.35	..	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है
27	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–I	ईसपुर ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	3.99	जून 1979	6	4.10	141.70	
28	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	बंगाणा में ग्राम तमलेट का बाढ़ नियन्त्रण	4.50	जून 1978	6	6.65	10	
29	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	ग्राम धुसारा का बाढ़ नियन्त्रण	4.84	अप्रैल 1980	6	0.66	20	सामग्री का प्रबन्ध कर लिया गया है
30	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	ग्राम अंजौली चरण–II का बाढ़ नियन्त्रण	0.55	जून 1978	6	0.61	2	
31	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	ग्राम समूर चरण–I का बाढ़ नियन्त्रण	1.44	मई 1979	4	0.82	70	
32	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	गगरेट, बसाल तथा बड़ोह ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	3.47	अप्रैल 1978	कोई समय निश्चित नहीं	1.62	16	

33	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	ग्राम नन्दपुर, ठठल, चरण–I, का बाद नियन्त्रण	11.12	अप्रैल 1978	उक्त		16.57	20	
34	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	ग्राम ठठल पंजोआ, चरण II का बाढ़ नियन्त्रण	2.18	अप्रैल 1981	उक्त		2.00	60	
35	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य ऊना–II	ग्राम अम्ब कठूर चरण–I का बाढ़ नियंत्रण	4.00	मई 1979		6	4.87	20	
36	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य ऊना–II	ग्राम भद्रकाली का बाढ़ नियन्त्रण	1.07	अप्रैल 1980		4	0.40	15	
37	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ऊना–II	टकारला ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	अनुमान प्रक्रिया के अन्तर्गत	मई 1978		..	18.90	60	
38	संचाई एवं जन स्वास्थ्य, नूरपुर	राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 9 ए. पी. टी. के. पर चक्की खड्ड का बाढ़ नियन्त्रण	4.97	मार्च 1979		24	3.58	..	कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण है ।
39	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नूरपुर	ग्राम गंगरूट का बाढ़ नियंत्रण	0.89	मार्च 1982		24	0.46	..	सामग्री का प्रबन्ध कर लिया गया है ।
40	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नूरपुर	बंदाण-सुनाका ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	0.56	मार्च 1980		24	0.55	..	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है ।
41	सिंचाई एवं जल स्वास्थ्य, नूरपुर	सर्वनखड का बाढ़ नियंत्रण	7.58	दिसम्बर 1978		96	4.24	111.33	

क्रमसंख्या	मण्डल	बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत	कार्य को आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट तिथि	व्यय (मार्च 1982) तक	अभी भी सुरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र	अभ्युक्तियां
			(लाख रुपयों में)		(महीनों में)	(लाख रुपयों में)	(हैक्टेयरों में)	
42	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नूरपुर	सूरजपुर मोहतली ग्राम का बढ़ुखर नियन्त्रण	2.80	सितम्बर 1980	24	2.10	..	कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है ।
43	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नूरपुर	बढ़सर ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	4.32	फरवरी 1980	24	2.90	8.09	
44	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	राजपुर ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.49	सितम्बर 1979	18	0.35	14.97	
45	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	घोटे ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	0.78	सितम्बर1980	12	0.43	23.07	
46	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	पालची ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.91	मार्च 1982	12	0.03	11.33	सामग्री का प्रबन्ध कर लिया गया है ।
47	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	हरिपुर ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	1.54	मई 1980	12	0.62	39.67	
48	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	कोटी ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	0.22	सितम्बर1980	12	0.11	..	कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण है ।

49	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	चम्बा नगर का बाढ़ नियन्त्रण	3.64	जून 1978	24	2.34	..	कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण है ।
50	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	सरोल ग्राम का बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	2.65	जुलाई 1978	12	2.96	26.31	
51	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	गेहरा ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	3.70	मई 1978	12	3.01	24.29	
52	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	ग्राम बर्ची का बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	1.45	जुलाई 1978	6	1.53	4.04	
53	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, चम्बा	महला ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	0.50	अगस्त 1977	12	1.60	..	कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण है ।
54	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, धर्मशाला	पुलिस लाइन तथा कालिज के नीचे चम्बा खड के दाहिने किनारे का बाढ़ नियन्त्रण	1.06	फरवरी 1981	12	1.07	..	आंशिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है ।
55	जांच, शिमला	क्योर तथा नेरवा ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	3.85	सितम्बर 1980	24	1.00	0.30	
56	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, काजा	क्युलिंग ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	3.67	सितम्बर 1980	60	0.86	20.24	
57	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, काजा	धुल ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	3.41	सितम्बर 1980	60	0.70	16.19	

क्रम संख्या	मण्डल	बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत	कार्य को आरम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्दिष्ट तिथि	व्यय (मार्च 1982 तक)	अभी भी सुरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र	अभ्युक्तियां
			(लाख रुपयों में)		(महीनों में)	(लाख रुपयों में)	(हैक्टरों में)	
58	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, काजा	लसार तथा चीकोंग का बाढ़ नियंत्रण	अनुमान निर्माणाधीन है	1979–80	..	0.10	..	सामग्री का प्रबन्ध कर लिया गया है ।
59	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, काजा	रंगरीक ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	अनुमान निर्माणाधीन है	1979–80	..	0.34	..	सामग्री का प्रबन्ध कर लिया गया है ।
60	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, काजा	काजा ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	अनुमान निर्माणाधीन है	1979–80	..	0.13	..	सामग्री का प्रबन्ध कर लिया गया है ।
61	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, हमीरपुर	ब्यास नदी से खरी ग्राम का बाढ़ नियन्त्रण	अनुमान निर्माणाधीन	जनवरी 1979	..	2.64	50.60	
62	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, हमीरपुर	ग्राम का बाढ़ नियंत्रण	अनुमान निर्माणाधीन है	जनवरी 1979	..	2.48	36.43	
		जोड़	125.36			182.15	1427.908	तथा आवास सम्पत्ति ..

परिशिष्ट 7.1

परि-

(सन्दर्भ : अनुच्छेद 7.2

संवैधानिक निगमों के संक्षिप्त

क्रमांक	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	बहु उद्देशीय परियोजनायें व विद्युत	1 सितम्बर 1971	1981–82
2	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	परिवहन	2 अक्तूबर 1974	1980–81
3	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 अप्रैल 1967	1981–82

शिष्ट 7.1

पृष्ठ 146)

आर्थिक परिणाम

निवेशित कुल पूंजी	लाभ हानि	(+) (—)	लाभ तथा हानि लेखा को प्रभावित कुल ब्याज	लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ
(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
			(लाख रुपयों में)		
1,58,72.04	(—) 3,79.43		3,79.43	3,79.43	(—) 3,79.43
14,92.25	(—) 1,11.84		87.97	82.77	(—) 29.07
..	(+) 43.20		79.17	..	..

परि

(सन्दर्भ : अनुच्छेद 7.2

संवैधानिक निगमों के संक्षिप्ट

क्रमांक	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	बहु उद्देशीय परियोजनायें व विद्युत	1 सितम्बर 1971	1981–82
2	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	परिवहन	2 अक्तूबर 1974	1980–81
3	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1 अप्रैल 1967	1981–82

टिप्पणियां –(i) निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी जमा लम्बी अवधि के ऋण जमा स्वतन्त्र आरक्षित निधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(ii) *नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगति में पूंजीगत कार्यों को छोड़कर) जमा कार्यकारी पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है।

(iii) **नियोजित पूंजी (क) प्रदत्त पूंजी (ख) बंध-पत्रों तथा ऋण पत्रों तथा (ग) आरक्षित निधियों आदि और अन्त शेषों के योग की औसत का प्रतिनिधित्व करती है।

शिष्ट 7.1

पृष्ठ 146)

आर्थिक परिणाम

नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता
(11)	(12)	(13)	(14)
65,43.90	(—) 3,79.43	(—) 2.4	(—) 5.8
10,46.16*	(—) 23.87	(—) 1.95	(—) 2.28
15,38.82**	1,22.37	..	7.95

परि

(सन्दर्भ: अनुच्छेद 7.2

सरकारी कम्पनियों के

क्रमांक	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगम की तिथि	लेखाओं की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	पर्यटन	1 सितम्बर 1972	1979 (कैलंडर वर्ष)
2	हिमाचल प्रदेश खनिज तथा उद्योग विकास निगम	उद्योग	25 नवम्बर 1966	1979–80
3	हिमाचल प्रदेश ऊन विधायन सीमित	उद्योग	11 अक्तूबर 1974	1979–80
4	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	उद्योग	24 दिसम्बर 1970	1981–82
5	हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति सीमित	खाद्य एवं आपूर्ति	6 सितम्बर 1980	1980–81
6	हिमाचल प्रदेश निगम सीमित	वन	25 मार्च 1974	1978–79
7	हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्त-शिल्प निगम सीमित	उद्योग	30 मार्च 1974	1978–79
8	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित	उद्योग	20 अक्तूबर 1966	1979–80
9	हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद एवं विधायन निगम सीमित	उद्यान	10 जून 1974	1979–80

शिष्ट 7.2

पृष्ठ 174)

संक्षिप्त आर्थिक परिणाम

निवेशित कुल पूंजी	लाभ (+) हानि (—)	लाभ तथा हानि लेखा को प्रभारित कुल ब्याज	लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(लाख रुपयों में)		
3,76.55	(—) 20.52	1.69	1.69	(—) 18.83
4,89.09	(—) 10.43	(+) 16.03	(+) 16.03	(+) 5.60
1,90.12	(—) 38.37	10.92	4.51	(—) 33.86
8,75.43	(+) 7.53	9.75	5.11	(+) 12.64
60.00	(—) 2.59	..	शून्य	(—) 2.59
2,43.01	(+) 25.00	शून्य	शून्य	(+) 25.00
99.95	(—) 5.72	1.13	1.13	(—) 4.59
99.70	(+) 0.58	2.71	0.63	(+) 0.58
5,12.71	(—) 17.06	2.75	2.75	(—) 14.31

परि

(सन्दर्भ : अनुच्छेद 7.6.2

सरकारी कम्पनियों के

क्रमांक	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगम की तिथि	लेखाओं की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	पर्यटन	1 सितम्बर 1972	1979 (कैलंडर वर्ष)
2	हिमाचल प्रदेश खनिज तथा उद्योग विकास निगम	उद्योग	25 नवम्बर 1966	1979–80
3	हिमाचल प्रदेश ऊन विधायन सीमित	उद्योग	11 अक्तूबर 1974	1979–80
4	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	उद्योग	24 दिसम्बर 1970	1981–82
5	हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति सीमित	खाद्य एवं आपूर्ति	6 सितम्बर 1980	1980–81
6	हिमाचल प्रदेश निगम सीमित	वन	25 मार्च 1974	1978–79
7	हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्त-शिल्प निगम सीमित	उद्योग	30 मार्च 1974	1978–79
8	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित	उद्योग	20 अक्तूबर 1966	1979–80
9	हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद एवं विधायन निगम सीमित	उद्यान	10 जून 1974	1979–80

शिष्ट 7.2
पृष्ठ 174)
संक्षिप्त आर्थिक परिणाम

नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रति लाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता
(11)	(12)	(13)	(14)
	(लाख रुपयों में)		
2,93.27	(—) 18.83	(—) 5.00	(—) 6.42
3,51.24	(+) 5.60	(+) 1.14	(+) 1.60
1,82.21	(—) 27.45	(—) 17.81	(—) 15.06
5,55.27	(+) 17.28	(+) 1.44	(+) 3.11
56.98	(—) 2.59	(—) 4.32	(—) 5.66
1,67.37	(+) 25.00	(+) 10.29	(+) 14.94
88.66	(—) 4.59	(—) 4.59	(—) 5.18
1,25.21	(+) 0.58	(+) 0.58	(+) 0.46
2,54.80	(—) 14.31	(—) 2.79	(—) 5.62

टिप्पणियां—(i) निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी जमा लम्बी अवधि के ऋण जमा स्वतन्त्र आरक्षित निधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(ii) नियोजित पूंजी, निवल स्थिर पूंजी (प्रगति में पूंजीगत कार्य छोड़ कर) जमा कार्य निधियों का प्रतिनिधित्व करती है।

7222 AG—Govt Press, U.T. Chd.